5 मई 1994

वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नौवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

5 मई, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद

के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	स्थान पर	पढ़िए
47	2	मल्ल	मल्लू
55	नीचे से 2	विजय नवल पाटील	श्री विजय एन॰ पाटील
70	10	श्री ए॰जे॰ राठवा	श्री एन॰जे॰ राठवा
75	नीचे से 9	6365	6335
77	नीचे से 13	डा॰ रवि मल्लू	डा॰ आर॰ मल्लू
81	14	श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे	श्री अंकुशराव टोपे
109	नीचे से 2	श्री माणिकराव होडल्या	श्री माणिकराव होडल्या गावीत
113 तथा 149 क्रमशः	16 तथा नीचे से 9 क्रमशः	श्री एम॰बी॰बी॰ एस॰ मूर्ति	श्री एम॰वी॰वी॰एस॰मूर्ति
123	नीचे से 5	कैपटन	कैप्टन
129	नीचे से 2	श्री रतिलाल कालिदास वर्मा	श्री रतिलाल वर्मा

विषय-सूची

दशम माला, खंड 31, नौवां सत्र, 1994/1915-1916 (शक)

अंक 32, गुरुवार, 5 मई, 1994/15 वैशाख, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**1-22**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 561 से 565	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**22-184**
तारांकित प्रश्न संख्या : 567 से 580	22-38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6286 से 6468	39-178
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	**185-188 तथा 191**
(एक) पूर्वोत्तर में वायुदूत सेवायें	
श्री गुलाम नबी आजाद	185
(दो) वर्ष 1994-95 के मौसम के लिए कच्चे पटसन की मूल्य नीति	
श्री बलराम जाखड़	191
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**189**
याचिका समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत	191
नियम 377 के अधीन मामले	**192-195**
(एक) जयपुर और सिकन्दराबाद के बीच चलने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस का गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में हाल्ट दिये जाने की आवश्यकता	
श्री शिवचरण माथुर	191

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) राजस्थान के आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री भेरू लाल मीणा 192

(तीन) सहरसा बिहार में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सूर्य नारायण यादव 193

(चार) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मंडी समिति स्थल पर रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल के निर्माण की आवश्यकता

डा. परशुराम गंगवार 193

(पांच) राजस्थान की कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूर करने की आवश्यकता

श्रीमती वसुन्धरा राजे 193

(छः) आचार्य हरिहर रीजनल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसाइटी आफ उड़ीसा को अपेक्षित वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी 194

(सात) बिहार के जहानाबाद जिले को सघन रोजगार योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 195

(आठ) केरल राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने के लिए राज्य को पूरी केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन 195

वित्त विधेयक, 1994 **195-321**

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 196

प्रो. के. वेंकटगिरि गौड़ 204

श्री वी.एस. विजयराघवन 208

विषय	पृष्ठ

श्री गुमान मल लोढा	210
श्री इन्द्रजीत	216
डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	222
श्री चित्त बसु	226
श्री सूरज मंडल	229
श्री सी॰ श्रीनिवासन	232
श्री के॰ प्रधानी	233
श्री इन्द्रजीत गुप्त	236
श्री जार्ज फर्नान्डीज	242
श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग	253
श्री वी॰ धनंजय कुमार	255
श्री सी॰के॰ कुप्पूस्वामी	259
श्री याइमा सिंह युमनाम	262
श्री गिरधारी लाल भार्गव	264
श्री एम॰ कृष्णस्वामी	268
श्री भोगेन्द्र झा	270
श्री अन्ना जोशी	273
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	278
श्री अशोक आनंदराव देशमुख	279
प्रो॰ प्रेम धूमल	283
श्रीमती सुशीला गोपालन	286
श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति	289
श्री पी॰सी॰ चाक्को	292
श्री मोहन रावले	298
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	301
श्री दत्तात्रेय बंडारू	304
श्री लाईता उम्ब्रे	307
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	310

विषय	पृष्ठ
श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी	312
श्री रामपाल सिंह	314
श्री पी.पी. कालियापेरूमल	315
श्री भेरू मल मीणा	317
श्री के.एच. मुनियप्पा	319
श्री मनमोहन सिंह	321
कार्य मंत्रणा समिति	
चालीसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत	282
दर्शक दीर्घा से एक दर्शक द्वारा सभा की अवमानना किए जाने के बारे में प्रस्ताव	**282**

लोक सभा

गुरुवार, 5 मई 1994/15 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कैंसर का उपचार

[हिन्दी]

*561. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सरकारी अस्पतालों के कैंसर रोगियों के उपचार के लिए विकसित देशों में उपलब्ध उन्नत सुविधाओं की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में कैंसर की रोकथाम और इसका शुरू में पता लगाने और जिन क्षेत्रों में इस समय बुनियादी उपचार सुविधाएं नहीं हैं, वहां ऐसी सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। तथापि, बोन मैरो प्रतिरोपण जैसी उन्नत सुविधाएं विकसित करने और लोनियर एक्सेलेटर जैसे आधुनिक उपकरण लगाने के लिए चुनिंदा संस्थाओं को सहायता भी दी जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैंसर एक जानलेवा खतरनाक बीमारी है। अमीर लोग तो इस बीमारी का समय रहते इलाज करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब और साधन–विहीन लोग हैं, वे जानकारी और धन के अभाव में इस बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं तथा गंभीर पीड़ा से तड़प–तड़प कर मरने के लिए मजबूर होते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि गरीब और साधन–विहीन लोगों के लिए निःशुल्क और सस्ते इलाज के लिए सरकार के पास क्या कोई प्रभावकारी योजना है, यदि हो तो अभी जैसा कि मंत्री जी ने बताया है। कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आदि प्रक्रिया बहुत महंगी है, जिसमें कम से कम 5 लाख रुपया खर्च होता है, तो इस प्रकार के इलाज में क्या सरकार सहायता देती है। यदि सरकार के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है तो मैं जानना चाहती हूं कि इस लोक–कल्याणकारी देश में हम गरीब

आदमी को आजादी के 47 साल बाद भी इलाज तथा धन के अभाव में तड़प–तड़प कर मरने देने लिए कब तक विवश रहेंगे ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : महोदय, माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, और जब तक कैंसर का शुरू में ही पता नहीं चल जाता, कैंसर की अधिकतर बीमारियां जानलेवा ही होती हैं। सरकार इस बात से अवगत है कि यह बीमारी इतनी भीषण है। कि जब तक इसका पता शुरू में ही नहीं लग जाए और उपचार नहीं किया जाये तब तक इसका इलाज नहीं किया जा सकता। अतः सरकार ने राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम नाम की एक योजना बनाई है। इस हेतु देश में कतिपय केन्द्र बनाए गए हैं और हाल ही में सरकार ने ग्रामीण निर्धनों और आम जनता के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव पेश किया है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नई योजना में स्वास्थ शिक्षा संबंधी जिला परियोजना, बीमारी का शुरू में ही पता लगाना और राहत उपाय करना, चिकित्सा कालेजों और हस्पतालों में गिल्टी संबंधी अध्ययन का विकास, स्वास्थ्य शिक्षा और शुरू में ही बीमारी का पता लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजनाएं शामिल हैं। संक्षेप में इस योजना की जानकारी और वित्तीय सहायता इन संगठनों को प्रदान की जा रही है।

माननीय सदस्य अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के बारे में पूछताछ कर रहे थे। वह इससे अवगत हैं कि यह एक बहुत महंगा उपचार है। देश में केवल कतिपय संस्थाओं में ही अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण किया जता है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, गरीब व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या महंगे इलाज की जरूरत होती है तो आप इस तरह के निर्धन और साधनहीन मरीज के लिए आप किस तरह से उसकी सहायता करना चाहते हैं ? उत्तर प्रदेश में 11 सरकारी हस्पताल हैं और हजारों की संख्या में मरीज हैं। तो आप उसमें क्या सहायता करना चाहते हैं आपने तो बहुत लंबी योजना बना दी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के एक भाग का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। दूसरे भाग का उत्तर दिया जाये।

श्री पबन सिंह घाटोवार : जरूरतमंद कैंसर रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है। स्वास्थ्य मंत्री कैंसर के रोगियों के उपचारार्थ कुछ अंशदान देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जरुरतमंद रोगियों को पूरा खर्च तो नहीं, लेकिन इसका एक अंश देते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम के अंतर्गत

कैंसर की रोकथाम है और उसका शुरू में पता लगाने पर जोर दिया जाता है। पहली बात यह है कि कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू ओर सिगरेट का सेवन है। तंबाकू, सिगरेट और पान मसाले का आकर्षक विज्ञापन खुले आम दूरदर्शन और मीडिया द्वारा दिया जाता है तो लोग विवश होकर उसको खाते हैं। क्या यह रोकथाम के लिए जरूरी नहीं है कि इस तरह के आकर्षक विज्ञापनों पर रोक लगाएं ? आपने कहा कि शुरू में रोग का पता लगाकर उसका उपचार कराने की व्यवस्था की जाती है। महिलाओं में सबसे अधिक ब्रेस्ट और सरविक्स कैंसर होता है। इसके लिए जांच होती है। पैप्स स्मीयर टैस्ट और मैमोरी टैस्ट नियमित रूप से अन्य देशों में होते हैं। क्या हमारे देश में भी इस तरह के टैस्ट नियमित रूप से कराए जाएंगे ताकि प्रारंभिक अवस्था का पता लग सके और उसका इलाज हो सके। क्या आप देश में ऐसी योजना ला रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बीड़ी और खैनी का बहुत रिवाज है तो क्या आप ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए इस तरह के नियमित टैस्ट के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं ? किस प्रकार से आप रोकथाम करेंगे और किस प्रकार से आप प्रारंभिक अवस्था में पता लगाकर इसका इलाज कराने की व्यवस्था करेंगे ? इसके बारे में विवरण देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

डा. सी. सिल्वेरा : कैंसर तो एक आम बोलचाल का शब्द है। और विभिन्न अंगों के कैंसर के लिए अलग–अलग नाम है। डाक्टरों ने इसे विभिन्न नाम दिए हैं और कैंसर के लिए कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। लेकिन तम्बाकू का किसी न किसी रूप में प्रयोग कैंसर का एक कारण माना जाता है।

जैसाकि मैंने पहले कहा है। सरकार की एक योजना है। जिसके अन्तर्गत कैंसर का शुरू में ही पता लगाने के संबंध में प्रचार किया जाता है और इसमें समाज के किसी वर्ग–बच्चे, वयस्क और महिलाएं भी शामिल हैं। यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस बीमारी का उपयुक्त उपचार कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के परियोजना निदेशक गिली बर्न का कहना है कि 75 प्रतिशत कैंसर के रोगियों को भीषण दर्द होता है। भारत में एक औषधि बनी है जो सस्ती भी है और प्रभावकारी भी है। जिसका लाईसेंस सिपला कम्पनी को दिया है और नाम "आन डान सैट्रान एंटी एमेटिक" है और यह कैमोथेपी के साथ कैंसर रोगियों को दी जाती है। मेरा प्रश्न यह है कि :

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विज्ञापन नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपने सिपला को जो लाईसेंस दिया गया है, यह औषधि कब

तक बनना प्रारम्भ हो जायेगी और हिन्दुस्तान के कैंसर रोगियों को कब तक मिलना प्रारम्भ हो जायेगी।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि कुछ दिनों पहले टाटा इंस्टीट्यूट गया था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि क्या आयुवेर्दिक में कैंसर प्रतिरोधी औषधि पर आप थीसिस लिख रहे हैं ? जैसी कि यह आम चर्चा है कि एक सफेद और लाल रंग का फूल 12 महीनों मिलता है जो कैंसर प्रतिरोधी होता है और तुलसी के साथ कोई दवाई बना सकते हैं। तो उनका कहना था कि यह आयुर्वेद की दवा है, वे करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि सरकार केवल ढाई पैसे आयुर्वेद पर दे रही है जबकि साढ़े सत्तानवे पैसे ऐलोपैथी पर दिया जा रहा है। क्या टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से यह अपेक्षा करें कि वह इस पर खोज करेगी और दवा बनायेगी ? यदि हां तो, कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

[अनुवाद]

डा. सी. सिल्वेरा : दर्द से राहत दिलाना नए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की एक परियोजना है। दर्द से राहत के लिए कतिपय मुख सेव्य औषधियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कैंसर में सफल उपचार हेतु कतिपय आयुवेर्दिक औषधियां हैं। क्या आप आयुर्वेदिक औषधियों के संबंध में अनुसंधान जारी रखने हेतु कुछ धन राशि दे रहे हैं।

डा. सी. सिल्वेरा : महोदय यह एक विशिष्ट विषय है और

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर ध्यान दीजिएगा।

डा. सी. सिल्वेरा : मैं इस पर ध्यान दूंगा।

डा. (श्रीमती) पद्मा : महोदय, आस्थि–मज्जा प्रत्यारोपण एक खर्चीली प्रक्रिया है। कैंसर का पता लगाने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। ये योजनाएं जिला मुख्यालयों और चिकित्सा कालेजों में शुरू की गई हैं। क्या मुझे यह जानकारी मिल सकती है। कि क्या मंत्री महोदय भारत के सभी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में ये योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं जोकि कैंसर का शुरू में ही पता लगाने की दृष्टि से अच्छी होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है।

श्री पबन सिंह घाटोवार : महोदय, कैंसर का उपचार एक बहुत महंगा उपचार है। निश्चय ही, सरकार की कैंसर उपचार सुविधाएं अधिकाधिक संस्थाओं में उपलब्ध कराना चाहेंगी।

अध्यक्ष महोदय : ये तो निदान सुविधाएं होंगी।

डा. (श्रीमती) पद्मा : महोदय, यह कोई महंगी चीज नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह उपचार के लिए नहीं है। यह तो केवल निदान सुविधाएं होंगी।

श्री पबन सिंह घाटोवार : निदान के लिए हमारे पास जिला कलेक्टर और जिला परिषद

के चेयरमैन की अध्यक्षता में जिला कैंसर सोसाइटी आयोजित करने की एक योजना है और सोसाइटी को आयोजित करने के लिए और कैंसर के उपचार और अन्य बातों के लिए हम धनराशि प्रदान करते हैं। **(व्यवधान)**

डा. कृपासिंधु भोई : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कर रहे है

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

श्री पबन सिंह घाटोवार : मेडिकल कालिज के फोड़ा–फुंसी (आंकोलॉजी) विभाग में इसकी व्यवस्था करने की योजना है। कोबाल्ट एकक की स्थापना हेतु हम अनुदान दे रहे हैं। इस पर 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत आ रही है। इसी कारण सरकार राज्य के मेडिकल कालिजों को उनकी निदान और उपचार संबंधी सुविधाओं में सुधार करने हेतु सहायता देने का प्रयास कर रही है।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, यह कहा जा रहा है कि कुछ कैंसरों का उपचार नहीं हो सकता है। मंत्री जी ने ऐसा कहते समय तम्बाकू को इसका एक कारण बताया।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि तम्बाकू खाने वाले कुछ माननीय सदस्यगण यह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं तम्बाकू का अधिक सेवन करता हूं। मंत्री जी ने कहा है कि तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसका पता लगा लिया गया है। यह आमतौर पर कहा जाता है कि जब कारण का पता चल जाता है तो उपचार का पता लगाया जा सकता है जहां तक कैंसर का संबंध है, कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और यही कारण है कि उपचार भी नहीं हो सका है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या तम्बाकू खाने और कैंसर के बीच के संबंध का पता लग गया है?

श्री पबन सिंह घाटोवार : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस संबंध में काफी अध्ययन किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देश में कैंसर के चालीस प्रतिशत तक मामलों में तम्बाकू का बड़ा हाथ है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद में एक पुस्तक "चरक संहिता" है। उसमें लिखा है– "याहि हास्ति तदन्यम"। अर्थात् जो हमने यहां लिखा है वही सब जगह मिलेगा। उसी ग्रंथ में गोमूत्र, तुलसी के पत्तों और नीम के पत्तों के योग से कैंसर का इलाज संभव बताया है और अभी विभिन्न समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन हुआ है कि गोमूत्र से एक गोली का निर्माण होता है जो कैन्सर में लाभदायक है और यह बहुत सस्ती औषधि है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस विषय पर भारत सरकार कोई आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट के माध्यम से रिसर्च कराएगी कि भारत में जो गरीब लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उनका उपचार इस आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से हो सके ?

[अनुवाद]

श्री पबन सिंह घाटोवार : महोदय, भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद कई प्रकार की औषधियों पर अनुसंधान कर रही है। निश्चय ही यह एक अच्छा सुझाव है जिस पर अमल होना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कैन्सर की बीमारी जिस अबाध गति से देश में बढ़ रही है, उसी अनुपात में इसका उपचार नहीं हो रहा है। मैं तो सरकार से यही कह रहा हूं कि उपचार की बात सरकार यदि नहीं कर सकती है तो कम से कम उसे रोकने के लिए स्थानीय भाषा में पैम्पलैट छपवाकर देश में बांटने चाहिए। जब कैन्सर की सहायता के लिए कोई व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री को लिखता है तो कभी कभी तीन चार महीने के बाद भी जवाब नहीं आता है और उससे पहले व्यक्ति मर जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे कुछ निर्देश देगी कि जब किसी रोगी की दरखास्त आए तो 15 दिनों में उस अस्पताल को पैसा भेजा जाए ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं यह प्रश्न ठीक नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, देश में कुछ ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो कैन्सर उपचार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसे पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी में कैन्सर इंस्टीट्यूट है। वहां पर काफी अच्छा अनुसंधान हो रहा है। किन्तु खेद है कि वहां कुछ मशीनो का अभाव है, डाक्टरों का प्रभाव है, दवाओं का अभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे सरकारी अस्पताल चाहे रेलवे के हों या राज्य सरकार के, उनको विशेष अनुदान की जरूरत है जिससे कि वे ठीक से चलेंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप यही पूछना चाहते हैं कि अनुदान देंगे या नहीं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो क्या ऐसे संस्थाओं को वे पर्याप्त अनुदान देंगे और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि वाराणसी में जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सर सुन्दरलाल हास्पिटल है, वहां के आयुर्वेद संस्थान ने कैंसर और मंदबुद्धि बच्चों के इलाज के लिए बहुत बड़ी खोज की है और उसके उस इलाज की अमरीका ने भी सराहना की है। उन्होंने भारत सरकार को एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें कुछ सहायता की मांग की गई है, यदि उन्हें वह सहायता मिले, तो वे कुछ पूर्वी स्थानों में, बिहार वगैरह में उसका प्रचार कर सकें, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके आवेदनपत्र पर क्या कार्रवाई हुई और संस्थानों को क्या सहायता देंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर लिख कर भेजा जा सकता है। पहले भाग का उत्तर आप दे सकते हैं।

श्री पबन सिंह घाटोवार : महोदय, माननीय सदस्य ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है जो रेलवे का है। हमारी योजना के अनुसार, हम मेडिकल कालेजों तथा अन्य राज्य सरकार

के संगठनों की सहायता करते हैं। मैं यह पता लगा कर माननीय सदस्य को इस संबंध में जानकारी दूंगा।

[हिन्दी]

तेल की खोज

*562. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार देश के किन–किन क्षेत्रों में तेल की खोज करने का है;

(ख) देश में तेल और गैस का प्रतिदिन कितना–कितना उत्पादन हो रहा है; और

(ग) 1994–95 के अन्त तक तेल और गैस के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) आठवीं योजना अवधि के शेष वर्षों में ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड और ओ.आई.एल. का गुजरात में कैम्बे और सौराष्ट्र के तटीय बेसिनों/क्षेत्रों, मध्य प्रदेश में दक्षिणी रीवा, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की फोल्ड बेल्ट, असम में अपर असम और असम–अराकन फोल्ड बेल्ट, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा–गोदावरी, तमिलनाडु में कावेरी और पश्चिमी बंगाल में बंगाल बेसिन, उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा घाटी बेसिन, राजस्थान में शाहगढ़–मियाजलार, जैसलमेर, बीकानेर–नागौर बेसिनों, और पूर्वी तट के आस पास महानदी अपतटीय क्षेत्रों में, कृष्णा–गोदावरी और कावेरी बेसिनों तथा पश्चिमी तट के साथ–साथ बम्बई, केरल–कोंकण और कच्छ–सौराष्ट्र बेसिनों में तेल और गैस की खोज करने का प्रस्ताव है।

(ख) 1993–94 में कच्चे तेल और गैस का औसत दैनिक (योग का वर्तमान स्तर) उत्पादन क्रमशः 74043 ,म.टी. और 50.23 एम.एम.एस.सी.एम. था।

(ग) वर्ष 1994–95 में तेल और गैस का उत्पादन स्तर के क्रमशः 32.51 एम.एम.टी. प्रति वर्ष और 51.86 एम.एम.सी.एम.डी. तक पहुंचने की आशा है।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण शरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश में प्रतिवर्ष तेल और गैस का उत्पादन देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार ने तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन–कौन सी परियोजनाएं बनाई हैं और क्या इनमें विदेशी सहयोग भी लिया है ? यदि हां, तो किन–किन देशों का ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में, हमारे उत्पादन में गिरावट आयी है···**(व्यवधान)** मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस साल से हमारे तेल का उत्पादन बढ़ना शुरू होगा। पहले हम 27 मिलियन मीट्रिक टन तेल का उत्पादन करते थे, लेकिन इस साल से 32 मि.मी.ट. अर्थात् 5 मि.मी.ट. तेल का उत्पादन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जो स्टैप्स लिए जा रहे हैं जिनमें तेल का उत्पादन बढ़ाने और साथ ही साथ तेल के नये भंडार ढूंढ़ना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगले 3 साल में हम देखेंगे कि 27 मि.मि.ट. से हर साल 5 मि.मी.ट. तेल का उत्पादन बढ़ेगा, परन्तु चिन्ता की बात यह है कि नये तेल के भंडार नहीं मिल रहे हैं। बम्बई हाई हमारी सबसे बड़ी आखिरी फील्ड है, जिसे हम जाइंट फील्ड कहते हैं। इसके बाद हमें और कोई नयी फील्ड नहीं मिली है। हम नये क्षेत्रों का पता लगाने और इस काम को बढ़ाने के लिए एक नैशनल एक्सप्लोरेशन प्लान बना रहे हैं जिससे हमें नये तेल क्षेत्र मिलें।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण शरन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि हमारा देश तेल और गैस के मामले में कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आगरा में स्थित ताजमहल को प्रदूषण के खतरे से बचाने और आगरा तथा फिरोजाबाद को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या मंत्री महोदय यहां निकट में ही स्थित प्राकृतिक गैस को बंद करने के बारे में विचार करेंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। इस प्रकार से बोलने से कोई फायदा नहीं है। कुछ भी रिकार्ड नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने दूसरे पूरक प्रश्न में पूछा है कि क्या देश में तेल के उत्पादन में सहायता देने हेतु किसी विदेशी कंपनी को शामिल किया गया है। कई योजनाएं हैं जैसे 'खोजे गये तेल क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम' ('डेवलपमेंट आफ डिस्कवर्ड ऑयल फील्डर्स प्रोग्राम' जिसमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हो रहा है।

बाम्बे हाई में उत्पादक क्षेत्र पुराना पड़ गया है जब कोई क्षेत्र पुराना हो जाता है तो उत्पादन में गिरावट आने लगती है। कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी देने के लिये बोलियां लगा रही हैं। अन्ततः, भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। कई बिलियन डालर पूंजी की आवश्यकता होती है। चेवेरोन, अमोको तथा ऑक्सीडेंटल जैसी बड़ी–बड़ी कंपनियां हैं जो बोलियां लगा रही हैं और मूल्यांकन किये जा रहे हैं। वह कुछ ही महीनों में पूरा हो जायेगा और उसके बाद हम तय करेंगे कि बाम्बे हाई से उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सबसे अच्छी पेशकश किसकी हो।

प्रश्न का दूसरा भाग आगरा के संबंध में है। जहां तक आगरा ट्रेपेजियम का संबंध है, हमें इसकी जानकारी है। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक गया था। मैं व्यक्तिगत रूप से चिन्तित हूं और मैं वह सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं। समस्या प्राकृतिक गैस की ही जैसे ही हमें अतिरिक्त

मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो जायेगी वैसे ही मैं सदस्य महोदय को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आगरा और उस क्षेत्र को उच्चतम प्राथमिकता मिले।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, तेल के उत्पादन की बहुत आवश्यकता है क्योंकि करोड़ों रुपयों का तेल हमको बाहर से आयात करना पड़ रहा है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह जानकारी दी है कि देश के कई राज्यों में तेल की खोज के लिए उन्होंने योजना बनाई है जो प्रस्तावित है। मैं उनके उत्तर से संबंधित प्रश्न करना चाहता हूं। वे बताने की कृपा करें कि उत्तर प्रदेश और बिहार की गंगा घाटी बेसिन में तेल और गैस की खोज पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी धनराशि व्यय की गई है और आगे कितना व्यय करने का अनुमान है? यह भी बताएं कि क्या आपने विदेशी कम्पनियों को तेल की खोज करने के लिए आमंत्रित किया है या उनसे कोई चर्चा चल रही है ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : तेल ढूंढ़ने के काम में प्रदेश सरकार का सवाल नहीं होता है। देश में 26 सैडीमैंट्री बेसिन है। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक्सप्लोरेशन का काम चलता रहा है और चलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां कोई खास तेल नहीं निकला है, फिर भी कोशिश जारी है।···**(व्यवधान)**···

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह मालूम करना है कि कितना पैसा खर्च हो गया है। आप लिखकर भेज दीजिए।

[अनुवाद]

अब श्री सूर्य नारायण यादव

11.29 म.पू.

इस समय सार्वजनिक दीर्घा से कुछ नारे सुनायी दिये और सार्वजनिक दीर्घा से एक दर्शक सभा में कूद पड़ा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें। सदस्यगण बैठ जायें। श्री सूर्य नारायण यादव अपना प्रश्न जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि बिहार के गंगा के किनारे तेल की खोज की गई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सहरसा, सुपोल, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, समस्तीपुर और कटिहार में तेल के भंडारण हैं।

वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है और इसे प्रमाणित भी कर दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां तेल के भंडारण की खोज कराने की व्यवस्था की गई है ? यदि की है तो क्या वहां भंडारण का पता लगा है और यदि पता लगा है तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, सदस्य महोदय बिहार के हैं और मैं इस प्रकार के भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी रख रहा हूं जिसकी योजना भविष्य में बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य ऐसे राज्यों के लिये बनायी गयी है जो यह महसूस करते हैं कि उन्हें तेल की खोज के कार्यों से संबंधित उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। महोदय, मुझे सदस्य महोदय की इस बात से अपनी सहमति व्यक्त करने दीजिये कि जहां तक बिहार में तेल की खोज के कार्यों का संबंध है, अब तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने एयरो–मेग्नेटिक ग्राउंड मेग्नेटिक तथा भूगर्भीय सर्वेक्षण के अतिरिक्त 7396 एस.एल.के/एल.के का भूकम्पीय सर्वेक्षण कराया है। छह खोजीय कुएं खोदे गये हैं जिनमें वाणिज्यिक सफलता हाथ नहीं लगी है तथा तेल और प्राकृतिक गैस अयोग ने बिहार में कार्यों पर 31 मार्च, 1993 तक 70.56 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, जैसा कि उन्होंने कहा, ने गंगा घाटी बेसिन जिसमें बिहार राज्य के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। में खोज कार्य शुरू किया है। यह कहने के बाद, मैं सदस्य महोदय को यह आवश्वासन देना चाहता हूं कि मैं चाहूंगा कि भविष्य में पश्चिम बंगाल और बिहार में और भी अधिक वैज्ञानिक और व्यापक सर्वेक्षण, जिसे 3 डी. कहा जाता है, कराया जाये जिससे कि हम बिहार और पश्चिम बंगाल के संबंध में संयोग पर कुछ न छोड़ें।

डा. कार्तेकेश्वर पात्र : महोदय, यह उल्लेख किया गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का द्रव्य पेट्रोलियम विभाग (एल.पी.डी.) उड़ीसा में महानदी क्षेत्र के अपतटीय क्षेत्र में खोज कार्य कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस महानदी बेसिन की पहचान कब की गयी है और उस क्षेत्र में खोज कार्य कब शुरू होगा।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, जहां तक उड़ीसा के समुद्र तट (एन.ई.सी.) के महानदी क्षेत्र का संबंध है, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय को पुनः आश्वस्त कर सकता हूं कि इस कार्य को ऑयल इंडिया द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में खोज कार्य हेतु हाथ में लिया गया है। इस कार्य को 1997 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होने से पहले पूरा कर लिया जायेगा हमारे पास केवल तीन वर्ष बचे हैं; न केवल कार्य शुरू हो जायेगा, बल्कि यह उससे पहले ही पूरा भी हो जायेगा।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ओ.एन.जी.सी. तथा ओ.आई.एल. के माध्यम से जिन क्षेत्रों में खोज का कार्य प्रारम्भ किया, क्या उसके लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है ? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में खोज कार्य प्रारम्भ हुआ? यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ? क्या नर्मदा तटीय क्षेत्र में खोज करने का विचार कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न के तीन भाग हैं जिन्हें तीन प्रश्न भी माना जा सकता है।

कैप्टन सतीश शर्मा : महोदय मैं अपना उत्तर राजस्थान से शुरू करूंगा क्योंकि मैं इस क्षेत्र के संबंध में सदस्य महोदय की प्रत्याशा में सहभागी होना चाहूंगा। हमने वहां कुछ अत्यंत उत्साहवर्द्धक खोजें की हैं।

जिस समस्या की भागीदारी मैं सदन के साथ करना चाहता हूं, वह यह है कि राजस्थान में हमें गैस और तेल, दोनों मिले हैं पर राजस्थान में जो हमें तेल मिला है, वह भारी तेल है। ऐसे भारी तेल का प्रसंस्करण कुछ देशों द्वारा किया जाता है। चीन और वेनेजुएला इसका प्रसंस्करण कर रहे हैं। कनाडा इस क्षेत्र में काफी उन्नत है। कनाडा की अल्बर्टा रिसर्च काउंसिल ने राजस्थान के भारी तेल के विषय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट आ गई है और हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस बीच यह पता लगाने के लिए कि किस समुचित प्रौद्योगिकी से राजस्थान के तेल का उपयोग किया जा सकता है, मैंने चीन और वेनेजुएला से अनौपचारिक संबंध बनाए रखा है। अतः जहां तक राजस्थान का प्रश्न है तो मैं माननीय सदस्य के उत्साह को समझता हूं क्योंकि वहां हमने खोजें की हैं।

जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, तो इस राज्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज के लिए किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में दक्षिण रेखा हमारे अन्वेषण कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

तेल क्षेत्र

*563. **श्री हरिन पाठक :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे दौर की निविदाओं में जिन तेल क्षेत्रों की पेशकश की गई, उनके लिए भारतीय और विदेशी कम्पनियों से कितने-कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) क्या इन कम्पनियों को तेल क्षेत्रों की पेशकश करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो भारत और विदेशी कम्पनियों को जिन तेल क्षेत्रों की पेशकश की गई उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

(क) 11 विदेशी तथा 19 भारतीय कम्पनियों से 54 बोलियां प्राप्त हुई हैं।

(ख) ऐसी कम्पनियां जिन्होंने या तो स्वतः अथवा परिसंघ के रूप में बोलियां प्रस्तुत की हैं, उनकी सूची निम्नवत है :-

विदेशी कम्पनियां

(1) ओमिमैक्स एनर्जी, यू.एस.ए.

(2) बीचटल एनर्जी, यू.एस.ए.

(3) नारायण कंसलटेंटस्, कनाडा

(4) क्लाइड एक्सप्री पी.एल.सी., यू.के.

(5) सैमसन इंटरनेशनल, यू.एस.ए.

(6) मौम्पेगनी जियोफाइनेनसियरी, फ्रांस

(7) चाइना पेट्रोलियम टेक्नोलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन, प्यूपिल्स रिपब्लिक आफ चाइना

(8) जोशी टैक्नोलाजीज, यू.एस.ए.

(9) बी.एन.जी. होल्डिंग्स, कनाडा

(10) रसपेट्रोल, यू.एस.ए.

(11) बैरी क्रीक रिसोर्सेज इंक., कनाडा

भारतीय कम्पनियां

(1) सेलन एक्सप्लोरेशन टैक्नोलाजी लि., नई दिल्ली

(2) गुजरात स्टेट पेट्रोकैमिकल्स का. लि., अहमदाबाद

(3) हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं., बड़ौदा

(4) गुजरात फिलामेंट्स लि., बड़ौदा

(5) हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कं.(प्रा.) लि., बम्बई

(6) मरदिया कैमिकल्स लि., अहमदाबाद

(7) दिवान चंद राम सरन इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., बम्बई

(8) जिन्दल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली

(9) अलफागिओ (इंडिया) लि., हैदराबाद

(10) एस्सार आयल लि., बम्बई

(11) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., बम्बई

(12) एनप्रो सर्विसेज इंडिया (प्रा.) लि., नई दिल्ली

(13) जियोनप्रो इंडिया लि., नई दिल्ली

(14) ए.पी. इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट का. हैदराबाद

(15) पेट्रोड्रिल, नई दिल्ली

(16) टाटा पेट्रोडाइन (प्रा.) लि., नई दिल्ली

(17) लारसन एण्ड टूब्रो, बम्बई

(18) हिन्दुस्तान इलेक्ट्रो ग्राफिटीज लि., नई दिल्ली

(19) दि असम कम्पनी लि., नई दिल्ली

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बोलीदाताओं के साथ बातचीत के उपरांत संविदाओं संबंधी अधिनिर्णय किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मेरे अपने प्रश्न के सी भाग के उत्तर में मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। उन्होंने उत्तर दिया है कि–

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा तेल क्षेत्रों में तेल की खोज करने के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पर मेरे पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 1993–94 की वार्षिक रिपोर्ट है। अध्याय दो में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सरकार ने 13 छोटे क्षेत्रों के लिए ठेकों की मंजूरी दी थी जिनके नाम दिये गये हैं। इन 13 तेल क्षेत्रों में से 12 गुजरात में हैं। ये इस प्रकार हैं :–

बकरोल, लोहार, इन्दोरा, भंडूल, कैम्बे, मटार, साबरमती, हाजीरा, वावेल, ढोलका, बाओला एवं असजोल।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कहते हैं कि निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि रिपोर्ट में कहा गया है। कि 13 छोटे तेल क्षेत्रों को ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है।

यदि ठेका दे दिया गया है तो काम कब से शुरू होगा ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मेरी समझ से माननीय सदस्य ने खोजे गए तेल क्षेत्रों के पहले दौर को दूसरे दौर के तेल क्षेत्रों के साथ मिला दिया है। पहले दौर में हमने पहले ही बोलियां

दे दी हैं और दोनों लघु एवं मध्यम तेल क्षेत्र के लिए अन्तिम रूप से बोलियां तय कर ली गई हैं।

पर इस प्रश्न का संबंध तेल अन्वेषण कार्यक्रम के दूसरे दौर से संबंधित है। दूसरे दौर में, प्राप्त हो गई हैं। उनका मूल्यांकन चल रहा है। अभी तक हम बोलियों को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। इसमें कुछ समय लगेगा।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मेरा सैकिण्ड सप्लीमेन्टरी यह है कि यह जो गुजरात के 13 स्माल आयल फील्ड्स हैं, जिन पर आपने अलग–अलग कम्पनी से बिड्स मंगाये हैं। कोई निश्चित समय मर्यादा के अन्तर्गत उनको कांट्रैक्ट देकर आप यह काम शुरू करवाना चाहेंगे ? क्योंकि, 13 में से 12 गुजरात में हैं और गुजरात तेल से भरा भंडार है। जितनी जल्दी हम कांट्रैक्ट देंगें, उतना ही सरकार को और देश को फायदा होगा तो कोई निश्चित समय मर्यादा प्रायरटी देकर यह काम करवाना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं। जितनी जल्दी हम काम शुरू करा देंगें, उतनी जल्दी तेल मिलना शुरू हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रगति की निगरानी कर रहा हूं और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इन ठेकों के दिए जाने में देर नहीं होगी।

श्री जितेन्द्र नाथ दास : कुछ विशेषज्ञों के विचार से पश्चिम बंगाल और गुजरात में तेल की अपार सम्पदा है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या उसने किन्हीं स्थलों की पहचान की है। यदि हां, तो कितने स्थलों की पहचान की गई है और उसमें से कितने स्थल पश्चिम बंगाल में हैं। ? उक्त राज्य में कितने कुएं खोदे गए हैं और उनमें से किने मामलों में सफलता मिली और कितने मामलों में असफलता हाथ लगी और असफलता के क्या कारण हैं ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : हर बार दो राज्यों से तेल ही खोज के विषय में प्रश्न किए जाते हैं ओर उन राज्यों से अधिकतम प्रश्न खोज कार्य के संबंध में आते हैं जो ठीक हैं। एक राज्य है पश्चिम बंगाल और दूसरा बिहार है।

मैं माननीय सदस्य को पश्चिम बंगाल में चल रहे कार्यों से अवगत कराना चाहता हूं। अभी तक बिना कोई वाणिज्यिक सफलता पाए पश्चिम बंगाल में तेल की खोज पर 650 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। पैंतालिस कुएं खोदे गए हैं और व्यापक भूगत सर्वेक्षण किए गए हैं। आठवीं योजना के तेल और प्राकृतिक गैस निगम की योजना 6590 मानक लाइन किलोमीटर के भूगत सर्वेक्षण और पांच अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई की है। बोलियों के चौथे, पांचवे और छठे दौरों में लगातार राज्य में अनेक ब्लाकों को खोज के लिए निर्धारित किया गया है। पुनः अन्वेषण बोली के सातवें दौर में पांच ब्लाक अर्थात् दो तटीय और तीन अपतटीय ब्लाक निर्धारित किए गए हैं। मुझे आशा है, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि पश्चिम बंगाल में तेल का अपार भंडार

है। इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं हो सकती और मुझे पक्का विश्वास है कि सीमा पार बांग्लादेश में जब अपार गैस भंडार मिल सकते हैं। तो निश्चित ही हमें उस क्षेत्र में तेल या गैस मिलना चाहिए। मै माननीय सदस्य की आशावादिता से सहमत हूं।

जहां तक गुजरात का प्रश्न है, तो गुजरात एक सच्चाई है। हमें गुजरात में बार–बार न केवल तेल के संकेत मिल रहे हैं, बल्कि वहां और भी कुछ मिलने की आशा है।

कुष्ठ रोग

*564. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्री एन. डेनिस :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस रोग के उन्मूलन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) इसमें कितनी सफलता मिली है ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. पबन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य योजना में बहु औषध उपचार को व्यापक बनाना, अपंगता और कुष्ठ अल्सर के लिए अपचर्या, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में लगे कर्मचारियों का विषय परिचायक प्रशिक्षण शामिल है।

(ग) और (घ) अब तक 135 स्थानिकमारी वाले जिलों को बहु औषध उपचार के अंतर्गत लाया गया है। अन्य 110 जिलों को बहु औषध उपचार के अंतर्गत लाने की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलापों को भी तेज किया गया है। इनके परिणामस्वरूप कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या जो 1981 में 4 मिलियन थी मार्च, 1994 में घटकर 0.94 मिलियन रह गई है।

[हिन्दी]

डा. लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अपने उत्तर में बताया है कि 135 स्थानिकमारी वाले जिलों को बहु औषध उपचार के अंतर्गत लाया गया है तथा अन्य 110 जिलों को बहु औषध उपचार के अंतर्गत लाने की मंजूरी दी गई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, देश के शेष जिला के लिए कुष्ट उपचार योजना कब तक लागू करने का विचार है? हैल्थ मिनिस्ट्री की एन्युंअल रिपोर्ट में है कि विश्व बैंक ने इस उपचार हेतु 302 करोड़ रुपए देने की सहमति दी

है। क्या यह धन उपलब्ध हो गया है? यदि आपका मंत्रालय इस रोग से निजात पाने को युद्व स्तर पर प्रयास कर रहा है और सन 2000 तक इसे समाप्त करेगा, जैसी की घोषणा की गई है, तो जनवरी में संसदीय स्थायी समिति ने कुष्ट रोगियों के पुनर्वास के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पर्याप्त कदम न उठाए जाने पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त क्यों की है? आपके मंत्रालय में इस रोग को लाइलाज बता दिया है, क्या यह बात सही है?

अध्यक्ष महोदय : आप एक–एक प्रश्न करके पूछिए। इस तरह से सारे सवालों के जवाब नहीं आयेंगे।

[अनुवाद]

श्री पबन सिंह घाटोवार : मैंने यह बात पहले ही बताई है कि देश में 1981 में कुष्ठ रोग के मामले 40 लाख से कम होकर 0.94 मिलियन रह गए है जिससे इस बात का पता चलता है कि स्थिति में सुधार हुआ है। **(व्यवधान)** आंकड़े सही हैं। 135 जिले पहले ही एम.डी.टी. के अंतर्गत आ चुके हैं और 110 जिले 1994 में लिये जा चुके हैं तथा अभी भी 209 जिले ऐसे हैं जिन्हें इस वर्ष के अंत तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाना है। सरकार ने यह कार्यक्रम बनाया है। हम देश से कुष्ठ रोग को समाप्त करने हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे लाइलाज मानते हैं ?

श्री पबन सिंह घाटोवार : नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

डा. लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, देश के कानून में कुष्ठ रोग को आज भी छूत की बीमारी माना जाता है। हिन्दु विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम, दोनों में यह बीमारी अभी तक तलाक का आधार मानी जाती रही है। इन अधिनियमों में ऐसे प्रावधानों के कारण बहुत सी गृहस्थी बिखर गई हैं। क्या ऐसे अधिनियमो को समाप्त करने के लिए स्वास्थय मंत्रालय कोई प्रयास कर रहा है ? रेलवे अधिनियम के मुताबिक कुष्ठ रोगी को अभी भी यात्रा करने के लिए पहले इजाजत लेनी पड़ती है। उसे यह इजाजत मिल सकती है, बशर्ते कि वह बिल्कुल अलग–थलग यात्रा करने का इन्तजाम करें। यदि कोई यात्री बिना पूर्व अनुमति के यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसकी टिकट जब्त कर ली जाती है। ऐसे प्रावधान भयावह है। क्या ऐसे अधिनियमों को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कोई प्रयास कर रहा है? क्या ऐसे अधिनियमों के चलते महात्मा गांधी का नाम लेने वाली वर्तमान सरकार दुनिया में सर्वाधिक कुष्ट रोगियों के देश के कलंक को समाप्त कर सकेगी?

श्री पबन सिंह घाटोवार : सरकार की नई नीति के अंतर्गत सरकार कुष्ठ रोगी की घर पर ही चिकित्सा को अधिक महत्व दे रही है ताकि वह परिवार के साथ ही रह कर अपना इलाज करा सके। मेरे विचार से माननीय सदस्य ने पूर्व के दिनों और पूर्व कानून का ही उल्लेख किया है। एक समय ऐसा भी था जब लोग यह मानते थे कि कुष्ठ रोग लाइलाज है। मेरे विचार से सरकार ने कुष्ठ रोग अधिनियम को पहले ही रद्द कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कुष्ठ रोगी को रेलगाड़ी से यात्रा करने हेतु अनुमति लेना आवश्यक है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री एन. डेनिस : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम की अधिक समीक्षा की गई है। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस समीक्षा की अद्यतन महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सन् 2000 तक कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा ? क्या मुझे इस सम्बंध में जानकारी मिलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : डेनिसजी इस संबंध में जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।

श्री एन. डेनिस : क्या मैं इस बीमारी के इलाज के संबंध में समाज में जागृति पैदा करने और कुष्ठ रोग संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जान सकता हूं?

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैंने पहले ही यह कहा है कि सरकार कुष्ठ रोगियों को अपने निवास स्थान पर ही इलाज करने को अधिक महत्व दे रही है। हम स्वास्थ्य विभाग के सूचना और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से कुष्ठ रोगियों के बारे में संदेश का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं।

डा. कृपा सिंधु भोई : उत्तर में बीमारी के केवल इलाज सम्बन्धी पक्ष का ही उल्लेख किया गया है। मैं यह महसूस करता हूं कि कुष्ठ रोग का निवारण और इसकी रोकथाम ही प्रथम पहलू है। इसी के आधार पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डा. तलवार और टाटा कन्सलटेंसी रिसर्च इन्सटीच्यूट ने तीन प्रकार के टीके विकसित किए हैं जिन पर अधिकाधिक परीक्षण चल रहा है। हमारे देश में इन तीन टीकों का भविष्य क्या है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इन तीन टीकों को मान्यता प्रदान की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोकथाम तथा इलाज संबंधी दोनों ही प्रकार के परीक्षणों हेतु इन सभी टीकों को मंजूरी प्रदान की है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन कुष्ठ रोग हेतु नई औषधियों का परीमाप चल रहा है किन्तु अभी तक व्यवहार में नहीं लाया गया है। टीके भी अभी परीक्षणाधीन ही है।

श्री बसुदेव आचार्य : बहु औषधि चिकित्सा पद्धति कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए सफलतम चिकित्सा पद्धति है। यह कार्यक्रम मेरे जिले में चलाया गया था। पुरुलिया ही ऐसा जिला था जहां पर इलाज सबसे पहले शुरू किया गया था। किन्तु इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृत धनराशि में पिछले वर्ष से कमी कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप पुरुलिया जिले में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्यक्रम को सघनता से चलाने हेतु उन जिलों के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाएगी जहां पर कुष्ठ रोगियों की संख्या अधिक है।

दूसरे, कुष्ठ रोग के निवारण और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इंस समिति ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कुष्ठ रोग के निवारण और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

श्री पबन सिंह घाटोवार : एन.डी.टी. कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सौ प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में एम.डी.टी. कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक पांच जिलों को शामिल किया गया था। इस वर्ष से हमने 10 अन्य जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया है। इससे यह पता चलता है कि हम इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकाधिक जिलों को शामिल कर रहे हैं। मैं इन जिलों के नाम दे सकता हूं। मैं माननीय सदस्य को इन जिलों के नाम दे सकता हूं। फिलहाल मुझे इन जिलों के नामों की जानकारी नहीं है। किन्तु हमने मार्च, 1994 से पश्चिम बंगाल में नए जिले कार्यक्रम में शामिल किए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ?

श्री पबन सिंह घाटोवार : मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा जो सांख्यिकीय जानकारी प्रदान की गई है, मेरे विचार से वे गलत कह रहे हैं क्योंकि पूरे विश्व में कुष्ठ रोगियों की संख्या 2.7 मिलियन है। इसमें से 1.3 मिलियन रोगी हमारे देश में है। इन 1.3 मिलियन रोगियों में से कम से कम 5 लाख लोग तो दक्षिणी बिहार में ही हैं जो कि अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है। वहां कुछ अस्पताल भी काम कर रहे हैं। अब इनमें से अधिकतर अस्पताल या तो बंद हो चुके हैं अथवा फिर काम नहीं कर रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा इन अस्पतालों को पुनः चालू करने, कारगर बनाने तथा सभी अस्पतालों को सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे भविष्य में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि न हो।

अध्यक्ष माहदेय : मेरे विचार से उन्होंने इन सब बातों का उत्तर दे दिया है। अब मंत्री संक्षेप में अपना उत्तर दें।

श्री पबन सिंह घाटोवार : हमारे पास अद्यतन आंकड़े 0.94 मिलियन हैं और ये आंकड़े मार्च 1994 के हैं। बिहार में भी चार जिले ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये गये थे। इस वर्ष से हमने बिहार में 13 अन्य जिलों को शामिल किया है।

[हिन्दी]

अवैध खनन

*565. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि. में अवैध खनन के मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ग) ऐसी घटनाओं की आगे रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) इस संबंध में एक विवरण–पत्र सभा–पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.) के अधीन क्षेत्रों में कोयले का अवैध रूप में खनन किए जाने के मामलों में वृद्धि प्रतीत नहीं होती है, जबकि भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) के अधीन क्षेत्रों में कुछ सीमान्तिक वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान पुलिस/स्थानीय प्रशासन के पास दर्ज की गई प्रथम सूचना रिर्पोटों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :–

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. – 284 मामले

भारत कोकिंग कोल लि. – 27 मामले

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ई.को.लि./भा.को.को.लि. द्वारा उठाए गए ठोस कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :–

(1) यथा संभव रूप में, प्रयोग में न आने वाली/बंद पड़ी खानों के सभी परित्यागित कोयले के मुहानों को मलबे से ढक दिया गया है। भूमिगत बंद पड़े क्रियाकलापों को भी, उन्हें पहुंच रहित बनाने के लिए मलबे से बंद कर दिया गया है। आमतौर पर बदमाश व्यक्ति इस मलबे में से अपना रास्ता बना लेते हैं और इस तरह से कोयले तक पहुंच जाते हैं। जब कभी भी कोलियरी प्राधिकारियों के नोटिस में यह बात आती है तभी पुनः परित्यागित कोयले को मलबे से ढकने की पुनः कार्रवाई की जाती है।

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा कंपनी के सुरक्षा कार्मिक, जहां कहीं भी पूर्व में अवैध खनन किए जाने के मामलों की रिपोर्ट मिली हो, उन क्षेत्रों में नियमित रूप से गशत लगाते हैं। जहां कहीं भी और जब कभी भी ऐसे अवैध क्रियाकलाप प्राधिकारियों के नोटिस में आते हैं तो ऐसे मामलों में गश्त बढ़ा दी जाती है।

(3) ऐसे अवैध क्रियाकलापों के संबंध में कोलियरी प्राधिकारी सूचना प्राप्त होने और प्राथमिक रूप में जांच किए जाने के बाद स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। कभी–कभी उच्च अधिकारी/जिला प्रशासन को भी सूचित किया जाता है।

(4) ऐसे अवैध क्रियाकलापों पर रोक लगाए जाने के लिए भा.को.को.लि./ई.को.लि., राज्य/जिला प्राधिकारियों एवं पुलिस के साथ निकटतम सम्पर्क रखती हैं। समय–समय पर जिला प्रशासन भा.को.को.लि./ई.को.लि. प्रबंधन के साथ भी बैठकें करता है और बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(5) केन्द्रीय–औद्योगिक सुरक्षा बल स्थानीय पुलिस के सहयोग से, जब कभी प्राधिकारियों को सूचना पहुंचती है, अवैध खनन–स्थलों पर भी छापे मारता है।

(6) कोयला कंपनियों के सुरक्षा–स्टाफ द्वारा अचानक जांच/छापे मारे जाते हैं।

(7) स्थानीय पुलिस को, छापों के दौरान पकड़े गए बदमाशों तथा पकड़ी गई सामग्री, सौंपी जाती है।

[हिन्दी]

श्री आनंद रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में स्वीकार किया है कि बी.सी.सी.एल. में पिछले कई वर्षों से लगातार अवैध खनन हो रहा है, वैसे तो सारी कोयला खदानों में अवैध खनन हो रहा है। यह अवैध खनन हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है, जिससे हजारों–करोड़ों रुपये का सरकारी धन का नुक्सान हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विगत 3 वर्षों में कितने अनुमानित मूल्य के कोयले का अवैध खनन हुआ है और सरकार ने कौन से सुरक्षा दस्ते नियुक्त किए हैं और इन दस्तो पर 1993–94 में सरकार ने कितना खर्चा किया है?

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : जहां तक पहले भाग का संबंध है, ऐसा लगता है कि अवैध खनन–कार्यों संबंधी मामलों की संख्या में कमी आ रही है। जहां तक ई.सी.एल. का संबंध है, गत वर्ष 208 और 321 मामलों की संख्या कम होकर 284 रह गई है। जहां तक बी.सी.सी.एल.का संबंध है, ये मामले 21 से बढ़कर 27 हो गये हैं। गत वर्ष ऐसे कोयले की मात्रा 650 टन थी और इसकी अनुमानित कीमत 3,25,000 रुपये थी। मेरे पास गत पांच वर्षों के आंकडे हैं। माननीय सदस्य ने गत तीन वर्षों के आंकडे मांगें हैं। गत पांच वर्षों के दौरान 11,500 टन कोयला पकड़ा गया था। इसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपये बैठती है। इस अवैध खनन–कार्य को रोकने के लिए 1993 में उठाए जा रहे कदमों का जहां तक संबंध है, मैंने एक योजना तैयार करने का आदेश दिया है। सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने एक योजना बनाई है। इसे तीन तरीको से नियांत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रयास उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां पर पहले ही खनन कार्य किया जा चुका है अर्थात जो पुराने और परित्यक्त खनन क्षेत्र हैं और जहां पर यह अवैध खनन कार्य हो रहा है। ऐसा किया जा रहा है कि उन क्षेत्रों के रास्ते बंद किए जा रहे है। दूसरे कदम के रूप में संबंधित राज्य के सहयोग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। लेकिन बिहार और बंगाल में अधिकतर स्थानों पर कानून और व्यवस्था की समस्या सामने आ रही है। वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। अतः हम इन मामलों के संबंध में मुख्य सचिव और माननीय मुख्य मंत्री से बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री आनंद रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, नित्य रूप से समाचार पत्रों मे यह छपता है कि अवैध कोयले के खनन में विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत है। इसकी जानकारी

मंत्री महोदय को है। इस संबंध में कितने मामले आपकी जानकारी में आए और जब जानकारी में आए तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और कितने लोगों पर कार्यवाही हुई और कितने लोग निलंबित किए गए?

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : जहां तक विभागीय अधिकारियों का संबंध है, जब तक नाम विशेष नहीं बताए जाते, इस बारे में कोई उत्तर देना बहुत कठिन है। लेकिन सरकार के नियमों के अन्तर्गत, यदि विभागीय अधिकारी इस तरह लिप्त होते है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध विभिन्न कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, दो कंपनियों के अवैध कोयला खनन के बारे में इन्होंने कहा है, सबसे ज्यादा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स में होता है। 1990 में बिहार सरकार में असेंबली की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में मैं भी मैम्बर था। सी.आई.एस.एफ. और जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा अवैध खनन बंद करने का दावा करते है, लेकिन उस कमेटी द्वारा जिला प्रशासन और सी.आई.एस.एफ. पर आरोप लगाया गया है। सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि इस्टर्न कोल फील्ड्स, सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. में सी.आई.एस.एफ. और जिला प्रशासन की मदद से अवैध खनन होता है जिसकी बदौलत आप रोकते हैं तो सरकार क्या उपाय करेगी जिससे कोयले का अवैध खनन रुके ? जो बंद कोयला खदान हैं, जिनको राष्ट्रीयकारण के बाद चालू ही नहीं किया और जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए।

श्री सूरज मंडल : इन्होंने 287 कोयला खान के बारे में बताया है। वहां पर लोग साईकिल पर कोयला ले जाते हैं लेकिन जो ट्रक में ले जाते है उनको नहीं पकड़ा जाता है। क्या सरकार ट्रकों में जो कोयला चोरी होता है उसको पकड़वाने का कोई इंतजाम करेगी?

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : हम तो प्राथमिकी के अनुसार ही कार्यवाही कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई ओर जानकारी है और वह इसे मुझे देते हैं, तो निश्चय ही मैं मामले की छानबीन करुगां। लेकिन हम प्राथमिकी के अनुसार ही चलते हैं। हम कोई और प्रक्रिया नहीं अपना सकते। जैसाकि मैंने बताया हम इससे तीन तरीको से निपट रहे हैं। लेकिन यह निश्चित है कि जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, वे चौकस नहीं हैं और हमें कठिनाई हो रही है। हमें बिहार और पश्चिम बंगाल में परेशानी हो रही है। जहां पर राज्य सरकारें चौकस हैं। हम दोषी लोगों को तत्काल दबोच रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि कोयला चोरी के बाद पकड़े जाने पर एफ.आई.आर. की जाती है। बहुत से मामले प्रकाश में आए हैं कि सी.सी.एल.,

और सिक्योरिटी आफिसर्स के मेल से सैंकड़ो ट्रक कोयला चोरी होता है। दौढ़ी कोलियरी से 27 ट्रक कोयला पुलिस ने पकड़ा है जिसको सी.सी.एल. के पे–लोडर्स ने रेलवे साईडिंग से लोड़ किया है। इसमें सी.सी.एल. के पदाधिकारी और सिक्योरिटी के लोग शामिल थे तो इस पर मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है ? .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि मुख्य जिम्मेदारी मूल कंपनी की है। जैसे ही यह उनके ध्यान में आता है, वे उन दोषी व्यक्तियों को पकड़ती है और राज्य तंत्र के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराती हैं। लेकिन मामलें में विरत होने संबंधी जानकारी का अंतिम विश्लेषण और कार्यवाही राज्य के कानून और व्यवस्था तंत्र द्वारा ही की जा सकती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तेल और गैस के भण्डार

*567. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पृथक–पृथक देश के राज्य–वार किन–किन स्थानों में तेल और गैस के भंडारों का पता लगाया है तथा इन भंडारों में तेल और गैस की कितनी–कितनी मात्रा होने का अनुमान है;

(ख) क्या "रिग्स" की अपर्याप्त सप्लाई के कारण खोज कार्य में बाधा आई है; और

(ग) यदि हां, तो अपेक्षित संख्या में "रिग्स" कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आयल इंडिया लि. ने गत तीन वर्षों (1991–92 से 1993–94) के दौरान असम–अराकन बेसिन(असम और अरुणाचल प्रदेश), जैसलमेर और बिकानेर–नागौर बेसिन (राजस्थान), कच्छ–सौराष्ट्र बेसिन (अपतट) (गुजरात) और गंगा घाटी बेसिन (उ.प्र.) में अन्वेषण किया है। आयल इंडिया लि. द्वारा इस अवधि के दौरान स्थापित भंडार निम्नानुसार हैं :

	(अंतः स्थित तेल+गैस के समतुल्य तेल) (मि.मि.ट.)		
	1991–92	1992–93	1993–94 (अनुमानित)
असम और अरुणाचल प्रदेश	16.30	7.76	16.26

राजस्थान	8.22	–	5.22
कुल	24.52	7.76	21.48

ओ.एन.जी.सी. ने गत तीन वर्षों (1991–92, 1992–93, 1993–94) के दौरान असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पं. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान राज्यों में अन्वेषण किया है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी समुद्र तट पर बम्बई, कच्छ–सौराष्ट्र, केरल, कोंकण के अपतटीय बेसिनों में तथा पूर्वी समुद्र तट पर कृष्णा–गोदावरी, कावेरी, बंगाल और अंडमान बेसिन में भी अन्वेषण किया गया था।

इस अवधि के दौरान स्थापित किए गए हाइड्रोकार्बनों के भंडार नीचे दिए गए हैं :

	तेल और गैस के समतुल्य तेल का अंतः स्थित भंडार (मि.मि. टन)		
	1991–92	1992–93	1993–94 (मूल्यांकनाधीन)
गुजरात	24.46	25.37	
राजस्थान	0.10	0.10	
त्रिपुरा	1.82	0.62	
असम	–	–	
नागालैंड	–	–	
आन्ध्र प्रदेश	0.04	–	
तमिलनाडु	5.06	3.87	
पश्चिमी समुद्र तट	79.29	20.81	
पूर्वी समुद्र–तट	0.30	2.44	

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक दवाइयां

*568. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक दवाइयों की बिक्री से पूर्व उनकी गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो नकली और घटिया आयुर्वेदिक दवाइयों के उत्पादन और उनकी बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। बिक्री के लिए विनिर्माण के विनियमन हेतु व्यवस्था करने के लिए आयुर्वेदिक औषधों को औषध संशोधन अधिनियम, 1964 के द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस

*569. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की राज्य-वार मांग कितनी है;

(ख) देश में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का आयात किया गया तथा 1994-95 के दौरान इनका कितना आयात करने का विचार है;

(घ) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा देश में प्राकृतिक गैस संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1994-95 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग 64103 टी.एम.टी. है। 1993-94 (अप्रैल-फरवरी) के लिए राज्यवार खपत संलग्न विवरण-I में दशाई गयी है। गेल के पास पंजीकृत प्राकृतिक गैस की मांग 260 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है जैसा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है। यह मांग पहले ही किए गए आबंटनों के अतिरिक्त है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में 54.243 मि.मि. टन पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन हुआ। 1993-94 के दौरान उत्पादित प्राकृतिक गैस की कुल मात्रा 18334 एम.सी.एम. थी।

(ग) 1993-94 के दौरान करीब 11807 टी.एम.टी. के आयात के प्रति/वर्ष 1994-95 में करीब 14773 टी.एम.टी. पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का प्रस्ताव है। 1993-94 में प्राकृतिक गैस का आयात नहीं किया गया था न ही 1994-95 में इस प्रकार के आयात का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1993-94 (अप्रैल, 1993 से फरवरी, 1994) के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की राज्यवार खपत नीचे दी गई है

राज्य	1993–94 (अप्रैल–फरवरी)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	3514
असम	807
बिहार	3392
गोआ	582
गुजरात	5363
जम्मू और कश्मीर	350
केरल	1975
मध्य प्रदेश	2502
तमिलनाडु	4673
महाराष्ट्र	9196
कर्नाटक	2584
उड़ीसा	1138
पंजाब	2960
राजस्थान	2494
उत्तर प्रदेश	5630
पश्चिम बंगाल	3080
हरियाणा	1822
हिमाचल प्रदेश	213
मणिपुर	59

1	2
मेघालय	105
नागालैंड	47
सिक्किम	17
त्रिपुरा	62
अंडमान और निकोबार	44
अरुणाचल प्रदेश	76
चंड़ीगढ़	190
दिल्ली	2188
दादर और नागर हवेली	25
दमन और दीयू	14
लक्ष्यद्वीप	3
मिजोरम	35
पांडिचेरी	146
भूटान	2448
योग	55310*

* निजी पार्टियों द्वारा ल्यूब को बिक्री को छोड़कर

विवरण-II

प्राकृतिक गैस

प्राकृतिक गैस की पंजीकृत मांग (राज्यवार/क्षेत्रवार विवरण)

राज्य	मात्रा	उर्वरक	विद्युत	स्पंज आइरन	ग्लास	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	23.60	10.01	3.2	5.15	5.20	0.04
अरुणाचल प्रदेश	0.04	—	—	—	—	0.04
असम	0.05	—	—	—	—	0.05
दिल्ली	3.00	—	—	—	1.00	2.00
गुजरात	45.13	11.63	12.09	0.50	15.50	5.41
हरियाणा	6.76	0.60	0.20		2.00	3.36
हिमाचल प्रदेश	0.01	—			—	0.01
कर्नाटक	9.36	—	—	1.87	3.09	4.398
मध्य प्रदेश	21.34	3.19	4.20	5.22	3.00	5.73
महाराष्ट्र	47.07	10.704	12.70	2.35	16.00	5.286
उड़ीसा	0.90			—	—	0.90

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	0.02	—	—	—	—	0.02
राजस्थान	15.95	2.50	5.99	2.80	2.00	4.66
तमिलनाडु	12.82	2.76	1.80	2.35	2.00	3.91
त्रिपुरा	1.80	—	—	—	—	1.80
उत्तर प्रदेश	30.17	3.50	13.64	7.15	3.80	2.08
विविध (दक्षिणी क्षेत्र)	40.27	9.04	13.07	4.03	8.00	6.135
विविध (पूर्वी क्षेत्र)	5.23	1.00	2.50	0.50	—	1.23
कुल :	263.49	54.93	69.99	29.92	61.59	47.06
अर्थात्	260.00					

[हिन्दी]

नर्मदा परियोजना

*570. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार नर्मदा जल–विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट के सन्दर्भ में नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण, जल भंडारण तथा लोगों के पुनर्वास के बारे में हुई प्रगति का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नर्मदा न्यायाधिकरण द्वारा लिये गये निर्णयों में कोई परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने अपने पंचाट में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों के बीच 75% विश्वसनीयता के आधार पर सरदार सरोवर बांध स्थल पर आकलित 28 मिलियन एकड़ फुट (34.537 घन कि.मी.) नर्मदा जल की उपयोज्य मात्रा के बंटवारे तथा सिंचाई व जलविघुत उत्पादन के लिए पक्षकार राज्यों द्वारा बंटवारा किए जाने वाले जल के इष्टतम उपयोग हेतु सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में अधिनिर्णय दिया था। इन दो परियोजनाओं के अन्तर्गत बांधों के निर्माण, भण्डारण क्षमता तथा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के सम्बंध में हुई प्रगति निम्नवत है :

(1) सरदार सरोवर परियोजना :

सरदार बांध पर 64% कंक्रीट कार्य पूरा हो गया है और बांध के निम्नतम ब्लाक एलिवेशन स्तर 69 मीटर तक ऊंचे किए गये हैं। एलिवेशन स्तर 53 मीटर पर नदी कपाटों के प्रावधान के कारण तालाब को भण्डारण क्षमता एलिवेशन स्तर 59 मीटर के आसपास होगी।

जनवरी, 1994 के अंत तक परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास को प्रगति निम्नवत है :

राज्य	परियोजना प्रभावित परिवार	कुल के लिए पात्र का आबंटन		संचित उपलब्धि		शेष परिवार का आबंटन	
		मकान प्लाट	कृषि भूमि	मकान प्लाट	कृषि भूमि	मकान प्लाट	कृषि भूमि
गुजरात	4500	4500	4472	4188	4259	314	213
महाराष्ट्र							
(क) गुजरात में	999	999	999	581	626	418	373
(ख) महाराष्ट्र	1802*	1802*	1802*	688	697	1114	1105
कुल	2801*	2801*	2801*	1269	1323	1532	1478
मध्य प्रदेश							
(क) गुजरात में	14124	14124	14124	1477	2024	12647	12100
(ख) मध्य प्रदेश	19380	19380	830	424*		18956	830
कुल	33504	33504	14954	1901	2024	31603	12930
कुल योग :	40805	40805	22227	7356	7606	33449	14621

टिप्पणी : *पुनर्विक्षण तथा नीति उदारीकरण के कारण वृद्धि की सम्भावना है।
*कृषि भूमि के लिए पात्र नहीं।

(2) नर्मदा सागर परियोजना

पांच ब्लाकों में नींव उपचार पूरा हो गया है। रोलर बकेट क्षेत्र के 5 ब्लाकों का खुदाई कार्य पूरा हो गया है और उपचार किया जा रहा है। अब तक तालाब की क्षमता सृजित नहीं की गई है। राज्य सरकार ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन व पुनर्वास के लिए कार्ययोजना तैयार की है तथापि, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए वास्तव में पुनर्स्थापना नहीं की गई है क्योंकि अब तक कोई भूमि जलमग्न नहीं हुई है।

(ख) और (ग) नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार, नर्मदा जल के समान आबंटन, पूर्ण जलाशय स्तर तथा सरदार सरोवर बांध के अधिकतम जल स्तर, लाभ और लागत का बंटवारा, सरदार सरोवर परियोजना की आवश्यकता के लिए मध्य प्रदेश द्वारा की जाने वाली नियमित निर्मुक्तियां, ऐसी नियमित निर्मुक्तियों के लिए मध्य प्रदेश को गुजरात द्वारा किया जाने वाला भुगतान, सिंचाई और विद्युत के बीच सरदार सरोवर परियोजना की लागत का बंटवारा सरदार सरोवर परियोजना की लागत के सिंचाई घटक का गुजरात व राजस्थान के बीच बंटवारे और मशीनरी के सम्बन्ध में आदेश राजपत्र में अधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख से 45 वर्ष की अवधि के बाद किसी भी समय समीक्षा के अधीन रहते हुए किए गये हैं। इस पंचाट को 12–12–1979 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इस प्रकार इन पैरामीटरों की समीक्षा 2025 ई. से पहले नहीं की जा सकती है।

सभी को टीका लगाने का कार्यक्रम

*571. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष को टीका लगाने के कार्यक्रम पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कितने व्यक्तियों को टीके लगाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य सरकारें टीकाकरण कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण करती हैं। 1991–93 के तीन वर्षों में कुल 443 सर्वेक्षण किए गए थे। इन सर्वेक्षणों के उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ रोग प्रतिरक्षण कवरेज स्तरों को आंकना, बीच में टीके लगाना छोड़ देने के कारणों का पता लगाना तथा रोग प्रतिरक्षण सेवाओं में सुधार करने हेतु सुधारात्मक उपया करना है। सर्वेक्षणों के मुख्य निष्कर्षों से पता चलता है कि रोग प्रतिरक्षण

की स्वीकार्यता के स्तर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक जैसे हैं। यह भी पाया गया कि वर्ष के दौरान रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन कवरेज की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 के दौरान व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम पर खर्च की गई राज्यवार धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

	राज्य	खर्च की गई राशि		
		1991–92	1992–93*	1993–94*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	480.77	593.33	933.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.46	22.32	22.62
3.	असम	301.04	366.99	524.33
4.	बिहार	813.43	721.10	1301.43
5.	गोवा	13.14	15.85	17.54
6.	गुजरात	401.68	485.44	730.19
7.	हरियाणा	132.81	269.74	336.92
8.	हिमाचल प्रदेश	65.00	122.45	182.00
9.	जम्मू और कश्मीर	82.16	88.04	228.95
10.	कर्नाटक	318.43	494.02	798.63
11.	केरल	241.42	294.27	472.84
12.	मध्य प्रदेश	595.60	886.23	1383.17
13.	महाराष्ट्र	669.08	676.40	1145.95
14.	मणिपुर	26.40	46.85	72.31
15.	मेघालय	23.15	41.03	45.89

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	17.22	24.69	25.69
17.	नागालैंड	22.66	35.33	36.72
18.	उड़ीसा	301.50	400.97	676.24
19.	पंजाब	155.82	263.34	404.60
20.	राजस्थान	424.68	608.14	1091.24
21	सिक्कम	13.86	18.25	21.50
22.	तमिलनाडु	344.77	573.45	978.38
23.	त्रिपुरा	27.97	34.65	56.50
24.	उत्तर प्रदेश	1257.05	1599.55	2357.80
25.	पश्चिम बंगाल	452.22	739.02	845.12
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.81	8.60	6.69
27.	चंडीगढ़	4.94	4.94	5.85
28.	दादर और नागर हवेली	1.28	1.56	2.93
29.	दमन और द्वीव	1.00	1.81	14.33
30.	दिल्ली	60.03	55.30	137.91
31.	लक्षद्वीप	.59	3.38	1.73
32.	पांडिचेरी	5.33	26.18	20.51
	योग	7276.30	9523.22	14879.66

*1992–93 के दौरान शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम शुरू करने के परिणामस्वरूप मातृ शिशु स्वास्थ्य संबंधी सभी उपचार गतिविधियों को व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के साथ समेकित कर दिया गया है। इस प्रकार व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं है और शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत किये गये व्यय में व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम पर किया गया व्यय भी शामिल होता है।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*572. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप–केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित मानदडों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का विचार देश में नये उप–केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी मानदंडों की पुनरीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) मैदानी क्षेत्रों मे 30,000 आबादी तथा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में 5000 आबादी पर तथा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 3,000 आबादी पर एक उप–केन्द्र स्थापित किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

एड्स की रोकथाम

*573. **श्री रवि राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 6 अप्रैल, 1994 को कलकत्ता में "एड्स की रोकथाम" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यशाला में क्या-क्या सुझाव दिए गए; और

(घ) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्यशाला विश्व स्वास्थ्य संगठन की वित्तीय सहायता से पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य एड्स कक्ष द्वारा आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए अन्तर्क्षेत्रीय कार्य योजना का विकास करना था।

(ग) कार्यशाला की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बांधों की ऊंचाई

*574. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर और नर्मदा सहित प्रमुख नदियों पर बांधों की ऊंचाई की पुनरीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 455 फुट से कम करके 436 फुट करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तथापि, नर्मदा जल विवाद अधिकरण के अंतिम आदेशों की धारा–16 के अनुसार पूर्ण जलाशय स्तर तथा अधिकतम जल स्तर के लिए ऊंचाई जैसे सरदार सरोवर बांध के पैरामीटरों की समीक्षा, राजपत्र में अधिकरण के निर्णय के प्रकाशन की तारीख से 45 वर्ष की अवधि के बाद किसी भी समय की जा सकती है। यह निर्णय 12–12–1979 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा इसलिए इन पैरामीटरों की समीक्षा, 2025 ई. से पूर्व नहीं की जा सकती है।

प्रदूषण के खतरे

*575. **श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वाहन प्रदूषण तथा रसायन फैक्टरियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के प्रभाव से फेफड़ों के रोग और कैंसर होने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) देश के किन–किन नगरों में यह अध्ययन कराया गया है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वायु प्रदूषण और इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन किया है। वाहन प्रदूषण तथा रसायन उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से फेफड़ों का कैंसर होने के संबंध में परिषद द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। वाहनों की अधिक भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रदूषण सर्वाधिक पाया गया और वहां पर रुग्णता दर भी अधिक

देखी गई।

(ग) अध्ययन/सर्वेक्षण अहमदाबाद, बंगलौर और बम्बई में किए गए।

(घ) पर्यावरणिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा लोगों में जागरूकता लाने के लिए फिल्में तैयार की गई हैं और यू.जी.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत दूरदर्शन पर दिखाई गई हैं।

नशा मुक्ति कार्यक्रम

*576. **डा. असीम बाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा चलाये गये नशा मुक्ति कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान नशे की लत वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या उपलब्धियां रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय/राज्य सरकार के चिकित्सीय संस्थानों में 38 नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता मंजूर की है।

अन्य कार्यकलापों में नशे की लत वाले व्यक्तियों की परिचर्या हेतु सुविधाएं स्थापित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता, जागरूकता प्रचार और नशा मुक्ति में चिकित्सीय कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल है।

इन कार्यकलापों से देश–भर में नशा–मुक्ति से संबंधित सुविधाओं तक पहुंच बढ़ी है।

कोयले का उत्पादन

*577. **श्री नीतीश कुमार** :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया;

(ख) 1994–95 के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया जाएगा;

(ग) देश में उत्पादित कोयले के घरेलू मूल्य पर इस आयात का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार कोयला–उत्पादक राज्यों को मूल्यानुसार रायल्टी देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) विदेश व्यापार महानिदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए कोयले, कोक ब्रिकेट्स, आदि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :–

(मिलियन टन में)
(आंकडे अनंतिम)

मात्रा	वर्ष
1990–91	6.20
1991–92	5.93
1992–93	6.74

(ख) वर्ष 1994–95 के दौरान इस्पात संयंत्रों द्वारा आयात किए जाने वाली संभावित कोककर कोयले की मात्रा 6.00 मि.टन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1994–95 के दौरान आयात किए जाने वाले संभावित अन्य किस्मों के कोयले के संबंध में अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार द्वारा देश में उत्पादित कोयले की घरेलू कीमत समय–समय पर निर्धारित की जा रही है और इस तरह से यह सीधे रूप में कोयले के आयातों से प्रभावित नहीं होती है।

(घ) और (ङ) कोयले की रायल्टी की दरें पिछली बार दिनांक 1–8–1991 से संशोधित की गई थीं। कोयले पर रायल्टी की दरों में आगामी संशोधन 1 अगस्त, 1994 से अथवा इसके बाद से प्रभावी किया जा सकता है। इस संबंध में सभी संगत मामलों की जांच किए जाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अध्ययन दल से शीघ्र ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

तेल की खोज और शोधन

*578. **श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल की खोज और तेलशोधन व्यवसाय के संबंध में रूस के साथ हाल ही में कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूस ने किन–किन क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य शुरु करने पर सहमति व्यक्त की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्त-संचारण सुविधाएं

*579. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत** :
श्री जॉर्ज फर्नान्डीज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं कि होमोफोलिया के रोगियों को रक्त–संचारण की बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उनमें एड्स फैलने का खतरा न हो;

(ख) क्या सरकार का विचार रक्त दान के वाणिज्यीकरण पर रोक लगाने तथा होमोफोलिया के रोगियों को शुद्ध रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय रक्त–संचारण नीति बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) सरकार ने रक्ताधान के द्वारा होने वाले एच.आई.वी. संक्रमण की रोकथाम के लिए रक्ताधान हेतु उपयोग में लाए जाने वाले रक्त की प्रत्येक यूनिट की जांच अनिवार्य कर दी है। सभी रक्त बैंकों को ऐसी जांच सुविधाएं प्रदान करने के लिए 150 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसी प्रयोजन के लिए सभी जिला स्तरीय रक्ताधान केन्द्रों को द्रुत परीक्षण किट प्रदान किए जा रहे हैं। आयतित रक्त उत्पादों के इस्तेमाल की अनुमति देने से पहले उनकी जांच की जाती है। इससे सभी जरूरतमन्द लोगों की जिसमें हीमोफीलिया के रोगी भी शामिल हैं, सुरक्षित रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित होने की आशा है। रक्त की उपलब्धता में वृद्धि के लिए स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे घटक पृथक्करण सुविधाओं की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षित रक्त के युक्तिसंगत और इष्टतम उपयोग में सहायता मिलेगी।

बिहार में इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेंस की गतिविधियां

580. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में इंटर सर्विसेज इन्टेलिजेंस की बढ़ रही गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पाक–प्रशिक्षित आतंकवादी बिहार से लगने वाली भारत–नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त सीमा पर सुरक्षोपाय मजबूत करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में बिहार सरकार को कोई अनुदेश जारी किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ग) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (घ) सरकार को स्थिति की जानकारी है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है; जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, केन्द्र और राज्य की एजेन्सियों द्वारा समन्वित कार्रवाई, भारत–नेपाल सीमा पर प्रवर्तन एजेन्सियों की तैनाती को

सुदृढ़ करना, समय–समय पर उत्पन्न होने वाली स्थिति की समीक्षा और प्रबोधन, और विदेशी राष्ट्रिकों सहित अन्य व्यक्तियों पर सख्त निगरानी रखना जिनकी गतिविधियां संदेहास्पद प्रतीत होती हों।

(ङ) और (च) आई.एस.आई. की गतिविधियों और सभी जरूरी प्रतिकारात्मक उपाय करने की अत्यावश्यकता के बारे में, केन्द्र सरकार ने बिहार सहित सभी राज्य सरकारों को सतर्क कर दिया है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा से सिंचाई

6286. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, सौर ऊर्जा की सहायता से प्रयोगात्मक आधार पर सिंचाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्रांस ने इन प्रयोगों के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) कार्यान्वित की जाने वाली प्रायोगिक परियोजनाओं का स्वरूप क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश के अनंतपुर अथवा चित्तूर जिले, बिहार के गुमला अथवा रांची जिले, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले तथा उडीसा के कालाहांडी और क्योंझर जिलों में 50 सौर पम्पों की स्थापना के लिए भारत–फ्रांस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत "ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पर आधारित लघु सिंचाई और जल आपूर्ति" की एक प्रायोगिक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) फ्रांस 2 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक का अनुदान और 3.8 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक का ऋण (कुल 2.96 करोड़ रुपये के बराबर) प्रदान कर रहा है।

(ङ) उपर्युक्त जिलों में सौर पम्प उन स्थलों पर लगाये जायेंगे जहां परम्परागत ऊर्जा का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है तथा निकट भविष्य में प्रदान किए जाने की संभावना नहीं है अथवा/यदि उपलब्ध है तो बहुत अविश्वसनीय है। प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक प्रबंध के जरिए मुख्यतः लघु और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है।

[अनुवाद]

भूमिगत जल सर्वेक्षण

6287. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमिगत जल की उपलब्धता का आंकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्यों में केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर इन राज्यों की भूजल क्षमता क्रमशः 2.1671, 0.1439, 0.3154, 0.1226, 0.0724 तथा 0.2512 मिलियन हेक्टेयर मीटर वार्षिक आंकी गयी है। आंकड़े पर्याप्त न होने की वजह से सिक्किम और मिजोरम राज्यों में ऐसे सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूजा स्थल

6288. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और संघ शासित राज्यों को सांप्रदायिक दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पूजा स्थलों की मरम्मत हेतु सांप्रदायिक सौहार्द निधि में से 1993–94 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ख) जिलेवार कितने पूजा स्थलों को धनराशि आवंटित की गयी;

(ग) इस आवंटित राशि से 31 मार्च, 1994 तक जिलावार कितने पूजास्थलों का पुननिर्माण/मरम्मत की गयी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) साम्प्रदायिक दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पूजास्थलों की मरम्मत के लिए वर्ष 1993–94 के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द निधि से कोई आबंटन नहीं किया गया।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच विवाद

6289. **श्री बी. देवराजन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कम्पनी ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच ठेका देने के मुद्दे पर विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में समझौता कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) कतिपय व्यय की मदों के समावेश करने के संबंध में ओ.एन.जी.सी. विदेश

लि. (ओ.वी.एल.) तथा ब्रिटिश पेट्रोलियम (बी.पी.) – स्टैट आयल एलाएंस, के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। ओ.वी.एल. तथा बी.पी.–स्टैट आयल एलाएंस के बीच किए गए करार के प्रावधानों के अनुसार मतभेद दूर किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

6290. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) इन प्रयासों में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस खोज कार्य पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस के इन भंडारों का वाणिज्यिक और उपभोग स्तर पर कब तक उपयोग किया जा सकेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी.लि. ने राजस्थान में सर्वेक्षण किया है तथा 53 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है और पांच संरचनाओं में 2.15 बिलियन एम.^{3} अन्तःस्थित गैस के भण्डार को स्थापित किया है। आयल इंडिया लि. ने भी राजस्थान में सर्वेक्षण किया है तथा 20 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है और 5 संरचनाओं में 13 मिलियन मीट्रिक टन हैवी अयाल और 6.91 बिलियन एम.^{3} गैस के तदर्थ अनतःस्थित भूभौतिकीय भण्डारों को स्थापित किया है।

(ग) ओ.एन.जी.सी. लि. और ओ.आई.एल. दोनों ने राजस्थान में विगत 3 वर्षों के दौरान अन्वेषण पर करीब 173.41 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(घ) आशा है कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आर.एस.ई.बी.) को गैस की आपूर्ति इस माह से शुरू हो जाएगी। हैवी आयल के उत्पादन के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अभिरक्षा में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए विधान

6291. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **गृह मंत्री** अभिरक्षा में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए विधान के बारे में 3 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभिरक्षा में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए एक विधान बनाने के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में, विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

6292. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण के क्या अवसर दिए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए आई.पी.एस. कैडर के अधिकारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार ने उन पर कितनी धनराशि खर्च की;

(घ) क्या सरकार ने इन कैडर के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजते समय आतंकवाद–ग्रस्त राज्यों में तैनात इसी कैडर के अधिकारियों को कोई प्राथमिकता दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजशे पायलट) : (क) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। बाद में उन्हें भारत में और विदेशों में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए अधिकांश विदेश प्रशिक्षण पाठयक्रम, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय सहयोग समझौतों के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। विदेशों में केवल सीमित संख्या में अन्य पाठयक्रमों पर खर्च किया जाता है, जिसे संबंधित संगठन/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(घ) और (ङ) विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अधिकारियों का चयन, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

विवरण

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान विदेशों में भेजे गए भा.पु. सेवा के अधिकारियों (संवर्ग-वार) की संख्या

संवर्ग का नाम	1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4	3	1
असम–मेघालय	4	2	1

1	2	3	4
बिहार	3	1	2
गुजरात	2	2	–
हरियाणा	1	2	3
हिमाचल प्रदेश	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	2
कर्नाटक	1	–	–
केरल	–	–	2
मध्य प्रदेश	2	2	5
महाराष्ट्र	2	6	3
मणिपुर–त्रिपुरा	2	1	6
नागालैंड	–	–	–
उड़ीसा	1	–	2
पंजाब	1	1	2
राजस्थान	1	3	1
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	3	–	–
संघ शासित क्षेत्र	4	1	3
उत्तर प्रदेश	4	3	4
पश्चिम बंगाल	2	1	1

[अनुवाद]

स्वास्थ्य रक्षा

6293. **श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा हेतु कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) विश्व बैंक विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है भारत जनसंख्या परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कर रहा है।

इन परियोजनाओं के लिए राज्यों के पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किया गया अनुदान इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

1991–92	104.82
1992–93	33.37
1993–94	114.56

मानव अंग बैंक

6294. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी तौर पर स्थापित मानव अंग बैंकों की कमी के कारण अनेक व्यक्तियों के मरने की घटना और मानव अंगों के गैर–कानूनी व्यापार में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में प्रमुख अस्पतालों में प्रत्यारोपण हेतु एक मानव अंग बैंक की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) रक्त, चर्म एवं अस्थि के लिए संगठित मानव अंग बैंक हैं। तथापि, हृदय, यकृत, फेफड़े और गुर्दे जैसे अन्य मानव अंगों को मानव अंग बैंकों में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रत्यारोपण के लिए इन्हें ब्रेन स्टेम से मृत दाता के शरीर से ही निकाला जा सकता है। अन्य बातों के साथ–साथ मानव अंग के काम न करने से होने वाली मृत्यु तथा मानव अंगों के व्यापार को रोकने के उद्देश्य से सरकार से मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक, 1993 संसद में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में मान्यता प्राप्त अस्पतालों को अंग प्रत्यारोपण करने की अनुमति देने की व्यवस्था है ऐसे अस्पतालों का अभी निर्धारण नहीं किया गया है।

प्राकृतिक गैस आपूर्ति परियोजनाएं

6295. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक गैस आपूर्ति करने संबंधी कुछ परियोजनाएं सार्वजनिक निवेश बोर्ड की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नकली दवाएं

6296. **श्री प्रेम चन्द राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घटिया दवाओं की बिक्री इस समय बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस मूल्य एकसमता

6297. **श्री राम नाईक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के रसोई गैस सिलिंडरों की कीमत में एकसमता लाने का है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने रसोई गैस का आयात आरम्भ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक किये गये आयात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) घरेलू बाजार में आयातित रसोई गैस कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एल.पी.जी॰ की समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत निजी कम्पनियों को अपने नेटवर्क के माध्यम से प्रतियोगिता के आधार पर बाजार नियंत्रित कीमतों पर एल.पी.जी॰ की बिक्री की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) समानांतर विपणनकर्त्ताओं द्वारा अब तक करीब 11.00 टी.एम.टी.एल.पी.जी. आयात किया गया है।

(घ) समानांतर विपणनकर्त्ताओं द्वारा आयातित एल.पी.जी. को समानांतर विपणनकर्त्ताओं द्वारा वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों में तेल का उत्पादन

6298. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों और बाम्बे हाई में तेल उत्पादन में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कितने तेल का उत्पादन किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) यद्यपि बम्बई अपतट से तेल के उत्पादन में कोई समस्या नहीं है तथापि उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में वहां की पर्यावरणीय स्थिति के कारण प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि की गई है। ओ.एन.जी.सी. ने मामले को राज्य सरकार के साथ समुचित स्तर पर उठाया है।

(ग) अद्यतन परिदृश्य के अनुसार ऐसी आशा है कि आठवीं योजना के दौरान ओ.एन.जी.सी., बम्बई अपतट से करीब 100.11 मिलियन टन और पूर्वी क्षेत्र से 15.69 मिलियन टन का उत्पादन प्राप्त करेगा।

असम में तेल की खुदाई

6299. **श्री द्वारकानाथ दास :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी असम (बराक घाटी) में तेल की खोज का कार्य तेजी से चल रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तेज की खोज का कार्य तेजी से करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) दक्षिणी असम (बराक घाटी) में तेल और गैस की खोज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कीटनाशक दवाइयों से विषाक्तता

6300. **डा. आर. मल्ल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशक दवाइयों से विषावक्ता की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कीटनाशक दवाइयों से विषाक्तता की घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा भारतीय पोषाहार संस्थान का विचार कीटनाशक दवाइयों की विषाक्तता तथा वायु, मिट्टी, जल तथा पशु आहारों में कीटनाशक दवाइयों के अवशेषों की उपस्थिति पर निगरानी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1991–92 के मुकाबले 1992–93 में सूचित किए गए नाशी जीव नाशक विषाक्तता के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। नाशी जीव नाशक विषाक्तता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :–

- सभी नाशी जीवनाशकों का कीटनाशक अधिनियम के अधीन पंजीयन करना अपेक्षित है।
- नाशी जीवनाशकों के इस्तेमाल की स्थिति की समय–समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- जीवन विज्ञानी, यांत्रिक और अन्य विधियों को एकीकृत करने के लिए एक कार्यनीति का संवर्धन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत में खाद्य प्रदूषकों पर एक बहु–केन्द्रिक अध्ययन कर रही है। इस अध्ययन से अन्य बातों के साथ–साथ उन क्षेत्रों में जहां अध्ययन किए गए थे, बोविन दूध, गेहूं और चावलों में एच.सी.एच. और डी.डी.टी. की भिन्न–भिन्न मात्राओं में मौजूगी के संबंध में सूचना मिली है। तथापि, सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा रहा है।

आरक्षित पदों का भरा जाना

6301. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में एसिस्टैंट प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, ऐडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर कुल कितने डाक्टर कार्यरत हैं;

(ख) इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों में से कितने लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध हैं; और

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोटा के पहले से खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे के पहले से रिक्त चले आ रहे पदों को भरने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

		इस समय कार्य कर रहे डाक्टरों की संख्या					
		अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।			स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़		
क्रम सं.	मद का नाम	कार्यरत	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कार्यरत	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1.	प्रोफेसर	89	–	–	37	–	–
2.	अपर प्रोफेसर	92	1	–	83	2	1
3.	सह प्रोफेसर	95	11	–	45	7	–
4.	सहायक प्रोफेसर	119	22	5	61	3	1

समुदाय आधारित पुनर्वास

6302. **श्री बारेलाल जाटव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन में समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है;

(ख) क्या हाल में इस संबंध में योजना बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विचार–विमर्श में किन–किन समूहों ने भाग लिया;

(ङ) क्या इस बैठक में कार्यरत–चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) विश्व

स्वास्थ्य संगठन/भारत सरकार सहयोगी कार्यक्रम 1994–95 के अधीन पुनर्वास परियोजना के लिए 2.46 लाख अमेरीकी डालर आवंटित किए गए हैं।

(ख) से (च) समुदाय आधारित पुनर्वास के विशेष संदर्भ में अपंगता निवारण, अभिघात परिचर्या पर एक राष्ट्रीय सेमिनार 7 से 11 मार्च, 1994 तक आयोजित किया गया था जिस में पुनर्वास और अभिघात परिचर्या सम्बन्धी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। इस सेमिनार में भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास चिकित्सा की विशिष्टताओं के विशेषज्ञों, आर्थोपेडिक शल्य चिकित्सकों कान, नाक, गला शल्य चिकित्सकों, नेत्र शल्य चिकित्सकों और निवारक और सामाजिक आयुर्विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भाग लिया। इस बैठक में अपंगताओं के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

6303. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990–91, 1991–92, और 1992–93 के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कितने कच्चे माल का उत्पादन किया;

(ख) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने उनके मंत्रालय के साथ 1993–94 हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के साथ–साथ 1993–94 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(घ) क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1990–91, 1991–92 और 1992–93 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन क्रमशः 2.649, 2.529 तथा 2.523 मिलियन टन था।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) 2.75 मिलियन टन के समझौता ज्ञापन लक्ष्य के प्रति आयल इंडिया लि. ने वर्ष 1993–94 के दौरान 2.811 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पाद्दन किया। आयाल इंडिया लिमिटेड का संपूर्ण उत्पादन उत्तर पूर्वी क्षेत्र से हुआ।

कपूरी तम्बाकू की खपत

6304. **डा. महादीपक सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपूरी तम्बाकू के कारण लकवा, अल्सर और हंस्तम्भ बीमारियां होती हैं;

(ख) क्या कपूरी तम्बाकू में मिलाए जाने वाले रसायन के कारण बीमारियां फैलती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस तम्बाकू के नमूने का परीक्षण करने और इसके उत्पादकों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने का हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) यह विदित है कि सभी तरह के तम्बाकू के इस्तेमाल से अधरंग, पेप्टिक अल्सर और चिरकारी अवरोधक फुफ्फुसीय रोग होते हैं। इस मसय कपूरी तम्बाकू की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिमी कोसी नहर

6305. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के भीम नगर बैराज से होकर प्रवाहित होने वाली पश्चिमी कोसी नहर की मुख्य नहर का कार्य 1984–85 में पूरा कर लिया गया था और क्या वर्षों से लगातार इस नहर से नेपाल के क्षेत्रों की सिंचाई की जा रही है;

(ख) क्या कमला नदी और उसकी सहायक नदियों पर साइफन प्रणाली के निर्माण का कार्य पूरा न हो पाने के कारण वर्ष में 750,000 एकड़ भूमि में तीन फसलों की सिंचाई करने की पश्चिमी कोसी नहर की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जून, 1995 तक इस नहर पर निर्माण कार्य इसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कराके या उद्देश्य के लिए धन निर्धारित करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के नेपाल भाग का निर्माण कार्य वर्ष 1985–86 में पूरा हो गया था तथा जून, 1985 से नेपाल के क्षेत्रों की सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है।

(ख) 2.35 लाख हेक्टेयर की निर्धारित सिंचाई क्षमता के मुकाबले केवल 22,750 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत आया है।

(ग) विद्यमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने योजनागत संसाधनों में से किया जाता है। केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋण और अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है तथा यह किसी क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है। कमला नदी पर साइफन पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का एक भाग है। बिहार राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजना 1994–95 में प्रारूप में इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन संबंधी परियोजना

6306. **श्री नुरुल इस्लाम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाम्बे हाई में गैस और तेल के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी कोई परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए किसी विदेशी कम्पनी/कम्पनियों के साथ कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं में उत्पादन कब से शुरू करने की संभावना है, और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष की तुलना में 1994–95 के दौरान तेल उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) अनेक चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त सरकार ने हाल ही में 542.39 करोड़ रुपये की लागत से एस–1 बालू क्षेत्र और 452.54 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण हीरा चरण–2 के विकास के लिए ओ.एन.जी.सी. की परियोजना अनुमोदित की है। विदेशी कम्पनियों में दक्षिण कोरिया की एच.एच.आई., दास्वू–एन.पी.सी.सी., और समसुंग, जापान की के.एच.आई.सी.आर., बेल्जियम की सोकोनोर्ड, ओ.सी.टी.जी., इटली की आई.एल.वी.ए. और जर्मनी की यूरो पाइप सम्मिलित हैं। उपर्युक्त स्कीमों पर संविदाएं दिए जाने पर कार्य शुरु होगा।

(च) 1991–92 में 18.963 मिलियन टन, 1992–93 में 15.746 मिलियन टन और 1993–94 में 15.375 मिलियन टन के वास्तविक उत्पादन की तुलना में 1994–95 के दौरान इस क्षेत्र से उत्पादन लगभग 19.810 टन होने की आशा है।

[हिन्दी]

मेघालय में कोयला खानें

6307. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में कोयला खानें व्यक्तियों की निजी सम्पति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन व्यक्तियों द्वारा सरकारी अनुमति के बिना कोयला इन खानों से बांगलादेश को निर्यात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) मेघालय में काफी कोयला क्षेत्र छोटे, छुटपुट स्वरूप के हैं और ऐसे हैं, जिनका विधिवत रूप में तथा वैज्ञानिक रूप में उत्खनन नहीं किया जा सकता है। मेघालय सरकार ने सूचित किया है कि स्थानीय जनजाति के व्यक्ति कोयला खनन क्रियाकलाप में कार्यरत हैं, जोकि ऐसे खनन क्रियाकलापों को किया जाना, अपने पारंपरिक तथा रीति–रिवाजों के अधिकारों के अंतर्गत दावा कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) मेघालय सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार जुलाई, 1991 से कोयला निर्यात के विकेन्द्रीकरण के पश्चात् इन व्यक्तियों द्वारा मेघालय से बंगलादेश को कोयाला निर्यात किया जा रहा है। इन निर्यातकों को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के अलावा केन्द्रीय सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से निर्यात लाइसेंस/कोड नम्बर प्राप्त करना अपेक्षित है।

पुस्तक पर प्रतिबंध

6308. **श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "तारीखे मुजाहिदीन" नामक विवादास्पद पुस्तक में पाकिस्तानी लेखक द्वारा की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी की और आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को इस संबंध में कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। वित्त मंत्रालय ने, अपने फील्ड फारमेशनों को इस आशय के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं कि पुस्तक का आयात किए जाने का मामला ध्यान में आने पर उसकी प्रतियों को रोक दिया जाय।

(घ) और (ङ) "तारीख मुज्जाहिद्दीन" पुस्तक से संबंधित मामलो को राजनयिक माध्यमों से उठाया गया है। पाकिस्तान प्राधिकारिकयों ने सूचित किया है कि पाकिस्तान सरकार ने "तारीखे मुज्जाहिद्दीन" पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

[अनुवाद]

एड्स नियंत्रण

6309. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी रक्त बैंकों में एड्स के परीक्षण की सुविधा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकार को प्रत्येक रक्त बैंक में रक्त की जांच की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) सरकार द्वारा देश में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श से तैयार की गई कार्य नीति संबंधी योजना में रक्त निरापदता तथा रक्त और रक्त उत्पादों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के बारे में विचार किया गया है। सरकार ने एच.आई.वी. परीक्षण करने के लिए 150 जोनल रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं। सभी रक्त बैंको को इन जोनल रक्त परीक्षण केन्द्रों से जोड़ा गया है ताकि इस कार्य को आसान बनाया जा सके। इसके अलावा 372 जिला स्तरीय रक्त बैंकों को, जो मूलतः रक्ताधान केन्द्र हैं, रक्ताधान से पूर्व रक्त की जांच हेतु त्वरित परीक्षण किटें प्रदान की गई हैं।

चिकित्सा उपकरणों का आयात

6310. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरणों के आयात में बरती गयी अनियमितताओं की जांच कराने के लिए कोई समिति नियुक्त की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल में चिकित्सा उपकरण तथा उपभोज्य वस्तुओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) समिति को आदेशों की आपूर्ति किस्तों में करने, अनावश्यक उपकरण की खरीद करने और राशि के बिल बनवाने आदि से संबंधित अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर मिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई कर रही है।

तिहाड़ जेल

6311. **श्री जे. चौक्का राव :**
डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल के 90 प्रतिशत कैदी समलैंगिकता में लिप्त हैं और इस कारण उनमें एड्स रोग फैलने की संभावना अधिक है;

(ख) क्या सरकार का विचार एड्स की रोकथाम के लिए कैदियों को कंडोम सप्लाई करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो एड्स को फैलने से रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि अत्यधिक खतरे वाले कैदियों के रक्त के नमूने, डाक्टरों के एक दल द्वारा लिए गए थे और केवल एक मामला ''पाजिटिव'' पाया गया। वह कैदी पहले ही जेल से जा चुका है।

[हिन्दी]

कचरा उठाने का ठेका देना

6312. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजरप्पा तथा कथारा कोयला क्षेत्रों में गारा तथा कचरा उठाने और कोयले की ढुलाई संबंधी कार्य सेन्ट्रल कोल फील्ड्स तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन जाली फर्मों को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई जांच करायी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस संबंध में कब तक जांच कराने का है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) से (च) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की राजरप्पा तथा कथारा वाशरियों द्वारा उत्पादित स्लरी, मिडलिंग्स तथा अवशिष्ट सामग्री की किसी विशेष व्यक्ति को कोई निविदाएं आमंत्रित किए बिना तथा कार्यालय पद्धति को नकारते हुए अवैध बिक्री के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में कोयला नियंत्रक संगठन को इस शिकायत की जांच करने का काम सौंपा गया था। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकार्ड तथा दस्तावेजों के आधार पर सरकार को सूचित किया गया था कि स्लरी की बिक्री में अनियमितताओं के संबंध में आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इस संबंध में रिकार्ड की आगे जांच करने से पता चला कि कथारा और राजरप्पा वाशरियों के उत्पाद की बिक्री के संबंध में निर्धारित पद्धति को सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा अनुपालन किया गया था।

[अनुवाद]

सरदार सरोवार परियोजना

6313. **श्री छीतूभाई गामीत :**
श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का आंकलन कराने हेतु विश्व बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र समीक्षा दल (मोर्स दल) ने यह सिफारिश की है कि विश्व बैंक, परियोजना को दी जाने वाली सहायता रोक दें;

(ख) क्या उक्त दल ने 27 एम.ए.पी. की उपलब्धता के बारे में विशेषज्ञों तथा न्यायाधिकरणों के निष्कर्षों को अस्वीकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त (क) और (ख) का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने पहले यह कहा था कि सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात के 3 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे और इससे लगभग 10 लाख लोगों को स्थाई रोजगार मिलेगा, और

(ङ) क्या सरदार परियोजना 18 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई करेगी, 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी और हजारों गांवों को पेयजल की पूर्ति करेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) जी, हां। स्वतंत्र समीक्षा दल ने अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक से परियोजना को सहायता देना बंद करने की सलाह दी थी। नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने अपने पंचाट में यह निर्धारित किया था कि 75 प्रतिशत विश्वनीयता के आधार पर सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा के जल की उपयोज्य मात्रा 28 मिलियन एकड़ फुट होनी चाहिए। अधिकरण का आंकलन ठोस तकनीकी आंकड़ों पर आधारित था जिसकी पुष्टि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययनों के जरिये भी की गयी थी। स्वतंत्र समीक्षा दल ने आकलन किए इस आधार की आलोचना की थी और यह महसूस किया था कि इस परियोजना का निष्पादन बनायी गयी योजना के अनुसार नहीं होगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरदार सरोवर परियोजना में 17.92 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने, 1450 मेगावाट जल–विद्युत का उत्पादन करने तथा 8215 गांवों और 135 शहरी केन्द्रों को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को धमकी

6314. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री विजय नवल पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा स्टूडेंट फेडरेशन ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को नागालैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने कार्य बन्द करने का अल्टीमेटम दिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) नागर स्टूडेंटस फेडरेशन (एन.एस.एफ.) ने ओ.एन.जी.सी. को नागा क्षेत्रों में अपने कार्याकलाप 30–04–1994 तक रोकने का अल्टिमेटम दिया है।

(ग) सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त किया गया है। आवश्यक कार्रवाई हेतु नागालैंड सरकार की स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तारियां

6315. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सेना के अधिकारियों ने जम्मू में अधिकृत कश्मीर से जम्मू सीमा पार करके आई अनेक महिलाओं तथा लड़कियों को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन परिस्थितियों में वे भारतीय क्षेत्र में पहुंची; और

(घ) क्या उनके जासूसी और अन्य अपराधों में लिप्त होने की बात प्रमाणित हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 5 जनवरी, 1994 को एक लड़की, पाक अधिकृत कश्मीर से नौशेरा सैक्टर में घुस आई और उसने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जांच पड़ताल से यह पता चला कि वह, इसलिए सीमा पार चली आई थी क्योंकि उसके रिश्तेदार उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे। सरकार को, उस लड़की के, जासूसी करने या अन्य अपराधों में अन्तर्ग्रस्त होने की संभावना के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्री का गुजरात और मध्य प्रदेश का दौरा

6316. **डा. के.डी. जेस्वाणी :**
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक गुजरात और राजस्थान में भारत–पाक सीमा पर अवैध गतिविधियों के सम्बन्धों में प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इन्टर सर्विस इन्टेलीजेंस की इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई अवैध गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने हेतु हाल ही में गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो स्थिति के आंकलन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु इन राज्य सरकारों को अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कम्पनियों सहित दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क)

वर्ष	राजस्थान	गुजरात
1991	2581	70
1992	4160	62
1993	4405	25
1994 (30–3–1994 तक)	677	21

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। राज्य मंत्री ने राजस्थान सीमा का दौरा किया और पाकिस्तान की आई.एस.आई. के मनसूबों को विफल करने के लिए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उपाय सुझाए।

(घ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993–94 के दौरान गुजरात सरकार को 1,23,22,000 रु. की राशि और राजस्थान सरकार को 1,05,02,670 रु. की राशि दी गई। स्थिति का प्रभावकारी ढंग से मुकाबला करने के लिए इन राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रर्याप्त संख्या में अर्द्धसैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं।

राजभाषा

6317. **श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पुनर्विचार के लिए कोई संगत कारण नहीं हैं।

[हिन्दी]

नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर अपराध की घटनाएं

6318. **डा. मुमताज अंसारी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल में अपराध दर में हुई वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) वर्ष 1992, 1993 और 1994 में (31–3–1994 तक) सूचित हुए मामलों की संख्या के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं;

वर्ष	मामलों की संख्या
1992	818
1993	780
1994 (31–3–1994 तक)	239

इस वर्ष के प्रथम 3 महीनों के दौरान कुल सूचित हुए मामलों की संख्या में हल्की वृद्धि हुई है।

(ग) इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं;

(1) जब कभी ऐसा कोई मामला जानकारी में आता है तो उस पर तुरन्त कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं;

(2) असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है;

(3) रेलवे प्लेटफार्मो पर स्पीड रिपोर्टिंग बाक्स लगाए गए हैं;

(4) अपराध का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए वर्दी और सादे कपड़ों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।

[अनुवाद]

केरल में स्वैच्छिक संगठन

6319. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1993–94 के दौरान केरल के किसी स्वैच्छिक संगठन से पारिवारिक परामर्श के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) पूनालूर सोशल सर्विस सोसायटी, पूनालूर का 14 सितम्बर, 1992 का अभ्यावेदन गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री और कृषि राज्य मंत्री के माध्यम से 26 फरवरी, 1994 को प्राप्त हुआ था जो स्वास्थ्य–II योजना संबंधी प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन के लिए उनकी परियोजना जिसमें अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ परिवार परामर्श घटक शामिल था, के संबंध में था।

(ग) सोसायटी की परियोजना को मंजूरी देना संभव नहीं हुआ है क्योंकि स्वास्थ्य–II योजना संबंधी निजी स्वैच्छिक संगठनों के अन्तर्गत मंजूर की जाने वाली सभी परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में कैदियों की शिक्षा

6320. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तिहाड़ जेल के कैदियों को उच्च शिक्षा दी जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि शिक्षित कैदियों की उच्च शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तिहाड़ जेल में जनवरी, 1994 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केन्द्र खोला गया है।

बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा-विवाद

6321. **श्री राम कृपाल यादव** :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा अधिनियम, 1968 में कुछ संशोधन करने के बावजूद बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन दो राज्यों के बीच इस विवाद के समाधान के लिए अब तक क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) श्री सी.एम. त्रिवेदी के पंचाट, जिसको कि उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों राज्यों की सरकार ने स्वीकार किया था, के आधार पर बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1968 का अधिनियमन लचीली अन्तर–राज्य नदी सीमाओं को बिहार के भोजपुर और सारण जिलों तथा उत्तर–प्रदेश के बलिया जिलों की सीमाओं के साथ–साथ एक स्थाई सीमा निर्धारित करके बदलने के लिए किया गया था। इस प्रकार कोई सीमा विवाद नहीं है। तथापि, उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य को स्थानांतरित हुए कुछ क्षेत्रों में मालिकाना अधिकारों और भूमि में खेती करने के संबंध में निजी दलों के बीच कभी–कभी विवादास्पद दावे किए गए हैं। ये विवाद पहले ही न्यायाधीन हैं। तथापि, स्थानांतरित क्षेत्रों के गांवों के कुछ भागों में उनकी खेती की भूमि के अधिकारों के रिकार्डों का आदान–प्रदान करने पर दोनों राज्यों की सरकारों के बीच कुछ मतभेद हैं।

केन्द्र सरकार ने दोनों राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ कुछ एक बैठकें की हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार से सर्वेक्षण और रिकार्ड अभियान शीघ्रता से पूरा करने का अनुरोध किया गया है। इस समस्या का निदान दोनों राज्य सरकारों के बीच उपयुक्त स्तर पर द्विपक्षीय ढंग से अनिवार्यतः किया जाए।

उत्तर प्रदेश में अस्पताल

6322. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से पूर्णतः आधुनिक अस्पताल खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो वे किन–किन स्थानों पर खोल जायेंगे; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

तेल की खोज

6323. **श्री आर. अन्बारासु** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास से कन्याकुमारी पट्टी को छूने वाले क्षेत्र में तेल की खोज का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसके क्यां परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार मद्रास से कन्याकुमारी के बीच की पट्टी में तेल की खोज का ऐसा कार्यक्रम चलायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 1 जनवरी, 1994 की स्थिति में मद्रास और कन्याकुमारी के बीच जमीनी क्षेत्र में कुल 88 संभावनायुक्त क्षेत्रों की अन्वेषण हेतु वेन द्वारा जांच की गई है जिनमें 15 संभावना क्षेत्र (12 तेल तथा 3 गैस) हाइड्रोकार्बन वाले सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त कावेरी अपतटीय क्षेत्र में भी 27 संभाबना युक्त क्षेत्रों की जांच की गई है जिसमें 3 संभावना युक्त क्षेत्र (2 तेल तथा 1 गैस) हाइड्रोकार्बन वाले सिद्ध हैं।

जमीन पर तथा अपतट में स्थापित भूवैज्ञानिक भंडार (तेल+तेल समतुल्य गैस) 44.50 एम.एम.टी. तथा 34.03 एम.एम.टी. का है, तथा निकासी योग्य भंडार, क्रमशः 8.31 एम.एम.टी. और 12.26 एम.एम.टी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस

6324. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस ने अपनी छवि सुधारने के लिए प्रचार कार्य पर कोई धनराशि व्यय की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि का व्यय किया गया;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कोई सकारात्मक परिणाम निकला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री .ो.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान प्रचार–कार्य पर किये गये व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	राशि
1991–92	73,11,323 रु.
1992–93	54,66,210 रु.
1993–94	53,53,301 रु.

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि प्रचार से आम जनता में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिली है। विभिन्न प्रकार के अपराधों के खिलाफ उठाए जाने वाले एहतियाती उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करने में भी प्रचार कार्य से दिल्ली पुलिस को मदद मिली है।

रसोई गैस की कमी

6325. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में रसोई गैस की अत्यधिक कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसको पूरा करने तथा उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर समय पर सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) एल.पी.जी. का विपणन करने वाली तेल कम्पनियों के अनुसार महाराष्ट्र के मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग कमोवेश पूर्णतया पूरी की जा रही है। एल.पी.जी. की सप्लाई के अस्थायी शेष कार्य को प्रभावित बाजारों में एल.पी.जी. की संपूर्ण मांग पूरी करने के लिए सामान्य कार्य समय के बाद अतिरिक्त समय बढ़ाकर और रविवारों और छुट्टियों के दौरान एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्रों के प्रचालन द्वारा सप्लाई में वृद्धि करके पूरा किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जालसाजों के गिरोह का पर्दाफास करना

6326. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हाल ही में दिल्ली में जाली बैंक डिमांड ड्राफ्ट भुनाने वाले जालसाजों के किसी गिरोह का पर्दाफास किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्य प्रणाली सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या कोई बैंक कर्मी भी इस जालसाजी में लिप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उसकी जानकारी में ऐसे तीन मामले आए हैं—दो रामकृष्ण पुरम पुलिस स्टेशन में और एक हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में। इन मामलों में दस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। अभियुक्त निर्दोष लोगों को जाली बैंक डिमांड ड्राफ्ट देकर धोखा देते थे।

(घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि इस तथा कथित रैकेट में कोई बैंक कर्मचारी शामिल नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम

6327. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम पर अलग–अलग कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) बिहार में उक्त प्रत्येक बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए 1994–95 में बिहार के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) मुख्य कार्यक्रमों के आबंटनों (1993–94) और इन रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1994–95 के लिए राज्यवार आबंटनों पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	खर्च की गई रकम (लाख रुपये में)	मामलों की संख्या
		1993-94	1993-94
1.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	288.00	1,57,630 फरवरी, 1994 के अंत तक कुष्ठ रोगी
2.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यकम	9.17	79,750 (पता लगाए गए मामले) मार्च, 1994 तक
3.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	53.76	10.6 लाख (सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दृष्टिहीन व्यक्तियों की व्याप्ता दर)
4.	फाइलेरिया और काला आजार नियंत्रण सहित राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	1099.45	मलेरिया 30,594 (1993 में) फाइलेरिया / जांचे गए मामलों की संख्या / रोग दर (प्रतिशत)
	(क) मलेरिया के मामलों की संख्या		(1992) / 5,88,297 / 1.34 प्रतिशत
	(ख) फाइलेरिया के मामलों की संख्या		

[अनुवाद]

शिशु जन्म और मृत्यु-दर

6328. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अधिक शिशु जन्म और मृत्यु दर तथा अस्पतालों में कम शिशु जन्म वाले जिलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां । विवरण संलग्न है।

(ग) चुने हुए 90 जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करके उन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है –

(क) पूरी तरह सज्जित एक आपरेशन थिएटर

(ख) 6 पलंगों वाला आब्जरवेशन वार्ड

(ग) एक प्रसव कक्ष

(घ) महिला डाक्टर और ए.एन.एम. के दो स्टाफ क्वार्टर

(ड) निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए एक जनरेटर और जल आपूर्ति के लिए टयूबवेल

(च) एक एम्बुलेंस, यदि पहले से उपलब्ध न हो और

(छ) सूचना शिक्षा और संचार तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा।

इस सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साधारण शल्य चिकित्सीय उपचार, प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर परिचर्या, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान कर सकेंगे और संस्थागत प्रसवों का बढ़ावा दिया जा सकेगा। इन सुविधाओं के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र को 10 लाख रूपये प्रदान किए गए हैं ।

विवरण

90 जिलों के चुनिन्दा सूचक जहां आशोधित जन्म दर (सी.बी.आर.) 39 से अधिक है

राज्य	जिला
1	2
बिहार	1. नवादा
	2. सहरसा

1	2
	3. समस्तीपुर
	4. कटिहार
	5. गया
गुजरात	6. कच्छ
	7. बनासकांठा
हरियाणा	8. भिवानी
केरल	9. मालापुरम
मध्य प्रदेश	10. सीहोर
	11. रीवा
	12. गुना
	13. दमोह
	14. ग्वालियर
	15. पटना
	16. रायसेन
	17. होशंगाबाद
	18. विदिशा
	19. टीकमगढ़
	20. भिंड
	21. पश्चिमी निमाड़
	22. सागर
	23. झबुआ
	24. भोपाल
	25. शिवपुरी

1	2
	26. बेतूल
	27. छतरपुर
	28. मुरैना
	29. पूर्वी निमाड़
	30. दतिया
	31. धार
	32. सतना
उड़ीसा	33. बालेश्वर
राजस्थान	34. जोधपुर
	35. उदयपुर
	36. सवाई माधोपुर
	37. कोटी
	38. झालावाड़
	39. जालोर
	40. डूंगरपुर
	41. भरतपुर
	42. बांसवाड़ा
	43. अजमेर
	44. सिरोही
	45. गंगानगर
	46. जयपुर
	47. सीकर
	48. बीकानेर
	49. पाली
	50. बाड़मेर

1	2
	51. अलवर
	52. बूंदी
	53. नागौर
	54. झुंझनू
	55. टोंक
	56. चुरू
उत्तर प्रदेश	57. फरूखाबाद
	58. प्रतापगढ़
	59. मैनपुरी
	60. बांदा
	61. आजमगढ़
	62. शाहजहांपुर
	63. टेहरी गढ़वाल
	64. हरदोई
	65. मुरादाबाद
	66. अलीगढ़
	67. ललितपुर
	68. पीलीभीत
	69. देवरिया
	70. बुलन्दशहर
	71. गौरखपुर
	72. बदायूं
	73. महाराजपुर
	74. सीतापुर

1	2
	75. बस्ती
	76. सुल्तानपुर
	77. एटा
	78. जौनपुर
	79. आगरा
	80. बरेली
	81. गौंडा
	82. इलाहाबाद
	83. नैनीताल
	84. मेरठ
	85. बिजनौर
	86. रायबरेली
	87. गाजियाबाद
	88. रामपुर
	89. मालदा
पश्चिम बंगाल	90. मुर्शिदाबाद

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों हेतु छात्रावास

6329. **डा.के.वी.आर. चौधरी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया ;

(ख) कितने छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है अथवा किया जाएगा ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबध में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है/दी जाएगी ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) अनुसूचित जनजाति के "लड़कियों तथा लड़कों" के लिए होस्टल की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 1991–92

से 1993–94 के दौरान कुल 17 होस्टलों का निर्माण किए जाने के लिए स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 8 का निर्माण हो चुका है।

(ख) नौ होस्टल निमार्णधीन हैं।

(ग) उक्त होस्टलों के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को 164.16 लाख रूपये निर्मुक्त किए गए थे । 1994–95 के दौरान वित्तीय सहायता की राशि आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव, राज्य सरकार के बजट में किए गए समान प्रावधान तथा आवश्यक शर्तों के अनुपालन पर निर्भर करेगी ।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण और भूमि कटाव

6330. **श्री ए.जे. राठवा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य में बाढ़ और भूमि कटाव को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) से (ग) सूरत शहर को बचाने के लिए लोअर तापी थाले में तापी नदी पर बाढ़ नियंत्रण और मृदा कटाव के बारे में गुजरात सरकार द्वारा भेजी गयी 33.99 करोड़ रुपए की लागत की एक योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है ।

[अनुवाद]

दिल्ली में अपराध

6331. **श्री एम. कृष्णस्वामी :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रकाश में आये अपराधों की माहवार तथा श्रेणीवार संख्या कितनी है ;

(ख) कितने मामलों को निपटा दिया गया है ;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाही की गई है ;

(घ) क्या दिल्ली सहित महानगरों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सकार ने कोई सहायता दी है ; और

(ङ) यदि हां, हो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) चालू वर्ष अर्थात 1994 के दौरान, दिल्ली में सूचित किए गए अपराधों की, माहवार और श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार है :–

अपराध शीर्ष	1994		
	जनवरी	फरवरी	मार्च
डकैती	5	1	–
हत्या	37	35	43
हत्या का प्रयास	41	43	55
लूटपाट	32	27	31
दंगा	14	8	10
जंजीर खींचना	15	8	26
चोट पहुंचाना	202	151	191
सेंधमारी	188	131	103
चोरी	1160	1000	985
भा.दं.सं.के तहत अन्य अपराध	1499	1297	1482
भा.दं.सं. के तहत कुल अपराध	3193	2701	2926
स्थानीय और विशेष कानूनों के तहत अपराध	1072	859	1119
कुल योग	4265	3560	4045

(ख) और (ग) : सुलझा लिए गए मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा उनके विरूद्व की गई कर्रवाई, संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) और (ड.) : केन्द्र सरकार ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तथा विशिष्ट व्यक्तियों और संरक्षित व्यक्तियों की सुराक्षा के लिए, दिल्ली पुलिस को केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की 103 कम्पनियां और एक प्लाटून उपलब्ध कराई है।

विवरण

दिनांक 1-1-1994 से 31-3-1994 तक

अपराध शीर्ष	दिनांक 1-1-1994 से 31-3-1994 तक की अवधि के दौरान				गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनका न्यायालाय में चालान किया गया	दोष सिद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या	दोष मुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध मामले		छोड़ दिए गए व्यक्तियों की सं.
	सूचित किए गए गागले	निरस्त किए गए मामले	सुलझा लिए गए मामले	पता न लगे मामले					मुकदमें के लिए लंबित है	जांच पड़ताल के लिए लंबित है	
डकैती	6	—	6	—	24	6	—		6	18	—
हत्या	115	—	76	—	146	2			2	144	—
हत्या का प्रयास	139	—	121	—	221	20	—		20	201	—
लूटपाट	90	1	59	—	135	28	—	—	28	107	—
दंगा	32	—	25	—	202	12	—		12	190	
जंजीर खीचना	49	—	27	—	37	6	—	—	6	31	—
चोट पहुंचाना	544	3	475	3	848	259	—	—	259	589	—
सेंधमारी	422	—	170	11	272	76	—	—	76	193	3
चोरी	3145	20	856	376	1213	416	—		416	791	6

भा.दं.सं. के तहत अन्य अपराध	4278	76	2851	73	3913	964	196	7	761	2915	34
भा.दं.सं.के तहत कल अपराध	8820	100	4666	463	7011	1789	196	7	1586	5179	43
स्थानीय और विशेष कानूनों के तहत अपराध	3050	—	3016	4275	2456	1368	1	1087	1819		—
कुल योग :	11870	100	7682	463	11286	4245	1564	8	2673	6998	43

[हिन्दी]

बिहार को प्राकृतिक गैस का आबंटन

6332. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से राज्य को प्राकृतिक गैस का नियतन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को गैस आधारित उद्योगों के लिए प्रतिमाह प्राकृतिक गैस का कितनी मात्रा में नियतन किये जाने का प्रस्ताव है ;

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) (क) और (ख) एच.बी.जे.पाइपलाइन को बिहार राज्य तक बढ़ाने के संबंध में समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

(ग) अधिशेष गैस की उपलब्धता की दृष्टी से एच.बी.जे. पाइपलाइन को बिहार राज्य तक बढ़ाने के संबंध में विचार करना व्यवहार्य नहीं रहा है। आगे, कोयले के स्थानीय तौर पर उपलब्ध होने की तुलना में संभवतः बिहार राज्य में प्राकृतिक गैस एक व्यवहार्य विकल्प न हो।

औषधीय जड़ी बूटियों की तस्करी

6333. **डा. साक्षीजी :**
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद में कोई खोज की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों को अतिदुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों की तस्करी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन जड़ी बूटियों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न आयुर्वेदिक संस्थाओं द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें साहित्यिक अनुसंधान, पुरानी औषधों का नैदानिक मूल्यांकन, फार्माकोपिया संबंधी अध्ययन आदि शामिल हैं।

(ग) जड़ी बूटियों की बड़े पैमाने पर तस्करी की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 30–3–1994 के सार्वजनिक आदेश द्वारा पता लगाए गए कुछ पादपों के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अन्य जंगली पादपों का निर्यात जंगली फाना तथा फ्लोरा के कॅवेन्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डैन्जर्ड स्पीसीज के उपबंधों तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के सार्वजनिक आदेश द्वारा विनियमित होता है।

[अनुवाद]

विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास

6334. **कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं है।

(ग) और (घ) आदिवासियों सहित विस्थापित लोगों के पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति का मसौदा विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मस्तिष्क ज्वर से हुई मौतें

6365. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मस्तिष्क ज्वर से भारी संख्या में हुई मौतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस घातक रोग का प्रसार किन–किन कारणों से हो रहा है;

(ग) क्या इस रोग के उपचार हेतु देश में कोई औषधि विकसित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) केन्द्रीय

स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरों में उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार 1993 के दौरान देश को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं से मेनिनजाइटिस के कारण 1539 मौतें होने की सूचना मिली थी।

(ख) मेनिनजाइटिस माइक्रो–आर्गनिज्म को विभिन्न किस्मों जैसे बैक्टीरिया, वाइरस, पेरासाइट आदि के कारण होता है। जहां बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस मुख्यतया बिन्दुक संक्रमण के कारण फैलता है वहां वायरल तथा पैरासाइटिक मेनिनजाइटिस कीटदंश से फैलता है।

(ग) और (घ) बैक्टीरियल किस्म की बीमारी से निपटने के लिए दवाइयां उपलब्ध हैं। इस संबंध में नई एम्यानोग्लाइकोसाइड सहित सभी केमोथिराप्युटिक एजेंट देश में उपलब्ध हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेवेली लिग्नाइट निगम में स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना

6336. **डा. पी. बल्लल पेरुमान** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली निग्नाइट निगम में स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वैच्छिक सेवा निवृति पर जाने वाले कर्मचारियों को क्या–क्या लाभ/सुविधाएं दी जायेंगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने.लि.का.) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) दिनांक 1–7–1993 से केवल अधिकारियों के लिए आरंभ की गई है। ने.लि.का. ने इस योजना के तहत अब अभी कर्मचारियों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) इस योजना के अंतर्गत किसी कर्मचारी के मामले में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी अनुरोध स्वीकार किए जाने के बाद उक्त कर्मचारी को निम्नलिखित रूप में अदायगी की जाएगी :–

(1) अंशदायी भविष्य निधि विनियमों के अंतर्गत भविष्य निधि लेखे की देय बकाया राशि;

(2) कारपोरेशन के नियमों के अंतर्गत एकत्र अर्जित अवकाश के बराबर नकद राशि;

(3) कर्मचारी पर लागू के नियमों के अंतर्गत अनुग्रह की राशि;

(4) डेढ़ महिने की परिलब्धियों (वेतन तथा मंहगाई भत्ता) के बराबर अनुग्रह की राशि की अदायगी, जोकि सेवाकाल के प्रत्येक पूर्व वर्ष अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत किसी कर्मचारी को कार्यभार मुक्त किए जाने के समय मासिक परिलब्धियों, जोकि सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से पूर्व बकाया सेवाकाल शेष महीनों से गुणा कर दी जाएगी, इसमें जो भी राशि कम हो, की जाएगी।

(5) नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति यात्रा संबंधी लाभों और सामान पैक करने तथा अन्य परिवहन प्रभारों की राशि की आदयगी।

अभी तक इस योजना से 68 अधिकारी लाभान्वित हुए हैं।

टिक्कू समिति की रिपोर्ट

6337. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग के संबंध में टिक्कू समिति की रिपोर्ट पर लिए गए निर्णय परिवार कल्याण विभाग तथा इसके अंतर्गत सभी संस्थाओं पर भी लागू हैं;

(ख) यदि हां, तो परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) किन–किन कार्यालयों ने अब तक इस रिपोर्ट को कार्यान्वित किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क), (ख) और (ग) लिए गए निर्णय परिवार कल्याण विभाग और इसकी संस्थाओं में तैनात डाक्टरों सहित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों पर लागू होते हैं और उनके संबंध में इन निर्णयों को कार्यान्वित किया गया है।

हीराकुंड बांध

6338. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**
डा. रवि मल्लू :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 1994 के "टाइम ऑफ इण्डिया" (संडे टाइम्स) में "प्रीमेच्युअर डेथ थ्रेट्न्स हीराकुंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या देश में बांधों की नियमित और कारगर ढंग से निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो इस व्यवस्था से प्राप्त हुई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) सरकार को हीराकुंड जलाशय में अवसाद तथा हीराकुंड बांध में दरारें आने की जानकारी है।

(ख) और (ग) जलाशय में अवसाद एकत्र हो जाना एक प्राकृतिक घटना है और 1985–86 में किए गये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के बाद हीराकुंड जलाशय की क्षमता में 18.3 प्रतिशत की हानि हुई है जिससे कोई खतरा नहीं है। जलाशय में अवसाद आने को रोकने के लिए हीराकुंड बांध के जलग्रहण क्षेत्र में वन रोपन, गुल्ली संरक्षण और कन्टूर बंडिंग आदि जैसे मृदा संरक्षण सम्बन्धी उपाय किए गए हैं।

केन्द्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति मार्च, 1991 में नियुक्त की गयी थी। इसे दरारों के कारणों का पता लगाने तथा उपचारात्मक उपायों पर परामर्श देने का कार्य सौंपा गया था। समिति ने उचित इन्स्ट्रूमेन्टस लगाकर तथा नियमित प्रेक्षणों और उपयुक्त रसायनों से ग्राउटिंग, सतह पर लेप करके प्रति प्रवाह में दरारों को बन्द करने जैसे उपचारात्मक उपायों से बांध की निकटता से निगरानी करने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों का क्रियान्वयन किया तथा दरारों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की समीक्षा और विश्लेषण करने तथा उपचारात्मक व पुनर्वास उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए वर्ष 1990 में "हीराकुड बांध दरार समीक्षा पेलन" गठित किया। हीराकुंड बांध के पुनर्वास उपाय बांध सुरक्षा आश्वासन का एक भाग है तथा पुनर्वास परियोनजाएं विश्व बैंक की सहायता से शुरू की जाती हैं। राज्य सरकार ने बांध सुरक्षा एवं उपचारात्मक उपायों की पुनरीक्षा करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एम.जी. पेधये की अध्यक्षता में अगस्त, 1991 में एक बांध सुरक्षा पुनरीक्षा पेनल गठित किया। विश्व बैंक के परामर्शदाता श्री डेविड स्टार्क ने जनवरी, 1993 में परियोजना का दौरा भी किया था।

(घ) और (ङ) सिंचाई परियोजनाओं का रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और बांध की सुरक्षा का प्रबोधन भी उनके द्वारा ही किया जाता है। क्षमता में होने वाली हानियों के कारणों का पता लगाने और उनके निवारण के वास्ते उपायों की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने के वास्ते 1979 में केन्द्रीय जल आयोग में एक बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना की गयी थी। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी थी कि वे बांधों की सूची रखने, बांधों का इतिहास संकलित करने, ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने जिन्हें विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, बांध सुरक्षा में अपनायी गयी प्रशासनिक व तकनीकी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा एवं प्रबोधन करने के लिए आपने बांध सुरक्षा कक्ष/संगठन गठित करें। केन्द्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा संगठन के बांधों की सुरक्षा निरीक्षण जांच सूची, आंकड़े बहियों के प्ररूप व बांधों के आवधिक निरीक्षण एवं अन्य बांध सुरक्षा साहित्य के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश संकलित किए हैं जिन्हें फील्ड इंजीनियरों के मार्गदर्शन के लिए सभी राज्यों को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

तेल के मूल्यों में कमी

639. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) आयात व्यय में अनुमानतः कितनी कमी आई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1993–94 के दौरान कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

(ख) वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोर्कर कूल आयल्स की औसत कीमत निम्नानुसार थी :–

	अमेरिकी डालर प्रति बैरल	
	1992–93	1993–94
दुबई	17.33	14.49
ओमान	17.08	15.18
ब्रेट	19.45	16.31
डब्लू टी.आई.	20.85	17.07

(ग) वर्ष 1993–94 के आयात बिल पर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट का असर लगभग 979 मिलियन अमेरिकी डालर होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन

6340. **श्री राम निहोर राय : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्दर्न कोलफील्ड्स के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सिंगरोली ककहरी और खरिया कोयला क्षेत्रों में किस–किस किस्म के कोयले का उत्पादन हो रहा है;

(ख) इस कोल फील्ड्स से कोयले की सप्लाई किसे की जाती है;

(ग) क्या इन कोयला क्षेत्रों में स्थानीय लघु उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी ई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित खानों में उत्पादित किए जाने वाले कोयले के ग्रेडों को नीचे दर्शाया गया है :–

खानों का नाम	उत्पादित कोयले का ग्रेड
1. बीना	ई
2. ककरी	ई
3. दुधीचुआ	सी
4. खादिया	डी

इन खानों से निम्नलिखित उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की जा रही है :-

1. बीना — ओबरा, टी.पी.एस., अनपारा, टी.पी.एस., हिन्डलको।
2. ककरी — अनपारा, टी.पी.एस., स्थानीय उद्योग।
3. दुधीचुआ — सिंगरौली, एस.टी.पी.एस., विद्यांचल एस.टी.पी.एस., रिहंद एस.टी.पी.एस.तथा अनपारा टी.पी.एस.
4. खादिया — अनपारा टी.पी.एस.

(टिप्पणी : एस.टी.पी.एस.–सुपर थर्मल पावर स्टेशन, टी.पी.एस.–थर्मल पावर स्टेश्न)

(ग) और (घ) ककरी खान से कुछ कोयला स्थानीय छोटे उद्योगों को आपूर्ति की जा रही है। अन्य खानों से समीपस्थ विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति की जा रही है। अन्य उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति नियमित की जा रही है तथा समीपस्थ विद्युत गृहों की बड़ी मात्रा में मांग को देखते हुए अन्य स्रोतों से आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

जनजाति आयोग

6341. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चा ने संविधान के अनुच्छेद 339 के अन्तर्गत एक स्थायी राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, नहीं। अखिल भारतीय आदिवासी तथा अल्पसंख्यक मोर्चा से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। संविधान के अनुच्छेद 339 (1) के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी समय तथा इस संविधान के आरम्भ होने से दस वर्ष की समाप्ति पर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग निर्मुक्त कर सकते हैं तथा करेगें। इस उपबंध के अनुसार इस आदेश में आयोग के गठन शक्तियों तथा प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी तथा इसमें ऐसी आकस्मिकताएं और सहायक उपबंध निहित होंगे जैसाकि राष्ट्रपति आवश्यक अथवा वांछित समझें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण बांध

6342. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या जल संसाधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बाढ़ नियंत्रण बांधों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का उत्पादन

6343. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 और 1993–94 के दौरान कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य और 1989–90 के दौरान प्राप्त सर्वोच्च उपलब्धि की तुलना में यह कितना है;

(ग) क्या गत चार वर्षों के दौरान उत्पादन में यह कमी तकनीकी और संरचनात्मक कारणों से हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार घरेलू अपरिस्कृत तेल के उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 28.950 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1992–93 के दौरान कच्चे तेल का देशी उत्पादन 26.170 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 27.015 मिलियन टन का उत्पादन हुआ।

वर्ष 1989–90 के दौरान 34.087 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ।

(ग) और (घ) हाल के कुछ वर्षों के दौरान कच्चे तेल के देशी उत्पादन में कमी आने

के मुख्य कारणों-में क्षेत्रों का पुराना पड़ना, बंबई हाई के उपचारी उपायों का क्रियान्वयन तथा उत्तर पूर्व में पर्यावरणीय समस्याएं शामिल हैं।

(ङ) कच्चे तेल के देशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें अनेक नये क्षेत्रों का विकास, कुछ विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास तथा निजी भागीदारी में छोटे और मध्यम आकार के क्षेत्रों का विकास शामिल है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (विनियमन) विधेयक

6344. **श्री सूरजभान सोलंकी :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र है (विनियमन) विधेयक केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस विधेयक को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) "मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र (भूमि बांट तथा हस्तांतरण) विनियम, 1954" के निरसन के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने "मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र (भूमि बांट तथा हस्तांतरण) निरसन विनियम, 1954" को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए भेजा था। इस निरसन विनियम द्वारा 1954 के जिस मौजूदा विनियम को निरसित किया जाना है, वह जनजातियों की रक्षा, भूमि के अन्य-संक्रामण से करता है। राज्य सरकार का ध्यान इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया कि कई मामलों में जनजाति भूमि को गैर जनजातियों के पक्ष में अन्यसंक्रमित किया गया। चूंकि यह समझा गया था कि इस विनियम के निरसन के परिणामस्वरूप अन्य संक्रामणों का विनियमन ही होगा, अतः राज्य सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को निर्णय से अवगत नहीं कराया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

6345. **श्री वीर सिंह महतो :**
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने जिलों में जन्म दर प्रति हजार 39 से अधिक है;

(ख) क्या सरकार ने इन जिलों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) विवरण–I संलग्न है।

(ख) और (ग) विश्व बैंक सहायता प्राप्त सामाजिक सुरक्षा तंत्र योजना के तहत, प्रमुख राज्यों के जनांकिकीय रूप से कमजोर सभी 90 जिलों के पांच–पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पिछले दो वर्षों में हर वर्ष प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 10 लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राज्यवार विवरण–II में संलग्न है।

विवरण-I

39 (प्रति 1000 जनसंख्या पर) और इससे अधिक (1981 की जनगणना के अनुसार) की जन्मदर वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार जिलों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	7
2.	बिहार	6
3.	गुजरात	2
4.	हरियाणा	1
5.	जम्मू व कश्मीर	7
6.	केरल	1
7.	मध्य प्रदेश	23
8.	मणिपुर	2
9.	मेघालय	5
10.	मिजोरम	3
11.	नागालैंड	3
12.	उड़ीसा	1

1	2	3
13.	राजस्थान	23
14.	सिक्किम	3
15.	उत्तर प्रदेश	32
16.	पश्चिम बंगाल	2
17.	अण्डमान व निकोवार द्वीप समूह	1
18.	दादर व नगर हवेली	1
19.	दमण व दीव	1
20.	लक्षद्वीप	1

शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (असम को छोड़कर जहां 1981 की जनगणना नहीं हुई), 39 और इससे अधिक की जन्म दर वाले ऐसे जिले नहीं हैं।

विवरण-II

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान सामाजिक सुरक्षा तंत्र योजना के तहत रिलीज किए गए सहायतानुदान को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

	1992–93	1993–94
बिहार	250.00	250.00
गुजरात	100.00	100.00
हरियाणा	50.00	50.00
केरल	50.00	50.00
मध्य प्रदेश	1150.00	1150.00
उड़ीसा	50.00	50.00
राजस्थान	1150.00	1150.00
उत्तर प्रदेश	1600.00	1600.00
पश्चिम बंगाल	100.00	100.00
योग :	4500.00	4500.00

[अनुवाद]

तम्बाकू विरोधी विधेयक

6346. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों में तम्बाकू विरोधी अधिनियम का प्रारूप उनकी स्वीकृति के लिए परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन–किन राज्यों ने अपनी स्वीकृति दे दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नही उठते।

[हिन्दी]

कैंसर योजनाएं

6347. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन–कौन सी नई योजनाएं चलाई गई हैं; और

(ख) गत वर्ष के दौरान बिहार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) (1) स्वास्थ्य शिक्षा, कैंसर का आरम्भ में ही पता लगायें और दर्द से राहत पहुंचाने वाले उपायों के लिए जिला परियोजनाओं की स्कीम चलायें।

(2) मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में अर्बुद विज्ञान स्कंधों का विकास तथा

(3) स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोग का पता लगाने संबंधी कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायात देने संबंधी तीन योजनाएं वर्ष 1990–91 में शुरू की गई।

(ख) बिहार के दरभंगा मेडिकल कालेज, लहरियासराय में अर्बुद विज्ञान स्कंध के विकास के लिए वर्ष 1990–91 के दौरान बिहार सरकार को 50.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

[अनुवाद]

विस्थापितों का पुनर्वास

6348. **श्री हाराधन राय : क्या कोयला मंत्री** 3 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 217 के उत्तर के संबंध में यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोनपुर, बाजारी तथा छः अन्य गांवों के भूमिविहीन हुए लोगों के पुनर्वास में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन गांवों के पुनर्वास के संबंध में मूल योजना तथा परियोजना में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में राज्य सरकार से परामर्श किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 217 का उत्तर दिनांक 11 मार्च, 1992 को दिया गया था और न कि इसका उत्तर 8 मार्च, 1992 को दिया गया था।

(क) से (ङ) मूलतः सोनपुर तथा बाजारी गांवों को छः अन्य गांवों के साथ स्थानान्तरित किया जाना था और इससे प्रभावित व्यक्तियों को सोनपुर बाजारी परियोजना के अंतर्गत चरणबद्ध रूप में पुनर्वासित किया जाना था। किन्तु, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, ग्रामवासी तथा लोगों के प्रतिनिधि शामिल हैं, किए गए परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण के अंतर्गत सोनपुर गांव के रूदासपारा को ही स्थानान्तरित किया जाए और बाजारी गांव को स्थानान्तरण से प्रभावित न किया जाए। इन गांवों का पुनर्वासन किए जाने का कार्य परियोजना के कार्य की प्रगति के अनुसार चरणों में किया जा रहा है।

सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण

6349. **श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994–95 के दौरान देश में सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण करके इन्हें अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान गुजरात राज्य के अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और जामनगर में सरकारी मेडिकल कालेजों और अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सिंचाई परियोजनाएं

6350. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास कर्नाटक की स्वीकृति हेतु विचाराधीन प्रमुख और मझौली परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा किन–किन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और उन पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) केन्द्र में प्राप्त हुई कर्नाटक की नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) करंजा और बेनीथोरा नामक दो वृहद सिंचाई परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा क्रमशः 98.00 करोड़ रुपये और 73.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 8/1992 और 8/1993 में निवेश स्वीकृति दी गई है जिनसे 48,968 हेक्टेयर और 21,854 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई करने की परिकल्पना है।

विवरण

केन्द्र में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु प्राप्त हुई कर्नाटक की नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाभ (हेक्टैयर)	मूल्यांकन की स्थिति
(क)	**वृहद**				
1.	हिप्पारगी सिंचाई परियोजना	8/1985	186.70	59,692	इस परियोजना को 186.70 करोड़ रु॰ की लागत पर अक्तूबर, 1986 में परामर्शदात्री समिति की बैठक में स्वीकार्य पाया गया बशर्ते कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए, पश्च जल और सतही व भूजल के संयुक्त प्रयोग पर अध्ययन कर लिए जायें। राज्य द्वारा इन टिप्पणियों की अनुपालना की जानी है।
2.	रामथाल लिफ्ट	11/1991	79.60	22,267	राज्य सरकार को मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावर्णीय स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा आठवीं योजना में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करनी है।
3.	अपर तुंगा	2/1992	379.87	94,698	-वही-
4.	अपर कृष्णा चरण-II	12/1993	1215.88	241,760	राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है और आठवीं योजना में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करनी है।

5.	वाराही	4/1993	122.50	31,400	राज्य सरकार को और अन्वेषण करने हैं तथा संशोधित रिपोर्ट तैयार करनी है।

(ख) मध्यम

.......शून्य.......

टिप्पणी : परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और/अथवा वन स्वीकृति प्राप्त करती है तथा जहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आबादी का विस्थापन शामिल है वहां पनुर्स्थापन व पुनर्वास योजनाओं के सम्बन्ध में कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

6351. **श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध चिकित्सा पद्धति में क्या उन्नयन गतिविधियां चलाई जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस संबंध में कितना व्यय किया गया है; और

(ग) नई औषधियां विकसित करने, दुर्लभ औषधीय जड़ी–बूटियों का पता लगाने आदि के क्षेत्र में क्या परिणाम प्राप्त किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ अनुसंधान, शैक्षिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधियों का मानकीकरण, औषध नियंत्रण, औषधीय पादपों का विकास करना शामिल है।

इसके फलस्वरूप भगन्दर, अर्जित श्वित्र, रूमैटॉइड सन्धि शोथ और संक्रामक यकृतशोथ इत्यादि जैसे रोगों के उपचार के लिए प्राचीन उपचारों का नैदानिक रूप से मूल्यांकन किया गया है और उन्हें लोकप्रिय बनाया गया हैं।

पिछले 3 वर्षों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए आबंटित की गई धनराशि इस प्रकार है :–

1991–92	21.85 करोड़ रुपये
1992–93	26.23 करोड़ रुपये
1993–94	33.47 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रसोई गैस की मांग और पूर्ति

6352. **श्री दत्ता मेघे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की मांग और पूर्ति कितनी है;

(ख) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कितने जिलों को रसोई गैस सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) महाराष्ट्र के सभी जिलों में रसोई गैस की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. (रसोई गैस) मांग और आपूर्ति संबंधी कोई ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है। नई एल.पी.जी. रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप सार्वजनिक क्षेत्र की एल.पी.जी. (रसोई गैस) विपणन कंपनियों द्वारा व्यवहार्यता के होते, चरणबद्ध प्रणाली में 20,000

या अधिक आबादी वाले स्थानों पर खोली जाती है न कि ग्रामीण/शहरी आधार पर। महाराष्ट्र राज्य को सभी जिले एल.पी.जी. (रसोई गैस) की आपूर्ति की दृष्टि से पहले ही पूरे हैं। सरकार ने समानान्तर विपणन कर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपने पसंद के किसी भी बाजार में एल.पी.जी. (रसोई गैस) के विपणन के लिए अनुमति दे दी है।

[अनुवाद]

एनीमिया प्रोफ्रि-लैक्सिस स्कीम

6353. **प्रो. मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्ताल्पता के नियंत्रण के लिए कोई एनीमिया प्रोफ्रि–लैक्सिस स्कीम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस योजना के अन्तर्गत कितनी महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हुए; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार इस पर कितना खर्च हुआ ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता रोग निरोध के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की 100 गोलियां (बड़ी) दी जाती हैं। रक्ताल्पता के लक्षणों वाले स्कूल जाने की आयु से कम आयु के बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां (छोटी) दी जाती हैं। राज्यों को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां की सप्लाई भारत सरकार द्वारा की जाती हैं।

(ग) विवरण–I संलग्न है।
(घ) विवरण–II संलग्न है।

विवरण-I

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान रक्ताल्पता रोगनिरोध योजना के अन्तर्गत कवर की गई महिलाओं और बच्चों की संख्या

योजना	कवर किए गए की संख्या					
	1991–92		1992–93		1993–94	
	महिलाएं	बच्चे	महिलाएं	बच्चे	महिलाएं	बच्चे
रक्ताल्पता रोग निरोध योजना	16294596	17761087	16486772	14054862	13123813	99877276

टिप्पणी – यह जनवरी, 1994 तक की स्थिति है।

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आइरन और फालिक एसिड की आपूर्ति पर किया गया खर्च

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.990	21.090	138.780
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.460	0.580	0.320
3.	असम	13.170	19.100	9.430
4.	बिहार	9.750	26.940	54.210
5.	गोवा	2.260	1.120	0.860
6.	गुजरात	8.485	47.120	52.930
7.	हरियाणा	10.409	14.040	42.230
8.	हिमाचल प्रदेश	3.970	4.700	7.240
9.	जम्मू व कश्मीर	4.860	0.890	38.760
10.	कर्नाटक	24.930	20.810	55.940
11.	केरल	13.160	13.670	25.400
12.	मध्य प्रदेश	15.000	23.930	79.660
13.	महाराष्ट्र	40.100	49.700	105.220
14.	मणिपुर	0.820	1.700	0.480
15.	मेघालय	1.410	1.540	0.640
16	मिजोरम	0.460	0.700	0.270
17	नागालैण्ड	1.170	0.800	0.320
18.	उड़ीसा	21.480	26.640	59.650
19.	पंजाब	10.100	13.050	19.930

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	8.686	48.620	49.960
21.	सिक्किम	0.250	0.480	0.630
22.	तमिलनाडु	15.146	16.120	64.650
23.	त्रिपुरा	1.140	1.400	2.090
24.	उत्तर प्रदेश	47.920	56.500	197.570
25.	पश्चिम बंगाल	36.460	39.450	28.570
26.	अण्डमान और निकोबार	0.220	0.220	0.390
27.	चण्डीगढ़	0.590	0.370	1.330
28.	दादरा और नगर हवेली	0.555	0.160	0.260
29.	दिल्ली	1.570	3.580	2.230
30.	दमन और द्वीप	0.190	0.100	0.140
31.	लक्षद्वीप	0.050	0.050	0.090
32.	पाण्डिचेरी	0.530	0.450	1.240
33.	रेल मंत्रालय	12.610	–	–
34.	रक्षा मंत्रालय	2.890	–	–

टिप्पणी : 1991–92 के आंकड़ों में आयरन और फालिक एसिड (एल. और एस.) तथा तरल आयरन पर किया गया खर्च शामिल है। 1992–93 और 1993–94 के आंकड़े आयरन और फालिक एसिड (एल. और एस.) की आपूर्ति पर किये गये खर्च से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

6354. **श्री बलराज पासी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुलाई के दौरान प्रति वर्ष हजारों टन कोयले की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका बाजार मूल्य कितना है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयला कंपनियों के पास कोयले को मार्ग में चोरी, उठाईगिरी होने की मात्रा/कीमत के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि कोयले के लदे हुए वैगन/ट्रक कोलियरियों, रेलवे साइडिंग/लदान तथा छोड़ने पर कोयले का मालिक खरीददार हो जाता है।

(ग) इस प्रकार की चोरी, उठाईगिरी, आदि को रोकने के लिए वाहको अर्थात् रेलवे/परिवहन कंपनियों आदि द्वारा कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं।

[अनुवाद]

इन्जेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक

6355. **श्री रमेश चन्द तोमर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इन्जेक्शन द्वारा दिए जाने वाला गर्भ निरोधक, "देपो प्रोवेरा" का प्रयोग आरंभ किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गर्भ निरोधक की सुरक्षात्मकता की जांच कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इसे कब तक बाजार में लाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) अध्ययनों से पता चला है कि देपो प्रोवेरा एक सुरक्षित तथा प्रभावकारी गर्भ निरोधक है। औषध नियंत्रक भारत ने देपों प्रोवेरा के निजी विपणन की अनुमति दे दी है बशर्ते विपणन के बाद निगरानी रखी जाए।

एड्स नियंत्रण

6356. **श्री तारा सिंह** :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने एड्स हेतु दी गयी धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने धनराशि वापिस करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल शोधक कारखाने

6357. **श्री के. प्रधानी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तेल शोधक कारखानों का वर्षवार कार्य निष्पादन कितना रहा;

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ तेल शोधक कारखानों का निजीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के संबंध में रिफाइनरियों द्वारा समग्र क्षमता उपयोग निम्नानुसार है :–

	क्रूड की उठान के रूप में क्षमता उपयोग
1991–92	101.0 प्रतिशत
1992–93	102.4 प्रतिशत
1993–94	103.4 प्रतिशत

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

चयन बोर्ड

6358. **श्री गया प्रसाद कोरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के उरई–नगर मुख्यालय में अर्ध–सैनिक बलों के लिए कोई चयन बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) अर्धसैनिक बलों के, निश्चित स्थानों पर, स्थायी भर्ती बोर्ड नहीं है। कांस्टेबलों/राईफलमेनों

के पदों पर भर्ती, भर्ती करने के लिए तैनात किए गए दलों द्वारा देश के विभिन्न भागों में भर्ती रैलियां आयोजित करके की जाती हैं।

[अनुवाद]

बमों को छिपाकर रखना

6359. **श्री बापू हरि चौरे :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत से स्क्रैप आयात करने वाले डिब्बों में अनेक बम छिपा कर रखे गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें निष्क्रिय करते समय एक बम फटने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य अनेक घायल हो गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार आई.सी.डी., तुगलकाबाद पर हैवी मेल्टिंग स्क्रैप (एच.एम.एस.) का नियमित रूप से आयात किया जाता है। हाल ही में, (I) मैसर्स अपर इंडिया स्टील मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि., लुधियाना और (II) मैसर्स गर्ग फ्रर्नेस लि., लुधियाना से सम्बद्ध एच.एम.एस. की दो आयातित खेपों में कुछ पुराने और जंग लगे तोप के गोले होने का पता चला था।

(ग) और (घ) आई.सी.डी. तुगलकाबाद पर हैवी मैल्टिंग स्क्रैप की कुछ आयातित खेपों में पाए गए बमों/गोलों को नष्ट करने की केन्द्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की एक मांग पर सेना मुख्यालय द्वारा एक सम्भाव्यता जांच शुरू की गई थी जिसके दौरान यह पया गया कि कुल 283 बम/गोले नष्ट किए जाने हैं। इनमें से कुछ बिना फ्यूज के थे और कुछ जंग लगे लेकिन साबुत फ्यूज सहित थे। इनको निष्क्रय करने का काम सेना की "बम डिस्पोजल स्क्वाड यूनिट" द्वारा किया गया था।

8-4-1994 को तुगलकाबाद रैंज में यह कार्य करते समय, विस्फोटकों से संबद्ध एक दुर्घटना में तीन अन्य सैन्य कर्मी घालय हो गए जिनमें से एक की बाद में घावों के कारण मृत्यु हो गई।

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

6360. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता चाहने वाले स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्तावों की जांच कर कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) 1993-94 के दौरान और चालू वर्ष में अब तक विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने संगठनों को 1993-94 के दौरान वित्तीय सहायता दी गई और चालू वर्ष में कितनी दी जानी है ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) से (ग) पहले से सहायता अनुदान पा रहे स्वयंसेवी संगठनों को चल रही योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान दो किस्तों में निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। पहली किस्त वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के अन्त से पहले तथा दूसरी किस्त तीसरी तिमाही तक निर्मुक्त की जाती है बशर्ते कि संतोषप्रद निष्पादन रिपोर्ट सहित सभी समर्थक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हों। नई योजनाओं अथवा नये संगठनों के संबंध में भी सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है बशर्ते कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के मत/टिप्पणियों सहित पूर्ण दस्तावेज प्राप्त हो गए हों और बजट में निधियां उपलब्ध हों।

(घ) और (ङ) 1993-94 के लिए एक विवरण संलग्न है। जहां तक 1994-95 के लिए सहायता अनुदान का संबंध है उन संगठनों की इतनी जल्दी संख्या बताना सम्भव नहीं है जिन्हें 1994-95 के दौरान वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	1993-94 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता वाले संस्थानों की संख्या	1994-95 के दौरान अभी तक प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	192	94	15
2.	असम	9	7	
3.	अरुणाचल प्रदेश	8	7	
4.	बिहार	67	37	2
5.	चंडीगढ़	4	4	
6.	दिल्ली	88	68	3
7.	गुजरात	43	34	4

1	2	3	4	5
8.	गोवा	4	3	–
9.	हरियाणा	15	2	–
10.	हिमाचल प्रदेश	4	1	–
11.	जम्मू और कश्मीर	9	6	–
12.	कर्नाटक	115	81	7
13.	केरल	59	44	3
14.	मध्य प्रदेश	29	19	–
15.	महाराष्ट्र	132	64	5
16.	मणिपुर	38	12	2
17.	मेघालय	6	4	10
18.	मिजोरम	3	–	–
19.	नागालैंड	4	1	–
20.	उड़ीसा	83	41	6
21.	पंजाब	12	7	2
22.	राजस्थान	29	18	4
23.	सिक्किम	1		1
24.	तमिलनाडु	143	71	11
25.	त्रिपुरा	4	4	–
26.	उत्तर प्रदेश	245	113	23
27.	पश्चिम बंगाल	89	70	4

जनसंख्या वृद्धि रोकने हेतु पारम्परिक चिकित्सा पद्धति

6361. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में और आगे क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) चीन जनवादी गणराज्य सरकार ने स्वास्थ्य तथा दवाइयों के क्षेत्र में सहयोग का एक मसौदा प्रस्ताव भेजा है। सहयोग के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

6362. **श्री रवेलन राम जांगड़े** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) उनमें से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी–कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उनके विकास के लिये कोई समय–बद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सामाजार्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना के कार्यनीति के अंतर्गत कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, लघु सिंचाई, ग्राम विद्युतीकरण, ग्राम तथा कुटीर उद्योग, शिक्षा तथा आवास इत्यादि क्षेत्रों के तहत विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

	जनसंख्या (जनगणना 1991)	कुल जनसंख्या की प्रतिशतता	ग्रामीण	शहरी
अनुसूचित जाति	96.26 लाख	14.54	17.22 लाख	21.04 लाख
अनुसूचित जनजाति	153.98 लाख	23.27	146.52 लाख	7.46 लाख

रसोई गैस की उत्पादन लागत

6363. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उत्पादन किए जा रहे रसोई गैस की उत्पादन लागत का कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो 1993–94 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर रसोई गैस की अनुमानित औसत उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993–94 के दौरान देश में अपने तक रसोई गैस के आयात पर अनुमातः प्रति टन कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या देश में उपभोक्ताओं को रसोई गैस बेचने में संबंधित विभाग को घाटा होगा; और

(ङ) यदि हां, तो 1993–94 के दौरान उपभोक्ताओं को आयातित और घरेलू उत्पादित रसोई गैस बेचने में संबंधित विभाग को कितना घाटा हुआ ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1993–94 में थोक में एल.प्री.जी. की अनुमानित लागत लगभग 6800 रुपये प्रति एम.टी. है।

(ग) लगभग 9900 रुपये प्रति एम.टी.

(घ) और (ङ) घरेलू उपयोग की एल.पी.जी. के लिए सब्सिडी दी जाती है घरेलू और आयातित एल.पी.जी. दोनों पर वर्ष 1993–94 के लिए अनुमानित सब्सिडी लगभग 1261 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

राज्यों को विशेष सहायता

6364. **श्री मोहन रावले** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) राज्यों को, विशेष सहायता प्रदान करने के लिए, फिलहाल कोई योजना नहीं चलायी जा रही है। तथापि, अलग–अलग मामले के आधार पर, प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्या वास्तव में ऐसी सहायता की जरूरत है, निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

कोयला खदान शिक्षक समिति

6365. **श्री शरद यादव :**
डा. वाई.एस. राजेश्वरी रेड्डी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने शिक्षकों के वेतन के संबंध में 26 मई, 1992 को निदेशक मंडल द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कोयला खदान शिक्षण समिति के सदस्य 20 दिसम्बर, 1993 से दिल्ली में आन्दोलन कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) मोर्चा की, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :-

(1) कोयला खदान शिक्षक मोर्चा के विद्यमान स्कूल शिक्षकों तथा गैर शिक्षक स्टाफ जोकि भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) के परिसर में विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं, को अन्य कोयला कामगारों को उपलब्ध सभी लाभों सहित भा.को.को.लि. द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाए।

(2) 26-5-1992 को कोयला मंत्रालय में निदेशक बोर्ड द्वारा लिए गए (आरोपित) निर्णय को 1-4-1991 से कार्यान्वित किया जाए।

(च) भा.को.को.लि. के निदेशक बोर्ड की कोई भी बैठक 26-5-1994 को नहीं हुई थी तथा इसलिए शिक्षकों के वेतन के संबंध में एक आदेश पारित/कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कोयला खदान शिक्षक मोर्चा के सदस्य न तो भा.को.को.लि. के कभी कर्मचारी रहे हैं और न अब हैं।

भा.को.को.लि. के क्षेत्र में निजी समितियों अथवा सोसाइटियों द्वारा चलाए जा रहे तथा प्रबंधन के अधीन शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी कोयाला खदान शिक्षक मोर्चा के सदस्य हैं। ये स्कूल भा.को.को.लि. द्वारा नहीं चलाए जाते हैं और इसकी भूमिका वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कुछ अनुदान सहायता उपलब्ध कराने तक ही सीमित है। ऐसे निजी प्रबंधन वाले स्कूलों को भा.को.को.लि. द्वारा अपने अधीन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

शहीदों के परिवारों को राहत

6366. **श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जलियांवाला बाग के शहीदों अथवा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को कोई राहत दे रही है जैसा कि स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी राहत कितने शहीदों के परिवारों को दी जा रही है और यह किस रूप में दी जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के परिवारों को, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुरूप, पात्र आश्रितों को स्वीकार्य दरों पर, पेंशन लाभ दिए जा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के जिन परिवारों को पेंशन लाभ प्रदान किए जा रहे हैं उनकी संख्या के बारे में, अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

चिकित्सकों का अनुपात

6367. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रति एक हजार व्यक्तियों के लिए चिकित्सकों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इस समय भारत में प्रति हजार व्यक्तियों के लिए कितने चिकित्सक हैं;

(ग) क्या चिकित्सकों का यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कम है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) एलोपैथिक डाक्टरों का डाक्टर जनसंख्या अनुपात लगभग 1 : 2250 है। वैसे, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के अर्हता–प्राप्त व्यवसायियों की संख्या को शामिल करें तो उक्त अनुपात लगभग 1 : 950 होगा। यद्यपि विकसित देशों की तुलना में यह अनुपात कम है, तथापि अन्य विकासशील देशों की तुलना में यह अनुपात लगभग अच्छा है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

चिकित्सा उपकरण

6368. **श्री प्रवीन डेका : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़ तथा गुवाहाटी मेडिकल कालेज ने चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रक्त बैंक

6369. **श्री के. मुरलीधरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषधि नियंत्रक के लाइसेंस देने के अधिकार को हटाए जाने के कारण रक्त बैंकों के लिए कई आवेदन स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक की स्थिति के अनुसार राज्य-वार ऐसे अपने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(ग) शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राधिकरण लाइसेंस प्रदान करने/उसके नवीकरण के लिए विभिन्न राज्यों के रक्त बैंकों से आवेदन प्राप्त करता है जो राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा विधिवत रूप से अग्रसारित किए जाते हैं। अप्रैल, 1994 के अन्त तक औषध (भारत) द्वारा 12 लाइसेंस अनुमोदित किए गए थे और 10 लाइसेंस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को निरीक्षण रिपोर्टों में पाए गए दोषों को ठीक करने हेतु वापिस भेजे गए थे।

उड़ीसा की विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

6370. **श्री अनादिचरण दास : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा की केन्द्रीय सरकार स्वीकृति हेतु विचाराधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी अनुमानित लागत कितनी--कितनी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जिन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति की गई है, उनका ब्यौरा क्या है तथा उनका परिव्यय कितना है; और

(ग) लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) उड़ीसा की 4 वृहद और 7 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से, 2 वृहद परियोजनाओं नामशः सुंवर्णरेखा सिंचाई (अनुमानित लागत 790.32 करोड़ रुपए) और कनुपुर सिंचाई (अनुमानित लागत 268.65, करोड़ रुपए), तथा 3 मध्यम परियोजनाओं नामशः मंनजोरे सिंचाई (अनुमानित लागत 37.70 करोड़ रुपए),रूकुरा (अनुमानित लागत 25.22 करोड़ रुपए) और वाघालती (अनुमानित लागत 42.65 करोड़ रुपए) को परामर्शदात्री समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया है कि राज्य सरकारें पर्यावरण/वंन/पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन स्वीकृति प्राप्त करने, राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने आदि जैसी कुछ टिप्पणियों की अनुपालना कर लें। राज्य सरकार को शेष दो वृहद परियोजनाओं नामशः ओंग बांध (अनुमानित लागत 102.00 करोड़ रुपए और लोअर इंदिरा) (अनुमानित लागत 56.55 करोड रुपए) तथा 4 मध्यम परियोजनाओं नामशः तेलेंगिरी (अनुमानित 53.81 करोड़ रुपए) धौराघाट (अनुमानित लागत 9.09 करोड़ रुपए) बाध बराज (अनुमानित लागत 28.77 करोड़ रुपए) और कुदुलिसिंग (अनुमानित लागत 9.53 करोड़ रुपए) पर विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मुद्दों को हल करना, पर्यावरण/वन/पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन स्वीकृतियां, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करनी है।

(ख) एक वृहद परियोजना नामशः नराज बराज तथा दो मध्यम परियोजनाओं नामशः देव और तितलागढ़ को क्रमशः 125.74 करोड़ रुपए, 52.23 करोड़ रुपए तथा 21.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्रमशः 8/1993, 6/1992 तथा 10/1993 में योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गयी हैं ।

(ग) परियोज़ना का स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा स्थिति के अनुसार पर्यावरण/वनं/पुर्नवासं एंव पुनर्स्थापन स्वीकृतियां प्राप्त करती है ।

सिंचाई परियोजनाएं

6371. **श्री थाइल जान अंजलोज : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए केरल की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह परियोजनाएं कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी मिल जायेगी;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान सिंचाई के लिए कितना धन आवटित किया गया है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष सहायता दे रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) से (ग) केन्द्र में आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई केरल की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के लिए केरल में सिंचाई क्षेत्र के वास्ते योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया परिव्यय क्रमशः 103.90 करोड़ रुपए, 180.00 करोड़ रुपए, 140.00 करोड़ रुपंए तथा 163.50 करोड़ रुपए हैं। वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान हुआ वास्तवक्ति व्यय क्रमशः 100.77 करोड़ रुपए तथा 133.71 करोड़ रुपए है। वर्ष 1993-94 के दौरान हुआ प्रत्याशित व्यय 142.17 करोड़ रुपए है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्र में तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन हेतु प्राप्त हुई केरल की नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाभ हेक्ट./मेगावाट	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
(क) वृहद					
1.	नेय्यरसिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	6/1992	17.24	20,020	योजनाओं के आधुनिकीकरण के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग दिशानिर्देशों के अनुसार तथा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
2.	कुरियार कुट्टी कारापारा सिंचाई परियोजना	3/1994	100.00	39,640 84 मेगावाट	हाल ही में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
3.	इदमलायर सिंचाई परियोजना	2/1992	107.00	27,510	राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरण की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

(ख) मध्यम

4.	मीनाचिल नदी घाटी सिंचाई परियोजना	12/1991	49.56	9,960	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिए गए सुझावो को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

टिप्पणी : 1. परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन दृष्टी से स्वीकृति प्राप्त करती है एंव यदि परियोजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी का पुर्नवास शामिल हो तो पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलुओं आदि पर कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है।

2. लघु सिंचाई परियोजनाएं मूल्यांकन हेतु केन्द्र में प्राप्त नहीं होती हैं।

जम्मू और कश्मीर में मारे गए राजनेता

6372. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक जम्मू और कश्मीर में किन–किन राजनेताओं की हत्या हुई है;

(ख) क्या हत्यारों का पता लगा लिया गया है;

(ग) क्या कथित हत्यारों पर मुकदमा चलाया गया है;

(घ) क्या कथित हत्यारों को सजा दी गई है;

(ड.) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इन कथित हत्यारों के नाम क्या हैं और वे किन–किन आतंकवादी संगठनों के सदस्य हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उप–योजनाएं

6373. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी उन उप–योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ख) इन उप–योजनाओं के अंतर्गत किन–किन कमान क्षेत्रों की भूमि को शामिल किया जाएगा ;

(ग) इस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक लागू किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा उप–योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन उप योजनाओं के नाम, इनका कृष्य कमान क्षेत्र, अनुमानित लागत एवं उनके पूरा होने की संभावित तारीख निम्न प्रकार हैं :

क्रम स.	उप योजना का नाम	कृष्य कमान क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (लाख रूपए)	पूरा होने की संभावित तरीख
1.	लोअर गंग नहर	4.54	1520.00	31 मार्च, 1996
2.	शारदा नहर प्रणाली	10.35	3614.00	31 मार्च, 1996
	कुल :	14.89	5134.00	

[अनुवाद]

मधुमेह की जानकारी हेतु शिविर

6374. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मधुमेह की जानकारी देने के लिये स्वयसेवी संगठनों तथा योग शिक्षकों का सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैजा महामारी

6375. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा विशेषज्ञों को डर है कि देश में एक नयी हैजा महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है ;

(ख) क्या किसी भी आबादी में हैजे के नये जीवाणु जिसे चिकित्सा शोधकर्ता "विरविओं कॉलरे" 0139" कहते हैं के प्रति कोई पूर्व-रोग-सेथी क्षमता" विद्यमान नहीं है ;

(ग) क्या कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय हैजा तथा आन्त्र रोग संस्थान को अक्तूबर, 1992 में हैजे की नयी प्रवृति का पता चला था ; और

(घ) यदि हां, तो इस नयी प्रवृति पर निगरानी रखने और इसे महामारी का रूप धारण करने से रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी.सिल्वेरा) : (क) से (घ) हैजा की एक नई किस्म का अक्तूबर,1992 में पता चला था और राष्ट्रीय हैजा रोग तथा आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता ने इसे "बिब्रियो कॉलरे 0139 नाम दिया। इस नई किस्म को, जिसके जीवाणु–रोधी एन्टीबाडीज लोगों में पहले से मौजूद नहीं थे, 1993 के दौरान देश के विभिन्न भागों में पाया गया था।

राष्ट्रीय संचार रोग संस्थान के दल देश के विभिन्न भागों में हैजे के फैलने की जांच करते हैं तथा इसके कारक आर्गेनिज्मों का पता लगाय जाता है। राज्य प्राधिकारियों को तकनीकी सलाह दी जाती है। हैजे की नई किस्म 0139 के नियंत्रण के लिए वही उपाय हैं जो बिब्रियो कॉलरे–01 के लिए हैं।

टाइफॉइड हेतु नया टीका

6376. **श्री बी.देवराजन :**

श्री माणिकराव होडल्या :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टाइफॉइड के लिए नया टीका "टाइफिन 6" आरंभ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस टीके की प्रभावशीलता क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी.सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टाइफिम V - 1 को भारत में विपणन के लिए फरवरी, 1993 में अनुमोदित किया गया था। नैदानिक परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकला है कि यह वैक्सीन बच्चों और वयस्कों के लिए निरापद है। इससे रोगप्रतिरक्षा है लगभग दो वर्षों तक बनी रहती है और वैक्सीन कारगर पाई गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों में तेल का उत्पादन

6377. **श्रीमती बसुन्धरा राजे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में तेल उत्पादन रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों में तेल का उत्पादन फिर से आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में तेल शोधक कारखाना

6378. **श्री प्रेम चन्द राम : क्या पेट्रोलियम और गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में तेल शोधक कारखानों की स्थापना के लिए विदेशी सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल शोधक कारखाना किस जगह स्थापित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रसोई गैस सिलेंडर पर राजसहायता

6379. **श्री राम नाईक : क्या पेट्रोलियम और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले एल.पी.जी. गैस सिलेंडर का मूल्य कितना है;

(ख) प्रत्येक सिलेंडर पर कितनी सहायता दी जाती है;

(ग) प्रत्येक सिलेंडर पर कितनी लागत आती है; और

(घ) कीमत में विभिन्न घटक कौन-कौन से हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) दिल्ली के बाजार के लिए घरेलू उपयोग के एल.पी.जी. सिलेंडर का मूल्य ढांचा नीचे दिए अनुसार है :

	रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 कि. ग्राम)
एल.पी.जी. की लागत	97.66
भरण शुल्क	13.06
उत्पाद शुल्क	7.54
विपणन लागत	11.85
भाड़ा/वितरण शुल्क	18.30
डीलर का कमीशन	7.30
योग	(अनुमानित 155.71)

(ख) घरेलू उपयोग की एल.पी.जी. पर सब्सिडी लगभग 67 रुपये प्रति सिलेंडर है।

संयुक्त उद्यम

6380. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला क्षेत्र में श्रीलंका के साथ कोई संयुक्त उद्यम शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

त्वरित कार्य बल

6381. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित कार्य बल का कब गठन किया गया था;

(ख) इस समय इस बल में कितने कर्मी हैं;

(ग) क्या इस बल के कर्मियों की वर्तमान संख्या स्थिति से निपटने में सक्षम हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस बल के कर्मियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे; और

(ङ) इन कर्मियों की संख्या कब तक बढ़ा दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार ने दिसम्बर, 1991 में "द्रुत कार्य बल" (आर.ए.एफ.) गठित करने का निर्णय लिया।

(ख) "द्रुत कार्य बल" की 10 बटालियन हैं।

(ग) से (ङ) आर.ए.एफ. बटालियनों की तैनाती के स्थलों का चुनाव सावधानीपूर्वक किया गया है ताकि देश के लगभग सभी संवेदनशील भागों को कवर किया जा सके।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन के मध्य समझौता ज्ञापन

6382. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में काकिनाडा में स्थापित किये जाने वाले बिजली घर को नेफ्था की सप्लाई हेतु स्पैक्टम पावर जेनरेशन के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त उद्यम कंपनी का ब्यौरा क्या है तथा समझौता ज्ञापन में किन शर्तों पर सहमति हुई है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के पास काकिनाडा में एक टर्मिनल लगा कर तथा राजामुंद्री स्थित पाइपलाइन से विशाखापतनम और विजयवाडा के बीच एक उत्पादन पाइपलाइन का निर्माण करके आधरभूत सुविधाओं का विकास करने का कोई प्रस्ताव भी है; और

(घ यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एम.) ने स्पेक्ट्रम पावर कार्पोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए सहायता समझौता नहीं किया है अपितु इसे नैफ्था की आपूर्ति हेतु एक समझौता ज्ञापम हस्ताक्षर किया है समझौता ज्ञापन के अनुसार एच.पी.सी.एल. ने 50,000 टन प्रति वर्ष नैफ्था की आपूर्ति हेतु सहमति दी है।

(ग) और (घ) एच.पी.सी.एल. ने काकिनाडा में एक टर्मिनल विकसित करने की योजना की है तथा भूमि के आबंटन हेतु आंध्र प्रदेश इंफ्रेस्ट्रक्चर कारपोरेशन (ए.पी.आई.सी.) के पास आवेदन किया है। अधिग्रहित भूमि के कब्जे में लेने के बाद विकास में 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा। टर्मिनल में एक भंडारण टैंक तथा अन्य सुविधाएं होगी। एच.पी.सी.एल. का विशाखापतनम से विजयवाडा के मध्य एक उत्पाद पाइपलाइन के निर्माण का भी प्रस्ताव है जिसका राजामुंद्री टी.ओ.पी. होगा। पाइपलाइन की ल. 356 कि.मी. (लगभग) होगी।

कंपनियों के विरुद्ध शिकायत

6383. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री एम.बी.बी.एस. मूर्ति :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन 109 कंपनियों की गतिविधियों की जांच कर ली है जिन्होंने बाजार निर्धारित मूल्यों पर रसोई गैस, लो स्पीड, हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल का आयात और बिक्री के लिए मंत्रालय का अनुमोदन और स्वीकृति प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या इन निजी कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के अनुसार जांच एवं पंजीयन महानिदेशक ने 109 समानान्तर विपणन कर्ताओं के विरुद्ध जांच आरंभ कर दी है। समानांतर विपणन प्रणाली के तहत समानान्तर विपणन कर्ताओं के लिए एल.पी.जी. (रसोई गैस), कैरोसीन अथवा एल.एस.एच.एस. का आयात और बिक्री करने के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से किसी के अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयला खाने में पेंशन योजना

6384. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि. के अन्तर्गत विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत श्रमिकों और अधिकारियों के लिए कोई पेंशन योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पुलिस हिरासत में हुई मौतें

6385. **श्री राम कृपाल यादव :**
मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामलों की कोई जांच कराई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सूचना पत्र एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयुर्वेदिक औषधियां

6386. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक औषधियों के मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि आम जनता उन्हें खरीद नहीं सकती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) आयुर्वेदिक औषधियों के मूल्यों में अनुचित वृद्धि होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

6387. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन के पास दिल्ली में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों को कहां-कहां स्थापित किया जाएगा; और

(ग) कब तक इनकी स्थापना की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन, दिल्ली के अंतर्गत मदनपुर खादर में 44 टी.एम.टी.पी.ए. क्षमता के एक एल.पी.जी. (रसोई गैस) भरण संयंत्र का निर्माण कर रहा है। इस संयंत्र के अगस्त, 1995 में चालू हो जाने की आशा की जाती है। आई.ओ.सी. द्वारा दिल्ली में स्थापित किए जाने हेतु पहले प्रस्तावित द्वितीय भरण संयंत्र के लिए अब गाजियाबाद में भी भूमि की पहचान इसलिए की गई है क्योंकि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त अनुकूल भूमि उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

फिरौती के मामले

6388. **श्री आर. अन्बारसु :**
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मार्च, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एब्डक्शन फॉर रेसम केसिस राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक दिल्ली में फिरौती के लिए अपहरण के कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(घ) ऐसे कितने मामले निपटाये गये हैं और अपराधियों को पकड़ने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) दिल्ली पुलिस में कार्यरत कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार का विचार दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) दिल्ली में, वर्ष 1991, 1992, 1993 तथा 1994 (31-31-1994 तक) के दौरान, फिरौती के लिए अपहरण के सूचित किए गए मामलों और सुलझा लिए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	सूचित किए गए मामले	सुलझा लिए मामले
1991	28	22
1992	32	26
1993	32	30
1994 (31-3-1994 तक)	7	7

(ङ) दिल्ली पुलिस में कार्मिकों की वर्तमान पद-वार संख्या निम्न प्रकार है :-

1.	पुलिस आयुक्त	1
2.	अपर पुलिस आयुक्त	10
3.	पुलिस उपायुक्त	53
4.	सहायक पुलिस आयुक्त	167
5.	निरीक्षक	697
6.	उप-निरीक्षक	3327
7.	सहायक उपनिरीक्षक	3887
8.	स्टेनो	62
9.	हैड कांस्टेबल	10644
10.	कांस्टेबल	29456

(च) और (छ) पुलिस को, सुदृढ़ बनाना और इसका आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है।

मुंह का कैंसर

6389. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एस.बी. सिदनाल :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मुंह के कैंसर के उपचार के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुखीय कैंसर से संबंधित निम्नलिखित दो उपायों की सिफारिश की है :

(1) तंबाकू के उपभोग को कम करने का प्रयास और

(2) रोग का आरंभ में ही पता लगाने एवं उसका उपचार।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर बोर्ड नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुखीय कैंसर सहित कैंसरों की रोकथाम करने, शुरू में ही पता लगाने और उपचार सुविधाओं में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है। तंबाकू के प्रयोग को कम करने के लिए व्यापक तंबाकू-रोधी कानून का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य के लिए विदेशी ऋण

6390. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुष्ठ दृष्टिहीनता और टी.बी. के अस्पतालों और अनुसंधान केन्द्रों के निर्माण के लिए विदेशों से ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस

6391. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और त्रिपुरा में इस समय प्राकृतिक गैस का कितना उपयोग किया जा रहा है;

(ख) इस क्षेत्र में प्रतिदिन कितनी मात्रा में गैस जलाई जाती है;

(ग) असम में कितनी गैस एल.पी.जी. में प्रसंस्कृत की जा रही है तथा एल.पी.जी. का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं;

(घ) क्या बिना तेल वालें कुओं की गैस को बंद रखकर उसे संरक्षित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) असम और त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस का उपयोग क्रमश 3.6 एम.एम.एस.सी. एम.डी. तथा 0.28 एम.एम.एस.सी.एम.डी. था।

(ख) 1993-94 में असम में गैस दहन 1.95 एम.एम.एस.सी.एम.डी. था। त्रिपुरा में कोई गैस दहन नही हुआ।

(ग) वर्तमान में लगभग 2 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस एल.पी.जी. (रसोई गैस) निष्कर्षण के लिए संसाधित की जा रही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. लाकवा में 85,000 मी.टन एल.पी.जी. (रसोई गैस) उत्पादन हेतु एक संयंत्र स्थापित कर रहा है।

(घ) और (ङ) मांग के अनुसार व्यवहार्य और न्यायोचित पाये जाने पर असंबद्ध गैस का उत्पादन किया जाता है।

एल.पी.जी. एजेंसियां

6392. **श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 9 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1174 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 34 एल.पी.जी. वितरकों का प्रत्येक जिले में किस प्रकार आवंटन किया गया है; और

(ख) ये एजेंसियां कब से कार्य करना शुरू कर देंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विज्ञापन की तिथि से लेकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करने तक लगभग 1-2 वर्ष का समय लगता है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में विपणन योजना में सम्मिलित स्थान

क्रम सं.	जिला	स्थान
1.	24 परगना	2
2.	उत्तर 24 परगना	5
3.	हुगली	3
4.	हावडा	2
5.	कलकत्ता	14
6.	बुर्दवान	4
7.	पश्चिम दिनाजपुर	1
8.	मालदा	1
9.	नादिया	1
10.	जलपाईगुड़ी	1
	योग :	34

[हिन्दी]

कच्चा तेल

6393. **श्रीमती शीला गौतम :**
डा. मुमताज अंसारी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 में आयात किए गए कच्चे तेल की रुपयों में कीमत क्या है;

(ख) क्या डालर के मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप भुगतान की जाने वाली राशि में भारी वृद्धि हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त राशि में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1993-94 के दौरान आयातित कच्चे तेल का मूल्य 10689 करोड़ रुपए के लगभग है।

(ख) 1993-94 के अन्तर्गत रुपए संबंधी वृद्धि मुख्यतया डालर रुपया विनिमय दर में वृद्धि तथा बड़ी मात्रा में किए गए आयातों के कारण भी है।

(ग) चालू वर्ष हेतु आयात बिल में वृद्धि/कमी क्रूड के स्वदेशी उत्पादन की मात्रा, क्रूड के प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, डालर इत्यादि के प्रचलित विनिमय साम्यता इत्यादि जैसे विविध पहलुओं पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

घुसपैठ रोकने का प्रस्ताव

6394. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमा सुरक्षा बल से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए उड़ी-कुपवाड़ा सेक्टर में कश्मीर की सीमा के साथ लगने वाले कोई 40 गांवों में रह रहे व्यक्तियों को वहां से हटाकर उन्हें कई किलोमीटर सीमा के अन्दर बसाने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार को सीमा सुरक्षा बल से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण

6395. **श्री एम.एम. लालजान बाशा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किसी भी बड़े शहर में तंबाकू के धुएं तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण का तुलनात्मक दुष्प्रभाव कितना है;

(ख) क्या किसी भी बड़े शहर की वायु की गुणवत्ता पर तंबाकू के धुएं तथा वाहनों से होने वाली प्रदूषण के दुष्प्रभाव का कोई तुलनात्मक अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी. सिल्वेरा) : (क) यह ज्ञात है कि तम्बाकू के प्रयोग से कैंसर, हृदवाहिका रोग, चिरकालिक अवरोधात्मक फुफ्फुसीय रोग, जन्म के समय कम भार, अपरिपक्व जन्म और स्वतः गर्भपात होता है जबकि यातायात वाहनों द्वारा

फैलने वाला वातावरणिक वायु प्रदूषण श्वसनीय रोग, नेत्रों में खुजली, ह्रदवाहिका और तंत्रिका आचरणात्मक प्रभावों और जिगर के विकार और गुर्दे के कार्यों से सम्बद्ध है।

(ख) और (ग) वायु प्रदूषण के साथ-साथ धूम्रपान के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी रुग्णता दर के बारे में बम्बई के एक व्यस्त चौराहे के आस-पास एक अध्ययन किया जिससे वाहन की अधिक संघनता वाले क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों और प्रत्येक वर्ग के धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में कार्बोक्सीहेमोग्लोबिन के उच्च स्तरों का पता चला।

महाराष्ट्र के लिए पैराफिन वैक्स का कोटा

6396. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के लिए पैराफिन वैक्स का कितना वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया है·

(ख) महाराष्ट्र में पैराफिन वैक्स पर आधारित लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ये उद्योग पैराफिन वैक्स की कमी के कारण संकट में हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पैराफिन वैक्स का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्तमान में सरकार महाराष्ट्र राज्य के लिए पैराफिन मोम टाइप-I और II की 2900 एम.टी. तथा पैराफिन ओम टाइप-III की तदर्थ आबंटन भी किया जाता है।

(ख) 1990 में इंडियन आयल कार्पोरेशन को महाराष्ट्र राज्य द्वारा यथा प्रतिवेदित महाराष्ट्र में लगभग 439 पैराफिन मोम उपभोक्ता लघु उद्योग हैं।

(ग) से (ङ) पैराफिन मोम के आबंटन में वृद्धि करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार समेत विविध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय समय पर प्रतिवेदन प्राप्त किए जाते हैं। पैराफिन मोम एक कमी वाला उत्पाद है तथा राज्यों को इसका आबंटन उत्पाद उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्तमान में पैराफिन मोम की उपलब्धता महाराष्ट्र समेत विविध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल अपेक्षा से बहुत कम है और इसलिए वृद्धिमान आबंटन नहीं किए जा सकते हैं। प्रयोक्ताओं को इसे आसानी से उपलब्ध कराने हेतु पैराफिन मोम के आयात को नियंत्रण मुक्त किया गया है।

मेडिकल कालेज

6397. **श्री हरिन पाठक :**
xb
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

(क) महाराष्ट्र और राजस्थान में कितने सरकारी और निजी मेडिकल कालेज कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों/निजी संस्थाओं से इन राज्यों में और अधिक मेडिकल कालेजों की स्थापना करने के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में 15 सरकारी और 16 निजी चिकित्सा कालेज तथा राजस्थान में 6 सरकारी चिकित्सा कालेज कार्यरत हैं।

(ख) से (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों के अनुसार इच्छुक संस्थान द्वारा केन्द्रीय सरकार को एक निर्धारित योजना के रूप में चिकित्सा कालेज खोलने के लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। सरकार को महाराष्ट्र से एक निजी संगठन से ऐसा एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ जिसे अधूरा होने के कारण आवेदक को लौटा दिया गया है।

फिलेरिया नियंत्रण

6398. **श्री एन. डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फिलेरिया नियंत्रण के लिए नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान कितना आवंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम एक अविच्छिन्न कार्यक्रम है। इस समय फाइलेरिया नियंत्रण कार्य में 206 नियंत्रण एकक, 198 रात्रि क्लिनिक और 27 सर्वेक्षण एकक लगे हुए हैं।

(ख) फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :-

(i) विषाणुज मच्छरों के नियंत्रण के लिए साप्ताहिक अंतरालों पर आवर्ती लार्वारोधी उपाय करना।

(ii) लार्वाभक्षी मछलियों के उपयोग सहित जैव पर्यावरणिक नियंत्रण विधियां।

(iii) पानी का समुचित निपटान करने आदि के उद्देश्य से अभियांत्रिकी उपाय करके मलेरियाजेनिक स्रोतों को कम करना।

(iv) रोगियों का शुरू में पता लगाना और उनका तत्काल उपचार करना।

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 266.45 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल से विस्थापित लोगों की समस्यायें

6399. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने पश्चिम बंगाल के विस्थापित लोगों की पुनर्वास समस्याओं के संबंध में सरकार को 16 अप्रैल, 1994 को एक ज्ञापन भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) पश्चिम बंगाल के शरणार्थी, राहत और पुनर्वास मंत्री तथा राज्य के संसद सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं के बारे में 06 अप्रैल, 1994 को सरकार को एक नोट दिया था।

(ख) नोट में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्क्वैटर्स कालोनियों को नियमित करने के लिए प्रयोग में लाई गई राज्य सरकार की भूमि की लागत की प्रतिपूर्ति करने तथा पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों का आर्थिक रूप से पुनर्वास करने के उपायों के पैकेज के लिए धन उपलब्ध कराने की मांगें शामिल थीं।

(ग) पश्चिम बंगाल में स्क्वैटर्स कालोनियों का अधिग्रहण करने के लिए धन, पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ किए गए परामर्श से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987 में लिए गए एक निर्णय के अनुरूप जारी किया गया था। इस मौके पर इन निर्णयों को फिर से खोलने का कोई आधार नजर नहीं आता है। आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने की मांग के संबंध में सरकार का यह विचार है कि पश्चिम बंगाल में विस्थापित हुए व्यक्तियों को पहले ही काफी आवश्यक सहायता उपलब्ध करा दी गई है तथा वे राज्य की सामान्य जनसंख्या के साथ मिल चुके हैं, अतः उनको अन्य कोई सहायता, राज्य सरकार द्वारा अपनी सामान्य विकास योजनाओं में से उपलब्ध करानी चाहिए। इस संबंध में, मामले पर फिर से विचार करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

आंध्र प्रदेश की रसोई गैस

6400. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं को घरेलू और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कितनी मात्रा में रसोई गैस की सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश को रसोई गैस के आवंटन में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैपटन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आन्ध्र प्रदेश में 1992-93 के दौरान एल.पी.जी. का विपणन करने वाली सरकारी तेल कंपनियों के ग्राहकों द्वारा कुल एल.पी.जी. खपत लगभग 213.1 टी.एम.टी. थी।

(ख) से (घ) एल.पी.जी. की सप्लाई मौजूदा उपभोक्ताओं की अनुमानित मांग और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

कश्मीरी विस्थापितों का विश्व सम्मेलन

6401. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1993 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में सीरी फोर्ट में विस्थापित कश्मीरियों की दुर्दशा और कश्मीर घाटी में ऐसी परिस्थिति बहाल करने की आवश्यकता, जो उनके वापस अपनी मातृ-भूमि जाने के लिए अनुकूल हो ताकि वे वहां अपने-अपने घरों में रह सकें, पर सरकार का ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक विश्व कश्मीरी विस्थापित सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रमुखतः क्या-क्या अपीलें की गई और मांगे रखी गई; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कश्मीरी पंडितों का एक विश्व सम्मेलन 27 और 28 दिसम्बर, 1993 को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट आडिटेरियम में आयोजित किया गया था ताकि कश्मीरी विस्थापितों के कष्टों की ओर ध्यान केन्द्रित कराया जा सके। संगठन ने मुख्य रूप से भारत के सभी संगठनों से अपील की कि वे पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाने का संकल्प लें और साथ ही भारत सरकार से पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लेने एवं अपनी प्राचीन संस्कृति और परम्परा के संरक्षण तथा अपनी जीवन की सुरक्षा की सहायता के लिए अपील की।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में तोड़-फोड़ एवं आतंकवाद को पाकिस्तान से बार-बार यह आग्रह किया है कि वह आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद कर दे जोकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का मुख्य कारण है। इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य चैनलों के माध्यम से भी उठाया गया है और इस का अनुसरण किया जा रहा है।

सरकार द्वारा प्रवासियों की प्राथमिक जरुरतों की पूर्ति भी यथावश्यक नकद राहत, राशन, अस्थाई आवास और शिक्षा, बैंकिंग और बीमा सेवाओं आदि की सुविधाएं देकर की जा रही हैं। इन प्रबन्धों की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। ताकि प्रवासियों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनका यथासंभव समाधान किया जा सके। हिंसा को रोकने और बंदूक का भय समाप्त करने तथा प्रवासियों को घाटी स्थित अपने घरों को वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए राज्य में गहन प्रयास किये जा रहे हैं।

पाइप लाइन योजनाएं

6402. **डा. असीम बाला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हल्दिया-बज-बज उत्पाद पाइप लाइन और हल्दिया बरौनी कच्चा तेल पाइप लाइन योजनाओं को पूरा करने के लिए हाथ में लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) हल्दिया से बज बज तक उत्पादन लाइन बिछाने हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा मार्च, 1991 में अनुमोदन दिया गया था।

सरकार ने बरौनी रिफाइनरी को कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हल्दिया से बरौनी तक कच्चे तेल की एक नई पाइपलाइन बिछाने हेतु विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुमोदन दिया है। इंडियन आयल कारपोरेशन ने एक विस्तृत साध्यता रिपोर्ट अभी हाल ही में सरकार को दी है जैसे आवश्यक निवेश अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संसाधित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

6403. **डा. साक्षीजी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए गत वर्ष के लिए निर्धारित किया गया राज्य-वार लक्ष्य प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) 1993-94 में 12 लाख नये एल.पी.जी. ग्राहकों के नामांकन के लक्ष्य के प्रति 12.34 लाख नये कनेक्शन दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में अपहरण

6404. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में 1992, 1993 और 1994 के दौरान अब तक आतंकवादियों ने कुल कितने सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों का अपहरण किया;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अभी भी आतंकवादियों की कैद में हैं;

(ग) कश्मीरी आतंकवादियों ने उक्त अवधि के दौरान राजनैतिक नेताओं के कितने सम्बन्धियों का अपहरण किया; और

(घ) उनमें से अब तक कितने व्यक्तियों को छुड़ाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रश्नाधीन अवधि के दौरान आतंकवादियों द्वारा 737 व्यक्तियों को अपहरण किया गया था। इनमें से 216 व्यक्ति केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी थे और सात व्यक्ति राजनैतिक नेताओं के रिश्तेदार थे। इनमें से 135 व्यक्तियों के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।

राजनैतिक नेताओं के सात रिश्तेदारों में से 6 को छुड़ा लिया गया और एक की, उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई।

[अनुवाद]

विस्थापितों का पुनर्वास

6405. **श्री राम निहोर राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में खरिया परियोजना हेतु जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनके परिवारों के पुनर्वास और उन्हें मुआवजा देने संबंधी मामलों के निपटान के संबंध में कैन्नूर सर्वेक्षण एजेन्सी की सिफारिशें और अदालती आदेशों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) इन मामलों को निपटाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार कैनूर सर्वेक्षण एजेन्सी का गठन सोनभद्र जिले के एक भाग में भू-राजस्व रिकार्डों को पूर्ण करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) सरकार ने किया था। खादिया परियोजना के लिए अधिग्रहीत क्षेत्र के भाग को भी इस एजेन्सी द्वारा शामिल किया गया है।

इस एजेन्सी की रिपोर्ट के आधार पर भूमि स्वामित्व के संबंध में न्यायालय ने आदेश जारी किए। नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. ने न्यायालय के आदेशों पर विचार करने के पश्चात् भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान कर दिया। किन्तु, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की गई, जहां कि निचली अदालतों के आदेश सी.बी.ए. अधिनियम के उपबन्धों से विपरीत हो गए। वर्ग चार भूमि से संबंधित 17 पट्टेदारों तथा अन्य भूमि से संबंधित 22 पट्टेदारों के संबंध में न्यायालय के आदेश प्राप्त हो गए हैं। वर्ग चार भूमि के मामले में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है तथा आ.ओ. सोनभद्रा के न्यायालय में 22 मामलों में अपील दायर की गई है।

[हिन्दी]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाएं

6406. **श्री नितीश कुमार** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अन्तर्गत कुछ परियोजनाओं की निर्माण लागत बढ़ कर मूल निर्माण लागत से अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या उनके निर्माण कार्यक्रम में भी कोई परिवर्तन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी;

(ङ) क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाया है जिनके कारण इन परियोजनाओं का निर्माण आरंभ होने के पश्चात् इनके लागत में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) ओ.एन.जी.सी. ने रिपोर्ट की है कि उनकी पांच जारी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने का अनुमान है। अनुमोदित/अनुमानित लागत तथा पूरा होने के प्रत्याशित समय कार्यक्रम सहित इन परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ङ) और (च) लागत में वृद्धि के कारणों में सामान्य मूल्य वृद्धि, विनिमय दर में अंतर सांविधिक शुल्कों/करों में परिवर्तन कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना	अनुमोदित लागत	अनुमानित/संशोधित लागत अनुमान	(करोड़ रुपए में) सं. पूरा होने की प्रत्याशित तिथि
1.	बी एच-22 विकास	76.49	132.68	अस्थायी डेक से अप्रैल, 1990 से उत्पादन शुरू। उम्मीद है कि यह 1994 के मानसून से पूर्व पूर्णतः पूरा होगा।
2.	बी एच-25 विकास	74.96	136.09	अस्थायी डेक से नवम्बर, 1990 से उत्पादन शुरू। उम्मीद है कि यह 1994 के मानसून से पूर्व पूर्णतः पूरा होगा।
3.	नीलम विकास	2022.20	3541.85	15-5-1994 + 2 माह की रियायत की अवधि।
4.	एल-II विकास	1100.40	2192.68	20-5-1994
5.	एल-III विकास	2393.02	4562.76	एस.एच. डब्ल्यू. को छोड़कर अप्रैल, 94 एस.एच.डब्ल्यू. दिसम्बर, 1994

कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खोज

6407. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एस.बी. सिदनाल :
श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा गोदावरी (के.जी.) बेसिन में तेल की खोज के कार्य में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने तेल खोज कार्य बन्द करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कृष्णा-गोदावरी में खोज कार्य जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान 64350 मीटर की अन्वेषण मीटरेज सीमा तक वेधन करना प्रस्तावित है। वर्तमान में इस बेसिन में जमीनी भाग में 8 रिग तथा अपतटीय क्षेत्र में 3 रिग काम पर लगे हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान भूकम्पीय आंकड़ा अर्जन संबंधी कार्य को जारी रखना भी प्रस्तावित है।

सरदार सरोवर परियोजना

6408. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरकार द्वारा तैयार की गई सरदार सरोवर परियोजना संबंधी कार्य योजना को कार्यान्वित करने और परियोजना में कमियों को दूर करने के लिए एक स्वीकृत बेंचमार्क सैट बताने के लिए भारत को छह माह का समय दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वतंत्र समीक्षा दल की रिपोर्ट तथा उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रि . के प्रकाशन के बाद, विश्व बैंक ने स्थिति की समीक्षा को तथा सरदार सरोवर परियोजना को सहायता देना इस शर्त पर जारी रखने का 23-10-1992 को निर्णय लिया कि अप्रैल, 1993 में विशेष मिशन द्वारा आंकलन किए जाने वाले विशिष्ट निष्पादन बेंचमार्कों को पूरा कर लिया जाए। ये निम्न प्रकार हैं;

I. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

1. परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के आंकड़ों का सुधार।
2. मध्य प्रदश और गुजरात के बीच मानदण्ड पर करार।
3. कम्प्यूटरीकृत आंकड़े एकत्र करना और रिपोर्ट लिखना।
4. आदिवासी अध्ययन।
5. व्यापक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को पूरा करना
6. संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
7. परामर्शी प्रक्रियाओं का सुधार
8. अपेक्षित मान पर भूमि का अधिग्रहण
9. नहर से प्रभावित व्यक्तियों के लिए संतोषजनक पैकेज का विकास

II. पर्यावरण

1. नर्मदा बेसिन पर्यावरणीय प्रबंध योजना के लिए विचारणीय विषयों को पूरा करना
2. प्राथमिकता वाली पर्यावरणीय निरीक्षण रिपोर्ट को पूरा करना
3. कमान क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव के आंकलन को पूरा करने में संतोषजनक प्रगति

भारत सरकार और गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तत्काल उपयुक्त उपाय शुरू किए तथा इसके बाद इन्हें 5 महीनों के अंदर अर्थात मार्च, 1993 के अंत तक पर्याप्त रूप से पूरा किया।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये कार्यक्रम

6409. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/असुसूचित जनजातियों की लड़कियों के शैक्षिक विकास के लिए योजनाऐं किन-किन राज्यों में शुरू की गयी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की जायेगी ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) से (ग) 1993-94 में शुरू की गई आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसरों की केंद्रीय क्षेत्र योजमा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों में आदिवासी लड़कियों के लिए 23 शैक्षिक परिसरों की स्थापना के लिए 1993-94 में 1.25 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी। वर्ष 1994-95 के लिए इस योजना के अंतर्गत 1.85 करोड़ का परिव्यय है। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पंजाब तथा उत्तर प्रदेश जैसी विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अनुसूचित जाति तथा/या जनजाति की लड़कियों के शैक्षिक विकास के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर परिषद

6410. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्गठन के पश्चात् इसकी क्या भूमिका होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी परिषद को पुर्नगठित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

बहुद्देशीय घाटी परियोजनाएं

6411. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी, कमला, बागमती, पंचेश्वर और करनाली बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की प्रस्तावित रूपरेखा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) इन उपायों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए जल उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कोसी, कमला, बागमती, पंचेश्वर और करनाली बहु प्रयोजनी परियोजनाएं क्रमशः लगभग 3300 मेगावाट, 32 मेगावाट, 35 मेगावाट, 3000 मेगावाट तथा 10800 मेगावाट विद्युत उपलब्ध करेंगी।

(ख) और (ग) परियोजना रिपोर्टों के अन्वेषण और प्रतिपादन के लिए ये परियोजनाएं नेपाल

के साथ बातचीत के भिन्न-भिन्न चरणों में हैं। इन अध्ययनों को पूर्ण करने का समय उस सहयोग पर निर्भर करेगा जो नेपाल से प्राप्त करेगा।

दिल्ली में मारपीट की घटनाएं

6412. **डा. मुमताज अंसारी :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में अति विशिष्ट व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों और पुलिस के बीच मारपीट की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अप्रैल, 1994 के दौरान दिल्ली में हुई ऐसी प्रत्येक घटना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(च) पुलिस-कर्मियों सहित कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (च) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1994 के दौरान, दिल्ली में, इस प्रकार की केवल एक घटना सूचित की गई थी। इस घटना का संबंध, दिनांक 9-4-1994 को, पुलिस अधिकारियों द्वारा, केन्द्रीय खाद्य सचिव, उनके पुत्र तथा उनके निजी सुरक्षा अधिकारी पर हमला किए जाने से है। एक मामला भा.द.सं. की धारा 308/147/148/149/186/353/333/504/342/218/167/323/34 के अंतर्गत दर्ज किया गया और 6 पुलिस अधिकारियों तथा 3 आम नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया और दिनांक 23-4-1994 को न्यायालय में भेज दिया गया। चूक कर्त्ता पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरु कर दी गई है।

(छ) पुलिस अधिकारियों को पुनः निर्देश दिए गए हैं कि वे आम नागरिकों के साथ विनम्र तथा शिष्ट तरीके से व्यवहार करें।

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए हालैंड की सहायता

6413. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक में कैंसर केन्द्र, मानसिक आघात केन्द्र (ट्राउमा सेंटर) क्षयरोग का पता लगाने और उसके उपचार करने संबंधी केन्द्रों जैसी

नई सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु डच कन्सोरटियम से सहायता प्राप्त परियोजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार परियोजना के संबंध में हालैंड की सहायता लेने पर विचार कर रही है ; और

(ग) उक्त परियोजना के अन्तर्गत कर्नाटक में किन स्थानो पर नई सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी.सिल्वेरा) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी एक परियोजना भेजी है जिसमें मानसिक आघात परिचर्या, कैंसर तथा नवजात शिशु परिचर्या के घटक शामिल हैं । इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

नर्मदा बांध

6414. **श्री जार्ज फर्नाण्डीज : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 60 देशों के अग्रणी गैर–सरकारी संगठनों ने नर्मदा बांध के सबसे निचले स्थान पर जल द्वारों को बंद करने की निंदा करने वाला एक पत्र प्रधान मंत्री को भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नर्मदा बांध के जल द्वारों के विश्व बैंक के साथ वर्तमान कानूनी समझौतों तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और उनके मंत्रालय द्वारा की गयी सिफारिशों का उल्लंघन करके बंद किया गगा था ; और

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) सरदार सरोवर बांध के निर्माण कपाटों को बन्द करने के विरूद्ध विभिन्न विदेशी संगठनों से प्रधान मंत्री को संबोधित विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच परियोजना के बारे में गलतफहमियों को दूर करने के लिए सम्बंधित भारतीय मिशनों को सरदार सरोवर बांध के निर्माण कपाटों को बन्द करने पर भेजा गया वास्तविक स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरदार सरोवर बांध के निर्माण कपाटों को बन्द करने के बारे में कुछ भ्रम प्रतीत होता है। ये कपाट विशेष रूप से दिक्परिवर्तन व्यवस्था के एक भाग के रूप में बांध के ढांचे में दिए गए एलिवेशन स्तर 18 मीटर पर अस्थायी खुले द्वार (सं. 10) का एक सैट है ताकि निम्न प्रवाह की अवधियों के दौरान नदी में जल बहता रहे। इन खुले द्वारों का मानसून मौसम के बाढ़ स्तरों

पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है चाहे ये बन्द रहें या नहीं। बांध के प्रतिप्रवाह पर जल स्तर प्रवाहों की मात्रा और तीव्रता द्वारा विनियमित किया जाता है। निर्माण कपाट किसी भी प्रकार से परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंद्ध नहीं है।

बहुत अधिक सावधानी बरतते हुए भी सरदार सरोवर बांध के निर्माण कपाटों के बन्द करने के संभावित प्रभाव का सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा अभी अध्ययन किया गया था और परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के क्रियान्वयन से संबंधित राज्यों द्वारा की गयी प्रगति की पुनरीक्षा की गयी थी। केवल यह सुनिश्चित करने के बाद कि (i) वे गांव जलमग्न नहीं होंगे जहां व्यक्तियों को पहले से पुनर्वासित एवं पुनर्स्थापित नहीं किया गया है, (ii) एलिवेशन स्तर 69 मीटर तक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन उपाय पूरे हो गए थे और, (iii) प्रति-प्रवाह जलाशय से पम्प के जरिए तथा नहर नेटवर्क एवं कर्जन बांध (गुजरात में) के स्पिलवे के जरिए बांध के अनुप्रवाह पर जल उपलब्ध होगा, सरदार सरोवर बांध के निर्माण कपाटों को बन्द करने का निर्णय लिया गया था। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा 23 फरवरी, 1994 को इन कपाटों को बन्द कर दियां गया था।

जलमग्न होने वाले क्षेत्र तथा परियोजना से प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव सहित सभी पहलुओं पर सावधानी-पूर्वक विचार करने के बाद इन कपाटों को बन्द किया गया था। निर्माण कपाटों को बन्द करने का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कपाटों के अनुप्रवाह में स्टिलिंग बेसिन क्षेत्र का उपचार नहीं किया गया था तथा इसमें और अधिक विलम्ब करने से बांध की संरचनाओं के लिए खतरनाक हो गया होता जिससे भारी नुकसान होता। निर्माण कपाटों के बन्द हो जाने से अब बांध को सुरक्षा के लिए आवश्यक उतना ही समय मिला है जो कम से कम एहतियाती उपाय पूरे करने के वास्ते पर्याप्त है। जैसाकि पहले बताया गया है कि निर्माण स्लूसों को बन्द करना किसी भी रूप में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्यक्रम से संबंधित नहीं थे, इन पहलुओं की नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण तथा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति द्वारा विस्तृत रूप से जांच की गयी थी।

निर्माण कपाटों के अतिरिक्त, एलिवेशन स्तर 53 मीटर पर बांध में चार नदी द्वारों की भी व्यवस्था की गयी है। निर्माण कपाटों को बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप नदी जल नदी द्वारों, जो खुले हैं के जरिए, बांध के नीचे से होकर प्रवाहित होगा। स्थायी तालाब क्षमता का स्तर अधिकतम एलिवेशन स्तर 59 मीटर तक बढ़ जायेगा तथा जून, 1994 तक इस स्तर पर अथवा इससे नीचे रहेगा। वर्ष 1994 के मानसून के दौरान जल एलिवेशन स्तर 59 मीटर से ऊपर प्रवाह की मात्रा के अनुसार बढ़ेगा किन्तु मानसून के बाद एलिवेशन स्तर 59 मीटर तक/अथवा इससे नीचे गिर जायेगा। एलिवेशन स्तर 53 मीटर तथा एलिवेशन स्तर 59 मीटर के बीच गैर—मानसून मौसम के दौरान जलाश्य में स्तर के उतार—चढ़ाव को नदी द्वारा सुनिश्चित करेंगे। इस स्थायी तालाब के संबंध में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्य पूरा हो गया है। अनुप्रवाह पर्यावरणीय प्रभाव का भी विस्तार से अध्ययन कर लिया गया है तथा पर्याप्त और उपयुक्त कदम उठाए गए हैं ताकि नदी के दायरे में प्रवाह की कम से कम आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

निर्माण कपाटों को बन्द कर दिए जाने के कारण अब तक किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव ध्यान में नहीं आया है। 15 मार्च 1994 को प्रतिप्रवाह पर जल स्तर एलिवेशन स्तर

58.13 मीटर तक पहुंच गया था तथा एलिवेशन स्तर 53 मीटर पर उपलब्ध नदी द्वारों से बह रहा है।

भारत सरकार और भागीदार राज्य पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा निर्माण की प्रगति के बीच संतोषजनक कड़ी बनाए रखने के वास्ते पूर्णतया बचनबद्ध है तथा इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में तेल और गैस संयंत्र

6415. **श्री दत्ता मेघे** : क्यां **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी महाराष्ट्र में कुल कितने तेल और गैस संयंत्र काम कर रहे हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं से कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में ऐसे ही और संयंत्र लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क और ख) निम्नानुसार है :

	संयंत्रों की सं.	1992-93	उत्पादन 1993-94
फ्यूल रिफाइनरी	2	13.28 एम.एम.टी.	13.435 एम.एम.टी.
ल्यूब रिफाइनरी	1	2,35,000 प्रतिवर्ष क्षमता	
एल.पी.जी.भराई संयंत्र	11	226,222 एम.टी.	437,641 एम.टी.
ल्यूब मिश्रण संयंत्र	3	96,460 एम.टी.	93,6065 एम.टी.
पी.ओ.एल.डी.पु.	14	6601709 के.एल.	690594 के.एल. (संभाली गई मात्रा)
ओ.एन.जी.सी.का तटवर्ती टर्मिनल (पश्चिमी अपतट क्षेत्रों से लाए गए तेल और प्राकृतिक गैस की संभाल/संसाधन हेतु)	1	871385 एम.टी. एल.पी.जी..एन.एल.सी.-2 सी.-3 का उत्पादन	940441 एम.टी.

(ग) और (घ) प्रस्तावित नये संयंत्रों/परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

(i) क्रमशः 44,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष और 34,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष की क्षमता सहित अकोला और मनमाड में इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा दो एल.पी.जी.भराई संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(ii) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. द्वारा 300.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर उसार में एक एल.पी.जी. वसूली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

(iii) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर 3000 करोड़ रुपए की लागत पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. और ओमान आयल कंपनी लिमिटेड के मध्य संयुक्त उद्यम परियोजना में 6 मि.मी.टन प्रति वर्ष व क्षमता की एक ग्रासस्ट रिफाईनरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(iv) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने कुल 90,300 कि.ली. की भंडारण सहित महाराष्ट्र में 7 पी.ओ.एल.डी.पु.ओ.को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

6416. **श्री के.प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने भारत में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में रुचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और ग) तेल क्षेत्र में परियोजनाओं के निष्पादन हेतु स्थापित संयुक्त उद्यम कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	समांशता में सहभागिता		प्रयोजन
1.	ए.वी.आई.—आयल इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	नायको एस.ए.फ्रांस आई.ओ.सी. बामर लारी एंड.कं.	50प्र. 25प्र. 25प्र.	सिथेंटिक, सेमी सिंथेटिक और खनिज आधारित उड्डयन स्नेहकों का विनिर्माण और विपणन
2.	आई.बी.पी.—कालटैक्स लि.	आई.बी.पी. कालटैक्स लिं.	49प्र. 51प्र.	स्नेहकों का सम्मिश्रण करना और विपणन करना
3.	गेल—ब्रिटिश गैस(यू.के.)	गेल ब्रिटिश गैस महाराष्ट्र सरकार और आम जनता	35प्र. 35प्र. 30प्र.	चुने हुए क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए ग्रेटर बंबई में पाइप लाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का वितरण
4.	पश्चिमी तट में रिफाइनरी के लिए संयुक्त उद्यम	एच.पी.सी.एल. ओमान आयल कं. आम जनता	26प्र. 26प्र. 48प्र.	पश्चिमी तट पर एक ग्रासरुट रिफाइनरी की स्थापना करना।
5.	मध्य भारत में रिफाइनरी के लिए संयुक्त उद्यम	बी.पी.सी.एल. ओमान आयल कं. आम जनता	26प्र. 26प्र. 48प्र.	मध्य भारत में एक ग्रासरुट रिफाइनरी की स्थापना करना।
6.	भारत—शैल ओवरसीज इंवेस्टमेंटस बी.वी.	बी.पी.सी. शैल	49प्र. 51प्र.	भारत में शैल ब्रांड के स्नेहकों का विपणन

7.	इंडी मोबिल (प्रा.लि.)	आई.ओ.सी.और मोबिल मोबिल पेट्रोलियम कं.इंक.,यू.ए.स.ए.	 50प्र. 50प्र.	भारत, नेपाल और भूटान में मोबिल ब्रांड के स्नेहकों का आयात निर्माण और विपणन

[हिन्दी]

सशस्त्र बल तैनात करना

6417. **श्री खेलन राम जांगडे : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंतकवादी बाहुल्य राज्यों में बढ़ती आंतकवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए अनेक राज्यों से सशस्त्र बल की बटालियनें बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों पर इस मद में कुछ भुगतान बकाया थे;

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार बकाया भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इनका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (राजेश पायलट) : (क) आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटियों के लिए कुछ राज्यों की सशस्त्र बलों की बटालियनों को समय-समय पर अन्य राज्यों द्वारा उधार लिया जाता है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) चूंकि बटालियनें देने वाले राज्य, बटालियनें उधार लेने वाले राज्यों से प्रत्येक वर्ष के लेखा परीक्षा किए गए वास्तविक खर्चे के आधार पर प्रतिपूर्ति का सीधा दावा करते हैं, अतः 31-3-1994 को बकाया पड़ी राशि की मात्रा बताना कठिन है।

(घ) 43.64 करोड़ रु. की राशि की वसूली प्रत्येक वार्षिक किस्त के रूप में संबंधित बाकीदार राज्यों के योजना सहायता से करने का निर्णय लिय गया है तथा ऐसी दो वार्षिक किस्तें उन राज्यों को पहले ही जारी कर दी गयी हैं जिनकी बटालियनों को अन्य राज्यों में तैनात किया गया था।

[अनुवाद]

कोकिंग कोयला

6418. **श्री छीतुभाई गामीत : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों ने क्रम्पनीवार कोकिंग कोयले का कुल कितना उत्पादन किया;

(ख) क्या कोल इंडिया लि. ने इस्पात और अन्य उद्योगों की मांग के अनुरूप कोकिंग कोयले के स्तर में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस्पात और अन्य उद्योगों के लिए कोकिंग कोयले का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) में कंपनी वार कच्चे कोककर कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :-

(मिलियन टन में)

कम्पनी	1991–92	1992–93	1993–94 (अन्तिम)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.64	0.63	0.60
भारत कोकिंग कोल लि.	22.58	22.81	23.33
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	17.14	16.61	15.55
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.69	0.71	0.71
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.10	0.11	0.11
कोल इंडिया लि.	41.15	40.87	40.30

(ख) जी, हां। कोककर कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :-

(i) उच्च किस्म के सीधे फीड कोयले को छोड़कर, इस्पात संयत्रों को प्रेषित किए जाने से पूर्व कोककर कोयले को परिष्कृत किया जाता है।

(ii) धुले कोयले की गुणवत्ता तथा अधिप्राप्ति में सुधार किए जाने के लिए विद्यमान वाशरियों में संशोधन किया जा रहा है।

(ग) से (च) : एकीकृत इस्पात संयंत्र निम्न राख वाले कोककर कोयले के मुख्य आयातक हैं, जिन्हें देशीय कोयले में मिश्रण करने हेतु देशीय उपलब्धता तथा मांग के बीच के अन्तराल को पूरा करने के लिए और जिसकी इस्पात सयंत्रों में प्रयोग किए जाने हेतु समग्र रूप में मिश्रण की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता होती है। वर्ष 1994-95 के दौरान उनके द्वारा निम्न राख वाले धातुकर्मीय ग्रेड के कोककर कोयले का लगभग 6 मि. टन आयात किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

संयुक्त उद्यम

6419. **श्री मोहन रावले :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने देश में दूसरे देशों के सहयोग से संयुक्त कोयला खनन उद्योगों की स्थापना करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है;

(घ) क्या इस प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों में ऐसे किसी उद्यम की स्थापना करने पर भी विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ङ) जी, हां। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने कोयला मंत्रालय, सरकार को "सिद्धांत रूप में" निजी कंपनियों के साथ संयुक्त कोयला खनन क्रियाकलाप को प्रौन्नत करने के संबंध में अनुमति मांगी है। इस हवाले में विदेशी एवं भारतीय कंपनियों और पश्चिम बंगाल में कोलफील्ड्स शामिल है। इस संबंध में एक विस्तृत वाणिज्यिक अनुपात की प्राप्ति होने पर ही अंतिम दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

बिटुमिन का उत्पादन

6420. **स्वामी सुरेशानन्द** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने की बल्क बिटुमिन की उत्पादन क्षमता कितनी है, और इसकी दुलाई कौन-कौन सी कंपनियां कर रही हैं और यह आवंटन किस आधार पर किया गया है; और

(ख) ढलाई हेतु आवंटन किस प्रकार किया जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) मथुरा रिफाइनरी में बिटुमिन को अभिकल्पित क्षमता 500 टी.एम.टी. प्रति वर्ष है। चूंकि थोक में बिटूमेन दिए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए यह उत्पाद सड़क कार्यों के लिए बिटूमेन की जरूरत रखने वाले सभी राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र के ग्राहकों को जारी किया जाता है। अन्य के संबंध में उपभोक्ता उपयोग के प्रयोजन को वास्तविकता की पुष्टि उत्पाद जारी करने से पूर्व की जाती है। अधिकृत ट्रांसपोर्टरों के ट्रकों को मथुरा रिफाइनरी में पहुंचना होता है और उन्हें आवयक कागजात पेश करने होते हैं। व्यक्तिगत ट्रकों की लदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाती है। मथुरा से सप्लाई लेने वाले उपभोक्ता अपने मनोनीत ट्रकों को अधिकृत करते हैं जिन पर लदान की जाती है।

[अनुवाद]

एड्स पर नियंत्रण

6421. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1993 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार असम में एड्स के कितने रोगियों की पहचान की गई है;

(ख) 1993-94 के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत असम सरकार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार असम में एड्स निगरानी केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परविार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : (क) एक।

(ख) 12.43 लाख रुपये।

(ग) और (घ) : असम में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के सुक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में एक निगरानी केन्द्र पहले ही कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

अन्तः सिरा द्रव्यों का उपयोग

6422. **श्री के. मुरलीधरण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में अन्तः सिरा द्रव्यों के संबंध में अनेक आवेदन-लम्बित हैं, और

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया को सरल बनाने और विलम्ब को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के पास कोई आवेदन लम्बित नहीं है। जिन अवेदनों में कमियां पाई गई थी उन्हें कमियों को दूर करने हेतु राज्य लाइसेंसिग प्राधिकरणों को वापिस भेज दिया गया था।

(ख) प्रश्न हीं उठाता।

[अनुवाद]

केरल की कल्याण योजनाएं

6423. **श्री थाईल जॉन अंजलोज** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु वर्षवार भेजी गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से किन-किन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) इन योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी। ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) और (ख) एक विवरण सलंग्न है।

(ग) अनुसूचित जनजाति के बीच साक्षरतायेत्तर तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए सहायता संबंधी प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन हैं।

विवरण

वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केरल सरकार को की गई नियुक्तियां दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.स.	योजना का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
आदिवासी विकास				
1.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के होस्टल	1.00	21.42	20.00
2.	अनुसूचित जनजातियों के होस्टल	23.58	15.87	20.00
3.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	38.38	39.73	47.10
4.	शैक्षिक परिसर	–	–	4.94
5.	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	–	–	14.53
6.	आदिवासी अनुसंधान संस्थान	12.00	8.00	7.85
7.	आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	133.27	207.23	167.25
8.	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	9.69	19.20	36.00
9.	राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम का सहायतानुदान	–	–	41.00
10.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	15.11	18.56	19.70
अनुसूचित जाति विकास				
11.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	109.73	24.95	106.76
12.	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	11.38	4.58	1.90
13.	लड़कियों के होस्टल	20.00	4.91	25.03

1	2	3	4	5
14.	लड़कों के होस्टल	10.00	4.11	6.96
15.	पुस्तक बैंक	5.92	1.00	13.68
16.	राज्य अनुसूचित. जाति विकास निगम	115.18	88.87	124.20
17.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	–	485.75	58.00
18.	पी.सी.आर. और अत्याचार	13.70	7.68	19.96
19.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	25.00	30.00	–
20.	एस.सी.पी. का विशेष केन्द्रीय सहायता	381.90	502.74	402.84
समाज रक्षा				
21.	किशोर सामाजिक कुसमंजन का नियंत्रण एवं निवारण	3.07	5.48	–

विशेष संघटक योजना

6424. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वार विशेष संघटक योजना के क्रियान्वयन का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि लाभार्थियों तक अधिकतम लाभ पहुंचे क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

मंत्रालय में कल्याण राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति जनसंख्या के समाजार्थिक विकास का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से कल्याण मंत्रालय, विशेष संघटक योजना के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता रहा है। ऐसे अध्ययनों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। इन अध्ययनों की मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

(ग) लाभग्राहियों तक अधिकतम लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए कल्याणी मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :–

(1) विशेष संघटक योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा इस मंत्रालय में प्रति वर्ष सम्पन्न विशेष संघटक योजना चर्चाओं के माध्यम से

की जाती है। राज्य सरकारों पर यह दबाव डाला जाता है कि वे योजनाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करें।

(2) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे विशेष संघटक योजना के अंतर्गत ऐसी योजनाएं तैयार तथा कार्यान्वित करें जिससे अनुसूचित जाति को सीधे लाभ मिले।

(3) विशेष संघटक योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय तथा वास्तविक दोनों शर्तों पर लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। इस मंत्रालय में प्रत्येक वर्ष विशेष संघटक योजना चर्चा के दौरान निष्पादन पर विचार विमर्श किया जाता है।

(4) विशेष संघटक योजना की निधियों के विचलन से बचने के उद्देश्य से राज्यों से विशेष संघटक योजना के लिए लेखों का अलग बजट शीर्ष/उपशीर्ष खोलने को कहा गया है।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की नियुक्ति के समय भी विशेष संघटक योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों पर विचार किया जाता है।

(घ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित तथा विशेष संघटक योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए शुरू किए गए अध्ययनों की एक सूची नीचे दी गई है।

(1) संजिवैया आर्थिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशक् में विशेष संघटक योजना सहित विकास योजनाओं का प्रभाव।

(2) समाजार्थिक तथा बाजार अनुसंधान मंच, नई दिल्ली द्वारा हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में विशेष संघटक योजना का गहन अध्ययन।

(3) आदिवासी अनुसंधान संस्थान, केरल द्वारा केरल के मालापुरम जिला में विशेष संघटक योजना का क्रियान्वयन।

विवरण—II

1992—92, 1992—93 तथा 1993—94 के दौरान विशेष संघटक योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन इस प्रकार है।

(रुपये करोड़ में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991—92	1992—93	1993—94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	155.78	163.51	208.77
2.	असम	45.02	57.85	64.25

1	2	3	4	5
3.	बिहार	289.92	204.60	207.00
4.	गोवा	1.81	2.16	2.20
5.	गुजरात	58.98	71.34	80.43
6.	हरियाणा	83.26	108.20	125.33
7.	हिमाचल प्रदेश	49.50	60.43	98.75
8.	जम्मू और कश्मीर	45.40	46.21	70.52
9.	कर्नाटक	138.51	176.02	280.70
10.	केरल	80.18	123.44	137.38
11.	मध्य प्रदेश	246.52	261.56	271.49
12.	महाराष्ट्र	160.95	170.68	196.60
13.	मणिपुर	0.27	1.85	2.82
14.	उड़ीसा	210.90	212.26	214.53
15.	पंजाब	119.03	164.06	195.17
16.	राजस्थान	193.83	239.13	274.78
17.	सिक्किम	0.47	0.45	5.96
18.	तमिलनाडु	272.67	293.00	353.61
19.	त्रिपुरा	21.42	32.16	31.78
20.	उत्तर प्रदेश	466.43	404.05	440.70
21.	पश्चिम बंगाल	163.74	185.73	221.10
22.	चंडीगढ़	10.25	9.93	2.34
23.	दिल्ली	97.05	88.51	95.75
24.	पांडिचेरी	13.16	14.40	17.30
		2924.75	3091.53	5569.26

[हिन्दी]

किशोर अपराधियों और महिला कैदियों के लिए केन्द्र

6425. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किशोर अपराधियों और महिला कैदियों के लिए कितने पुनर्वास केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों को धन देने का है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) गुजरात राज्य में किशोर अपराधियों के लिए 25 प्रेक्षण गृह, 2 विशेष गृह तथा 14 उत्तरवर्ती देखभाल संस्थान हैं। तथापि, गुजरात में महिला सजायाफ्ताओं के लिए अलग से पुनर्वास केन्द्र नहीं है। राज्य कारगार मैनुअल के अंतर्गत महिला सजायाफ्ताओं को उसी कारागार में पुरूष सजायाफ्ता से अलग रखा जाता है।

(ख) किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों को किशोर अपराधियों के लिए नए संस्थानों की स्थापना तथा उनके लिए विद्यमान संस्थानों में सेवाओं के उन्नयन के लिए किए गए व्यय की 50% वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को विभिन्न मदों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें महिला सजायाफ्ताओं को सुविधा तथा ब्रोस्टल विद्यालयों की स्थापना शामिल है।

(ग) 1987—88 से किशोर सामाजिक कुसंमजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार को 43,72,750 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई। विभिन्न मदों के लिए कारागार प्रशासन आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत 1987-92 के दौरान राज्य सरकार को 144 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई थी जिसमें महिला सजायाफ्ताओं के लिए सुविधाएं भी शामिल हैं।

बिहार में कुओं की खुदाई

6426. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने भूमिगत जल खोज संबंधी वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में कोई कुआं खोदा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का इस योजना के अंतर्गत बिहार में और कुओं की खुदाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल अन्वेषण के अपने वैज्ञानिक कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1994 तक बिहार में 400 बेधन छिद्र ड्रिल किये थे जिनमें 219 अन्वेषणत्मक कुएं, 155 प्रेक्षण कुएं, 13 स्लिम छिद्र तथा 13 जिजोमीटर शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अन्तिम लक्ष्य 400 बेधन छिद्र ड्रिल करने का है। तथापि बेधन छिद्रों को ड्रिलिंग के लक्ष्य वार्षिक आधार पर नियत किए जाते हैं। वर्ष 1994--95 के दौरान बोर्ड का लक्ष्य राज्य में 41 बेधन छिद्र ड्रिल करने का है जिनमें 23 अन्वेषणात्मक कुएं तथा 18 प्रेक्षण कुएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का आयात

6427. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान कच्चे तेल का कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल का कम मात्रा में आयात किया जाएगा और इस पर कम धनराशि खर्च होने का अनुमान है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वर्ष कच्चे तेल के आयात में काफी बचत होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : वर्ष 1994–95 हेतु लगभग 2950 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के 24.230 एम.एम.टी. क्रूड आयल के आयात की परिकल्पना की गई है।

(ख) 1993–94 में 27.02 एम.एम.टी. के प्रति 1994–95 में स्वदेशी क्रूड के उत्पादन में 32.51 एम.एम.टी. की प्रत्याशित वृद्धि के कारण 1993–94 के दौरान किए गए 30.820 एम.एम.टी. आयात के प्रति 1994–95 के दौरान 24.230 एम.एम.टी. क्रूड आयल का आयात होगा।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के लिए आयात बिल में वृद्धि/कमी क्रूड के स्वदेशी उत्पादन की मात्रा, क्रूड के प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, डालर इत्यादि के प्रचलित विनिमय साम्य जैसे विविध पहलुओं पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यालय को स्थानांतरित करना

6428. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पटना स्थित कार्यालय असम में स्थानांतरित कर दिया गया अथवा करने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार के निर्णय का पटना में विभिन्न संगठनों ने विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

नर्मदा बांध

6429. **श्रीमती सरोज दूबे :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा बांध के जलद्वारों को बंद किए जाने के कारण कितने गांव डूब गए हैं तथा फसलों को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ख) सरकार द्वारा प्रभावित ग्रामवासियों और किसानों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) एलिवेशन स्तर 59 मीटर पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण कपाटों को बन्द कर देने के परिणामस्वरूप तालाब बन जाने की वजह से गुजरात में चार गांव तथा महाराष्ट्र में पांच गांवों की केवल 7.75 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। उपर्युक्त भूमि अधिग्रहित कर ली गई है तथा मुआवजा अदा कर दिया गया है/उसका प्रस्ताव किया गया है/प्रस्तुत की गई है और गुजरात एवं महाराष्ट्र में उनके विकल्प के अनुसार पुनः पता लगाये गये स्थलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय प्लाट एवं वैकल्पिक कृषि भूमि आवंटित कर दी गयी है और इसलिए बर्बाद हुई फसलों का आकलन नहीं किया गया है। निर्माण कपाटों को बन्द कर देने की वजह से महाराष्ट्र में कोई झोपड़ी जलमग्न नहीं हुई है।

रसोई गैस का विपणन

6430. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस का निजी क्षेत्र द्वारा विपणन किए जाने का इंडियन आयल कारपोरेशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) एल.पी.जी. समानान्तर विपणन में निजी क्षेत्र की एजेसियों के प्रवेश का इंडियन आयल कारपोरेशन के कारोबार पर थोक एल.पी.जी. को बिक्री पर नगण्य प्रभाव के अलावा कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। समानान्तर विपणन पद्धति के अन्तर्गत एल.पी.जी. का आयात और विपणन को परिकल्पना भावी उपभोक्तओं को एल पी जी शीघ्र उपलब्ध कराने में सार्वजनकि क्षेत्र को तेल कंपनियों के प्रयासों को पूर्ण करने के लिए की गई है।

[अनुवाद]

कोयला खाने

6431. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम.बी.बी.एस. मूर्ति :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एस.बी. सिदंनाल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि. की सात कोयला खानों को राज्य सरकार अथवा गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में बिहार सरकार को पत्र भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सी.आई.एल., ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली कतिपय कोयला खानों में घाटा उठाता रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) घाटा रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) बिहार सरकार से प्राप्त एक अनुरोध के आधार पर मैसर्स बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बी.एस.एम.डी.सी.)को कुछ बंद खानों को पट्टेदारी पर दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया गया है और अब सरकार ने बिहार में बंद पड़ी 14 खानों को पट्टेदारी पर दिए जाने के संबंध में अनापत्ति-पत्र दे दिया है (9 खानें सेंट्रल कोलफीड्स लि. के कमान्ड क्षेत्र में और 5 खानें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.) के कमान्ड क्षेत्र में आती हैं जोकि बिहार राज्य खनिज विकास निगम द्वारा पट्टेदारी पर दी जानी है।

(ग) जी, हां। भारत सरकार की अनापत्ति के संबंध में बिहार सरकार को सूचित कर दिया गया है।

(घ) बी.एस.एम.डी.सी. को जगलदग्गा कोलियरी को पट्टेदारी पर दिए जाने संबंधी प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा भेज दिया गया है।

(ङ) से (च) जी, हां। वर्ष 1992-93 के दौरान ई.को.लि./भा.को.क.लि. द्वारा उठाए गए घाटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

कंपनी	वर्ष 1992—93 के दौरान उठाया गया घाटा (—) (कोयला कीमत विनियमन लेखे से अंशदान से पूर्व)
ई.को.लि.	(—) 346.35 करोड़ रु.
भा.को.को.लि.	(—) 337.30 करोड़ रु.

इन दोनों कोयला कंपनियों में घाटे के मुख्य कारण नीचे दिए गए है :-

1. अनेक खानों में लाभाकारी रूप में उत्खनन योग्य कोयले के भंडार या तो समाप्त हो गए हैं अथवा कम मात्रा में उपलब्ध हैं।
2. पुरानी खानें में उत्खनन क्रियाकलाप लम्बी यातायात व्यवस्था तथा रोशनदान सर्किटों के कारण बहुत खर्चीले हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक सीमा से अधिक श्रमशक्ति तथा उपकरणों को नियोजित किया जाना अपेक्षित है।
3. कुछ खानों में उत्पादन को प्रतिबंधित करना पड़ा जोकि आसपास के जलमग्न क्षेत्रों, आग तथा अन्य सुरक्षा-उपायों के कारण लगे सांविधिक प्रतिबंध के कारण किया गया।
4. खानों का औसत आकार छोटा है।
5. अधिकांश खानों के भू-खनन परिस्थितियां प्रतिकूल हैं जिनमें कोयले का उत्खनन किए जाने के मामले में रेत भराई किया जाना अपेक्षित है।
6. फालतू श्रमशक्ति।

(छ) इन कोयला कंपनियों में घाटे को रोकने के लिए विभिन्न उपाय का प्रस्ताव किया गया है :-

(1) ऐसी कुछ खानें जहां कि आर्थिक स्थिति में इच्छित स्तर तक सुधार नहीं लाया जा सकता है उनमें घाटे को कम किए जाने के लिए चरणबद्ध रूप में खानों को बंद कए जाने के संबंध में कदम उठाए गए हैं।

(2) कुछ घाटा उठाने वाली खानों को समाहित करके/पुनर्गठन करके, पुनः एक बड़ी लाभकारी यूनिट के रूप में स्थापित किए जाने के संबंध में कार्य शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

इंडियन आयल कारपोरेशन की सफलता

6432. **श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने 1993–94 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेष रूप से रसाई गैस के वितरण के बारे में क्या ब्यौरा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1993–94 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन ने अपने प्रचालन के सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां नीचे दर्शायी गयी हैं :-

वर्ष 1993-94 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन ने 33.27 मि.ट. पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की है। इस अवधि के दौरान 87 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप, 127 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप तथा 24 एस.के.ओ.एल.डी.ओ. डीलरशिप शुरू की गई थीं। उसकी छः रिफाइनरियों ने 24.745 मि.ट. क्रूड थ्रुपुट को प्राप्त किया।

एल.पी.जी. के संबंध में पुणे कोचीन और पांडीचेरी में 3 एल.पी.जी. भराई संयंत्र शुरू किए गए थे। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में एक-एक तथा उत्तर प्रदेश में दो सहित 4 भराई संयंत्रों की भराई क्षमता बढ़ाई गई थी। इसकी एल.पी.जी. के ग्राहकों की संख्या 97.1 लाख से बढ़कर 104.6 लाख हो गई। आई.ओ.सी.के.डी.बी.सी. के ग्राहकों की संख्या 50.5 लाख से बढ़कर 62. 1 लाख हो गई संपूर्ण देश में ग्राहकों को एल.पी.जी. को संतोषप्रद आपूर्ति कायम रखी गई।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल कूपों की खुदाई

6433. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या पेट्रोलियम गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कच्चा तेल और (I)/(II) खोदे गए प्राकृतिक गैस के कुओं की संख्या कितनी है; और

(ख) मिजोरम, नागालैंड की तलहटी वाले क्षेत्रों में पता लगाए गए नए तेल क्षेत्रों और त्रिपुरा के तेल क्षेत्रों में, जहां पहले ही गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है, कितने परीक्षण कूपों की खोज की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों (1991–92 से 1993–94 तक) के दौरान ओ.एन.जी.सी.लि. तथा ओ.आई.एल. ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 251 कूप पूरे किए हैं जिनमें 163 तेल के तथा 7 गैस के कूप हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में से केवल 4 त्रिपुरा में वेधित अन्वेषण कूप गैस वाले साबित हुए हैं।

रसोई गैस सिलिंडर

6434. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस एजेंसियों द्वारा कम वजन के सिलिंडरों की बिक्री तथा पेट्रोल/डीजल/मिट्टी के तेल में मिलावट के बारे में 1993–94 के दौरान उपभोक्तओं की राज्य–वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) गैस सिलिंडरों में हेराफेरी करने पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है.?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भरण संयंत्रों पर एल.पी.जी. (रसोई गैस) सिलंडारों के सही भार को सुनिचित करने के संबंध में स्पष्टतः निर्धारित प्रक्रिया है। सभी भरे हुए सिलिंडरों पर पिलफर-प्रूफ सील होती है। सभी एल.पी.जी. (रसाई गैस) डीलर ग्राहकों के परिसरों पर गैस सिलिंडरों की सुपुर्दगी करने से प्रत्येक सिलिंडर के सही भार की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश हैं।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड

6435. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का संसाधन जुटाने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो सी॰आई॰एल॰ द्वारा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) संसाधन जुटाने के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने वर्ष 1994 95 के लिए 2062.94 करोड़ रुपये के परिव्यय की राशि का आवंटन किया है; उपर्युक्त परिव्यय में से 1704.38 करोड़ रु. की राशि कंपनी द्वारा आन्तरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनो से जुटाई जाती है।

कुल योजना परिव्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	(करोड़ रु. में राशि)
(1) आन्तरिक	746.00
(2) बांड	500.00
(3) संभरक ऋण	58.38
(4) अन्य	400.00
जोड़ : आई॰ई॰बी॰आर॰	1704.38
केन्द्रीय योजना से सकल बजटीय सहायता (इसमें बजट के जरिए प्राप्त बाह्य सहायता की 147.00 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।)	358.52
कुल परिव्यय	2062.90

(ग) उपर्युक्त संसाधानों को जुटाए जाने का उद्देश्य वर्ष 1994–95 की वार्षिक योजना की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए 223 मि॰ टन कच्चे कोयले का उत्पादन करने और आठवीं योजना के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा किए जाने के लिए नई योजनाएं शुरू किए जाने का है।

[अनुवाद]

रायल्टी की बकाया धनराशि

6436. **श्री चित्त बसु** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के बीच रायल्टी की बकाया धनराशि का भुगतान करने पर उत्पन्न विवाद को निपटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विवाद को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि जबकि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा भारत कोकिंग कोल लि. समय पर पश्चिम बंगाल सरकार को रायल्टी की देय बकाया राशि का भुगतान कर रही है, राज्य सरकार को देय उपकर की राशि तथा राज्य सरकार के उपक्रमों की ओर कोयला बिक्री की देय बकाया राशि को कोल इंडिया लि. तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच माह-दर-माह आधार पर एक दूसरे के साथ समायोजित किया जा रहा हैं। इन समायोजनों का दो पार्टियों के बीच औपचारिकता के रूप में व्यवस्था की जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए उपकर उच्चतम न्यायलय में न्यायाधीन हैं तथा अंतिम सुनवाई की प्रतीक्षा हैं, अतः कथित समायोजन बिना पूर्वग्राही रूप में हैं और ये अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन हैं।

मानसिक रोगी

6437. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी मनोरोग अस्पतालों को इस बात के चलते भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मानसिक रोगियों के पूर्णतः स्वस्थ प्रमाणित होने के बावजूद उनके परिवार वाले उन्हें वापस नहीं ले जाते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन रोगियों कों उनके परिवार जनों की सहायता के बिना समुचित सामाजिक माहौल में पुनर्स्थापित करने की दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के मानसिक रोग अस्पतालों में केवल कुछ ही मानसिक रोगियों को उनके परिवारों के सदस्य वापिस नहीं ले जाते। रोगियों को वापिस ले जाने के लिए संबंधित परिवारों को समझाने-बुझाने के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता ली जाती है। रोग मुक्त हुए कुछ रोगियों को जब तक उनकी छुट्टी दिए जाने की व्यवस्था नहीं हो जाती अस्पताल में काम करने की अनुमती दी जाती है।

चकमा शरणार्थी

6438. **श्री सनत कुमार मंडल** :
श्री छीतू भाई गामीत :
श्रीमती बिभू कुमारी देवी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चकमा शराणार्थियों की वापसी के मामले में बंगला देश के साथ कितनी बार द्विपक्षीय वार्ताएं आयोजित की गई हैं;

(ख) चकमा शरणार्थियों के भविष्य और उनकी दशा में गुणात्मक परिवर्तन के संबंध में हाल में आयोजित वार्ता के दौर का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) भारत के शिविरों में अभी भी कितने चकमा शरणार्थी रह रहे हैं और बंगलादेश वापसी का इंतजार कर रहे हैं;

(घ) क्या इन शरणार्थियों के कारण सरकार को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) ҷकमा शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के मसले पर, बंगलादेश सरकार के साथ, विभिन्न स्तरों पर, चर्चाओं के कई दौर आयोजित किए गए। बंगलादेशी राष्ट्रीक होने के कारण, यह जिम्मेदारी मुख्यतः बंगलादेश सरकार की है कि वह संतोषजनक वातावरण का निर्माण करें और चकमा शरण .र्थेयों को स्वदेश वापस जाने के लिए राजी करें। भारत सरकार की भूमिका, प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की है। शरणार्थी नेताओं के आग्रह पर, दिनांक 16–17 जनवरी, 1994 को बंगलादेश प्राधिकारियों के साथ एक बैठक, रामगढ़, बंगलादेश में आयोजित की गई थी। इसमें हुई चर्चाओं के बाद चकमा नेताओं ने वापस जाने के अपने निर्णय की घोषणा की। प्रत्यावर्तन के तरीकों को अंतिम रूप देने के बाद, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया 15 फरवरी, 1994 को शुरू हुई और 22 फरवरी, 1994 तक 1854 शरणार्थी अपने देश वापस जा चुके थे। यह पता लगाने के लिए बंगलादेश सरकार द्वारा पुनर्वास के उपयुक्त प्रबंध किए गए हैं या नहीं, त्रिपुरा राज्य सरकार के 3 अधिकारियों सहित 11 शरणार्थी नेताओं के एक दल द्वारा 25 अप्रैल, 1994 से. बंगला देश के चिटगांव पर्वतीय क्षेत्र का दौरा किया गया।

(ग) त्रिपुरा राज्य सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भी 51564 चकमा शरणार्थी भारत में शिविरों में रह रहे हैं। अन्य 3,416 शरणार्थी, शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

(घ) तथा (ङ) चकमा शरणार्थियों के शिविरों के रख रखाव का आर्थिक बोझ भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इग्ग उद्देश्य के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार को, 1993–94 के दौरान दी गई 8 50 करोड़ रु. की राशि सहित, 1986 से अब तक कुल 53.01 करोड़ रु. की राशि दी जा चुकी है।

औषधियों की खरीद

6439. **श्री राम निहोर राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मेडीकल डिपो आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाह के बिना जो कि अनिवार्य है करोड़ों रुपयों की औषधियों प्रतिवर्ष खरीद कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की आयुर्वेदिक औषधियों खरीदी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) सरकारी मेडीकल डिपो इंडेन्टिंग प्रधिकरणों से प्राप्त इन्डेन्टों के अनुसार आयुर्वेदिक औ‍ यों की खरीद करते हैं। यदि आयुर्वेदिक औषधियां निर्धारित सूची के अनुसार हैं, तो सरकारी मेडीकल डिपुवों के इन आयुर्वेदिक औषधियों को खरीदने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह लेना आवश्यक नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

1991--91	3.34 करोड़ रुपए
1992--93	2.33 करोड़ रुपये
1993--94	2.87 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन

6440. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री गुमानमल लोढ़ा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अन्तर्गत देश में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी आयी है;

(ग) क्या देश में पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को इन मदों का आयात करके पूरा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो देश के पेट्रोल/डीजल, रसोई गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का कितना प्रतिशत इन मदों के आयात से पूरा किया जाता है;

(ङ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य विगत वर्षों की तुलना में 1993--94 के दौरान औसत रूप से कम रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या देश में भी उक्त उत्पादों के आम उपभोक्ता मूल्यों में कमी की गयी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन का स्तर 1989-90 में 31.383 मिलियन टन से घटकर वर्ष 1993-94 के दौरान 24.215 मिलियन टन रह गया।

(ग) और (घ) पेट्रोल का आयात नहीं किया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य उत्पादों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :

(खपत की तुलना आयात प्रतिशत)

उत्पाद	1992–93	1993–94 (अनन्तिम)
एल.पी.जी.	11.4	13.4
एस.के.ओ.	40.3	42.5
एच.एस.डी.	29.3	26.1
ल्यूब	35.0	17.9
एफ.ओ./एल.एस.एच.एस.	0.0	0.0
अन्य	2.7	0.3
योग		23.8 19.5

(ङ) कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में 1992–93 की तुलना में 1993–94 में गिरावट की प्रवृति दिखायी दी है।

(च) और (छ) घरेलू कीमतें प्रशासित हैं और समाज के कमजोर वर्गों द्वारा प्रयुक्त उत्पादों को सब्सिडी दिए जाने, समुचित अन्तरईंधन विकल्प और तेल संरक्षण संवर्धन की अवधारणा द्वारा विनियमित की जाती है।

[अनुवाद]

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

6441. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को 1994–95 के लिए राज्य के पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु कोई धनराशि आवंटित की गयी है :

(ख) यदि हां, तो इस आधुनिकीकरण के लिए अब तक कितनी धनराशि दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने की योजना के अधीन वर्ष 1994–95 के लिए केरल सरकार को 113.99 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। योजना के तहत केरल सरकार को धन उस समय जारी किया जाएगा जब वर्ष 1994–95 के लिए प्रस्ताव और इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा कि पिछले वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया है।

सिंचाई परियोजनाएं

6442. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित असम की सिंचाई परियोजनाओं और उनकी अनुमानित लागत के ब्यौरा क्या है;

(ख) यें परियोजनाएं कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गयी परियोजनाओं का परिव्यय सहित ब्यौरा क्या है; और

(ड.) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान असम को सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा कोई नयी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजना अनुमोदित नहीं की गयी है । तथापि, इसी अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा बोरालिया और बरदीकारी नामक दो संशोधित मध्यम सिंचाई परियोजनाएं क्रमशः 33.37 करोड़ रूपए तथा 22.12 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गयी है।

(ड.) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं कि लिए असम को योजना आयोग द्वारा आबंटित की गयी निधियां क्रमशः 39.43 करोड़ रूपए, 38.00 करोड़ रूपए, 27.00 करोड़ रूपए तथा 25.65 करोड़ रूपए हैं।

विवरण

(लागत करोड़ रुपये/लाभःहजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	लाभ	प्राप्ति की तारीख	स्थिति
	वृहद परियोजना				
1.	पगलदिया बांध	337.60	54.16 (बाढ़ नियंत्रण लाभों सहित)	2/1993	सिंचाई आयोजना, लागत, नींव इंजीनियरी, जल विज्ञान तथा जल विद्युत पर राज्य सरकार को मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालन करनी है।
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	बुढ़ीसुती सिंचाई	31.36	11.50	9/1992	राज्य सरकार को मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
2.	गारूफेल्ला सिंचाई	36.59	16.56	10/1992	राज्य सरकार को मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

टिप्पण : परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा जहां कहीं आवश्यक है पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।

[हिन्दी]

छिद्रण और खोज

6443. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के मधुबनी जिले के दुलीपट्टी और चम्पारन जिले के रक्सौल में और भारत नेपाल सीमा पर अन्य स्थानों पर पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए छिद्रण कार्य शुरू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त स्थानों पर छिद्रण कार्य रोक दिया गया है और कार्यालय तथा छिद्रण उपस्कर बिहार से अन्यत्र हटाए जा रहे हैं : और

(घ) यदि हां, तो इस स्थानान्तरण को रोक कर छिद्रण कार्य पुनः आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आज की तारीख में बिना किसी वाणिज्यिक सफलता के बिहार राज्य में 6 कूप यथा पूर्व और पश्चिम चम्पारण में गनौइली–1, रक्सौल 1 कदमा–1, गन्डक 1, दरभगा में मधुबनी–1 (दुल्ली पट्टी पर) तथा पूर्णिया जिले में पूणिया 1, बेधित किए गए हैं।

(ग): कूप कदमा–1 पर बेधन प्रचालन पूरे कर लिए गए हैं तथा रिग को योजना अनुसार असम को अन्तरित का कर दिया गया है। तथापि ओ.एन.जी.सी. का पटना स्थित कार्यालय वहां से नहीं हट्राया गया है ।

(घ) क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे ढांचो का पता लगाने हेतु जो भविष्य में अन्वेषण बेधन के योग्य हैं, भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी रखे जा रहे हैं। अगला बेधन इन सर्वेक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

विपणन योजना

6444. **श्री सयैद शहाबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक पेट्रोलियम/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों के संबंध में 1988-93 के लिए विपणन योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत ऐसे बिक्री केन्द्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य, चयनित वितरकों की संख्या, चालू किये गये बिक्री केन्द्रों तथा विचाराधीन डीलरशिप की संख्या क्या है;

(ग) क्या 1993-94 और 1994-95 की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अतिरिक्त डीलरशिप देकर विपणन योजना का विस्तार किया गया है;

(घ) तेल चयन बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा ऐसे बिक्री केन्द्रों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए जिनके लिए विज्ञापन दिया गया था परन्तु उनकी चयन प्रक्रिया अभी भी जारी है; और

(ड.) आवेदनों की जांच तथा चुने हुए आवेदनों का अंतिम रूप से चयन करने के लिए बोर्ड क्या प्रक्रिया अपनाती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) तेल चयन बोर्ड (बिहार) द्वारा बिहार के लिए 260 खुदरा बिक्री स्थानों के चयन की प्रक्रिया जारी है जिनमें विगत विपणन योजनाओं से लम्बित 72 स्थान और 1983-93 की विपणन योजना में शामिल 188 स्थान सम्मिलित हैं। ऐसा कोई लक्ष्य निर्धरित नहीं है अब तक तेल चयन बोर्ड (बिहार) द्वारा उपर्युक्त में से 77 खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए हैं और 183 आबंटित किए जाने शेष हैं। 1988-93 की अवधि के दौरान में 84 खुदरा बिक्री डीलरशिप चालू की गई।

(ग) विपणन योजना 1988-93 के प्रति स्थानों के चयन जारी हैं। 1993-94 और 1994-95 के लिए विपणन योजना अभी तैयार नहीं की गई है।

(घ) बिहार के लिए तेल चयन बोर्ड के गठन में अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवा निवृत न्यायधीश न्याय मूर्ति श्री एस.के. हजारी, और सदस्य के रूप में डा.फाल्गुनी राम और श्री शमीम हाशमी शामिल हैं। प्रत्येक स्थान के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(ड.) संबंधित तेल कपनियां आवेदनों की जांच के बाद तेल चयन बोर्ड को भेजती हैं। तेल चयन बोर्ड पात्र व्यक्तियों को आमन्त्रण पत्र जारी करता है। साक्षात्कार के समय विनिर्दिष्ट श्रेणी के उम्मीदवारों का परस्पर मूल्यांकन तेल चयन बोर्ड द्वारा मुख्यता निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए किया जाता है :

(1) व्यापार योग्यता।

(2) विक्रय कला।

(3) नियत अवधि में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने की क्षमता**।

(4) पूर्ण कालिक वर्किंग डीलर।

(5) पाठ्यक्रमेत्तर क्रियाकलाप।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय अवसरों पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके उत्कृष्ट पुरुष/महिला खिलाड़ी**।

(7) वित्त व्यवस्था करने की क्षमता।

(8) सामान्य मूल्यांकन

**यह शर्त अनुसूचित जाति/अनु जनजाति वर्ग की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर लागू नहीं होती क्योंकि सारा निवेश तेल कंपनियां स्वयं करती हैं।

[हिन्दी]

बड़े राज्यों का विभाजन

6445. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ बड़े राज्यों को विभाजित करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय ले लेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.ई. सईद) : (क) से (घ) भारत सरकार फिलहाल, राज्यों के वर्तमान स्वरूप के पुनर्गठन के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम

6446. **श्री के. प्रधानी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलियो के उन्मूलन के लिए टीकाकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किन विभिन्न तरीकों को अपनाया गया और टीकों का प्रयोग किया गया;

(ख) पोलियो के उन्मूलन के लिए कौन सी लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है; और

(ग) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) सामान्य टीकाकरण और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पूरक कार्यकलापों के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन का उपयोग करके दशक के अन्त तक देश से पोलियो के उन्मूलन का प्रस्ताव है। 1987 में 28264 मामलों की तुलना में 1993 में 6817 मामले सूचित किए गए।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में घुसपैठ और तस्करी

6447. **श्री छीतूभाई गामीत :**
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं से घुसपैठ और तस्करी, विशेषतः विद्रोहियों द्वारा स्वापक द्रव्यों की तस्करी, में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1993 और 1994 के दौरान ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट मिली;

(ग) इस संबंध में सीमाओं पर कुल कितने लोग गिरफ्तार किए गए; और

(घ) सीमाओं पर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने और ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहें है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क से (घ) पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं पर मादक पदार्थ-आतंक से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट मिली है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं पर वर्ष 1994 के दौरान (25 अप्रैल तक) तस्करों सहित 1164 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए जबकि वर्ष 1993 में 1689 गिरफ्तार किए गए थे। सीमा सुरक्षा बल द्वारा 25 अप्रैल 1994 तक 4.23 करोड़ रुपये मूल्य के निषिद्ध पदार्थ जब्त किए जिसमें मादक पदार्थ भी शामिल हैं जबकि वर्ष 1993 के दौरान 10.14 करोड़ रु. मूल्य के पदार्थ जब्त किए गए थे। तस्करी और घुसपैठ की गतिविधियों के प्रति प्रवर्तन एजेंसिया सतर्क हैं। तस्करी और घुसपैठ का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए सभी संबद्ध एजन्सियों के बीच गहन समन्वय बनाए रखा जा रहा है। अन्य उपायों में, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करना, नदी तटीय क्षेत्रों सहित क्षेत्र में गश्त गहन करना, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बुर्जों का निर्माण करना, और बेहतर निगरानी रखने के लिए नाईट विजन डिवाईसिज, दूरबीनें, इत्यादि की आपूर्ति करना शामिल है।

विदेशियों का कथित उत्पीड़न

[अनुवाद]

6448. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न निगरानी चौकियों पर तैनात कुछ आवृजन अधिकारियों द्वारा विदेशियों का उत्पीड़न किये जाने के बारे में हाल ही में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या संबंधित अधिकारियों को ढिलाई के कारण दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन से हाल ही में अपराधी तथा अन्य समाज-विरोधी तत्व बेधड़क भाग निकले;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कुछ आप्रवासन अधिकारियों द्वारा विदेशियों को तंग किए जाने के बारे में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर, विस्तृत जांच की जाती है और जांच रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

(घ) आप्रवासन प्राधिकारियों को लापरवाही से इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली में किसी अपराधी या अन्य असामाजिक तत्त्व के बेधड़क निकल जाने का कोई मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) भ्रष्टाचार रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच शुरू करना, कर्मचारियों की बारी-बारी से तैनाती और प्रत्येक पारी में सतर्कता अधिकारियों की तैनाती सम्मिलित है।

असम में बाढ़ नियंत्रण

6449. **श्री प्रबीन डेका : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में बाढ़ नियंत्रण उपायों के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए असम की अतिरिक्त धनराशि देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए असम को केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय ऋण सहायता के अंतर्गत आबंटित की गयी कुल निधियां क्रमशः 20.00 करोड़ रुपए, और 25.00 करोड़ रुपए हैं। वर्ष 1994-95 के लिए 25.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त करने की परिकल्पना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सर्पदंश रोधी टीके

6450. **श्री के. मुरलीधरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सर्पदंश रोधी टीकों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इन टीकों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान उत्पादन क्षमता देश में अनुमानित 15,000 पीड़ितों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अप्रर्याप्त है। तथापि, मानव जीवन को बचाने के लिए आठवीं योजना अवधि में सर्पदंश रोधी टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बिहार में भूमिगत जल संस्थान

6451. **श्री प्रेम चन्द राम : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में भूमिगत जल संस्थान की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार सरकार ने प्रस्तावित संस्थान के लिए पटना में सिंचाई अनुसंधान संस्थान परिसर में 15 एकड़ भूमि तथा सब्जपुरा फार्म में 10 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था।

(ग) पटना में संस्थान स्थापित करने के लिए बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अलावा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ से संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में भी संस्थान स्थापित करने के वास्ते अनुरोध प्राप्त हुए थे। इस मामले पर उचित विचार करने के बाद सरकार ने रायपुर, मध्य प्रदेश में संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

तिहाड़ जेल

6452. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिहाड़ जेल को देश की प्रथम कम्प्यूटरीकृत जेल बनाने हेतु कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस जेल का कम्प्यूटरीकरण कब तक हो जाएगा;

(घ) इस योजना का उद्देश्य क्या है; और

(ङ) इस पर अनुमानतः कितन व्यय होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि वे, केन्द्रीय जेल तिहाड़ में रिकार्ड का तीन चरणों में कम्प्यूटरीकरण करने के लिए कदम उठा रहे हैं। प्रथम चरण में, जेल सं. 1 के रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने में लगभग 3 महीनों का समय लगेगा।

(घ) योजना का लक्ष्य, जेल में रह रहे कैदियों से संबंधित सूचना उनकी दोषसिद्धि माफी, पिछला रिकार्ड, आदि का कम्प्यूटरीकरण करना है।

(ङ) पूरी परियोजना पर 16 लाख रु. की अनुमानित लागत आएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जल आयोग की बराक डिवीजन

6453. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग की बराक डिवीजन गुवाहाटी से कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस डिविजन को गुवाहाटी से सिल्चर स्थानांतरित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्थानांतरित कर दिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि गुवाहाटी में केन्द्रीय जल आयोग के विद्यमान दो प्रभागों के बजाय एक प्रभाग कार्यालय हो तथा सिल्चर में विद्यमान एक प्रभाग के बजाय दो प्रभाग कार्यालय हों। इस आशय के आदेश दिनांक 24-3-1994 को जारी कर दिए गए हैं।

एच.आई.वी. संक्रमण

6454. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शताब्दी के अन्त तक लगभग 50-70 लाख भारतवासी ए.आई.वी. संक्रमण से पीड़ित हो जायेंगे;

(ख) क्या विश्व में एच.आई.वी. संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए किसी प्रकार पता लगा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) एच.आई.वी. संक्रमण का अनुमान/आकलन लगाना ही होगा। इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(घ) से (ङ) आज कोई निदान नहीं है। फिर भी बीच-बीच में होने वाली बीमारियों का उपचार जनस्वास्थ्य प्रणाली के जरिए किया जा रहा है। इसके साथ-साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित एक विशेष दल द्वारा उपचार के दावों की जांच की जाती है। और उनका जायजा लिया जाता है।

खेसारी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध

6455. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खेसारी दाल की बिक्री पर रोक हटाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खेसारी दाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है तथा इस पर लगी रोक को हटा लिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तकनीकी विशेषज्ञों की राय के आधार पर यह निर्णय किया गया था कि खेसारी दाल की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया नहीं जाना चाहिए।

लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाना

6456. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में "लिट्टे" पर लगे प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य विधान सभा द्वारा स्वीकृत वह प्रस्ताव भेजा है जिसमें "लिट्टे" पर प्रतिबंध की अवधि "दो वर्षों" तक और बढ़ाने की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से इस बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। एल.टी.टी.ई. 13 मई, 1994 तक एक प्रतिबंधित संगठन बना रहेगा। वर्तमान प्रतिबंध की समाप्ति से पहले आगे की अवधि के लिए एल.टी.टी.ई. पर पुनः प्रतिबंध लगाने के बारे में केन्द्र सरकार निर्णय लेगी।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। राष्ट्र की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता के हित में, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने तथा बंदूक की संस्कृति और हिंसा के प्रसार को रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य विधान सभा ने भारत सरकार से यह अनुरोध करने का संकल्प किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए वह तुरन्त ही सभी कानूनी कदम उठाए कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन एल.टी.टी.ई. को एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित कर दिया जाए।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को रसोई गैस

6457. **श्री प्रेम चंद राम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को रसोई गैस उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित किए गए मानदंड क्या हैं; और

(ग) बिहार में ऐसे कितने एककों के लिए गैस कनेक्शन मंजूर किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित औद्योगिक इकाईयों एल.पी.जी. तकनीकी आवयकता के आधार पर दी जाती है।

(ग) शून्य

[अनुवाद]

भारतीय राजदूत का जम्मू और कश्मीर का दौरा

6458. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका में भारत के राजदूत राज्य की स्थिति का आंकलन करने और कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की भूमिका का पता लगाने हेतु जम्मू और कश्मीर गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट पेश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस मामले को किस प्रकार आगे बढ़ाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) अमरीका में भारत के राजदूत ने अपने भारत के एक दौरे के दौरान राज्य में आतंकवादियों को पाकिस्तान से मिल रहे लगातार समर्थन सहित, वहां का स्वयं जायजा लेने और राज्य की स्थिति से अवगत होने के लिए 9-10 अप्रैल, 1994 को जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था; इस संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

राज्य में हिंसा की रोकथाम करने और सीमा/नियंत्रण रेखा से घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार सतत् प्रयास कर रही है। पाकिस्तान द्वारा राज्य के संबंध में दुष्टाचार और भ्रातियां फैलाने के लिए चलाए गए अभियान का मुकाबला करने के लिए रजनैयिक और अन्य चैनलों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी पाठ्यक्रम

6459. **श्री राम पाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 के बाद रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी विषयों में संयुक्त रूप से दी गई डिग्रियों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम (एम.सी.आई. अधिनियम) के अंतर्गत उक्त मान्यता को किस तिथि से विस्तार किया गया था;

(ग) क्या इस अधिनियम में इन डिग्रियों को मान्यता न दिए जाने का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) 1971 में भारतीय चिकित्सा परिषद ने एम.डी. (रेडियोलॉजी) को एम.डी. (रेडियो-डायग्नोसिस) और एम.डी. (रेडियो थिरेपी) की अलग-अलग उपाधियों में पृथक करने और इसके साथ-साथ एम.डी. (पैथोलाजी और बैक्टिरियोलॉजी) को एम.डी. (पैथोलॉजी) और एम.डी. (माइक्रोबायोलॉजी) की अलग-अलग उपाधियों में पृथक करने और 1974 तक इस पृथक्ककरण को लागू करने के लिए सभी चिकित्सा कालेजों और स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों को अनुदेश दे दिए थे और इस परिवर्तन को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के विनियम में सम्मिलित कर दिया गया है। 1975 में, भारतीय चिकित्सा परिषद की स्नातकोत्तर समिति ने पृथक्ककरण के मामले की समीक्षा की थी और चिकित्सा कालेजों को इन उपलब्धियों को पूथक करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया था। सरकार द्वारा मान्यता दी गई उपाधियों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची में शामिल कर लिया गया है।

बंगलादेशी घुसपैठियों की गतिविधियां

6460. **श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि बंगलादेशी घुसपैठिए भारतीय राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहे हैं और त्रिपुरा के पास सीमा क्षेत्रों में भारतीय भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं;

(ख) क्या बंगलादेश राइफल्स की घुसपैठियों के साथ सांठगांठ है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। तथापि, सरकार को इस बात की जानकारी है कि 27 नवम्बर, 1993 को बंगलादेश राईफल्स द्वारा गोली चलाए जाने के कारण दक्षिणी त्रिपुरा में बेलोनिया सब-डिवीजन

के अन्तर्गत मुहुरोघाट स्थित भारतीय चौकी पर फहरा रहे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में एक छिद्र हो गया था।

घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा सुरक्षा बल द्वारा गहन गस्त लगाना; सीमा सुरक्षा बल की वाटर विंग को मजबूत करना; सीमा पर सड़कें बनाने और बाड़ लगाने के कार्यक्रम घुसपैठ की रोकथाम (पी.आई.एफ.)/मोबाईल टास्क फोर्स (एम.टी.एफ.) नामक योजनाओं को मजबूत करना; चुनिन्दा सीमावर्ती क्षेत्रों में निवासियों को पहचान पत्र जारी करना, वीजा नियंत्रण प्रणाली का संगणकीकरण करना, इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए स्थाई अनुदेश दिए गए हैं। इस मामले को कई मौकों पर बंगलादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है। भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्य दल का अभी हाल ही में गठन किया गया है जो सभी लम्बित पड़े मामलों की जांच करेगा और उनको सुलझाने के लिए व्यवहारिक उपायों की सिफारिश करेगा।

जम्मू और श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए छापे

6461. **श्री भेरू लाल मीणा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और श्रीनगर में आतंकवादी सैनिक वर्दियों में घाटी और डोडा जिले में छापे मार रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन छापों में कुछ भाड़े के सैनिक विशेषरूप से अफगानी नागरिक, भी उनके साथ शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) इस आशय की कुछ रिपोर्ट मिली है कि उग्रवादी जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां करते समय सैनिकों की वर्दियां पहनते हैं।

जहां तक अफगानियों सहित भाड़े के सैनिकों और विदेशी राष्ट्रिकों का संबंध है, इस प्रकार के तत्त्वों की राज्य में सीमा पार से घुसपैठ करायी गयी है ताकि उग्रवादियों का मनोबल और हिंसा को बढ़ाया जा सके।

नियंत्रण रेखा/सीमा पर तथा भीतरी क्षेत्रों में भी लगातार चौकसी और दबाव बनाए रखा जा रहा है ताकि विदेशी नागरिकों सहित आतंकवादियों की घुसपैठ और उनकी गतिविधियों को रोका जा सके।

असम में अशान्ति

6462. **श्री श्रीकान्त जेना :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने हाल ही में राज्य में गम्भीर अशान्ति की स्थिति के संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक एस.ओ.एस. भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। राज्य में पहले से तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 21-5-1994 तक की अवधि तक रोकने के लिए केवल एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। राज्य को पर्याप्त अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराये गये हैं।

[हिन्दी]

अलर्करोग-रोधी (एन्टी-रेबीज) टीके

6463. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलर्करोग रोधी (एन्टी-रेबीज) टीकों का उत्पादन कितने केन्द्रों/संस्थानों में किया जाता है;

(ख) देश में गत वर्षों के दौरान अलर्करोग-रोधी की वास्तविक मांग और उत्पादन कितना-कितना रहा;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान यह टीके उपलब्ध न रहने के कारण प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को मृत्यु हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार अलर्क-रोधी टीकों के उत्पादन के लिए नये संस्थानों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में ऐसे 14 केन्द्र/संस्थान हैं जहां अलर्क-रोधी वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है। 1991-92 और 1992-93 के दौरान अलर्क-रोधी वैक्सीन का उत्पादन इस प्रकार था :-

1991-92	397.32 लाख खुराकें
1992-93	374.55 लाख खुराकें।

(ग) विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिमी बंगाल में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और ग्रामीणों के बीच झड़पें

6464. **डा. सुधीर राय :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल में सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों और ग्रामीणों के बीच होने वाली झड़पों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो 1992, 1993 और 1994 के दौरान अब तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) क्या दोषी पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार को, पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई कुछ घटनाओं की जानकारी है जहां निहित स्वार्थ वाले कुछ लोगों ने सीमा सुरक्षा बल की गश्ती/नाका पार्टियों से उस समय भिड़न्त की जब सीमा सुरक्षा बल को गश्ती/नाका पार्टियों द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं/जानवरों को रोकने/जब्त करने की कोशिश की गई।

(ख) ऐसी घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	घटनाओं की संख्या
1992	28
1993	10
1994 (15 अप्रैल तक)	06

(ग) सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा की गई ज्यादतियों के आरोपों की अविलम्ब जांच की जाती है और यदि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारत भेजने का पाकिस्तानी प्रयास

6465. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** (क) पाकिस्तान ने गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक हथियार और गोला बारूद और प्रशिक्षित आतंविादियों/घुसपैठियों को भारत भेजने के वर्षवार कितने प्रयास किए और कितने प्रयासों को विफल किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सीमाओं पर कितने पाक-प्रशिक्षित आतंकवादी/घुसपैठिए मारे गए कितने घायल हुए और कितने गिरफ्तार किए गए;

(ग) इन प्रयासों को विफल करते समय कितने नागरिक और कितने सुरक्षा कर्मी मारे गए और घायल हुए हैं;

(घ) जब्त किए गए हथियार और गोला-बारूद तथा अन्य सामग्री का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इन हथियारों, गोला-बारूद तथा अन्य सामग्री का किस प्रकार उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या इनमें से कुछ आतंकवादी/घुसपैठिए सुरक्षा कर्मियों से कुछ हथियार छीन ले जाने में सफल रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षण केन्द्र

6466. **श्री बी. देवराजन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की है जिससे वे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के योग्य हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्रीय प्रायोजित कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा अन्य चयन निकायों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को तैयार करने हेतु देश के विभिन्न भागों में परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गये हैं। ये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र या तो राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाते हैं। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता पूर्व योजना के अंत तक हुए व्यय के प्रतिबद्ध स्तर के अलावा समान आधार (50:50) पर प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयों के मामले में सहायता अनुदान 100 प्रतिशत आधार पर दिया जाता है बशर्ते कि क्लास कक्ष, छात्रावास, पुस्तकालय इत्यादि जैसी अवसंरचना सुवधिाएं विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। कोचिंग का कार्य तीन विख्यात निजी कोचिंग संस्थानों अर्थात राव आई.ए.एस. स्टडी सर्किल, नई दिल्ली संचदेवा न्यू पी.टी. कालेज, नई दिल्ली तथा एस.एन. दास गुप्ता कालेज, नई दिल्ली को करार के आधार पर सौंपा गया है। इस योजना को अब संशोधित किया गया है ताकि इसमें निजी कोचिंग केन्द्रों सहित और अधिक परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को शामिल किया जा सके।

कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की एक अन्य योजना है जिसमें अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर बल दिया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस क्षेत्र में क्षमता प्राप्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

दहेज संबंधी मौतों के मामले

6467. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार दहेज संबंधी मौतों के कितने मामलों पर मुकदमे चले;

(ख) कितने मामलों में सजा हुई; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1993 तक उपरोक्त मामलों में से कितने मामले लम्बित थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. सईद) : (क) से (ग) अपराधों को दर्ज करना, अन्वेषण करना, उनका पता लगाना, अपराधों का निवारण और न्यायालयों में मुकदमा चलाना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

न्यायालयों द्वारा दहेज संबंधी मौतों के मामलों के निपटान के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से संकलित नहीं किए जाते। तथापि, 1992 एवं 1993 के दौरान दर्ज किए गए दहेज-मौतों के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

दहेज (निषेध) अधिनियम के अन्तर्गत 1992 के दौरान दर्ज किए गए मामलों के निपटान का ब्यौरा भी संलग्न विवरण-II में दिये गये है। वर्ष 1993 के लिए ऐसे ही आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण - I

1992 और 1993 के दौरान हुई दहेज संबंधी मौतों की घटनाएं (राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992	1993	टिप्पणी (1993 के आंकड़े निम्नलिखित महीनों तक के हैं)
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	424	575	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	
3.	असम	11	9	अगस्त
4.	बिहार	170	336	
5.	गोवा	1	2	
6.	गुजरात	123	63	सितम्बर
7.	हरियाणा	209	166	
8.	हिमाचल प्रदेश	18	18	

1	2	3	4	5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	30	20	
10.	कर्नाटक	209	266	
11.	केरल	18	10	
12.	मध्य प्रदेश	353	370	
13.	महाराष्ट्र	727	746	
14.	मणिपुर	0	0	
15.	मेघालय	2	0	
16.	मिजोरम	0	0	
17.	नागालैंड	0	0	
18.	उड़ीसा	152	209	अक्तूबर
19.	पंजाब	101	147	
20.	राजस्थान	250	271	अगस्त
21.	सिक्किम	0	0	जून
22.	तमिलनाडु	75	79	
23.	त्रिपुरा	3	5	
24.	उत्तर प्रदेश	1783	1952	
25.	पश्चिम बंगाल	174	23	अप्रैल
संघ शासित प्रदेश				
26.	अण्डमान एवं निकोबार दीव	0	0	
27.	चंडीगढ़	1	0	
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	
29.	दमण एवं दीव	0	0	
30.	दिल्ली	121	107	
31.	लक्ष्यद्वीप	0	0	
32.	पांडिचेरी	6	0	

टिप्पणी : 1. आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं और इन्हें अनन्तिम समझा जाए।

2. मई और नवम्बर, 1993 के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, इन्हें छोड़कर आंकड़े दिए गए हैं।

विवरण-II

1992 के दौरान न्यायालयों द्वारा दहेज निषेध अधिनियम के निपटाए गए मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लंबित मामलों सहित मुकदमें के लिए आए कुछ मामलों की संख्या	समझौता हुआ अथवा वापस लिए गए	मामलों की संख्या जिनमें कार्रवाही पूरी हुई			कार्यवाही के लिए लंबित	जिन मामलो में कार्य-वाही पूरी की गई,उनमें दोषसिद्धि का %
				दोष-सिद्ध	दोष मुक्त अथवा उन्मुक्त	योग (5)+(6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	145	3	14	35	49	93	28.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	—
3.	असम	81	0	0	14	14	67	0
4.	बिहार	1431	15	115	170	265	1131	40.3
5.	गोवा	1	0	0	0	0	1	—
6.	गुजरात	6	0	1	1	2	4	50.0
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	—
8.	हिमाचल प्रदेश	8	2	0	1	1	5	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	7	0	0	0	0	7	—
10.	कर्नाटक	933	35	8	111	119	747	5.3
11.	केरल	1	0	0	0	0	1	—
12.	मध्य प्रदेश	420	1	51	20	71	348	71.8
13.	महाराष्ट्र	167	0	14	40	54	113	25.9
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	--
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	
18.	उड़ीसा	65	0	5	20	25	40	20.0
19.	पंजाब	2	0	0	0	0	2	
20.	राजस्थान	4	0	0	0	0	4	
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	
22.	तमिलनाडु	708	76	89	111	233	399	38.2
23.	त्रिपुरा	2	0	1	0	1	1	100.00
24.	उत्तर प्रदेश	1008	14	98	60	158	836	62.0
25.	पश्चिम बंगाल	104	0	8	21	29	75	27.5
26.	अण्डमान एवं निकोबार दीव	0	0	0	0	0		
27.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	--
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	--
29.	दमण एवं दीव	0	0	0	0	0	0	--
30.	दिल्ली	21	0	0	0	0	21	--
31.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0	--
32.	पांडीचेरी	7	0	0	1	1	6	0
योग (समस्त भारत) :		5121	115	104	668	1072	3903	37.7

स्रोत : "भारत में अपराध" डाटा।

टिप्पणी : (–) का तात्पर्य है कि उस प्रदेश/संघ शासित क्षेत्र में कोई मामला पूरा नहीं हुआ।

गरीबी रेखा में नीचे जीवनयापन कर रही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग

6468. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि भी शामिल है, राज्य सरकारें अन्य क्षेत्रों अथवा अन्य कार्यों में लगा देते हैं;

(ग) यदि हां, तो 1992-93 और 1993-94 में राज्यवार कितनी राशि/अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाई गई; और

(घ) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्काबालू) : (क) जी, हां। कल्याण मंत्रालय ने केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में अनुसूचित जाति के आर्थिक और शैक्षिक विकास हेतु अनेक योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी योजनाओं की सूची का संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख), (ग) और (घ) राज्यों की केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यक्रमों हेतु आवंटित निधियों के विचलन संबंधी मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है राज्य सरकारों से इस संबंध में विवरण देने को कहा गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखे गये हमारे पत्रों के उत्तर में 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात गोवा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, दिल्ली, दमन तथा दीव, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल तथा लक्षद्वीप ने सूचना शून्य भेजी है। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकारों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएंगे।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कल्याण मंत्रालय में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित)।
2. विदेश में अध्ययन के लिए छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति (गैर-योजना-केन्द्रीय)।
3. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित)।
4. पुस्तक बैंक (केन्द्रीय प्रायोजित)।
5. लड़कियों के होस्टल (केन्द्रीय प्रायोजित)।
6. लड़कों के होस्टल (केन्द्रीय प्रायोजित)।
7. कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं (परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण) (केन्द्रीय प्रायोजित)।

8. स्वैच्छिक संगठनों की सहायता (केन्द्रीय)।
9. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना (केन्द्रीय प्रायोजित)।
10. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास (केन्द्रीय)।
11. (क) अनुसूचित जाति विकास निगम (केन्द्रीय प्रायोजित)।

    (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम) (केन्द्रीय)।
12. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण (केन्द्रीय)।
13. ट्राइफेड को सहायतानुदान (केन्द्रीय)।
14. ट्राइफेड को मूल्य समर्थन (केन्द्रीय)।
15. आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में आश्रम स्कूलों की स्थापना (केन्द्रीय प्रायोजित)
16. ट्राइफेड में निवेश (केन्द्रीय)।
17. तेज बीजों तथा वनमूल तेल बीजों का आदिवासी क्षेत्रों में विकास (केंद्रीय–प्रायोजित)।
18. विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय)।
19. आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय)।
20. निम्न साक्षरता स्तर की अनुसूचित जातियों से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम।
21. आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए निम्न साक्षरता पॉकेटों में शैक्षिक परिसर।
22. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
23. लघु वन उत्पादन के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता–नुदान।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह (बांका) : अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले, जिसकी इस सभा में उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है, पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए कहा हैं और मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे यह सभा हो अथवा राज्य विधान सभा, हम सभी सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। असम में स्थिति बहुत

गंभीर है, कम से कम यही कह सकते हैं। इस राज्य में गत कई वर्षों से जितना खून बहा है और जितने परिवर विछोह की वेदना झेल रहे हैं, ऐसा इस देश में पहले कभी देखने में नहीं आया। यह सब इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के नाम पर हुआ हैं मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत रूप से यह दृढ़ मान्यता है कि चाहे दिल्ली में अथवा असम में एक के बाद जो भी सरकारें आई हैं, वे ही आज की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। संसद की ओर से असम के उन अधिकाधिक लोगों को एक स्पष्ट आश्वासन दिए जाने की आवश्यकता है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जाने कुर्बान कर दी। हम सभी को इस तथ्य की जानकारी है कि असम ही इंगलैंड के आधिपत्य में सबसे बाद में आया। यहीं पर ही पहली बार उन लोंगों द्वारा मजदूर आंदोलन शुरू किया गया था जोकि सदा शांतिप्रिय रहे हैं और रहेंगे। असम में किसी ने भी आतंकवादी कृत्यों की अनदेखी नहीं की है। असम में अथवा अन्यत्र रहने वाला कोई भी सही सोच वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता लेकिन जब हम यह देखते है कि इस गहरे मर्ज की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो स्पष्टतः कुछ ने कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यही समय है जब इस समस्या विशेष, जो असम की आत्मा को कचोट रही है, पर एक व्यापक और गहन अध्ययन करने हेतु एक सर्वदलीय ग्रुप वहां भेजा जाना चाहिए। क्या इसके उपचारार्थ कुछ किया जा सकता है ? क्या हम आगे आने वाली युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं ? क्या हम देश में तथा देश के बाहर विभिन्न हित साधकों द्वारा उनके दुरुपयोग किए जाने को रोक सकते हैं ? इसी अनुरोध के साथ मैं इस विषय पर कुछ शब्द कहने की अनुमति देने के लिए आपका पुनः धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर समस्या की ओर इस सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत की बैंकिग सेवाओं के लगातार हड़ताल पर जाने से सारी सेवायें प्रभावित होने वाली हैं। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के विभिन्न संगठनों ने 3 दिन की हड़ताल की नोटिस - 5, 11 और 14 मई की दे रखी है। एक दिन की बैंक हड़ताल से वेतन के रूप में 15 करोड़ रुपये का नुकसान होता है और 6500 करोड़ रुपया कारोबार में प्रभावित होता है। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि भारत सरकार बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं के प्रति लापरवाह है और उसका समाधान निकाल कर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बैंको के 10 लाख कर्मचारी और उनके सभी संगठन अपनी मांग पर एकताबद्ध हैं। उन लोगों ने सरकार से कई बार वार्ता करने की कोशिश की है। वहां पर आटोनमी और कम्प्युटरीकरण के जरिए जो भर्ती की प्रक्रिया थी और संख्या बढ़ाने वाले थे, उसको कम किया जा रहा है। बैंकिग क्षेत्र में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार देनी की गुंजायश थी जिसे भारत सरकार रोक रही है। विदेशी बैंकों को अंधाधुंध तरीके से भारत में आने की कोशिश दी जा रही है और निजी क्षेत्र के बैंकों को काम करने की सुविधा दी जा रही है। जिसके चलते न केवल राष्ट्रीकृत बैंक के काम प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि जो एक सामाजिक दायित्व था बैंको का राष्ट्रीकरण के बाद, वह भी प्रभावित होने और खराब होने की स्थिति में है। इस देश के बेरोजगार और गरीब तबके के लोग जो बैंक की सहायता से अपना कारोबार करते थे, उनके भविष्य के सामने संकट आ गया है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करना चाहते हूं कि तत्काल बैंकिग सेवाओं को सुधारने और बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विभिन्न संगठनों से वार्तालाप शुरू करके

उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम और पग उठाएं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुंरा) : महोदय, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की लिमिटेड का फर्टिलाइजर प्रमोशन एण्ड एग्रिकल्चरल रिसर्च डिवीजन असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसानों को कृषि संबंधी क्षेत्र में दो दशकों से ज्यादा समय से प्रशिक्षण दे रही है। यह डिवीजन कुशल और वैज्ञानिक कृषि जन्य तरीकों तथा उर्वरकों के कुशल उपयोग तथा सरकार द्वारा प्रायोजिंत/विदेशी/सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के सहयोग और सुगठित आधारभूत ढांचा एवं विदेशों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और प्रौद्यौगिकीविदों के सहयोग से कार्यान्वित कर रहा है। यह डिवीजन माननीय मंत्री श्री एडुवार्डो फेलौरो द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद बंद होने जा रहा है, यद्यपि इस डिवीजन को निम्न कार्यकलाप जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है :-

(1) इसे उर्वरक विभाग के सीधे नियंत्रण में एक अलग बिंग के रूप में सरकार द्वारा प्रायोजित तथा विदेशी सहायता प्राप्त विभिन्न कृषि विस्तार और ग्रामीण विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने की अनुमति देना।

(2) पहले से चली आ रही ओ.डी.ए. रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को एफ.पी. तथा ए.आर.डी. की मदद से जारी रखा जाना चाहिए तथा इसके कार्यक्रमों को स्थानांतरण किए जाने के प्रयास को रोका जाना चाहिए।

(3) संयुक्त संसदीय समिति एफ.पी. एण्ड ए.आर.डी. को व्यय न की गई 55 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाये। उर्वरक मूल्य निर्धारित संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए केवल 1981 से मार्च, 1983 तक एफ.पी. एण्ड ए.आर.डी. द्वारा आई.बी.एफ.ई.पी. के कार्यान्वयन के लिए ओ.डी.ए. द्वारा स्वीकृत किया गया था। समिति द्वारा मंजूर किए गए आइ.वी.एफ.इ.पी. को एफ.पी. तथा ए.आर.डी. के माध्यम से 1981 से मार्च, 1983 के बीच कार्यान्वयन हेतु जारी की गई 55 करोड़ रुपये तक एफ.पी. और ए.आर.डी. को बगैर खर्च हुई राशि का भुगतान होना चाहिए जिससे कि पूर्व क्षेत्र में गतिविधियों को जे.पी.सी. की उर्वरक मूल्यीकरण के सुझाव के आधार पर सुनिश्चित किया जा सके।

(4) फास्फेट और पोटाश के विनियंत्रीकरण के मद्देनजर एफ.पी. और ए.आर.डी. कार्मिकों की कुशलता का उपयोग रसायन और उर्वरक की स्थायी समिति की तीसरी रिपोर्ट के सुझाव के अधार पर और भी अधिक आवश्यक है जिससे कि उर्वरक के कुशल उपयोग के छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए और अधिक बढ़ाया जा सके तथा वर्तमान समय में के असंतुलन को कम किया जा सके

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह कह सकता हूं कि इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये ?

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं महोदय ! मैं इसके काफी महत्वपूर्ण पहलू पर आ रहा हूं।

उर्वरक के उपयोग का असंतुलन अनुपात 15 : 4 : 1 से 4 : 2 : 1 तकसितम्बर लाना, जो अन्य प्रकार से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को ही प्रभावित नहीं करेगा अपितु आगामी वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन को भी प्रभावित करेगा। महोदय, मंत्री जी यहां हैं; मैं उनसे कुछ करने का आग्रह करूंगा।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मुझे उसके बारे में पता नहीं, मेरे पास इस संबंध में पहले से कोई नाटिस नहीं है ! लेकिन, मैं केवल दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे द्वारा अथवा सरकार द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि यह योजना जारी रखी जाएगी मैं 'जारी रखी जाएगी' पर जोर डालना चाहूंगा—योजना अवधि से अधिक समय के लिए, क्योंकि योजना अवधि समाप्त हो गई थी। यह पहली बात है। दूसरी बात है कि यह योजना, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही बताया है, ओ.डी.ए. के तत्त्वावधान में विदेशी सहयोग या विदेशी सहायता से किया गया है। मुझे बस इतना ही कहना है कि विदेशी सहयोग या सहायता जो भी हो, उसकी मदद से इसे जारी रखा जाय। यदि विदेशी सहायता नहीं है। तो हमारे लिए इस अनुपात में मदद देना संभव नहीं होगा; हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हम निश्चित तौर पर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मरे राज्य उड़ीसा में एक चायनीज कम्पनी मिनी स्टील प्लांट बना रही है। यह प्राइवेट सेक्टर में बन रही है, लेकिन वहां जो जमीनें हैं उनमें जमीन वालों के अलावा कुछ ट्रइबल्स ऐसे भी हैं जो लैंडलेस हैं और करीब 8 हजार परिवार इस एरिया में ऐसे हैं, जिनको उस प्लांट में अभी तक कोई भी राइट नहीं दिया गया है जिसके लिए हमने ह्यूमन राइट कमीशन को भी लिखकर दिया है। उनकी जो जमीनें उस प्लांट में गई हैं उनको एक पैसा भी नहीं मिला है और अब उनको उनकी जमीनों से जबर्दश्ती पुलिस के जरिये हटा रहे हैं और इस प्रकार से उनका हैरसमेंट हो रहा है। अगर उनको रहने के लिए जमीन और खाने के लिए कोई रोजागर की व्यवस्था नहीं की गई ये लोग कैसे रहेंगे। मुझे पता चला है कि सरकार ने उनकी ज़मीनों का एक लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कम्पनी से पैसा ले लिया है, लेकिन जमीन के मालिकों को सिर्फ .35 हजार करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से ही पैसा दिए जाने की बात कही जा रही है। इस कम्पनी को जितना जंगल दिया गया था उससे ज्यादा उस कंपनी ने जंगल घेर लिया है। इसलिए मै। आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ आवश्यक निर्देश जाने चाहिए।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारत के फिशरमैन को फिशिंग करने में आ रही बड़ी असुविधा की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। जो हमारे फिशरमैन हैं वे फिशिंग करने जाते है, तो पाकिस्तानी 'कोस्टगार्ड' उन्हें पकड़ लेते हैं और इस प्रकार 110 लोग और 18 बोट पाकिस्तानी खौज़गारों ने कोस्टगार्ड ने पकड़ लिए है। इस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री से भी मिली थी उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम लोग कुछ करेंगे। पाकिस्तानी फिशरमैन अगर कोई गलत काम करते हैं और हमारी टैरीटरी का उल्लंघन करते है, तो उनको भारत के कोस्टगार्ड लोग पकड़ लेते हैं और इस प्रकार से 109 फिशरमैन और 9 फिशिंग बोट हमारे देश में पाकिस्तान की पकड़ी गई है। अब पाकिस्तानी सरकार का कहना

है कि अगर भारत हमारे फिशरमैन और बोटो को छोड़ेगा, तो हम भारत के फिशरमैन और बोटों को छोड़ेंगे।

मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो कुछ भी निर्णय लेना है, वह जल्दी से लें और हमारे देश के जो मछुआरे पाकिस्तानियों ने पकड़ रखे हैं उनको भारत लाने की व्यवस्था करें। अब वर्षा का समय आने वाला है और समुद्र में बहुत ज्यादा पानी के साथ तूफान आएगा जिसके कारण वे अपनी बोटों में वापस नहीं आ सकेंगे। इसलिए कोई कार्रवाई अविलम्ब करनी चाहिए क्योंकि हमारे हिन्दुस्तानी वहां बहुत परेशान हैं और उन्हें बहुत मेटल टेनशन है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रिवलेज मोशन का मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप ऐसे नहीं उठा सकते हैं। आपको पहले नोटिस देना चाहिए।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मुझे नोटिस अभी तक नहीं मिला है। आप कल उठाइएगा। यह मामला आप मेरी इजाजत से उठा सकते हैं।

श्री मोहन रावले : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को कल उठाऊंगा।

श्री साइमन मरान्डी (राजमहल) : अध्यक्ष महोदय : मैं बिहार प्रान्त के संथाल परगना कमिश्नरी के साहिबगंज जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड में मालीपाड़ा पंचायत है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र की पंचायत है उसकी ओर आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां ओले और वर्षा के कारण 8-10 बस्तियों में मकान ध्वस्त हो गए हैं जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। वहां पर अभी तक कोई भी राहत कार्य चालू नहीं हुआ है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि उनके लिए केन्द्रीय स्तर से राहत कार्य चालू क़र्ने के लिए विशेष सहयता देकर राहत कार्य चालू करवाएं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्त दक्षिण) : महोदय, गैस बैंकीय वित्तीय निवेश कम्पनियां, विशेष तौर पर चिट फंड कम्पनियां, इस देश में अपना व्यापार कर रही हैं। मेरे राज्य से ही उन्होंने गरीब लोगों यथा रिक्शा-चालक, गांव वालों तथा सामान्य व्यक्तियों से 1000 करोड़ से अधिक रुपये एकत्र किये हैं। इन गरीब लोगों ने इन चिट फंड कम्पनयिों में पैसा जमा किया है। 10-15 वर्ष के बाद जब भुगतान किया जाना है, तब वे सदस्यों को रुपया दिए जाने का विरोध कर रहे हैं ये कम्पनियां लोगों को निर्दयतापूर्वक लूट रही हैं। मैं सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं जिससे कि ये कम्पनियां गरीब लोगों को न लूट सकें। सरकार को इन कम्पनियों की ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहिए। गरीब लोगों के पैसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। यह काफी गंभीर मामला है और मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय से सविनय आग्रह करता हूं कि वे मामले को उचित रूप से देखने के लिए मंत्री को निर्देश दें तथा इस संबंध में वक्तव्य दें।

श्री श्रीकान्त जेना : (कटक) : ऐसी स्थिति लगभग सभी जगहों पर बनी हुई है। चिट-फंड के नाम पर कोई कम्पनी खोल दी जाती है तथा यह इस प्रकार के कार्य करती है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह काफी गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना चाहिए था जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से जवाब भी मिलता।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : श्री अन्ना हजारे, एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता, जो पहले ही लौटकर आ चुके हैं...

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा मामला उठाना चाहिए जो केन्द्र सरकार से किसी प्रकार से संबंधित हो। हमारे यह हर राज्य में ऐसे मामलों को देखने के लिए राज्य विधान मंडल मौजूद हैं। लेकिन सभा में ऐसे मामले उठाने के लिए सदस्य हमेशा इच्छुक रहते हैं। यदि मैं किसी सदस्य को राज्य से संबंधित कोई मामला उठाने की अनुमति दूं तो मुझे प्रत्येक व्यक्ति को अनुमति देनी होगी और तब आप नाराज हो जाएंगे।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, उन्होंने पहले ही पद्‌मश्री पुरस्कार लौटा दिया है तथा अब वह सरकार को पद्‌मभूषण पुरस्कार भी लौटाने जा रहे हैं।

महोदय, दूसरी बात यह है कि 19 अफसरों के खिलाफ कई करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का मामला है। जिसमें से 6 अफसर भारतीय विदेश सेवा के हैं। इसीलिए महोदय, मैं आपसे एक अपील करना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : इन सभी मामलों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इन्हें प्रश्न के रूप मैं रख सकते हैं तथा उचित उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

श्री अन्ना जोशी : 1 मई से वह अनिश्चितकालीन उपवास पर हैं और यदि इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ 5 मई के पहले यानी आज तक कदम नहीं उठाया जाता है तो वह केन्द्र सरकार को पद्‌मभूषण लौटाने जा रहे हैं। कई और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं जो श्री अन्ना हजारे के अनिश्चितकालीन उपवास में उनके साथ हैं। अतएव, महोदय मेरी अपील है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए तथा सभा में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम केवल प्रश्न पूछते रहे हैं परन्तु हमें जवाब नहीं मिल रहा है। सौभाग्यवश, आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर पा रहे हैं। कल हमने नागर विमानन मंत्री से कहा था कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में उड़ान की स्थिति पर वक्तव्य दें तथा मंत्री वक्तव्य के साथ तैयार बैठे हैं। मैं अब मंत्री से वक्तव्य देने को कहूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, उन्हें भुवनेश्वर की उड़ान के बारे में भी कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, कृपया मामले को जटिल न बनाएं। हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुद्दे को तय किर लिया है। कृपया उन्हें वक्तव्य देने को कहें।

[हिन्दी]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पूर्वोत्तर में वायुदूत का संचालन

12.19 म.प.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय और सदस्य

दिनांक 26 मार्च, 1994 को एक निर्णय लिया गया था कि वायुदूत सभी 4 उपयोगी विमानों सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचालन पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि दो विमान कलकत्ता और दो विमान गुवाहाटी में उपलब्ध रहेंगे।

11 अप्रैल, 1994 से 3 डोर्नियर शेड्यूल सहित प्रचालन शुरू करने का प्रस्ताव था। चौथा विमान सहायता के लिए उपलब्ध था। तेरह स्टेशनों को वायु सेवा से जोड़ने का निर्णय लिया गया था।

इस समय केवल दो डोर्नियर विमान प्रचालन पर है। तीसरे और चौथे विमान को निम्नलिखित कारणों से सेवा में नहीं लगाया जा सका :-

1. वायुदूत के पास केवल दो उपस्कर इंजीनियर थे। इनमें से एक ने नौकरी छोड़ दी और दूसरा अपनी माता की गंभीर स्थिति के कारण छुट्टी पर चला गया।
2. कंपनी में मौजूद सामान्य अशांति और एक कर्मचारी द्वारा जारी रखी गई भूख हड़ताल।

उपस्कर इंजीनियर अब छुट्टी से वापस आ गया है और 2 मई, 1994 से भूख हड़ताल वापस ले ली गई है।

तीसरे विमान पर कार्य पुनः शुरू हो गया है और दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रचालन के लिए तैयार होने की सम्भावना हैं तीसरे विमान के शामिल होने से वायुदूत निम्नलिखित स्टेशनों के लिए प्रचालन करेगा :-

1. कलकत्ता
2. कूच बिहार
3. बागडोगरा
4. अगरतला
5. शिलांग
6. एजवाल
7. गुवाहाटी

8. सिल्चर

9. दीमापुर

10. लीलाबाड़ी

11. डिब्रूगढ़

12. तेजू

13. ज़ेरो

निजी प्रचालक अनुसूचित प्रचालक बन जाने के बाद अपनी उड़ाने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी प्रचालित करेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समस्त प्रचालनों की समीक्षा की जाएगी और उसके पश्चात उन्हें युक्तियुक्त बनाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा वक्तव्य है। किन्तु कल हमारे समक्ष माननीय सदस्यों ने यह स्पष्ट मांग रखी थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुदूत अथवा निजी संचालकों की सेवाएं जारी रखी जाएं जिससे कि उन क्षेत्रों से आने वाले लोगों को परेशानी न हो। मुझे इस बात की तसल्ली है कि मंत्री महोदय ने इस मामले को देखा है। मुझे यह आशा है कि यह कार्य अवश्य किया जाएगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : मैं उनका इस बात के लिए अत्यधिक आभारी हूं कि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी सेवाएं प्रदान की हैं। किन्तु महोदय महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जबलपुर इससे बिल्कुल कटा हुआ है। जबलपुर के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। लगता है वह इसे भूल गए हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वायुदूत सेवा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आरंभ की गई थी।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : उन्हें जबलपुर क्षेत्र का भी ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस प्रश्न पर सभा का विचार बिल्कुल स्पष्ट था। जो लोग उस क्षेत्र से संबंधित हैं वे भी इस प्रश्न पर उद्वेलित थे। मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले पर ध्यान देगी।

श्री गुलाम नबी आजाद : हां।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगौन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के धुलिया-मुम्बई और मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में मनमाड-इन्दौर प्रस्तावित रेल मार्ग को लेकर चल रहे आन्दोलन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : रेल बजट पर चर्चा हुए अभी दो दिन भी नहीं हुए हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सरकार का ध्यान अधिकृत सूत्रों से प्राप्त इस रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चीन द्वारा इसी वर्ष के भीतर दो भूमिगत परमाणु परिक्षण किये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। आपको इन सब बातों की जानकारी होगी। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि ऐसे मामले अधिकृत जानकारी के बिना नहीं उठाए जाने चाहिए। आप पहले अधिकृत सूचना प्राप्त करें, मुझसे मिलें और यदि आप मुझे संतुष्ट कर पाएं तो कल आप इस मामले को उठा सकते हैं। अब कृपया आप बैठ जाएं।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, उड़ीसा में लगभग दस लाख बुनकरों और पचास हजार विद्युत करघा श्रमिकों को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें सूत आपूर्ति नहीं की गई है और सूत की कीमतें ऊंची हो गई हैं। पिछले छः महीनों के दौरान धागे की कीमतों में 90 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई थी। इसके साथ-साथ बिक्री संगठनों को भी नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये स्पिनिंग मिलें बिकने वाली है। अतः इससे न केवल बुनकर ही बल्कि विद्युत करघों में कार्यरत श्रमिकों को भी गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कुल 5000 विद्युत करघों में से 2000 सहकारी क्षेत्र में हैं। वे सभी बंद हो चुके हैं। निजी क्षेत्र के भी कुछ विद्युत करघे बंद हो चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप 50000 श्रमिक बेकार हो गए हैं। इन विद्युत करघों को लगभग 3000 लाख टन सूत चाहिए जो कि उन्हें दिया नहीं जा रहा है। इसलिए एक ओर तो ये बुनकर और दूसरी ओर इन विद्युत करघों के कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। कुछ तो आत्महत्या कर चुके हैं। यह बात समाचार-पत्रों में भी छप चुकी है।

जब उन्हें सूत की पूर्ति नहीं की जाती है तो उनके सामने गंभीर स्थित पैदा हो जाती है। इन्हें इस सूत की पूर्ति इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि सूत का उत्पादन करने वाली सभी कताई मिलें बंद हो चुकी हैं।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और यह देखें कि उन्हें सस्ती दरों पर सूत पूर्ति हो। इस अवधि के दौरान उनसे वापस लिये जाए तथा अन्य प्रोत्साहन पुनः जारी किये जाएं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पटना के ग्रामीण इलाकों की तरफ ले जाना चाहता हूं। सरकार की नीति है कि हर पंचायत को डाकघर से जोड़ने का हम काम करेंगे, टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का काम करेंगे।

सरकार की यह नीति रहने के बावजूद हमने कई बार प्रयास किया और स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों को पत्र लिखने का काम किया है कि सुदूर इलाके में जो गांव हैं, जहां पंचायत स्तर पर डाकघर खोलने हैं, टेलीफोन केन्द्र खोलने हैं मगर आज तक स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से न डाकघर खोले जा रहे हैं और न टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन होगा कि पटना संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाको में यथाशीघ्र जहां डाकघर नहीं खुल सके हैं और टेलीफोन केन्द्र नहीं खुल सके हैं, जिससे लोगों को काफी कठिनाई हो रही है, वहां डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खुलवाने का कष्ट करें।...**(व्यवधान)**...

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद की ओर ले जाना चाहता हूं।

फिरोजाबाद एक ऐसी नगरी है, जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के अन्दर अपना एक अलग स्थान रखती है। अभी हाल ही में ताज ट्रेपेजियम के सम्बन्ध में फिरोजाबाद को भी ले लिया गया है। मैं तो सरकार से सिर्फ यह चाहता हूं कि औरैया से गैस पाइपलाइन की मैंने जो मांग की थी और बहुत से एम.पीज. ने लिखकर दिया था और वह माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले भी थे लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी ध्यान उस तरफ नहीं दिया है। कम से कम 15 लाख श्रमिक वहां काम करते हैं, इस कारण वह भी बेरोजगार होने जा रहे हैं।

मिट्टी के तेल और कोयले से जो काम करते है, उनमें से 55 परसेण्ट लोग टी.वी. की प्राणघातक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि औरैया से गैस पाइपलाइन से तुकाबाद, फिरोजाबाद और आगरा को जोड़ा जाय। इससे उद्योग भी बस सकेंगे और बाकी श्रमिकों को जो प्राणघातक बीमारी टी.वी. होती है, उससे भी उन्हें बचाया जा सकेगा। मेरी यही प्रार्थना थी।...**(व्यवधान)**...

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए और राष्ट्रीय भण्डारों को भरने के लिए गेहूं की आज जो खरीद सरकार के द्वारा हो रही है, उसमें किसानों को ठगा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस पर स्टेटमेंट करने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : किसानों को ठगा जा रहा है। उनको इस तरह ठगा जा रहा है कि अधिक संख्या में किसान अपना गेहूं लेकर जाते हैं तो दलाल लोग खड़े हो जाते हैं।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मौलैसिस पशु आहार में लगने वाली एक प्रमुख वस्तु है। जब से मौलैसेस का डिकन्ट्रोल हुआ है, तब से उसकी कीमत 400 रुपए से 1400 रुपए हो गई है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि दुग्ध आहार बढ़ी कीमत पर भी मिल नहीं रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन, जिसको कि विदेशों से बड़ी मात्रा में दुग्ध चूर्ण का आर्डर मिला हुआ है, वे अपने दुग्ध उत्पादन को करने में असमर्थ हैं, क्योंकि पशु-आहार उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह दुग्ध आहार की बात है या पशु आहार की बात है ?

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : उसके लिए मोलैसिस उपलब्धि के बारे में उचित व्यवस्था की जाए, ताकि उनको पशु आहार मिल सके। डिकन्ट्रोल और एक्सपोर्ट के कारण भाव बढ़े हैं। अतः मोलैसिस का निर्यात संतुलित किया जाये।

12.31 म.प.

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचना

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 635 (अ), जो 25 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जुलाई, 1967 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2464 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र, (केवल हिन्दी संस्करण), जो 25 नवम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या का. आ. 901 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5841/94]

रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास का 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5842/94]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अधिसूचना और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 5 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 124 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र, जो 3 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 255 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5843/94]

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5844/94]

(5) (एक) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5845/94]

(7) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(८) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5846/94]

(9) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5847/94]

12.31½ म.प.

याचिका समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं याचिका समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.32 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वर्ष 1994-95 के मौसम के लिए कच्चे पटसन की मूल्य नीति

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : भारत सरकार ने असम में 1994-95 मौसम के लिए कच्ची पटसन के टी.डी.-5 ग्रेड का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य 470 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह वर्ष 1993-94 के मौसम के लिए निर्धारित मूल्य से 20 रु. प्रति क्विंटल अधिक है। कपड़ा मंत्रालय के पटसन आयुक्त कच्ची पटसन की अन्य किस्मों और स्तर के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य बाजार मूल्य अंतर के आधार पर निर्धारित करेंगे।

भारतीय पटसन निगम (भा.प.नि.) आवश्यकता के अनुसार, कच्ची पटसन के लिए मूल्य समर्थन संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ करेगा। भारतीय पटसन निगम को अपना कार्य सुचारू रूप से निपटाने के लिए समय पर पर्याप्त निधियां दी जाएंगी।

यह आशा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि से किसानों को पटसन की और अधिक खेती करने तथा कच्ची पटसन के उत्पादन/उत्पादकता को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं। अब कृपया इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछें।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.34 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जयुपर और सिकन्दराबाद के बीच चलने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस का गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में हाल्ट दिये जाने की आवश्यकता।

श्री शिवचरण माथुर (भीलवाड़ा) : जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में औद्योगिक शहर के रूप में तेजी से विकसित हो रहा गुलाबपुरा शहर पश्चिम रेलवे के अजमेर-खंडवा मीटर गेज लाइन पर स्थित है। विगत में जब यह शहर केवल एक ग्राम पंचायत हुआ करता था, उस समय सभी तेज गाड़ियां विजयनगर स्टेशन पर रुकती थीं, जो गुलाबपुरा और विजयनगर के बीच नदी के दूसरी ओर है। जलप्रदायी स्टेशन होने के कारण सभी तेज गाड़ियां पहले विजयनगर स्टेशन पर रुकती थीं, किन्तु डीजल इंजन शुरू करने के कारण इंजनों में पानी भरने की आवश्यकता नहीं रही। पिछले 20 वर्षों के दौरान गुलाबपुरा तेजी से एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हुआ है। गुलाबपुरा में अब 3 बड़ी कपड़ा मिलें, कई सौ पावरलूम, इंजीनियरी एकक और लेड जस्ते की अगूचा खानें हैं। इस शहर की आबादी 10000 से बढ़कर 35,000 अर्थात् तिगुनी बढ़ गई है और इस शहर से अक्सर यात्रियों को रतलाम, इंदौर और खंडवा जाना होता है। पश्चिम रेलवे के महा-प्रबंधक से बातचीत के क्रम में मैंने इसकी चर्चा की थी और गुलाबपुरा स्टेशन के महत्व को देखते हुए यह तय किया गया था कि मीनाक्षी एक्सप्रैस (जयपुर से सिकन्दराबाद) गुलाबपुरा स्टेशन पर आते-जाते रुका करेगी, लेकिन खेद की बात है यह निर्णय अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में गहरा असंतोष व्याप्त है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह रेलवे बोर्ड को निर्देश दे कि मीनाक्षी एक्सप्रैस को आते-जाते गुलाबपुरा स्टेशन पर ठहराया जाये।

(दो) राजस्थान के आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को और अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : महोदय, राजस्थान में अपर्याप्त अकाल राहत कार्य चल रहा हैं। मैं आज ही अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। वहां पर अकाल राहत के कार्यों पर जो श्रमिक लगे हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। बहुत-सी पंचायतों में अकाल राहत कार्य खोले ही नहीं गये हैं।

12.35 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

खास कर आदिवासी क्षेत्र में अकाल की स्थिति बहुत ही खराब है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार को विशेष सहायता के रूप में अधिक धन दिया जाये तथा आदिवासी क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार को निर्देश दिये जाये। जिन पंचायतों में कार्य नहीं खुले

हैं अथवा नाममात्र के कार्य चल रहे हैं, वहां अधिक से अधिक अकाल राहत कार्य खोले जायें और श्रमिकों को अकाल राहत कार्यों पर लगाया जायें। क्षेत्र में पेयजल की भयंकर समस्या है, इससे निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प लगवाये जायें। इसी प्रकार पशुओं के लिए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर चारे के डिपो खोले जायें। राजस्थान से मजदूरों का पलायन न हो, इसके लिए उनकी मजदूरी बढ़ाई जाये।

(तीन) सहरसा, बिहार में एक बड़ा उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : महोदय, उत्तर बिहार की सहरसा, सुपोल जिले बहुत ही पिछड़े हुए जिले हैं। सहरसा के कमिशनरी क्षेत्र होने के कारण फिर भी यहां पर अभी तक केन्द्र सरकार ने कोई उद्योग नहीं लगाया है और इसी कारण सहरसा तथा सुपोल जिलों का कोई विकास नहीं हो सका है साथ ही यहां की शिक्षित जनता को अपने रोजगार के लिए किसी अन्य जिले तथा दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाना पड़ता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह सहरसा जिले में कोई एक बड़ा उद्योग लगाये, जिससे कि यहां की गरीब जनता को रोजगार के लिए अन्यत्र न जाना पड़े और उन्हें सहरसा में ही रोजगार प्राप्त हो सके साथ ही इस जिले का विकास भी हो सके।

(चार) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मंडी समिति स्थल पर रेलवे लाइन पर उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता।

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जनपद है। जनपद में छः शुगर मिलें, भूसी से तेल निकालने वाले उद्योग तथा अनेकों राईस मिलें हैं, जिसके कारण हजारों ट्रकों, बैलगड़ियों, डनलपों को आवागमन रहता है। वन एरिया होने की वजह से लकड़ी के ट्रकों की भरमार रहती है। नेपाल बार्डर होने की वजह से मिलिट्री का आवागमन हर समय बना रहता है।

लखनऊ से बरेली, लखनऊ से नैनीताल दो रेलों की मेन लाइनें तथा पीलीभीत से टनकपुर, पीलीभीत से शाहजहांपुर दो ब्रान्च लाइनें हैं। मेन लाईन पर 24 रेलें तथा ब्रांच लाइनों पर 20 रेलें चलती हैं। 24 घण्टों में उसके अलावा मालगाड़ियां चलती रहती हैं। ये रेलें ज्यादातर दिन में चलती हैं, इसी समय रोड ट्रैफिक भी ज्यादा चलता है। रेलवे लाईन और मेन रोड, जो दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल, बरेली, मुरादाबाद, टनकपुर, शाहजहांपुर को जोड़ता है, पर फाटक काफी समय तक बन्द रहता है। ट्रकों, डनलपों, रिक्शा, बसों, मोटरों की लम्बी लाईन लग जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। जनता परेशान हो जाती है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पीलीभीत से ट्रैम्फिक के लिए रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(पांच) राजस्थान की कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूर करने की आवश्यकता।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : राजस्थान देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,34,239 वर्ग कि.मी. है। जबकि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई केवल 2391 कि.मी.

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

है। राष्ट्रीय राजमार्गों का राष्ट्रीय औसत जबकि 9.43 है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की औसत लम्बाई 1000 वर्ग कि.मी. है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि वहां की कुछ महत्वपूर्ण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के पास राजस्थान से गुजरने वाले कुछ राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भेजा है। कुछ मार्ग, बीकानेर - मेडता - अजमेर - भीलवाड़ा - चित्तौड़गढ़ - रतलाम - इन्दौर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 और 3 को जोड़ते हैं तथा जिनकी लम्बाई 507 कि.मी. है, को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना चाहिये। इसी प्रकार से गुड़गांव से शिवपुरी के बीच की सड़क, जो कि अलवर - सरिस्का, दौसा और सवाई माधोपुर होते हुए जाती है और कोसी और धौलपुर से बीच की सड़क जो कामा, डीध, भरतपुर, रूपवास और सपाऊ जाती है, को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

उपरोक्त राजमार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से राज्य का विकास तीव्र गति से होगा। राज्यं सरकार की ये मांगें बहुत समय से लम्बित पड़ी हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से बिना किसी विलंब के इन मांगों पर विचार करने का अनुरोध करती हूं।

[अनुवाद]

(छः) आचार्य हरिहर रीजनल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट सोसायटी आफ उड़ीसा को अपेक्षित वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सरकार द्वारा मंजूर किए गए 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में से आचार्य हरिहर सेंटर फार रिसर्च एण्ड ट्रीट्मेंट सोसायटी आफ उड़ीसा एक है। इस संस्था के पास वर्तमान समय में एक सौ तीस बिस्तरों का अस्पताल है, जो केवल रोगियों के लिये है और जिसमें विभिन्न अर्बुद विज्ञान क्षेत्रों से संबद्ध प्रशिक्षित विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध है। उच्च शिक्षा के लिए संबंधित शाखाओं में सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह सोसायटी सक्रिय रूप से भी कैंसर की रोकथाम के बारे में नियमित शिक्षा प्रदान करने तथा कैंसर के मरीजों का पता लगाने के लिए शिविर आयोजित करता है।

यह केन्द्र उड़ीसा और उसके पड़ोसी राज्यों यथा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के आस-पास के क्षेत्रों के लगभग 350 लाख लोगों की आवश्यकता पूरी करता है। अतः इस संस्था को शोध और स्वास्थ्य सेवा की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में कैंसर के मामले भी बढ़े हैं।

उड़ीसा सरकार द्वारा जो धनराशि दी जाती है वह अपेक्षित व्यय के लिये बहुत कम है। राज्य सरकार इसे बेहतर बनाने के लिए तीस एकड़ और जमीन आबंटित करने पर राजी हो गई है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह आग्रह किया है कि इसके सर्वांगीण विकास के लिए साठ करोड़ रुपये की एकमुश्त धनराशि का प्रावधान किया जाये।

मैं भारत सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह समुचित धनराशि का नियतन करे तथा संस्था के विकास हेतु आवश्यक सहायता का प्रावधान करे।

[हिन्दी]

(सात) बिहार के जहानाबाद जिले को सघन रोजगार योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की आवश्यकता।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने नई विकास नीति के तहत बिहार के कुछ जिलों को सघन रोजगार योजना के अंतर्गत लिया है, पर संवेदनशील एवं आतंकवाद से प्रभावित जिला जहानाबाद को इस योजना से वंचित रखा गया है, जबकि इसी का मूल जिला गया है, जिसको इस योजना के अंतर्गत लिया गया है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जहानाबाद जिले को सघन रोजगार योजना के तहत लिया जाये एवं इस संवेदनशील जिले में विशेष विकास निधि का आबंटन कर उग्रवाद पर काबू किया जाये, जिससे नौजवानों के उग्रवाद की तरफ पलायन एवं असंख्य मानव वध को रोका जाये।

(आठ) केरल राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने के लिए राज्य को पूरी केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : मैं सरकार का ध्यान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मैट्रिक पास विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों हेतु अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि इस योजना को शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना कहा जाता है, किन्तु केरल राज्य को इस पर कुल खर्चे का केवल एक छोटा-सा भाग केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होता है। यह इसलिए कि सातवीं योजना के अंत तक पहुंची योजना के खर्च का स्तर राज्य सरकार का प्रतिबद्ध दायित्व समझा जाता है। सातवीं योज़ना की समाप्ति वर्ष (1989-90) तक हुए खर्च के अतिरिक्त ही केवल केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती है। अतएव, केरल राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत अच्छी रकम खर्च कर रहा है।

योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि प्रत्येक वर्ष एक नये खर्चे के रूप में खर्च होता है। यह उस अर्थ में कि लाभार्थी (विद्यार्थी) या तो नए हैं या नए पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं। अतएव कोई प्रतिबद्ध खर्च इस योजना के अन्तर्गत नहीं होता है। उपरोक्त कारणों से, मैं भारत सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह केरल राज्य के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मैट्रिक पास छात्रों हेतु छात्रवृत्ति के लिए पूरी केन्द्रीय सहायता सुनिश्चित करे।

12.44 म.प.

वित्त विधेयक, 1994 – जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या-8 वित्त विधेयक पर विचार करेंगे। इस मद पर दस घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उपयोग किया गया सम्म 3 घंटे और 55 मिनट है। बकाया समय

छः घंटे और पांच मिनट है। श्री निर्मल कांति चटर्जी बोल रहे थे। वह अपना भाषण अब जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, वित्त मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री चटर्जी किस तरह अपना भाषण शुरू कर सकते हैं ?

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, वह वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में किस प्रकार बोल सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : महोदय, वह किसी प्रकार बोल सकते हैं ? अभी वित्त मंत्री, संसदीय कार्यमंत्री या कोई अन्य भी उपस्थित नहीं है। इसे सहन नहीं किया जा सकता है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वे सब कहां हैं ?

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : वित्त मंत्री को सदन में आ जाने दें।

श्री तरित बरण तोपदार : आप वित्त मंत्री के आने तक सभा को स्थगित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी को अपना भाषण जारी रखने दिया जाए माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रमुख प्रश्न नोट करेंगे।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, श्री निर्मल कांति चटर्जी नहीं बालेंगे। आप वित्त मंत्री के आने तक सभा स्थगित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय वित्त मंत्री सभा में आ चुके हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, जैसा कि वे कहते हैं, देर से आना न आने से बेहतर है। यह मेरे वक्तव्य की समाप्ति का अंश भी हो सकता है।

सबसे पहले, इस दिन आपने मुझे जो इतनी जल्दी बुलाया उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।

जब हम वित्त विधेयक पर विचार करते हैं, तो हम इसे भारत सरकार की पावती बजट के रूप में इसका परीक्षण करने की कोशिश करते हैं, जो सरकार की केन्द्र के पास जमा का एक हिस्सा है। स्वाभाविक रूप से वह भी समूची अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। अतएव अब हम इस वित्त विधेयक का मूल्यांकन करें कि यह किस प्रकार अर्थव्यवस्था की समस्याओं का मुकाबला करता है, इस विधेयक के अन्दर क्या है तथा वित्त विधेयक का स्वरूप क्या है।

अब इसके पहले वित्त विधेयक के बिना भी सभा को याद दिलाना चाहिए कि रेलवे बजट के शासित मूल्य के अन्तर्गत पहले ही 4300 करोड़ रुपये एकत्र किये जा चुके हैं। अब, हम परिचर्चा के तीसरे चरण में हैं। अब यह तीसरा चरण है न कि अंतिम चरण। वित्त वर्ष के अंत में चौथा चरण आयेगा–अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगें। इस बीच अधिसूचना तथा शासित मूल्य बढ़ाने से संबंधित भी कई आधे तथा चौथाई चरण होंगे। आगामी वर्ष शायद अंतिम चरण हों अथवा उसके बाद भी भारत सरकार द्वारा किये गये अतिरिक्त खर्च को लोक लेखा समिति द्वारा तथा अंत में सभा द्वारा मंजूर किया जाना है।

इन सबके द्वारा, मुझे यह कहना है कि यह वित्त विधेयक मुझे बहुत ज्यादा दुखी करता है क्योंकि यह दर्शाता है कि जो नहीं होना चाहिए था, वह हुआ है। ऐसा लगता है जैसे एक सुयोग्य व्यक्ति के हाथ से अर्थव्यवस्था की बागडोर पूरी तरह निकल गई हो और इस पकड़ के बारह जाने का परिणाम बजट-प्रस्ताव में पूरी तरह दिखाई देता है। ऐसा वादा किए गए अत्यधिक ऊंची मान्यताओं तथा दावों से परिलक्षित होता है तो प्रतिदिन किये जाते हैं तथा जिन्हें अगले दिन नकार दिया जाता है।

लेकिन महोदय, यह व्यक्तिगत बात है–एक सुयोग्य व्यक्ति है कांग्रेसियों के बीच गिर गया है।

एक माननीय सदस्य : भूखे-भेड़ियों के बीच।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : देश उनके कार्य को तथ्यों के आधार पर नहीं देखेगा, बल्कि देश उसे काफी खतरनाक प्रदर्शन, काफी गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन के रूप में देखेगा, एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे वे जीवन के अन्य क्षेत्रों में काफी ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं।

वर्तमान वित्त मंत्री की शुरुआती दिक्कत ही संशोधित प्राकल्लन से है। मैंने इसका उल्लेख सामान्य बजट पर बोलते हुए किया था। यह आशा की जाती है कि संशोधित प्राक्कलन अगले वर्ष के लिए अनुमान की शुरुआत होनी चाहिए। वस्तुतः मुझे संदेह है कि स्थिति कहीं इसके विपरीत न हो। नीतिगत निर्णय, जहां से भी आयें, जिस दृष्टि कोण से आयें, पहले तय किए जाते हैं तथा संशोधित प्राक्कलन निष्कर्ष के रूप में आते हैं, अतः इसे आरंभ में ही निर्धारित किया जाना चाहिए। मेरे इस वक्तव्य को क्या उचित ठहराता है ? मेरे पास तीन वर्ष के बजट और संशोधित प्राक्कलनों का तीन सेट का दस्तावेज है। वास्तविक आंकड़े संशोधित प्राक्कलन से कभी भी मेल नहीं खाते हैं। यह सभी वर्षों के लिए सही है कि वह बजट पेश करते रहे हैं, सिवाय शुरुआती एक के, जिसके लिए उनका दायित्व आंशिक अवश्य है तथा पूरी तरह नहीं है। मैं इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा। 1991-92 में, राजस्व प्राप्ति के वास्तविक आंकड़े संशोधित प्राक्कलन से कम थे तथा स्वाभाविक रूप से कुल प्राप्तियां संशोधित प्राक्कलन से कम थीं। 1992-93 के लिये परिस्थिति विलक्षण थी। राजस्व प्राप्तियां बजट प्रस्ताव से भी कम है। अतिरिक्त मांग के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद वे इस पर भी टिप्पणी कर सकते है। वास्तविक आंकड़े क्या होंगे, हम नहीं जानते हैं। यह कर-राजस्व के लिए सही है। यह गैर कर राजस्व के लिये सही है, यह पूंजीगत प्राप्तियों के लिए सही है तथा इसलिए यह कुल प्राप्तियों के लिए सही है। इन प्रत्येक मद के लिए वास्तविक आंकड़े पहले प्रस्तुत की गई संशोधित प्राक्कलन से कम है। इस वर्ष का संशोधित प्राक्कलन एक विलक्षण दृश्य पेश करता है। 1993-94 के लिए निगमित कर के लिए बजट प्राक्कलन में 10,500 करोड़ रुपये था। यह वित्त मंत्रालय के अफसरों की तीक्ष्ण बुद्धि का परिणाम है कि संशोधित प्राक्कलन ठीक 10,500 करोड़ रुपये है।

आयकर में बजट प्राक्कलन 9,500 करोड़ रुपये है तथा संशोधित प्राक्कलन ठीक 9,500 करोड़ रुपये है।

यह बजट आंकलन और संशोधित आंकलन है, लेकिन निर्विवाद रूप से इनमें से कोई भी आंकलन वास्तविक नहीं है। अभिलेख भी यही दर्शाता है, अन्य कुछ नहीं। मैं अभिलेख के आधार पर कह रहा हूं। ब्याज कर का बजट आंकलन 900 करोड़ है और इसके लिए संशोधित आंकलन 900

[श्री निर्मल कांति चटर्जी]

करोड़ रुपये है। (व्यवधान)... संशोधित आकलनों में 1994-95 बजट के लिए कुछ कल्पनाओं और प्रस्तावों के अनुकूल बनाने के लिए फेरबदल किया गया है। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

महोदय, यह यहीं समाप्त नहीं होता। 1994-95 हेतु राजस्व के प्रस्ताव संशोधित आंकलनों पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि बजट प्रस्तावों के दौरान वित्त मंत्री ने कुछ राजस्वों का त्याग किया था। यह बजट भाषण में मौजूद है। अब इस को ध्यान में रखिए, इसका स्तर संशोधित आंकलन के आधार पर वित्त मंत्री के अपने व्यक्तव्य के अनुसार जितना भी त्याग किया था, उसमें से घटा दीजिए। मैं आपको आंकड़े भी उपलब्ध कराऊंगा।

उत्पाद कर में उन्होंने 22,500 करोड़ के संशोधित आंकलन में से 2,282 करोड़ रुपये कम किये हैं। वह कहते हैं कि 1994-95 में 25,200 करोड़ वसूलेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते है कि उस बढ़े हुए आकलन का निहितार्थ क्या है? निर्यात में यह 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है, जिसके कारण वे बढ़ी हुई राशि वसूल सकेंगे। हमें अन्य आंकड़ों पर भी नजर डालनी चाहिए। प्रत्यक्ष करों पर उन्होंने 10,500 करोड़ का संशोधित आकलन नियत किया है और बजट आकलन के अनुसार उन्होंने 1,375 करोड़ की कमी की है। उनका प्रस्ताव वर्ष के दौरान 37 प्रतिशत अधिक राजस्व एकत्र करने का है। वह कहते हैं कि उन्होंने इन सभा योजनों को ध्यान में नहीं रखा है। मैंने निगमित कर की बात की थी। वह निगम गतिविधियों में 37 प्रतिशत विकास दर की आशा कर रहे हैं। मेरी समझ से ये ऊंची-ऊंची कल्पनाएं वास्तविकता से कोसों दूर हैं।

आयकर में, उन्होंने 1,075 करोड़ कम किए हैं। उन्होंने 30 प्रतिशत विकास दर का पूर्वानुमान किया है। व्यय कर में उन्होंने 190 करोड़ की संशोधित आंकलन में से 95 करोड़ कम किए हैं। उन्होंने केवल 95 करोड़ एकत्र किये हैं और छूट देने के बाद वह 210 करोड़ एकत्र करने की आशा करते हैं। यह इस वर्ष के लिए 150 प्रतिशत अधिक है।

(व्यवधान)

महोदय, वित्तमंत्री मुस्करा रहे हैं। वह हीरो हैं। उन्हें ऐसी धारणाएं बनाने का हक है। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में अनेक विरोधाभाषी बातें हैं। उन्होंने वाजपेयी जी को भिन्न सन्दर्भ में उत्तर दिया था।

1.00 म.प.

आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा व्यापार में समान संतुलन, शून्य व्यापार संतुलन है और यहां भी वह आयकर में 25 प्रतिशत विकास दर की आशा करते हैं। निर्यात के बारे में उनका आकलन है कि गत वित्तीय वर्ष के प्रथम 11 महीनों में उन्होंने बहुत हासिल किया है। वह यह कहकर बहुत खुश थे कि आयात में वृद्धि नहीं हुई है। यह स्पष्ट है, हम जानते हैं कि उनके दावे तथ्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, मार्च के महीने में भी आयातों में अपूर्व वृद्धि हुई है, जो उनके शून्य व्यापार संतुलन के दावे को गलत सिद्ध करते हैं। अपने आपको इस स्थिति में भी पाकर वे देश को अपने मार्ग दर्शन में चलाना चाहते हैं।

महोदय, मैंने कहा है कि ये धारणाएं अव्यावहारिक हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि राजस्व आशानुरूप मात्रा में एकत्र नहीं हो पाएगा। यदि सीमा शुल्क कम होता है, तो व्यापार संतुलन उनके लिए समस्या पैदा करेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमें सभा को भोजनावकाश तक स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि वह कुछ और समय लेंगे।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, आप उन्हें बोलने के लिए अधिक समय दे रहे हैं और आप हमें अपनी बात 10 मिनट में समाप्त करने के लिए कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं। मैं सच्चे अर्थों में निष्पक्ष हूं। परन्तु श्री अन्ना जोशी जी का ध्यान मेरे ऊपर ही रहता है।

श्री चटर्जी महोदय, कृपया अपनी बात 5 मिनट के अन्दर समाप्त करिये।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, उनके इस विचार के पीछे धारणा यह है कि यदि दर कम होगी, तो राजस्व अधिक एकत्र होगा, और हम देखेंगे कि यह भी सच्च साबित नहीं होगा। जैसाकि उन्होंने करों में कमी की है, सीमा शुल्क वसूली का उनका बजट आकलन अधिक था और वह सीमा शुल्क में कमी करके वे कम राजस्व वसूली की धारणा बना रहे हैं। यह प्रत्यक्षकरों के बारे में भी सच है। उन्होंने दावा किया है "आप क्यों नहीं देखते हैं कि अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों का अनुपात बढ़ गया है". यह भी स्थिति का सतही दृष्टिकोण का संकेत है। वास्तव में वह 1993-94 के आंकड़े दे रहे हैं। प्रत्यक्ष करों के लिए उन्होंने परिवर्तन करने से इंकार कर दिया है, परन्तु सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के आंकलन को कम कर दिया है। इसी सम्बन्ध के कारण वो देख पा रहे हैं कि करों की सकल वसूली में प्रत्यक्ष करों का अनुपात अधिक है।

महोदय, मैं अब अन्य सतही बातों को लूंगा। यदि आप सभा को भोजनावकाश तक स्थगित करना चाहते हैं तो मैं इससे सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं, कि आप अपना भाषण समाप्त कर दें। आप पांच मिनट और ले सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं यह नहीं कर सकता हूं मैं आपकी अनुमति से कुछ और समय लेना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कर लें। कुछेक मित्रों ने आपत्ति की है, क्योंकि उन्हें मात्र 5 मिनट ही मिलते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं एक बात का वायदा कर सकता हूं। मुझे जितने समय की आवश्यकता है, उससे अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई न कोई रास्ता निकालने में समर्थ हैं, आप अपनी बात दो मिनट में ही क्यों नहीं समाप्त करते।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वह कहते हैं कि वे प्रणाली को सरलीकृत और तर्क संगत बनाने के साथ इसमें सामूहिक वर्गीकरण शुरू करने के प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार वह कुछ छूटों को समाप्त कर रहे हैं। वह सभी प्रकार की वस्तुओं और लोगों के लिए एक दर निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। वह सभी वर्गीकरणों में भिन्नताओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्य

[श्री निर्मल कांति चटर्जी]

प्रणाली साधारण है। वह जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। मेरी एक पूर्व धारणा है। वह करों के अपवचन को रोकने के लिए कम स्लेव बना रहे हैं। यह आयकर के लिए ठीक है, यदि वह केवल एक दर की सिफारिश करते हैं तो यह सबसे आसान रहेगी। तब प्रत्यक्ष करों की विशेषता, जिसे वह भी मानते हैं, समाप्त हो जाएगी। इस स्लेव को कम करके वह वास्तव में क्या कर रहे हैं। वित्त विधेयक का एक कार्य साम्य पूंजी के प्रति धारणाओं को पैदा करना और उन्हें समर्थन देना है। वह सरलीकरण की बात कर रहे हैं। उनके अप्रत्यक्ष करों का स्वरूप भी समान है। वह एक ही क्षेत्र में भिन्न प्रकार की वस्तुओं में कोई अन्तर नहीं करेंगे। मान लीजिए उच्च गुणवत्ता के साबुन हैं, जिन साबुनों का मूल्य अधिक निर्धारित होता है, उन्हें गरीबों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले और निर्धन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, निम्न श्रेणी के साबुन के साथ रखा जाएगा। वह कहते हैं कि उन्होंने छूट दी है। यह छूट भी दोषपूर्ण है, यह छूट हाथ से बनाए जाने वाले साबुन पर है और लघु क्षेत्र में बनाए जाने वाले साबुनों पर यह छूट नहीं दी गई है।

वास्तव में, मेरी आलोचना है कि देश में मौजूद आर्थिक स्तरण को वित्त मंत्री को ज्ञान नहीं हैं। वह सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। यह सरलीकरण है। वह हरेक, को यहां तक कि कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, अत्यधिक धनी, बहुत गरीब, निर्धनता की रेखा से नीचे वाला वर्ग, जो प्रत्यक्ष कर नहीं देते हैं, उन सभी को एक साथ शामिल करते हैं। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : दुहरे मानदंड हैं, परन्तु कार्य निष्पादन का स्तर निम्न है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं वित्त विधेयक पर आपकी चतुराई की बराबरी नहीं कर सकता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : आप किसकी बराबरी कर सकते हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मेरा मानना है कि एक षड्यंत्र चल रहा है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैंने तीन वस्तुओं का उल्लेख किया है।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम (सेलम) : उपाध्यक्ष महोदय, जबकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में यह कहा जा रहा है, तो सभा और प्रत्येक सदस्य पश्चिमी बंगाल के बारे में जानना चाहता है कि क्या पश्चिमी बंगाल में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने पश्चिम बंगाल और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाए हैं।

दूसरे, क्या पश्चिम बंगाल सरकार सर्वेक्षण कराने हेतु मेकिग्जे जैसे बहुराष्ट्रीय संगठनों का प्रयोग कर रहे हैं।

हम इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहेंगे। आप एक पार्टी विशेष की तरफ से सभा में एक प्रकार का बयान नहीं दे सकते, जबकि उनके अपने राज्य में ही दूसरा रुख अपनाया जा रहा है। हमें निश्चित रूप से स्थिति जाननी चाहिये।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं, उसे वह समझ नहीं पाए हैं। मैं देख रहा हूं कि इस तरह का स्तर-अंतर है। अभी मैं वित्त विभाग की चर्चा कर रहा हूं। मैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपको अपने दिमाग में देश का स्तर

विन्यास रखना होगा और वित्त विभाग का कोई लक्ष्य है तो एक यह है कि ऐसे स्तर-विन्यास के अनुसार आपको अपने प्रस्ताव इस तरह रखने होंगे, ताकि गरीबों की तुलना में अमीरों को अधिक चोट लगे। मैं यही प्रस्ताव रख रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि श्री ज्योति बसु सफल हुए हैं या नहीं, बावजूद इसके कि श्रीमती ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विषय में कुछ कह रही हैं। मेरा कहना यह है कि आप उनसे भिन्न प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सीधी-सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। साबुन के क्षेत्र में हमने बहुत अधिक कीमती साबुनों पर उत्पाद शुल्क कम कर दिए हैं। अब हम दबाव में हैं। हमें अहसास हुआ कि चुनाव आ रहे हैं। अतः हस्तनिर्मित साबुनों पर कर नहीं लगाया जा सकता। पर इन दोनों के बीच एक बड़ा भारी अंतर है। उसमें क्या होगा ? क्या उनमें अंतर की आवश्यकता है ? उन्होंने इस आशय का बयान दिया है कि जिनकी दरें ऊंची है, उन्हें कम किया जाए और जिन पर शुल्क नहीं है या जिनका कोई डर नहीं है, उन्हें बढ़ाया जाए। ऐसा क्यों है ? ऐसा सरलीकरण के लिए है। हमारे उत्पाद शुल्कों की पूरी परम्परा में हमें पता है कि उत्पाद शुल्कों और अप्रत्यक्ष करों से तकलीफ होती है। प्रकृति से ही यह प्रगति-विरोधी है। इस प्रकार हम उस उत्पाद क्षेत्र में उस अप्रत्यक्ष कर में भी ऐसा अंतर कर रहे हैं कि जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पर ऊंचे दर पर कर लगाया जाए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से कोई माल आता है, तो उस पर ऊंचे दर से कर लगाया जाना चाहिए। यदि कुछ वस्तुएं लघु क्षेत्र से आती हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाये। यदि यह लघु क्षेत्र से आती है तो दर कम रखना चाहिये।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम ठीक यही कर रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ऐसा नहीं हुआ है। आप वित्त मंत्री का भाषण पढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने आधा घंटा समय ले लिया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने आधा घंटा समय ले लिया है। आपको केवल 15 मिनट देने की बात थी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उनका कहना है कि उन्होंने सरलीकरण किया है। छूटें समाप्त की जा रही हैं। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ? किस प्रकार की छूटें समाप्त की गई हैं। उन्होंने एकदम छोटे और लघु क्षेत्रों पर मिलने वाली छूटें समाप्त कर दी हैं। उन्होंने एक अलग किस्म की छूट समाप्त नहीं की है। कुछ वर्षों पहले मैंने कुछ इस आशय का प्रश्न पूछा था कि लाभ कमाने वाली कितनी बड़ी कम्पनियां हैं, जो शून्य कर समूह में हैं ? श्री कुमारमंगलम यह जानते होंगे और उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए। किसी भी निगम कर का भुगतान नहीं होता। श्री प्रणव मुखर्जी ने अपने समय में यह कर लगाया था। सलाहकार समिति की बैठक में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि मुनाफा होता है तो कोई भी रियायत दी जा सकती है, ऐसी स्थिति में कम से कम 30 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। इस शर्त को हटा दिया गया है। छूटें तो हैं। छूटें उच्च आय अर्जित करने वाले क्षेत्र के लिए हैं, जो किसी प्रकार का कर नहीं देते। उन्होंने इसकी सिफारिश नहीं की है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि पिछड़े क्षेत्रों, अनुसंधान, लघु क्षेत्र, बिल्कुल छोटे क्षेत्र और बचत पर छूटें दी जानी चाहिए। हमारे आयकर अधिनियम और अन्य अधिनियमों में कई प्रकार की छूटें हैं।

[श्री निर्मल कांति चटर्जी]

इसका पता इस दृष्टांत से चलता है कि उच्च-आय अर्जित करने वाले एकक कर का भुगतान नहीं करते। पुनः दातव्य और न्यास हैं। उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। कर में छूट के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। दातव्य संस्थाओं को करों में रियायतें क्यों दी जाएं ? यह बिल्कुल अनावश्यक है। भूकम्प कोष के कर में रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ओर से मैं दूंगा। कुछ ऐसे भी न्यास हैं, जो गैर-दातव्य हैं। उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। वह कहते हैं कि यह सरलीकरण है, औचित्य पूर्ण कार्य है।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : आपके निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे दातव्य संस्थान हैं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस प्रकार उन्होंने बराबरी के सिद्धांत का तिरस्कार कर दिया है, जो वहां होना ही चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी, मुझे कृपया क्षमा करें। यही छूट प्रत्येक सदस्य को नहीं दी जा सकती।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं री-टालिंग की बात कर रहा हूं। कस्टम शुल्कों में परिवर्तन हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको आपके दल को दिए गए समय सीमा में ही बोलना है। आपने आधा घंटा से ज्यादा समय ले लिया है। यदि कोई आपत्ति उठाता है, तो अध्यक्ष पीठ के लिए यह परेशानी की स्थिति होगी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है और इसे स्वीकार करने में मुझे कठिनाई नहीं है। मैं जानता हूं, आप मुझ पर और भी कृपा कर सकते हैं। मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा।

बारह दावे किये गये हैं। उनका कहना है कि विशाल अन्न भंडार है। यह उपलब्धि होनी चाहिए। इस बात में केवल सतहीपन दिखाई देता कि यह अन्न भंडार देश में अनाज के निम्नतर प्रति व्यक्ति उपलब्धता पर आधारित है। यह बात जमती नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : पश्चिम बंगाल में अन्न उत्पादन के आंकड़ों के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं पश्चिम बंगाल की चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्षमा करें ! पश्चिम बंगाल का खाद्य उत्पादन बढ़ गया है। महोदय, इन्हें इसकी जानकारी है। इनका कहना है कि वहां विशाल विदेशी मुद्रा भंडार तैयार हुआ है। उनके ही दल के एक सदस्य की अध्यक्षता वाली वित्त की स्थाई समिति को भी यह कहना पड़ गया कि इस भंडार का केवल आकार ही नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और गठन को भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने इसके बारे में कहा था। मैं ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। जब भी वह बजट के संबंध में बोलते थे। तब वह यह दावा करते थे कि कीमतें आठ प्रतिशत बढ़ गई हैं। मैंने कहा था 'आप इसे दो अंकों से कम की संख्या में सीमित नहीं कर सकते। अब जबकि हम वित्त विधेयक की चर्चा कर रहे हैं, तो इस दावे के खोखलेपन का भांडा फूट गया है। व्यापार संतुलन

के बारे में इस दस्तावेज में कहा गया है कि 1994-95 के मार्च आयात में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई पर आप इन दावों का सत्यापन करें, जो दूसरे दावों के विरुद्ध हैं। मैं यह कहने को तैयार हूं कि ये मजबूत मुद्दे हैं। इन सबके बावजूद यदि ऐसा होना है तो उन्हें क्या करना चाहिए था ? यदि हमारे पास विदेशी मुद्रा संसाधनों का विशाल भंडार है, यदि मेरे पास विशाल अन्न भंडार है, यदि मूल्यों पर नियंत्रण किया गया है, यदि व्यापार का संतुलन है, तो उन्हें क्या करना चाहिए था ? उन्हें वृद्धि प्रोत्साहन मुहैया कराना चाहिए था। हमारे देश में तीन कारकों, तीन क्षेत्रों, लघु क्षेत्र के तीन खंडों या संभवतः आयातित अधुनातन प्रौद्योगिकी और बचत से वृद्धि होती है। हमें अक्सर चीन, रूस और अन्य देशों के बारे में बताया जाता है। चीन का कहना था, 'अपनी पूंजी वापस ले जाइये, क्योंकि उसका संबंध अद्यतन प्रौद्योगिकी से नहीं है।' सौभाग्यवश उनके यहां वित्त मंत्री के रूप में डा॰ सिंह नहीं हैं। इसलिए वे ऐसा कह सकते है। हम वह उच्च प्रौद्योगिकी का शर्त नहीं लगा रहे हैं। हम लघु क्षेत्र को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तीव्रतम गति से बढ़ने वाले क्षेत्र हैं। दावों के बावजूद लघु क्षेत्र और बजट में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन नहीं दिए गए हैं। **(व्यवधान)**

हमारे एक वित्त मंत्री हैं, जो जल्दबाजी में रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात की जानकारी है। मैंने जो भी कहा, वह उन्हें मालूम नहीं है। यह जल्दबाजी क्यों है ? वह जल्दबाजी में रहते हैं और यह शेयरों के निवेश समाप्ति पर सार्वजनिक लेखा समिति की रिपोर्ट में देखा गया है। मैं कहना भूल गया कि यह दूसरा रास्ता है। दूसरा क्षेत्र जहां से वृद्धि संभव है, वह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से है। इनमें से कुछ को बी.आई.एफ.आर. को सौंपने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह जल्दबाजी क्यों होती है। मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक दस्तावेज है। यहां वे जो कुछ भी कहते हैं, उस पर देश-व्यापी अभ्युक्ति इसमें दी गई है। यह नेपाल को दिए गए उनके सुझाव में शामिल है। सुझाव यह है : "नेपाल के आर्थिक कार्य-कलापों में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ा कर।" यह एक सुझाव है। आशय यह है कि सरकारी क्षेत्र के ऋण विवेकपूर्ण सीमा में रहें तथा सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी बचतों को पहले ही से अधिकृत न कर लें। आगे यह भी कहा गया है कि चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग दस प्रतिशत तक सीमित रखकर तथा सरकारी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र को कम करके तथा कार्यकुशलता में वृद्धि कर। उनकी यह सिफारिश नेपाल के संबंध में है। अधिकांश सरकारी एकाधिकारियों को पहले ही हटा दिया गया है। नेपाल के संबंध में उनकी यही सिफारिश है। वे रूस से सीख लेने की बात करते हैं। जी हां, हम निश्चित रूप से सीख लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रूस को भी दिग्भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक माननीय सदस्य इसी प्रकार जिद करते रहें, तो फिर अध्यक्ष पीठ की क्या स्थिति होगी ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं एक दोहा पढ़ूंगा। एक आदमी को जल्दी है। मैंने वहां पड़ने वाले दबाव का संकेत दिया है। जैसा हम सब जानते हैं; "वन मनमोहक एवं सघन हैं। हमें वायदे निभाने हैं और मीलों आगे जाना है।" उन्हें जल्दी है। इसके साथ 'किन्तु' जुड़ा है और वह है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा गैट।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्मल जी, आपने 40 मिनट ले लिये। मेरा तात्पर्य यह है कि सदस्यों का सहयोग भी आवश्यक है।

सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है तथा 2.25 मध्याह्न पश्चात् पुनः समवेत होगी।

1.26 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित हुई।

2.31 म.प.

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.41 म.प. पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वित्त विधेयक, 1994 – जारी :

प्रो. के. वेंकटगिरि गौड़ (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक, 1994 के विधेयक सं. 15 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। वित्त विधेयक विधि और वित्त का एक उलझा हुआ जाला है। वह एक अत्यंत जटिल और पेचीदा दस्तावेज है, जो मुझ जैसे साधारण व्यक्तियों की समझ से बाहर है।

मैंने उसका लगभग दस घंटे अध्ययन किया। मैं विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता कि मैंने उसे भली प्रकार समझ लिया है। उसमें देश के बदलते वित्तीय दृश्य के अनुरूप अनेक नये अधिनियम तथा पुराने अधिनियमों के अनेक संशोधन हैं।

अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने "**द वर्ल्ड बैंक इकानामिक आउटलुक**" नामक प्रलेख प्रकाशित किया। इस प्रलेख में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने दो कष्टप्रद बातों का उल्लेख किया था। वे हैं वित्तीय घाटा तथा मुद्रास्फीति की बढ़ती दर। वित्तीय धारा जो गत वर्ष 4.7 प्रतिशत होना चाहिये था, वास्तव में 7.3 प्रतिशत निकला। अब वह सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। घाटा इतना अधिक क्यों बढ़ा ? इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण, वित्त मंत्री जी ने सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी, इसके भी कारण हैं। उन्होंने सोचा कि इन शुल्कों में कटौती से मूल्य स्तर में गिरावट आयेगी और मुद्रास्फीति की दर कम होगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सोचा कि इससे कर प्राप्ति में भी वृद्धि होगी। यहां उनका मार्ग निदेशन लैफर कर्व विश्लेषण ने किया था। लॉस एंजिल्स विश्वविद्यालय में अर्थ-शास्त्र के प्रोफेसर प्रो. आर्थर लैफर ने एक द्वि-आयामी आरेख बनाया। उन्होंने दो धुरी खींचे–एक ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर धुरी कर की दर को दर्शाता था तथा क्षैतिज धुरी कर प्राप्ति को। उन्होंने एक अधोमुखी तिरछी रेखा खींची। कर दर जैसे-जैसे बढ़ती है, कर प्राप्ति वैसे ही वैसे कम होती जाती है और कर दर ज्यों-ज्यों घटती है, कर प्राप्ति वैसे ही वैसे बढ़ती जाती है। परन्तु, दुर्भाग्यवश, यह बात सच नहीं निकली। सीमा शुल्क में कटौती से सीमा शुल्क राजस्व में 5,000 करोड़ की कमी हुयी। उत्पाद शुंल्क में कटौती से उत्पाद शुल्क राजस्व में 3,000

करोड़ की कमी हुई। इसके साथ ही, सरकारी खर्च में 12,500 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी। इससे 7.3 प्रतिशत का वित्तीय घाटा हुआ और इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को दोषी नहीं ठहरा सकता हूं। इसी के साथ घाटे को पूरा करने की विधि में भी परिवर्तन किया गया। इस वर्ष वित्त मंत्री जी ने धन संबंधी वित्त पोषण के स्थान पर ऋण विषयक वित्त पोषण का सहारा लिया; वित्त पोषण दो प्रकार का होता है–धन संबंधी वित्त पोषण तथा ऋण विषयक वित्त पोषण। दोनों ही मुद्रा स्फीतिकारी हैं। परन्तु नवीनतम वित्तीय चिन्तकों का कहना है कि धन संबंधी वित्त पोषण की अपेक्षा ऋण विषयक वित्त पोषण अधिक मुद्रास्फीतिकारी है।

जब सरकार बजट धाटे को पूरा करना चाहती है, तब वह भारतीय रिजर्व बैंक को उतने ही नोट छापने को कहती है। जब वह मुद्रा प्रसार बढ़ जाता है, तो मूल्यों में मुद्रा के शास्त्रीय (क्लासिकल) प्रमात्रा सिद्धान्त के अनुसार वृद्धि होती है। वह केवल एक बार बढ़ती है।

ऋण विषयक वित्त पोषण के मामले में सरकार पैसा उधार लेती है और उसे खर्च करती है; उसे ऋण पर ब्याज देना पड़ता है। ब्याज की अदायगी गैर-योजना गत व्यय की मद है, जिससे वित्त घाटा बढ़ता है। ब्याज प्रतिवर्ष देना पड़ता है, वित्त घाटा प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, जिस कारण मुद्रास्फीति प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। वित्त मंत्री जी इससे भली-भांति परिचित हैं, परन्तु उनके पास धन विषयक वित्त पोषण के स्थान पर ऋण विषयक वित्त पोषण को अपनाने के अपने कारण हैं।

एक और कारण है। भारती। रिजर्व बैंक का ब्याज दर पर कोई नियंत्रण नहीं है। जमा दर तथा ऋण दर को रिजर्व बैंक से सलाह लिये बिना ही बढ़ा अथवा घटा दिया जाता है। इसकी जनक सरकार, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय है। इस कारण से वित्त मंत्रालय को ही उसका जनक कहा जाये।

1945 में, क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। उस समय ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिये सरकार को विशाल धनराशि की आवश्यकता थी। उसने आंग्ल-अमरीका ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये तथा अमेरिका से भारी ऋण लेना पसंद किया। अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिये यह भी पर्याप्त नहीं था। यह भुगतान संतुलन संकट की अवस्था में था। आयात की भरमार थी, निर्यात धीमा था तथा भुगतान संतुलन का अन्तर बढ़ रहा था। 1948 में, सर ह्यूग डाल्टन ने चांसलर आफ एक्सचेकर के पद से इस्तीफा दे दिया और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स उनके उत्तरधिकारी बने। भुगतान संतुलन घाटे को पाटने के प्रयास में सरकार स्टर्लिंग का अवमूल्यन करना चाहती थी। सरकार ने कोषाधिकारियों और बैंक आफ इंग्लैंड के अधिकारियों की एक बैठक बुलायी। कोषाधिकारियों के दल का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने तथा बैंक आफ इंग्लैंड के दल का नेतृत्व उसके गर्वनर सर हेनरी कैबॉल्ड ने किया। कोषाधिकारियों के दल ने स्टर्लिंग का अवमूल्यन करने हेतु शक्तिशाली केस बनाया, किन्तु बैंक आफ इंग्लैंड के दल ने इसका घोर विरोध किया। मुद्दे का समाधान नहीं हुआ दो और बैठकें हुईं और दोनों दल अपनी-अपनी बात पर अड़े रहे। अन्तिम बैठक में चांसलर आफ एक्सचेकर ने बैंक आफ इंग्लैंड के गवर्नर से कहा, "महोदय, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, परन्तु अपनी इच्छा के विरुद्ध।" इस अर्थ में सरकार अथवा वित्त मंत्रालय ही अभी तक रिजर्व बैंक की जनक है। 18-9-1949 को स्टर्लिंग का 30% अवमूल्यन कर दिया गया, 19-9-1949 को रुपये का 30% अवमूल्यन कर दिया गया।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थ-शास्त्री ने सेंट्रल बैंक की स्वायत्तता तथा मुद्रास्फीति दर के मध्य संबंध के बारे में अनुसधान किया था; वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सेंट्रल बैंक की स्वायत्तता

[प्रो. के. वेंकटगिरि गौड़]

तथा मुद्रास्फीति दर प्रतिलोमतः भिन्न-भिन्न हैं। जिन देशों में सेंट्रल बैंक स्वायत्तशासी है, उनमें मद्रास्फीति दर बहुत कम है; इसके विपरीत जिन देशों में सेंट्रल बैंक स्वायत्तशासी नहीं हैं, उनमें मुद्रास्फीति दर बहुत अधिक है। पश्चिम जर्मनी के बुंदास बैंक, स्विट्जरलैंड के नेशनल बैंक तथा अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम में अत्यधिक स्वायत्तता है; इन देशों में मुद्रास्फीति की दर बहुत कम है। दूसरी ओर, बैंक आफ इटली, बैंक आफ स्पेन, बैंक आफ फिलीपींस, बैंक आफ न्यूजीलैंड तथा बैंक आफ इंडोनेशिया को बिल्कुल भी स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। इन देशों में मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक है।

भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि सरकारी अधिपत्य में है, को कोई भी स्वयत्तता प्राप्त नहीं है। इसलिए भारत में मुद्रस्फीति की दर काफी ऊंची है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को संसद के नियंत्रणाधीन स्वायत्तता प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करे। इससे देश में मुद्रास्फीति की दर में कमी आएगी।

जब मुद्रास्फीति दर मात्र 7 प्रतिशत थी, तब वित्त मंत्री ने आयकर की सीमा 30,000 रुपये निर्धारित की थी। इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर 10.62 प्रतिशत है। इसलिए आयकर छूट की सीमा कम से कम 45,000 रुपये निर्धारित की जानी चाहिए थी। आयकर छूट की सीमा निर्धारित करते समय वित्त मंत्री को मुद्रास्फीती संबंधी कारक को ध्यान में रखना चाहिए। निगमित कर को 51.5 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया था। बजट के ठीक पहले मैंने मलामा, सिंगापुर, ताइवान और कोरिया–जहां निगमित कर की दर केवल 40 प्रतिशत थी–में निगमित कर की दरों का गहन अध्ययन किया था। इन देशों में आर्थिक प्रगति तेजी से हो रही है।

वित्त मंत्री को दिए गए अपने ज्ञापन में मैंने निगमित कर को घटा कर 40 प्रतिशत करने का अनुरोध किया था। निगमित कर में कमी करने के मेरे मामले से सहमत होकर उन्होंने इसे घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया। मुझे इससे काफी खुशी हुई है। निगमित कर की दर में कमी करने से निगम आधुनिकीकरण विस्तार और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु आवश्यक आन्तरिक संसाधन जुटा सकेगा। साथ ही साथ मूल्य ह्रास छूट केवल खरीद मूल्य पर ही नहीं, बल्कि मशीनों की प्रतिस्थापन लागत पर दी जानी चाहिए।

एक दशक पूर्व सेवा क्षेत्र का कोई महत्व नहीं था, लेकिन इस समय इसका दिन दोगुना, रात चौगुना विकास हो रहा है और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वित्त मंत्री महोदय ने सेवा कर लगा कर अच्छा काम किया है, जिससे कि यह विकासशील क्षेत्र सरकारी खजाने में अधिकाधिक योगदान कर सके। साथ ही उन्होंने इस आशय से उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में भी कटौती की है कि उत्पादक अपने उत्पादों के मूल्यों में कमी करेंगे।

गत वर्ष, यद्यपि, इन करों में कमी की गई थी, परन्तु उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं को मूल्य में कमी का लाभ नहीं दिया गया। वित्त मंत्री ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि उत्पादक मूल्य में की गई कमी का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देते हैं, तो उन्हें दी गई छूट वापस ले ली जायेगी। परन्तु उत्पादकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब सरकार स्वयं को इस मामले में असहाय महसूस करती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि इस मामले में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन करने से कोई फायदा नहीं होगा। उत्पादकों को मूल्यों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक

पहुंचाने हेतु उन्हें बाध्य करने के लिए कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हे दंड दिया जाना चाहिए, परन्तु शुल्क में की गई कटौती के कारण हुई मूल्य में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया। वित्त मंत्रालय ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उनका कहना है :

> "उत्पादकों को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। हम उन्हें कानून के घेरे में नहीं ला सकते और उन्होंने उपभोक्ता कीमतों में कमी करने की बजाय उनमें और वृद्धि कर दी है।"

परन्तु यह सारा व्यर्थ का श्रम है। इसका विरोध करने वाले उत्पादकों को उचित दंड देने के लिए उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे कि वे कम कर दर का लाभ, कम मूल्य के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं और देश में मुद्रास्फीति दर में कमी की जा सके।

देश में उपहार कर काफी कम है। भारत में प्रायः प्रत्येक अफसर प्रत्येक नेता भ्रष्ट हैं। उन्होंने बड़ी मात्रा में काला धन और अवैध परिसम्पत्तियां इकट्ठी कर रखी हैं। इसलिए उपहार की दर में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि सरकार काले धन का एक हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करा सके।

सभा के अनेक सदस्यों ने लघु क्षेत्र को छूट देने हेतु निवेदन किया था। वित्त मंत्री ने लघु क्षेत्र हेतु कल अनेक रियायतों की घोषणा की थी। इन रियायतों से निश्चित ही लघु क्षेत्र के तेजी से विकास में सहायता मिलेगी। यह क्षेत्र श्रमोन्मुखी और रोजगार सृजन करने वाला है। इसलिए रियायतें जरूरी है। लेकिन सदस्य इनसे संतुष्ट नहीं हैं। वे कुछ और रियायतें चाहते हैं, परन्तु वे वित्त मंत्री की स्थिति नहीं समझ रहे हैं; उन्हें वित्तीय घाटा कम करना है।

देश में कागज मिल खस्ता हालत में है। आयातित कागज का मूल्य 19,000 रुपये प्रति टन है, जब स्थानीय कागज का मूल्य 22,000 रुपये प्रति टन है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वित्त मंत्री ने कागज के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल, खोई पर कर लगा रखा है। इसलिए मैं उनसे खोई पर से कर समाप्त करने या कर कम करने का अनुरोध करता हूं, जिससे कि देश में कागज उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सके।

बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, फैक्ट्री विपन्नावस्था में है। घड़ी की फैक्ट्री एच.एम.टी. का एक स्कंद है और इसने बिना मांग के 70 करोड़ रुपये मूल्य की घड़ियां बनाकर इकट्ठा कर ली हैं। ऐसी अफवाह है कि इसे औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजा जायेगा और यदि इसे बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा गया तो पता नहीं एच.एम.टी. का क्या होगा। मैं वित्त मंत्री से इसे पुनः अर्थक्षम बनाने हेतु 200 करोड़ रुपये का सहायता आदेश देने का अनुरोध करता हूं।

गत वर्ष के दौरान जब मुद्रास्फीति दर घटकर 7 प्रतिशत हो गई थी, तब वित्त मंत्री ने मुद्रास्फीति की बात को ध्यान में रखकर जमा दर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था, परन्तु इस वर्ष मुद्रास्फीति दर 10.62 है। इसलिए मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखते हुए जमा दर में वृद्धि करना आवश्यक है।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार को अभी पूरी तरह लागू किया जाना है। नरसिंहन समिति ने लगभग तीन वर्ष पूर्व अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इसे अभी लागू किया जाना है। इस समय बैंककर्मी हड़ताल

[प्रो. के. वेंकटगिरि गौड़]

पर हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार बैंककर्मियों को नाराज नहीं करना चाहती। वित्तीय क्षेत्र के सुधार को यथाशीघ्र लागू करना आवश्यक है। इसके साथ ही इसमें विलम्ब होता लग रहा है और 'एक्जिट' नीति के क्रियान्वयन में भी विलम्ब हो रहा है।

1991 में सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी और 'एक्जिट' नीति को इसका एक अंग बनाया था। इसके अनुसार रुग्ण और अलाभप्रद एककों को बन्द कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो श्रमिक आज बेकार, बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें पुनः रोजगार दिया जायेगा। सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष भी है, परन्तु फिर भी 'एक्जिट' नीति को अभी भी क्रियान्वित किया जाना है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार वित्तीय क्षेत्र के सुधार और 'एक्जिट' नीति लागू करे।

वित्त विधेयक में इनमें से अधिकांश बातों का अभाव है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन समस्याओं पर ध्यान दें और उन्हें यथाशीघ्र क्रियान्वित करे, जिससे कि अर्थव्यवस्था बिना किसी मुद्रास्फीति के तेजी से विकास कर सके।

***श्री वी.एस. विजयराघवन** (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के बाद उनके द्वारा घोषित रियायतों के लिए धन्यवाद देता हूं। तथापि, इस अवसर पर मैं कहूंगा कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। यह गंभीर चिन्ता की बात है। मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत से अधिक हो गई है। यह अच्छी प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मूल्यों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें।

इस वर्ष के बजट में धन कर प्रस्ताव लघु उद्योगों तथा लघु किसानों के हितों के प्रतिकूल है, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। पावर टिलर्स के फालतू पुर्जों पर दी गई उत्पाद शुल्क की छूट समाप्त कर दी गई है। परवर टिलर्स का उपयोग छोटे किसानों द्वारा किया जाता है। इस कार्यवाही के कारण पावर टिलर्स के मूल्य में 6000 रुपये की वृद्धि हो गई है। इतने अधिक मूल्य पर कोई छोटा किसान पावर टिलर कैसे खरीद सकता है? अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पावर टिलर्स पर शुल्क में छूट जारी रखी जाये, इसी प्रकार 1984-85 में शुरू की गई समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पावर टिलर्स पर राजसहायता दी जा रही थी। इस राजसहायता का उद्देश्य धान के उत्पादन में वृद्धि करना था, किन्तु इस वर्ष के बजट में इसे समाप्त कर दिया गया है। एक ओर तो हम कहते हैं कि किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये, किन्तु हम किसानों को पहले से दी गई रियायतों को समाप्त कर रहे हैं। यह अच्छा कदम नहीं है। अतः वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि पावर टिलर्स पर यह राजसहायता बहाल की जाये।

मैं इस अवसर पर वित्त मंत्री जी को छातों, हाथ से बनाये जाने वाले साबुनों तथा चप्पलों पर बढ़ाये गए उत्पाद शुल्क को वापस लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे केरल में लघु क्षेत्र को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि लघु उद्योगों की समस्याओं पर अत्यंत सहानुभूति रखें।

---

*मूल रूप से मलयालम में दिये गये भाषण का हिन्दी अनुवाद।

केरल में त्यौहार का मौसम आ रहा है और चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। हमारे राज्य में चीनी 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार ने खुले बाजार में बिक्री के लिए केन्द्रीय रक्षित भंडार में से जारी की जा रही चीनी की मात्रा कम कर दी है। मूल्य में इस अधिक वृद्धि का एक कारण जमाखोरी भी है। अप्रैल में सरकार ने खुले बाजार में बिक्री के लिए 5.4 लाख टन चीनी जारी की। जबकि मई के महीने में केवल कुल 4.7 लाख टन चीनी जारी की गई है। खुले सामान्य लाइसेंस नीति के अन्तर्गत आयातित चीनी पर्याप्त मात्रा में बाजार में नहीं पहुंची है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार सीधे चीनी का आयात करे और उसे बाजार में जारी करें, इसी प्रकार जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

हाल ही में उर्वरकों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए फैक्टम फार्स का मूल्य, जो 5600 रुपये प्रति टन था, आज से 6600 रुपये हो गया है। दूसरा उर्वरक अर्थात् 171717 कम्पलैक्स भी महंगा हो गया है। इसके मूल्य में 7000 रुपये प्रति टन की वृद्धि हुई है। यह एक अत्यंत गंभीर बात है, जिसका किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमें यह जानना होगा कि विपक्षी दल 'गैट' समझौते के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं, जिससे किसानों के मन में गंभीर शंकाएं पैदा हो गई है। मैं जानता हूं कि सरकार ने मूल्य नहीं बढ़ाये हैं, किन्तु उर्वरक कम्पनियों ने इन उर्वरकों के मूल्यों में अंधाधुंध वृद्धि की है। इस कदम से 'गैट' समझौते के बारे में किसानों के मनों में केवल शंकाएं और बढ़ेंगी। इन उर्वरक कम्पनियों को चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में, जब चाहे मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इस अवसर पर मेरी यह जोरदार मांग है कि उर्वरकों के मूल्य बढ़ाने वाली इन कम्पनियों पर मुकदमा चलाया जाये। मैं कृषक समुदाय की व्यथा व्यक्त कर रहा हूं, जिस पर उर्वरकों के मूल्य में इस वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसानों को 435 रुपये प्रतिटन की राजसहायता मिला करती थी, जिसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया, किन्तु मूल्यों में इस वृद्धि के कारण किसानों को इस राजसहायता का लाभ नहीं मिला। वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस बात पर गंभीरता से ध्यान दें और इन कम्पनियों से मूल्य वापस लेने को कहें।

महोदय, केरल की अर्थव्यवस्था नारियल पर आधारित है। वास्तव में इस राज्य का नाम 'केरा' शब्द से ही लिया गया है, जिसका अर्थ नारियल है। हाल ही में नारियल के मूल्यों में कमी आयी है। निस्सन्देह सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, पर वह अत्यंत अपर्याप्त है। 1994 के मौसम के लिए मिलिंग खोपरे का मूल्य 2350 रुपये तथा बाल खोपरे का मूल्य 2575 रुपये निर्धारित किया गया है। उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि को देखते हुए यह मूल्य अपर्याप्त है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि खोपरे का अधिक समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाये।

अब मैं केरल और तमिलनाडु के बीच नदी जल समझौते संबंधी दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करता हूं। पेराम्बिकुलम के पानी के बंटवारे के लिए केरल और तमिलनाडु के बीच पेराम्बिकुलम-एलियार जल बंटवारा समझौता हुआ था। इस समझौते की अवधि 1988 में समाप्त हो गई थी, किन्तु तमिलनाडु सरकार ने इस समझौते के नवीकरण में कोई रुचि नहीं दिखायी, पलक्कड़ जिले में चलाकुडीपुझा, चित्रूरपुझा और भारतपुझा जैसी कुछ नदियां हैं, जिनमें पेराम्बिकुलम-एलियार से पानी आता है। तमिलनाडु सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण हमें इस प्रणाली से पानी नहीं मिला और ये नदियां सूखी रहती

[श्री वी॰एस॰ विजयराघवन]

हैं। वर्षा के मौसम के दौरान, जब इस प्रणाली में अतिरिक्त पानी होता है, वे जलद्वार को खोल कर अतिरिक्त पानी छोड़ देते हैं, जिससे कि इन नदियों में बाढ़ आ जाती है। अन्यथा जब आवश्यकता हुई तब हमें पानी नहीं मिला। केरल सरकार ने मांग की है कि पेराम्बिकुलम-एलियार परियोजना का सारा नियंत्रण उसे सौंपा जाये। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और केरल को उसके पानी का समुचित हिस्सा दिलाने तथा इस समझौते के नवीकरण में मदद करे। अन्त में, मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री जी को उनके द्वारा घोषित रियायतों के लिए धन्यवाद देता हूं। किन्तु इसी के साथ ही मैंने किसानों की समस्याओं को उजागर किया है। वे सीधे-साधे लोग हैं, वे देश के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। अतः उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मैं एक बार पुनः सरकार से उर्वरकों के मूल्य में की गई वृद्धि को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। इन कम्पनियों ने केवल लाभ दिखाने और इस प्रकार सरकार को खुश करने के लिए मूल्यों में वृद्धि की है। वे लाभांश वितरित करते हैं तथा इस प्रकार का और कार्य करते हैं, किन्तु इस प्रक्रिया में निर्धन किसान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः माननीय वित्त मंत्री को इस समस्या की ओर अत्यधिक ध्यान देना चाहिये और किसानों के भार को कम करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने कल और इसके पहले 25 तारीख को लघु उद्योगों में कुछ रियायतें देकर विशेष तौर से छतरी वालों को, आंसू पोंछने के लिए रुमाल वालों और लोहा, स्टील व अन्य साबुन वगैरह वालों को कुछ रियायतें उन्होंने अवश्य दीं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे सांकेतिक ही हो, लेकिन उन्होंने भारत का लघु उद्योग कितना दुखी, परेशानी और व्यथा

2.55 म.प.

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं)

में है, इसका अनुभव जरूर किया है। परन्तु यह सांकेतिक राहत देने के बावजूद भारत के लघु उद्योग, भारत के काटेज इंडस्ट्रीज, टाइनी इंडस्ट्रीज का दुख और दर्द आज भी वैसा ही बना हुआ है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसका मुख्य कारण यह है कि आपने इस बार एक जबरदस्त ऐसा अस्त्र उन पर चलाया, टाइनी यूनिट्स ब्रान्डेड गुड्स एक्साइज स्कीम के नाम पर, जो एक प्राणघातक अस्त्र है। इसके कारण से आज लगभग 7500 टाइप की इंडस्ट्रीज, जो यहां पर चलती थी, छोटे-छोटे मकानों के अन्दर हमारे राष्ट्र का गरीब आदमी अपने परिवार को लेकर बैठता था। कोई इलैक्ट्रिक स्विच बना लेता, कहीं पर कोई चप्पल बना लेता, कहीं पर बूट को बनाकर बाटा की छाप के लिए बाटा के पास भेज देता, लेकिन हमारे वित्त मंत्री चाहते हैं कि एक रात्रि के अन्दर वह इतने कुशल हो जायें कि अलादीन के चिराग की तरह बटन दबाते ही इधर से हमारे मनमोहन जी साहब के बजट की घोषणा हुई और उधर एक रात में वह अपना स्वयं का ब्राण्ड बना लेगा, वह उसे एक्ट के नीचे पास भी करवा ले, उसके फाल्ट भी दूर करवा ले और विज्ञापन के द्वारा और अन्य माध्यम से उसको इतना पोपुलर कर दे कि वह बाजार में उसको बेच सके।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पूर्णतया अनइमेजिनेशन की बात है। पांच वर्ष के बाद आप उसे करते और आप उनको कहते कि 5 वर्ष का समय हम देते हैं। इस समय में हमारे यहां के सारे ब्राण्ड जितने भी हैं, जिसे वह दूसरे ब्राण्ड नाम से बेचते हैं, उन सबके लिए आवश्यक है कि वह अपना स्वयं का ब्राण्ड डवलप करके उस ब्राण्ड नाम पर बेचने के लिए उपाय करें, उसको रजिस्टर्ड करवायें। लेकिन स्थिति यह है कि यह जो डंकल का भूत सवार हो गया है। यह डंकल का जो विषधर, जो जहर का डंक हमारी राष्ट्र की इकोनोमी के ऊपर लग रहा है, इसके कारण से एक ही रात के अन्दर डंकल के डंक ने कलंक बनकर, वज्राघात होकर हमारे सारे टाइनी उद्योगों को और काटेज इंडस्ट्रीज को मरणासन्न अवस्था के अन्दर उसने कर दिया। इससे सारे देश में आज लगभग 7500 उद्योग तो बन्द हो चुके हैं और बजट के पहले जो इकोनोमिक सर्वे निकाला गया था, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का, कामर्स डिपार्टमेंट का जो नोट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि यह संभावना है कि उदार नीति के कारण से, इसको उदार नीति कहिये या उधार नीति कहिये। मैं उसको उदार नीति कहता हूं, क्योंकि हमारे यहां उदार नीति की स्थिति यह है कि देश पिछले तीन वर्षों में, जब से हमारे डाक्टर साहब ने इसका चार्ज लिया है और डाक्टर साहब देश को सुनहरे स्वप्न बता रहे हैं, राष्ट्र की प्रगति के, विकास के, तब से लगातार इनकी जो उधार की नीति है, उसकी स्थिति यह है कि आज 70,000 करोड़ रुपये सालाना हमें उधार लेने पड़ते हैं। 70,000 करोड़ का अर्थ यह होता है कि हर घंटे डा. मनमोहन सिंह साहब भारत के ऊपर 8 करोड़ का एक प्रोनोट लिखकर विश्व बैंक के, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे मोनेटरी फंड हो, चाहे अन्य कोई आर्गेनाइजेशन हो, उनसे लगातार कर्जा ले रहे हैं। ब्याज केवल 50,000 करोड़ प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि तीन वर्ष पहले, जब डाक्टर साहब ने इस देश के अन्दर उदारवादी नीति का पदार्पण करवाया था,

3.00 म.प.

उसमें हमारा 4 लाख 52 हजार करोड़ रुपया कर्ज था और तीन वर्षों के अन्दर हमारी उदार नीति या उधार नीति का अभिशाप बन कर आज हमारे ऊपर 6 लाख 62 हजार करोड़ रुपए का कर्ज सिर के ऊपर है। भारत में हर नया बच्चा जो पैदा होता है, उसको डा. मनमोहन सिंह ने तोहफे के रूप में 6,620 रुपए का कर्ज उसके सिर पर डाल दिया। हर वर्ष यह कर्जा बढ़ता ही जाएगा। आपकी इस उदार नीति के कारण न तो हम ब्याज चुका सकते हैं और न हम असल ही चुका सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन्स के अनुसार, जो बाण्ड के नाम पर आपने नीति चलाई है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी उस पर विचार करें। इस पर विचार करके अपने ब्राण्ड के ऊपर अपना माल बेचने के लिए कम से कम उनको ज्यादा नहीं तो पांच साल का समय दें। नहीं तो आज स्थिति यह बन गई है कि बाटा के नाम पर जूते बना कर जो लोग बेचा करते थे, वे दुकान बन्द करके ताला लगा कर बैठे हुए हैं। कोई कहीं बिजली के स्विच बनाते थे या अन्य प्रकार की छोटी-छोटी चीजें बनाते थे, वे सब बन्द करके बेरोजगार हो गए हैं और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई पहले बाटा के ब्रांड नाम के अन्तर्गत जूतों का उत्पादन कर रहा था, तो यह गैर कानूनी था। पहले भी बड़े निर्माताओं का किसी ब्रांड कां उपयोग यदि लघु क्षेत्र द्वारा किया गया हो, तो वह शुल्क रियायत के लिए ग्राह्य

[श्री मनमोहन सिंह]

नहीं था। अतः मेरा सादर निवेदन है कि आपके विचारों से मतभेद हो सकते हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि आपको निश्चित तौर पर तथ्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

श्री अन्ना जोशी : किन्तु आप कानून में संशोधन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : आप सदन को बतायेंगे तो सत्य ही होगा, क्योंकि आपके पास सारे आंकड़े हैं और सब प्रकार की जानकारी है। परन्तु मैंने तो उदाहरण के तौर पर उदाहरण दिया था, क्योंकि बाटा बड़ा चामत्कारिक है। काम करे तो ऐसा कर जैसा बाटा करे और दुनिया करे पुकार। कहा जाता है, बाटा बड़ा चमार और टाटा बड़ा लुहार। वास्तविक वस्तु स्थिति यह है, जो मैं कह रहा हूं। इस प्रकार जो टाइनी उद्योग चल रहे थे और चल रहे हैं, उन्होंने टाटा-बाटा को छोड़ दिया है, जिनके नाम पर वे अपना जीवन-यापन करते थे, दो रोटी कमाते थे, बाल-बच्चों को पालते थे, आपकी इस नीति के कारण लाखों लोग बेकार हो गए हैं। नेहरू जी ने कहा था, मैं वह दिन देखना चाहता हूं, जब हर भारतवासी की आंख से आंखू पोंछ दिया जायें, लेकिन श्रीमान मनमोहन सिंह जी क्षमा करेंगे आपकी इस नीति के कारण लगातार आंसू आ रहे हैं और इसके ऊपर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह मानवता का प्रश्न है। किसी पार्टी या किसी विवाद या कोई बहुत बड़ी अर्थ नीति का प्रश्न नहीं है।

इस बार आपने बजट के अन्दर इनकम टैक्स में 35 हजार की छूट दी है, लेकिन इन्फलेशन रेट के हिसाब से, आप बहुत बड़े शास्त्री हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, आर.बी.आई. के गवर्नर रह चुके हैं, मल्टीप्लाई करें, तो आप स्वयं यह महसूस करेंगे कि 35 हजार की छूट से किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। केवल कहने के लिये आपने 30 हजार से 35 हजार किया है और हम लोगों ने यह मांग की थी कि इसको 50 हजार कर दिया जाये, क्योंकि आपने पिछले साल यह संकेत दिया था कि इसको बढ़ायेंगे तथा इस पर विचार करेंगे। आपको तो पता ही है कि मध्यम श्रेणी के कर्मचारी, बैंक एम्पलाईज, चपरासी और क्लास फोर भी इस केटेगरी में आने लगे हैं। इन लोगों की इतनी आमदनी हो जाती है कि इन लोगों को भी आयकर देना पड़ जाता है। आपको तो ऐसे लोगों पर कृपा करके राहत देनी चाहिये थी।

सभापति महोदय, आपने क्लेम किया था कि इनफलेशन रेट नीचे लाया जायेगा और आगे नहीं बढ़ने दिया जायेगा, लेकिन पिछले 16 अप्रैल को यह 10.62 प्रतिशत इनफलेशन रहा है। आप यह तो जनरल रूप में देख रहे हैं, लेकिन खाद्यान्न–जैसे सब्जी, शुगर, धान, गेहूं, तेल आदि में यह 17 प्रतिशत से भी ज्यादा है। आपको याद होगा कि 1991 के अपने मैनिफैस्टो में आपने वायदा किया था कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, लेकिन कम तो नहीं हुई, बल्कि 100 प्रतिशत महंगाई बढ़ाने में आप सफल रहे हैं। यह बढ़ोत्तरी देश में गरीब, कमजोर, निचले वर्ग के ऊपर डालकर मुसीबत पैदा की है। इस बात का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन मैं निवेदन करता चाहता हूं कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आपने आल इंडिया इंजि. एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल से 3 हजार एम्पलाईज से बजट स्पोर्ट वापस ले ली है। आपने तो एक सरकुलर निकाल दिया। जो बेरोजगार हो जायेंगे, उनका क्या होगा ?

मैंने अभी एक सवाल पूछा था कि इस देश में मिनिमम मजदूरी क्या है? हालांकि आपका विषय नहीं है, फिर भी वित्त मंत्री के नाते आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक परिवार 8 रु. से प्रतिदिन अपना घर का खर्च चला सकता है ? इसके जवाब में सरकार के मंत्री ने बताया कि 8 रु. से बढ़ाकर 12 रु. कर दी गयी है तो इससे जीवन यापन हो सकता है ? एक मजदूर जो दिनभर हथौड़ा, फावड़ा चलाता है, उस पर आपने एक्साईज डियूटी वापस ले ली ? एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर लेबर के लिये एक कमीशन बैठाया था, जिसने कहा कि कम से कम 20 रु. तो कृषि मजदूर को मिलना चाहिये। लेकिन आपने बंबई जैसे शहर के लिये केवल 12 रु. तय किये। बंबई भारत की व्यापारिक नगरी है और सरकार अपने कान में तेल डालकर सो रही है। इस कारण से यह स्थिति हो गयी है कि कृषि क्षेत्र के मजदूर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, जबकि देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। आपने तो गैट समझौता किया है, जिसमें सबसिडी कम कर दी है। यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कि उससे क्या फायदा होने वाला है ? एग्रीकल्चर सैक्टर में आपको बढ़ोत्तरी करनी चाहिये थी, वह आपने की नहीं है। इसका कारण है कि यह आपके हाथ में नहीं है। आप या तो विश्व बैंक या गैट या किसी अन्य एजेंसी के हाथों में चलते हैं।

इसलिए आज हमारा किसान बदतर होता जाता है और उसकी हालत क्या हो गई है मैं एक कविता वित्त मंत्री जी के शेर के जवाब में सुनाना चाहता हूं।

"ऊंची धोती, अधखुले पांव, कंधे पर गज भर का टुकड़ा,
सिर पर पगड़ी, कर में लकड़ी, तन का कपड़ा चिथड़ा-चिथड़ा।
खाने को मुट्ठी भर दाने हैं, ठुकराता माल-खजानों को,
अपनी धुन में अलमस्ता-सा हंसता जग के दीवानों को।

ढी-ढी करता पूंछें मरोड़ बैलों की, चलता सावधान,
उसके स्वर में छिप कर चुप-सी हंसी पड़ती है सृजनी अजान।
खाई-खड्डे नद-नालों के सूखे के बीच-बीच,
पीछे चलता, आगे बढ़ता, ढीठे बैलों को खींच-खींच।

अपने खेतों में आता है कंधे पर हल का भार लिए,
अभिलाषा का उन्माद लिए, जग की आशा का प्यार लिए।
खेतों की धूल बवंडर बन, स्वागत करने को आती है,
छूकर उसके पद-पद्मों को, फिर खेतों में बिछ जाती है।

धरती का अंतर चीर-चीर, पग-पग पर बिखरा बीच-बीज,
सर्दी-गर्मी-बरसातों में अपने श्रमकण से सींच-सींच।

[श्री गुमान मल लोढ़ा]

जग की आशा का चित्रकार हरियाले चित्र बनाता है,
हिलते पौधों के साथ-साथ उसका मानस लहराता है।

इन हरियाले चित्रों से वह जग के पृष्ठों को रंगता है,
पर अपनी रंगने की पृष्ठभूमि को नहीं शेष कुछ बनता है।
माया के प्यासे जमींदार, भूखे बनिये सब छीन-छीन,
कुत्तों से ठुकरा देते हैं, कौड़ी-कौड़ी को बीन-बीन।

अपना सर्वस्व लुटाकर जब अपनी कुटिया में आता है,
नन्हें बच्चों को निरख-निरख, दृग में आंसू भर लाता है।
जो कुछ रूखा मिलता खाता, दो-दो दिन का लंघन करता,
अपने तन में गांठें दे दे पशु बच्चों का पालन करता।"

डा. मनमोहन सिंह जी, अब इन पंक्तियों को जरा सुनिये और समझिए :

"जो जग को अन्न प्रदान करे, जग उसको ही ठुकराता है,
उसकी हड्डी को नोच-नोच, जग वैभव-भवन बनाता है।
वह चरणों में मस्तक रखता, जग ठुकरा कर इतराता है,
उसके चिथड़ों में आग लगा, जग हंसता है मुसकाता है।

जग की जूठन के थाल भरे छितरा कर फैंक दिये जाते,
रोटी की खातिर रिब-रिब कर उसके बच्चे हैं मर जाते।
उसकी टूटी खटिया बर्तन कुटिया छप्पर बेचे जाते,
कौड़ी-कौड़ी भर सूद अरे अंतड़ियों से खींचे जाते।"

इस प्रकार की स्थिति आज हो गई है।

सभापति महोदय : लोढा साहब, बहुत हो गया। बहुत बोलने वाले हैं। आपको बहुत समय दिया गया है। आप कृपा करके बैठ जाइए। आप पहले ही 20 मिनट ले चुके हैं। आप जो सारांश में कहना चाहते हैं, वह कह दें।

श्री गुमान मल लोढा : मैं आपसे निवेदन कर रहा था।

सभापति महोदय : आप फाइनेंस बिल पर बोलें। कविताओं की इतनी आवश्यकता नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : कविताओं की शुरुआत तो मंत्री जी ने शायरी से की है। ... **(व्यवधान)**

मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनका वह दृष्टिकोण, उनका देखने का रवैया हमारी अर्थव्यवस्था पर अब भी है और उसके लिए एक शायर ने कहा है :

"हसरत में हर चीज़ उल्टी नज़र आती है।

लैला नज़र आता है मजनूं नज़र आती है।"

हमारे वित्त मंत्री जी ने सारी ईक्वेशन्स को इसी प्रकार से देखा है। इनका ईक्वेशन्स को देखने का तरीका बदल गया है।

सभापति महोदय : आप ज़रा शायरी के चक्कर में मत पड़ें। आप जो कुछ फाइनेंस बिल पर कहना चाहते हैं वह कहें।

श्री गुमान मल लोढा : आप जो भी आज्ञा देंगे मैं पूर्ण रूप से उसका पालन करूंगा। मैं दो-तीन बिन्दु कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ और सिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितना धन आज डाला है, उस सिक इंडस्ट्रीज़ के ऐक्ट के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि पुनर्विचार करें। आज स्थिति यह है कि देश के साधारण किसान को या मजदूर को या कर्मचारी को पैसा नहीं मिलता, लेकिन हमारे बड़े-बड़े जितने कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वह पहले अरबों करोड़ों रुपए बैंकों से ले लेते हैं और फिर इंडस्ट्रीज को सिक करके मरी गाय ब्राह्मण के सिर पर, हमारे पवित्र मंत्री जी के सिर पर डाल देते हैं कि आप इसको और फाइनेंस करें। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बैंकर जेल में नहीं जाता। वह उद्योगपति किसी प्रकार की चार सौ बीसी या करप्शन के चार्ज में ट्रायल फेस नहीं करते और लाखों मजदूर बेघर-बार हो जाते हैं और उद्योगपति फलते-फूलते रहते हैं। वे कैसे बढ़ते हैं जैसे आप मुझे देखेंगे। जैसे मैं हूं और मेरे गुरु कल्पनाथ राय जी हैं। इसी प्रकार वह उद्योगपति फलते-फूलते हैं। बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करके सारा पैसा निकाल लेते हैं।

क्या आप इस पर विचार करेंगे, क्योंकि भारत के गरीब के पैसे के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया जाता है, जो वह मेहनत करके, मजदूरी करके, तेज धूप में खेत में जाकर मेहनत करता है, सर्दी में, बरसात में खेत में जाकर काम करता है, पैसा कमाता है और जब उसका पैसा बैंकों में आता है, कंसौलिडेटिड फंड आफ इंडिया में आता है, तो वहां से ये इंडस्ट्रियलिस्ट उस पैसे को निकाल लेते हैं और पैसा निकालने के बाद अपनी इंडस्ट्री को सिक डिक्लेयर करके, बीमार करके सरकार पर डाल देते हैं। सरकार फिर उनकी इंडस्ट्री को फाईनेंस करती है, दोबारा, तीन बार या चार बार सरकार उसे फाईनैंस करती रहती है और वे पैसा निकालते रहते हैं। क्या इस कैंसर को रोकने के बारे में सरकार विचार करेगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिक इंडस्ट्री के नाम पर, ज़ो यहां आउटलैट है, इस पर सरकार को गहराई से विचार करना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो भी सिक

[श्री गुमान मल लोढ़ा]

इंडस्ट्री का प्रोपराईटर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका लाजिमी तौर पर प्रौसीक्यूशन किया जाये, लाजिमी तौर पर उसे जेल भेजा जाये, लाजिमी तौर पर उसे सजा दी जाये, क्योंकि हिन्दुस्तान के 80 करोड़ गरीब लोगों के पैसे के साथ, जनता की गाढ़ी कमाई के साथ उसने खिलवाड़ किया है और उन मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया है, जो उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते है। उसने देश की इकौनौमी के साथ खिलवाड़ किया है।

इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक तो आप इंकम टैक्स की सीमा को 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दीजिये और दूसरे टाईनी इंडस्ट्रीज के संबंध में आपने जो ब्रांड नेम की बाध्यता अनिवार्य की है, उस निर्णय पर फिर से विचार कीजिये। इसके साथ-साथ देश की स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वाभिमान के लिये उधारीकरण की नीति को न अपनायें। उदारीकरण को अवश्य अपनायें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि उदारीकरण सीमित रूप में होता है तो हम उसका समर्थन करेंगे अगर उधारीकरण के रूप में होता है, तो भारत की स्वतंत्रता पर आघात होता है और हम उसे अस्वीकार करते हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदया, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में बोलने के अवसर की बड़ी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्भाग्य से समयाभाव के कारण अन्य कई मंत्रालयों की मांगों के साथ-साथ उस मंत्रालय की मांगों पर बिना किसी चर्चा के उसे पारित कर दिया गया। मेरे विचार से यह बहुत ही दुखद और दुभार्ग्यपूर्ण बात है, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा उपाय ढूंढ़ निकालना होगा, जिससे ऐसी सभी मांगों पर चर्चा की जा सके।

तथापि, सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे वित्त विधेयक पर अपना विचार व्यक्त करने हेतु अवसर प्रदान किया। मुझे विशेष रूप से इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री, जो कि हमारे पुराने और अच्छे मित्र भी हैं, इस सभा में उपस्थित हैं। मैं, अपने कथन के आरम्भ में, उदारीकरण के बारे में उनके द्वारा किए गए साहसपूर्ण प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूं, कि वे अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में ऐसे प्रयास कर रहे हैं, जिसका राजगोपालाचारी जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बहुत पहले पक्ष लिया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे ऐसी बातें, जिसकी उस समय परमिट, लाइसेंस राज कहकर निंदा की गई थी, को समाप्त करते हुए अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और इस मामले में हमें सफलता मिली है।

आज, मैं ऐसे अनेक मामलों पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जिन पर हमारे कई मित्रों ने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, अतः मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मेरी चिंता मुख्य रूप से दो प्रश्नों तक सीमित है।

मुझे इससे काफी निराशा हुई है, इस विधेयक में काले धन से निपटने के लिए प्रयास नहीं किया गया है और भ्रष्टाचार रूपी राक्षस से निपटने के लिए बहुत थोड़ा प्रयास किया गया है। सभापति

महोदया, जहां तक काले धन का संबंध है, मैं कहने का साहस करता हूं कि काले धन में वर्ष दर वर्ष, माह दर माह और सप्ताह दर सप्ताह में वृद्धि हो रही है। वास्तव में मैं यह भी कहूंगा कि यह काला धन हमारी महान धरती, निश्चित रूप से गरीबी से पीड़ित हमारी बहुसंख्य जनता को तेजी से कंगाल बनाता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ लोग ऐशोआराम का जीवन जीते हैं और शर्मनाक आडंबरयुक्त ऐशोआराम के जीवन के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं और हमारी अधिसंख्य जनता इस काले धन के कारण गरीबी में जी रही है, जो मुद्रा स्फीति को बढ़ाता है और उन्हें ही सर्वाधिक पीड़ित करता है।

महोदया, काले धन की समस्या बढ़ती ही जा रही है और अब तक बहुत अधिक बढ़ चुकी है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल के दौरान काले धन की मात्रा के प्राक्कलन के लिए श्री एन.के.पी. साल्वे की अध्यक्षता में पहली बार एक संसदीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति का यह विचार था कि प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपये का काला धन पैदा हो रहा है। इसके बाद इस पर राजा चेलय्या समिति का गठन किया गया, जिसके आंकड़े 1981 पर आधारित थे। राजा चेलय्या समिति के अनुसार यह राशि 36,000 करोड़ रुपये है। यह स्थिति लगभग 13 वर्ष पहले की है। राजा चेलय्या और कुछ अन्य विशेषज्ञों का मत है कि 1981 के बाद काले धन की राशि में चौगुना वृद्धि हुई है। मैं इस मामले का विशेषज्ञ नहीं हूं। अर्थव्यवस्था का अध्ययन मैंने अवश्य किया है। मैंने दिल्ली स्कूल आफ इक्नोमिक्स के छात्रों के दूसरे बैच में छात्र के रूप में प्रवेश लिया था, परन्तु मैं अर्थशास्त्र में दक्षता प्राप्त करना नहीं चाहता हूं। यह बताया जाता है कि वर्तमान समय में लगभग 1,44,000 करोड़ रुपये वार्षिक की दर से काले धन का प्रसार हो रहा है।

प्रश्न यह है कि इस मामले में क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए? अन्य आंकड़ों पर दृष्टि डालने पर यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इन आंकड़ों में उन लोगों की संख्या है, जो निजी आयकर जमा करते हैं। निजी आयकर जमा करने वालों की कुल संख्या केवल 47 लाख है, जो हमारी जनसंख्या के 0.6 प्रतिशत से अधिक नहीं है। कुछ विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि इन आंकड़ों में 0.6 प्रतिशत अथवा 0.4 प्रतिशत को बढ़ा कर लगभग 20 प्रतिशत तक किया जा सके—किसी प्रेस रिपोर्ट के अनुसार किसी दिन श्री प्रणव मुखर्जी ने इन आंकड़ों को स्वीकार किया है—तो सबका जीवन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुगम बनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, मुझे यह बताया गया है कि यदि आज इस 0.6 प्रतिशत को, जो बहुत छोटा आंकड़ा है, उसे बढ़ा कर अधिक नहीं केवल 20 प्रतिशत तक किया जा सके और कराधान की मात्रा 5% से 25% से अधिक न हो लगाया और महात्मा बुद्ध की इस प्रसिद्ध उक्ति को अपनाया जाये कि कर की वसूली उसी प्रकार से की जानी चाहिए, जैसे कि मधुमक्खी विभिन्न पुष्पों से शहद जुटाती है, जिसके द्वारा किसी पुष्प को चोट पहुंचाये बिना शहद एकत्रित कर लिया जाता है, इसी प्रकार कराधान की मात्रा भले ही 5% से 25% के आंकड़े को भी पार कर जाये तो भी कर वसूली के दायरे का विस्तार करके, मेरे विचार से, विशाल संसाधन जुटाये जा सकते हैं, जिनकी देश को पहले से कहीं अत्यधिक आवश्यकता है। मुझे यह बताया गया है कि इन उपायों से संसाधन जुटाने से हमें भारी सहायता मिलेगी। मैं यह नहीं जानता कि यह कैसे सम्भव हो पायेगा। माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे मुझे एवं इस सभा को यह बताएं कि मेरे द्वारा उल्लिखित कुछ आंकड़ों, में जिनका उल्लेख मैंने अर्थशास्त्रियों के अध्ययन के आधार पर किया है, उनमें कितनी सच्चाई है।

[श्री इन्द्रजीत]

विशेषज्ञ यह बताते हैं कि यदि हम कर के दायरे को 0.6% से बढ़ाकर 20% तक कर सकें तो लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये वार्षिक जुटा सकेंगे। यह कार्य किस तरह किया जा सकेगा? इस संबंध में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं। एक बार हमारे पूर्व वित्त मंत्री श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने श्री निकोलस कालडोर को भारत में आमंत्रित किया। श्री निकोलस कालडोर ने उस समय इस मत पर बल दिया कि हमें व्यय कर प्रणाली अपनानी चाहिए। यह स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद अन्य विशेषज्ञों ने अब यह सुझाव दिया है कि अब हमें सम्भावित और अनुमानित आय के आधार पर कर की वसूली शुरू कर देनी चाहिए। मैं इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता हूं। परन्तु यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं माननीय वित्त मंत्री को अपने विचार से अवगत कराना चाहूंगा। मैं यह आशा करता हूं कि कर सीमा का अधिक विस्तार करके हम अतिरिक्त संसाधन जुटा सकेंगे। यदि हम अतिरिक्त संसाधन जुटा लेंगे, तो हमें विदेशी ऋण और अन्य सहायता पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। इससे हम घाटे की वित्त व्यवस्था की समस्या से छुटकारा पा सकेंगे और इन सबके अलावा हम कुछ महाशक्तियों का सीधे-सीधे मुकाबला कर सकेंगे। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि विश्व की एकमात्र महाशक्ति के छोटे पदाधिकारी भी अब हमें यह बताने लगे हैं :

> "हमारा समर्थन कीजिए अन्यथा, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से आपको मिलने वाले ऋणों का समर्थन नहीं करेंगे।"

उस दिन वाशिंगटन के एक उच्च पदाधिकारी ने यह बात कही, जब वे हमसे हमारे परमाणु कार्यक्रमों को बंद करने की बात कह रहे थे। उस समय इस महिला ने यह कहा कि भारत को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण और अन्य सहायता इसलिए मिलती है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका इनका समर्थन करता है। यदि हम अपने कराधान के आधार को व्यापक और दृढ़ ही बना सकें, तो निश्चय ही हम वर्तमान 22,000 करोड़ रुपये वार्षिक की धनराशि की तुलना में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष उगाह सकते हैं। काले धन के संबंध में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा।

अब मैं अन्य महत्वपूर्ण बात की चर्चा करना चाहूंगा, जिसके संबंध में मैं अपने दृढ़ विचार सभा के अन्दर और बाहर व्यक्त करता रहा हूं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय आगे आयें और देखें कि हम भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये क्या कर सकते हैं। गत तीन दशकों के दौरान हमारे देश में भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु विधायी तथा प्रशासनिक कदम उठाने की बात बार-बार किये जाने के बावजूद वह दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ा है। वास्तव में, वह सामान्य रूप में जीवन पद्धति ही बन गया है। यह अत्यंत दुखद और त्रासद है। समाज का कोई भी अंग इस पातक से अछूता नहीं रह गया है, जो हमारे समाज और देश की जड़ों को तेजी से खोखला कर रहा है। प्रश्न यह है कि क्या किया जाये। दुख की बात है कि अनेक वायदे किये गये हैं जिन्हें, विशेष रूप से पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा किये गये कुछ अति गंभीर वायदों को हमें ध्यान में रखना चाहिये। उन्होंने उस समय उन लोगों की कड़ी निन्दा की थी, जिन्हें उन्होंने उस समय 'सत्ता और प्रभाव के दलालों' की संज्ञा दी थी। उन्होंने सामंतवादी कुलीन तंत्र तथा भद्दे उपभोगवाद की भी निन्दा की थी। उन्होंने 'बाड़ द्वारा खेत को खाना आरम्भ करने' की त्रासदी की भी चर्चा की थी। वह और आगे बढ़े और त्वरित कार्यवाही का वचन दिया।

वह वहीं नहीं रुके। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह और भी आगे गये और एक अच्छी और स्वच्छ सरकार देने का वायदा करने के अतिरिक्त उन्होंने यह घोषणा भी की कि सरकार एक व्यापक और दूरगामी प्रभाव वाला भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक प्रस्तुत करेगी। यह वायदा 1987 में किया गया था। सभापति महोदया आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी तथा सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है, जब आपको श्री राजीव गांधी द्वारा सात वर्ष पूर्व 1987 में किये गये वायदे को पूरा करना चाहिये। ऐसे किसी विधेयक का अभी तक कोई संकेत नहीं है।

इसलिये मेरी पहली मांग यह है कि हमें आगे आकर भ्रष्टाचार, जो देश में, जैसा मैंने कहा, दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ा है, से लड़ने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिये। पहला कदम, जिसकी मैं पुरजोर सिफारिश करूंगा और जिसकी सिफारिश मैंने पिछली लोकसभा में भी की थी कि केन्द्र और राज्यों के सभी मंत्री तथा उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को अपने तथा अपने पर आश्रित परिवार के सदस्यों की परिसम्पत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिये। यह केवल देश के राजनैतिक जीवन में भ्रष्टाचार का ही प्रश्न नहीं है। मैं खेदपूर्वक कह रहा हूं कि हम ऐसी दशा में पहुंच गये हैं, जहां उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के अनेक न्यायाधीशों पर दोषारोपण किये जा रहे हैं। अतएव, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मंत्रियों और न्यायाधीशों द्वारा सम्पत्ति की घोषणा ही काफी नहीं हैं। इन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिये। पंडित जी के समय में, एक परम्परा डाली गयी थी, इस परम्परा के अंतर्गत, विभिन्न मंत्रियों ने अपनी परिसम्पत्ति की घोषणा की। ये घोषणाएं प्रधान मंत्री को सौंपी गयीं, परन्तु उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया, मैं चाहूंगा कि इन्हें सार्वजनिक किया जाये। इसी प्रकार, मैं चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा निचली अदालतों के न्यायाधीशों द्वारा की गयी घोषणाएं सार्वजनिक की जायें। यदि हम वास्तव में सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा चाहते हैं, तो हमें पर्याप्त कठोर कदम उठाने होंगे।

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचूर) : सुल्तानपुरी जी का कहना है, "संसद सदस्यों के बारे में क्या विचार है?"

श्री इन्द्रजीत : मैं इसी बात पर आ रहा था। पिछली लोक सभा में, मैंने उस समय इसकी पुरजोर वकालत की थी, जब श्री वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री थे। उस समय मैंने विचार व्यक्त किया था कि मेरा प्रस्ताव केवल मंत्रियों पर ही नहीं, बल्कि सभी संसद सदस्यों पर भी लागू किया जाना चाहिये। सभी संसद सदस्यों से अपनी परिसम्पत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने का आह्वान किया जाना चाहिये। पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी.पी. सिंह ने प्रधान मंत्री की सीट के सामने खड़े होकर, उन दिनों एक विपक्षी सदस्य के रूप में मुझे, यह आश्वासन दिया था कि वह कार्यवाही करेंगे और कोई विधेयक प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने मेरे इस सुझाव का स्वागत किया था कि संसद सदस्यों तथा विभिन्न विधान सभाओं के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये। यदि आप सार्वजनिक जीवन में वास्तव में सत्यनिष्ठा चाहते हैं, तो यह अवश्य ही किया जाना चाहिये। इसी प्रकार, मेरे विचार से ... मैं वकील नहीं हूं, यहां अनेक वकील मित्र हमें बतायेंगे ... अनेक परिसम्पत्तियां विभिन्न बेनामी सौदों के कारण गायब हो जाती हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि यदि वित्त मंत्री इन विभिन्न बेनामी सौदों की जांच कर सकें तो ... शायद हम सभी मंत्रियों, न्यायाधीशों तथा संसद सदस्यों से यह घोषणा करवा सकें कि उनके

[श्री इन्द्रजीत]

अपने सम्बन्ध में कोई बेनामी सौदा नहीं हैं और यदि ऐसा एक भी सौदा है, तो वह बेनामी सम्पत्ति उस व्यक्ति की होगी, जिसके नाम में वह की गयी थी।

श्री मनमोहन सिंह : ऐसा हुआ तो सर्वाधिक लाभ बैंकों को होगा।

श्री इन्द्रजीत : वित्त मंत्री द्वारा यह बताये जाने पर मुझे प्रसन्नता है कि सर्वाधिक लाभ बैंकों को होगा। यदि बैंकों को कुछ और धन मिले तो मुझसे अधिक प्रसन्नता किसी को नहीं होगी, परन्तु मुझे आशा है कि वे इसका भली प्रकार उपभोग करें और इसे गंवायें नहीं।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। ब्रिटेन ने कतिपय प्रक्रियाएं अपनायी हैं। इसी प्रकार, यहां पर, लोक सभा तथा राज्य सभा दोनों में हमें एक रजिस्टर रखना चाहिये, जिसमें सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु, सदस्यों के व्यापारिक और व्यावसायिक हितों का ब्यौरा हो। महोदया, यह अत्यंत आवश्यक है। अक्तूबर, 1964 में केन्द्र द्वारा केन्द्र तथा राज्यों के मंत्रियों के लिये बनायी गयी व्यापक (आचार) संहिता के अनुसार यह किया जाना चाहिये। इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का ब्यौरा तथा (क) शेयरों एवं ऋण पत्रों, (ख) नकद सम्पत्ति और (ग) गहनों की मोटे तौर पर कुल कीमत की घोषणा करना शामिल था, बाहरी विश्व में हमारे देश की छवि में अनेक खामियां हैं। इसलिये मैं गम्भीरतापूर्वक यह आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय और अनेक माध्यम से सरकार मेरी दलील पर सकारात्मक रूप से और तुरन्त, ध्यान देगी। देश हित में यह कठोर निर्णय लेने का समय है। हम या तो महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू द्वारा बताये गये सर्वोत्कृष्ट मूल्यों के समर्थक हैं अथवा हम इनके समर्थक नहीं हैं, लेकिन ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकतीं। हमारे लोग जागृत और जागरूक हैं। हम सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा की बढ़ती हुई मांग की उपेक्षा करके अपने आपको ही खतरे में डालेंगे।

सभापति महोदया, मैंने पहले ही आपका काफी समय ले लिया है, परन्तु कृपया मेरी बात कुछ मिनट और सुनने का कष्ट करें। मैं दो बातें और कहना चाहूंगा दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह कर में छूट की सीमा से संबंधित है। यदि मैं आपका भाषण और नीचे स्तर पर ले आऊं तो कर में छूट की सीमा को बढ़ा कर 35,000 रुपये कर दिया गया है। काश वित्त मंत्री महोदय, कुछ और अधिक उदार होकर अथवा गणित की दृष्टि से वह और अधिक व्यावहारिक होकर इसे 36,000 रुपये कर देते। परन्तु मैं इस छोटी-सी बात को लेकर बाल की खाल नहीं निकालूंगा। मेरा मूल मुद्दा यह है कि मैं चाहूंगा, कि वित्त मंत्री जी परिवार नियोजन हेतु, संभवतः अगले वर्ष, कुछ करगत प्रोत्साहन शुरू करने की संभाव्यता पर विचार करें। मैं मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार का प्रोत्साहन शुरू किया जाना चाहूंगा वह यह है कि यदि आम अर्जक के बच्चों की संख्या दो से अधिक न हो तो, मैं यह निवेदन करने का दुस्साहस करूंगा कि उसको कर में 48,000 रुपये की छूट मिले और यदि उसके एक ही बच्चा हो तो, मेरे विचार से हमें कर में छूट की सीमा को बढ़ा कर 60,000 रुपये कर देना चाहिये।

श्री मनमोहन सिंह : यदि जनसंख्या का 99 प्रतिशत भाग कर अदा नहीं करे, तो उसका क्या लाभ है?

श्री मुरली देवरा : आप इसके पात्र हैं अथवा नहीं?

श्री इन्द्रजीत : मैं इसका पात्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे तीन पुत्रियां हैं। परन्तु, जो हो, मैं संतानोत्पत्ति की आयु पार कर चुका हूं, जो बात मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि हमें परिवार नियोजन को कुछ करगत प्रोत्साहनों के साथ जोड़ देना चाहिये। मैंने विगत में, इस मामले पर वित्त मंत्री महोदय से अनौपचारिक रूप से चर्चा की थी। उन्होंने सदशयतापूर्वक तर्क दिया था कि परिवारों को सीमित करने की प्रमुख समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। मुझे पता है कि मुख्य समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। तथापि, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करने की अनुमति चाहूंगा कि हमें कम से कम सही संकेत देना चाहिये। सही संकेत यह होने चाहिये कि यदि आपके केवल दो बच्चे हैं, तो आपको कर में रियायत 48,000 रुपये तक मिलेगी और यदि आपके एक ही बच्चा है, तो आपको कर में 60,000 रुपये तक रियायत मिल सकती है।

एक और बात लद्दाख के संबंध में है। सभापति महोदया, चूंकि मैं दार्जिलिंग का प्रतिनिधि हूं, इसलिये मेरा कुछ सम्बन्ध लद्दाख से भी है और ऐसा इस कारण हुआ, क्योंकि हमने दार्जिलिंग की पहाड़ियों के लिये 'स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद का दार्जिलिंग माडल' तैयार कर लिया था।

[अनुवाद]

इसी प्रकार से लद्दाख की जनता लद्दाख के लिए स्वायत्त पर्वतीय परिषद की मांग कर रही है। एक और समस्या है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं कि वर्ष 1989 तक लद्दाख की जनता को धारा 10 (26क) के अंतर्गत आयकर में छूट का लाभ मिलता रहा, जैसा कि नागालैंड, मेघालय और अन्य स्थानों के लोगों को मिल रहा था, परन्तु वर्ष 1989 में आयकर सीमा में छूट समाप्त कर दी गई, मेरे विचार से लद्दाख की जनता के साथ अनुचित बर्ताव हो रहा है। मैं यह जानता हूं कि लद्दाख के मेरे कुछ मित्रों ने हाल ही में उनसे मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया है और मैं यह आशा करता हूं कि उनके पास इस ज्ञापन पर विचार करने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त समय मिला होगा। अतः, मैं इसकी पुरजोर सिफारिश और अनुरोध करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। जहां तक लद्दाख का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि वहां की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लद्दाख को अभी तक स्वायत्त पर्वतीय परिषद का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, जिसका वादा किया गया था। यह वादा घृणास्पद स्थिति तक पहुंचने तक किया गया है, पर पर्वतीय परिषद अब तक बन नहीं पाया है। अतः, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि कृपया भगवान के वास्ते लद्दाख की जनता को, जो शांतिपूर्ण तरीके से बेहतर बर्ताव के लिए प्रयास कर रही है, को उनकी चिरकाल की पर्वतीय परिषद की अभिलाषा पूर्ण की जाए, जो एक स्वायत्त उपराज्य फार्मूले के अनुसार दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद की तरह होगी।

सभापति महोदया, मुझे अपना कथन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी संक्षित चर्चा के दौरान मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

सभापति महोदया : श्री पी.सी. थामस यहां नहीं हैं। डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, अपना कथन प्रस्तुत कीजिए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, जहां अर्थ संकल्प सरकार की नीतियों का, अर्थ सम्बन्धी उसकी घोषणाओं का तथा सरकार की जनता के प्रति जो वचनबद्धता होती है, उसकी क्रियान्विति का प्रतिबिम्ब होता है, वहां वित्त विधेयक सरकार द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए जो वित्तीय व्यवस्थाएं होती हैं, उन वित्तीय व्यवस्थाओं की दृष्टि से उसको प्रतिपादित करता है।

मुझे कहते हुए दुःख है कि बजट के समय भी और उसके बाद भी वित्त विधेयक लाया भी गया कि उसके बारे में भी जनता की इस सरकार से जो अपेक्षाएं थीं, हमारे सम्माननीय वित्त मंत्री जी से वह पूरी नहीं हुई, इस समय जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति चल रही है और जो आशाएं की गई थीं कि देश के अन्दर वित्तीय स्थिति सुधरेगी, बेरोजगारी घटेगी, महंगाई के ऊपर अंकुश लगेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इन सारी संभावनाओं को एक तरफ रख दिया गया है और एक विशेष दिशा में हम चल पड़े हैं। उसके कारण जहां हमारे अपने स्वदेशी उत्पादनों के ऊपर असर पड़ा है, स्वदेशी उद्योगों पर विपरीत असर पड़ रहा है, वहां पर छोटे-छोटे उद्योग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं और आज एक आम आदमी इस बात को महसूस कर रहा है कि वास्तव में हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम ऐसी किसी दिशा की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, जहां से मुड़ पाना हमारे लिए सम्भव नहीं है और जहां हम अपनी सार्वभौमिकता को भी शायद खो देंगे। स्वावलम्बन को भूल जायेंगे। इसी दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। आज स्थिति क्या है। हमने जो कुछ बातें कही हैं, उन्हें हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से, चाहे फिर वह प्रत्यक्ष कर हो या चाहे फिर वह अप्रत्यक्ष कर हो, कुछ न कुछ और कहीं न कहीं तक बहुत ज्यादा बोझा लाद दिया है। अब एक साथ उन्होंने अपने कई नोटिफिकेशंस विधड्रा किये हैं। विधड्रा करने के बाद कुछ को छोड़ भी दिया है, लेकिन उन सबका परिणाम क्या होगा, उसके बारे में वित्त मंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री स्पष्ट करेंगे कि नोटिफिकेशंस के बारे में स्थिति क्या है।

जहां तक स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की बात आई, मैं उसमें लम्बा नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के कराधान के बारे में आप थोड़ी कमी लाये हैं, लेकिन उसके बाद भी उन कमियों का असर कितना पड़ेगा और कहां तक स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज अपनी जिंदा रह पायेगी, यह आगे चलकर देखने की बात है।

मैं चाहूंगा कि नोटिफिकेशन 59, जिसमें कि आपने ब्राण्ड नेम की बात कही है, इसको विदड्रा कर देना चाहिए। यह बात लगभग सभी माननीय सदस्यों ने कही है कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, जिनका कि टर्नओवर 30 लाख रुपये है। वे प्रभावित हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि जहां-जहां उद्योग घरों में चलते हैं...

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यह कार्यवाही कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए है, जो उन ब्रांड के नामों का प्रयोग कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं, शायद आप उनका पक्ष ले रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। छोटे उद्योगों में काम करने वाले कहां से ब्रांड-नेम लायेंगे। कुछ लोग जूता बनाते हैं, कोई जूते का कवर बनाते हैं, कोई छाता बनाता है, कोई कवर बनाता है। इसलिए हमारा आग्रह है, क्योंकि उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती है, पैसा नहीं है कि ब्रांड-नेम लगावें, अतः आप उसको विधड्रा करें। आपने स्माल स्केल के बारे में बहुत कुछ कहा है, और आप स्वयं भी चाहते हैं कि वे जीवित रहे, क्योंकि वे हमारे देश की रीढ़ हैं और इसमें लाखों लोग काम करते हैं। गरीब मध्यम वर्ग के लोग काम करते हैं और जो झोंपड़ियों में रहते हैं, उनका आधार है।

अब मैं आपका ध्यान नोटिफिकेशन सं. 202 की ओर ले जाना चाहता हूं। इस नोटिफिकेशन के जरिए आपने छोटे-छोटे मिनी स्टील प्लाण्ट, स्टील रोलिंग प्लाण्ट और गैलवेनाइज्ड स्टील प्लाण्ट के बारे में जो सुविधाएं थीं, विधड्रा किया है, उन सब को एक प्रकार से खतरे में डाल दिया है। मेरा निवेदन है कि आप इसका रिस्टोर करें। मैं पहले नोटिफिकेशन को विधड्रा करने को कह रहा हूं और इसको रिस्टोर करने के लिए कह रहा हूं। संभवतः फैडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज के लोग आपसे मिले होंगे और उन्होंने आपसे निवेदन किया था कि नोटिफिकेशन सं. 202 का मूल भाव, जो इस प्रकार है, रिस्टोर किया जाये।

[अनुवाद]

संयोगवश दिनांक 20-5-1988 की अधिसूचना सं. 202/88-ई.सी. के अनुसार कच्चा लोहा, इस्पात की छड़ों, लोहे और इस्पात की पुनः ढालने योग्य सामग्री, हाट रोल्ड स्केल्प, हूड्स, शीट्स, स्ट्राइप, क्रमशः 5 मि.मि. से अनधिक मोटा फ्लैट, गैलवनाइज्ड इस्पात, शीट और प्लास आदि जैसे बहुत सारे उत्पादों को, जिनके शुल्क का भुगतान किया गया हो, से उत्पाद शुल्क की औपचारिकताओं से मुक्त रखा गया है।

[हिन्दी]

हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विस्तार हुआ है और इस मामले में हमारा देश सक्षम है। हमने कस्टम ड्यूटी कम की है और एक्साइज ड्यूटी बढ़ायी है। इससे इस पर विपरीत असर हुआ है। इसके कारण आपने यह भी देखा होगा कि रासायनिक उर्वरक के मामले में DAP यहां पर काफी आ गया और हमारे यहां की खाद बिकना मुश्किल हो गयी। फर्टिलाइजर कम्पनीज ने कहा था कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में नेपा नगर में अखबारी कागज की मिल है। लोग हमसे मिलने के लिए आए थे। वे कह रहे थे कि अखबारी कागज के आयात से संबंधित सरकार की जो नीति है, जिस प्रकार से कस्टम ड्यूटी को घटाया है, उसके कारण हमारे यहां का उत्पादित माल महंगा पड़ रहा है और बाहर का माल सस्ता पड़ रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी जरूर कहेंगे कि हमें तो सस्ता माल दिलाना है और हम सस्ता माल उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन नेपा नगर में अखबारी कागजों की मिलें बन्द होने की स्थिति में आ गई हैं। वहां के हजारों श्रमिकों ने कहा है कि हमारी रक्षा कीजिएगा, नहीं तो हम कठिनाई में पड़ जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस बात को देखें। यह तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ऐसी बहुत-सी चीजें

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

हैं, जिनकी कस्टम ड्यूटी कम हो गई है और हमारे यहां जो उत्पादन हो रहा है, उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी हुई है अगर आप सन्तुलन बनाए रखें, तो उचित होगा। सन्तुलन नहीं है, इसके कारण बाजार में माल तो आ रहा है, लेकिन क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है। आम जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाना चाहिए। अब स्थिति यह है कि माल बाजार में बिकने वाला नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि हमारी कराधान प्रणाली इस प्रकार की हो कि जनता को जो आवश्यक चीजें हैं, वे सुलभता से मिल सकें। आम आदमी उससे वंचित न रहे। मैं एक निवेदन जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं व शासकीय कर्मचारी हैं, जिनकी निश्चित आय है, उनके बारे में करना चाहता हूं। वे बुरी तरह से पीड़ित हैं। इसलिए हमने कहा है कि इनको राहत दी जानी चाहिए। हमने आयकर की सीमा बढ़ाने के बारे में कहा था। माननीय मंत्री जी ने 35 हजार की छूट दी है, लेकिन हमने 50 हजार की मांग की है और उसके अनुसार आगे की सलेब बना दीजिए। जो निश्चित आय वाले लोग हैं, उनके लिए सुविधा होगी। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली है।

संयुक्त परिवार प्रणाली में टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट रखी है, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। वह 18 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया जाये। आखिर आप संयुक्त परिवार क्यों तोड़ना चाहते हैं? न आप आवास दे सकते हैं, न अन्य सुविधा दे सकते हैं तो फिर संयुक्त परिवारों को तोड़ने की दिशा में क्यों बढ़ रहे हैं?

मेरा यह मत है कि यदि आप इनको सुविधायें देंगे, तो ये साथ रहकर, ठीक से काम कर सकेंगे। यह ठीक है कि जहां-जहां सामाजिक स्थिति जटिल रही है, वहां पर वातावरण का असर पड़ता है, लेकिन जहां नये परिवार बनेंगे, वहां निश्चित रूप से आप राहत नहीं देंगे, तो लाभ क्या होगा।

मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, जिसकी ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से पिछले सालों में नये प्रयोग किये हैं, उसमें कितना सफल हुए हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने पब्लिक सैक्टर में इन्वैस्टमेंट किया, उसका क्या परिणाम निकला? मैं उस तरफ तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पी.ए.सी. की रिपोर्ट आयी तो इसने सारी बातें आपके सामने रखी है। पी.यू. में जितना इन्वेस्टमेंट हुये हैं, उनमें कितनी बंगलिंग हुई है, कहां किसका कितना दोष था, उसमें बिडर्ज कितने आये और उसमें कितने लोगों ने शेयर लेने की बात की थी और उसके बाद आपको वापस लेने का निर्णय करना पड़ा। आपके वित्त सचिव का अलग मत था, आपका अलग था और सुरेश कुमार कमेटी का मत अलग था। पी.ए.सी. ने तो यह कहा है कि सी.बी.आई. द्वारा सारे मामले की जांच की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे यहां एक वित्तीय समिति है, जिसने इस प्रकार की बात की है। इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिये। मैं, इन बातों का उल्लेख मात्र किया है और हमारे वित्त मंत्री वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये सारे प्रयोग करते हैं, बजट लाते हैं और उसके बाद विधेयक लाकर उसमें समायोजन करने की चेष्टा करते हैं। हमारा तो यह मत है कि रिजर्व बैंक का जो ढांचा है, इसको बदलना चाहिये।

[अनुवाद]

इस समय रिजर्व बैंक की संरचनात्मक स्वायत्तता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की संचालनगत स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी।

[हिन्दी]

मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान ढांचा ठीक करने के लिये और आयकर में समानता की दिश ठीक करने के लिये हाईस्ट 40% होना चाहिये और एक्स एग्जम्पशन 50 हजार तक होना चाहिये।

[अनुवाद]

वर्तमान कर ढांचे को न्याय संगत और सरल बनाइए और आयकर की अधिकतम दर को घटाकर 40 प्रतिशत रखा जाए और आयकर में दूट की सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ायी जाये।

[हिन्दी]

मेरा यह निवेदन है कि हमारी जो दिशायें हैं, इनमें टैक्सेशन इस प्रकार से लागू करें कि सबको लाभ मिले।

[अनुवाद]

गैर-नगर पालिका क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख उद्योगों को आयकर से मुक्त रखा जाये और चुंगी समाप्त की जाये एवं नगर पालिकाओं के भारी घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों को कहा जाये, देशभर में एक समान बिक्री कर की व्यवस्था की जाये। केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्व घाटे की भरपाई की जायेगी, एक करोड़ से अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियों पर केंद्रीय सम्पत्ति कर लगाया जाये; निगम कर का बंटवारा राज्यों के साथ किया जाये; लेखकों, कलाकारों, शिक्षाविदों और बौद्धिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में लगे अन्य व्यक्तियों को विशेष कर रियायतें दी जानी चाहिए; गैर विकासात्मक व्यय में भारी कटौती की जाये।

[हिन्दी]

मेरे विचार में इसके बारे में जो मत है, उसको देखते हुए इस बात की ओर ध्यान देंगे और इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश कर निर्णय लेंगे, जिससे आम जनता को राहत मिले। गरीब, मध्यम वर्ग पीड़ा से बच सके और उस पर करों का बोझ कम से कम पड़े। देश को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाया जायेगा। इन सब बातों में सुधार की आवश्यकता है। लोगों को आशंका है कि सरकार ने जिस प्रकार से टैक्सेशन के जरिये और एक्साईज ड्यूटी में कमी करने के बाद जो परिवर्तन हुए हैं, उसके कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आयेंगी निर्यात बढ़ेगा आयात बढ़ेगा। परिणाम यह होगा कि हमारे देश की स्वायत्तता तथा स्वदेशी उद्योग प्रभावित होंगे। इससे छोटे और मझौले उद्योगों तथा हथकरघा उद्योग पीड़ित होंगे, जिनमें लाखों लोग काम करते हैं, हमें उन लोगों की पीड़ा को समझना चाहिये तथा इस पीड़ा को दूर करना चाहिए। मुझे महाराष्ट्र स्माल स्केल मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से एक मेमोरंडम दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आप नोटिफिकेशन क्र. 59 विदड्रा करें और

[अनुवाद]

महाराष्ट्र लघु उद्योग विनिर्माता संघ ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि ब्रांड-नाम के संबंध में वर्ष 1994 की अधिसूचना संख्या 59 से लघु एककों को मुक्त रखा जाये। संघ ने यह भी

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

कहा कि ऐसे एककों को, जिनकी मशीनरी का मूल्य 6 लाख रुपये से अधिक है और जिनका कारोबार 30 लाख रुपये से कम है, पूरी छूट दी जाये।

[हिन्दी]

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसके बारे में वे अपने उत्तर के समय ध्यान रखें और जो वित्तीय व्यवस्था है, उसमें और सुधार लाकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में आगे बढ़े मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकें। मैं समझता हूं कि वर्तमान में उनके काम अपर्याप्त हैं और इसके कारण जिन घोषणाएं या संभावनाओं को व्यक्त किया गया था, आर्थिक सुधारों की दिशा में उनको पूरा करने का लक्ष्य प्रतीत नहीं होता। मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासात) : सभापति महोदया, सरकार की आर्थिक नीति आमतौर पर विश्व बाजार के अनुकूल सुधार नीति के रूप में जानी जाती है। कई बार ऐसा कहा गया है कि इससे देश में समृद्धि आयेगी। इस वित्त विधेयक में सरकार के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कतिपय प्रस्ताव अंतनिहित हैं और जो जैसा कि मैंने पहले कहा है कथित नीति दायरे में आते हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि इस आर्थिक नीति और सुधार कार्यक्रम के पैकेज से देश की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके विपरीत इस नीति के नकारात्मक पहलू और भी अधिक स्पष्ट हो रहे हैं। इस समय इस नीति के नकारात्मक पहलुओं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को समझने अथवा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदया, हालांकि मैं यह मानता हूं कि कार्यक्रमों के समग्र पैकेज के प्रभाव का वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और परिमाणात्मक आकलन प्राप्त करना बहुत कठिन है, परन्तु इसकी कुछ झलक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल ही में दिसम्बर 1993 में प्रकाशित रिपोर्ट - एशियन रीजनल टीम फार एम्प्लायमेंट प्रोटेक्शन, एन्टाइटल्ड "इंडिया : एम्प्लायमेंट पावर्टी एंड इकनामिक पालिसीस" में मिल सकती है। मेरे विचार से कम से कम मेरे लिए यह रिपोर्ट सरकार की नई आर्थिक नीति के प्रभाव का अद्यतन आकलन है।

मैं सभा को इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में बताना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि वर्ष 1991 के मध्य से नीतियों के नए पैकेज को अपनाने के बाद अपेक्षानुरूप रोजगार न मिलने और खुली बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में कमी आई है।

इसमें आगे यह बताया गया है कि शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में गरीबी में वृद्धि हुई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि तीन वर्षों 1989-90 और 1992-93 के बीच खाद्यान्न की कीमतों में 45 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि बढ़ती गरीबी की एक प्रमुख कारक रही।

रिपोर्ट का निष्कर्ष इस प्रकार है :

> "जहां तक रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन का संबंध है, उदारीकरण से यह सभी कुछ पीछे पिछड़ गए हैं।"

मैं माननीय वित्त मंत्री और सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वे जिस आर्थिक नीति को लागू कर रहे हैं, उसकी बढ़ती हुई इन नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें, जिनके कारण जनता में समृद्धि नहीं हो पा रही है। इससे हमारे देश की अधिसंख्य जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।

आजकल, मैं देख रहा हूं कि इस सरकार की 1001 से अधिक दिन के शासन काल में प्राप्त की गई महान उपलब्धियों के बारे में विज्ञापनों और अन्य माध्यमों के द्वारा काफी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। परन्तु जहां तक जीवन की वास्तविकताओं का संबंध है, इस सरकार के शासन के 1001 से अधिक दिन हमारी जनता के लिए वस्तुतः काली रातें थीं, जिनमें दयनीयता, बढ़ती अभावग्रस्तता, लोगों को बढ़ती गरीबी और बढ़ती बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और राजनीतिक रूप से सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत की गई सभी राष्ट्रीय आर्थिक नीति को तिस्तार और विरोध का सामना करना पड़ा। यह वास्तविक स्थिति है। मेरे विचार से यह हमारे देश की सामान्य आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वास्तविक स्वरूप है। अतः बजट और वित्त विधेयक में जीवन की इन मौलिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जिनका सामना हमारे देश की जनता को करना पड़ता है।

अब मैं केवल सरकार का ध्यान कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्पादन क्षेत्र में भारी गिरावट आई है और यह अत्यंत स्पष्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले वर्ष 4 प्रतिशत विकास दर के स्थान पर वर्ष 1993-94 में औद्योगिक वृद्धि दर में 1.6 प्रतिशत तक गिरावट होने की सम्भावना है। दूसरी बात है कि गणना के अनुसार कृषि के उत्पादन में वर्ष 1992-93 की तुलना में 1993-94 में गिरावट हुई है। पूंजीगत माल के उत्पादन में गिरावट हो रही है। उपभोक्ताओं के लिए टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में थोड़ा सुधार हुआ है। यह वर्ष 1993-94 में लगभग 13.6 हो गया है।

महोदया, यह शोचनीय परिस्थिति का द्योतक है और इससे यह पता चलता है कि सरकार देश के शीर्ष दस प्रतिशत आबादी वाले अमीरों की उपभोक्तावादी हितों को पूरा करने में लगी है और देश के 90 प्रतिशत लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। यह खराब स्थिति का द्योतक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह अशुभ है। यह आंकड़ा विशेष दिखलाता है कि हमारी सरकार देश की सामान्य जनता की उपेक्षा करते हुए समाज के दस प्रतिशत उपभोक्तावादी मध्य वर्ग के लोगों के हितों को पूरा करने में लगी है।

महोदया, मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह सरकार लघु क्षेत्र से भेदभाव की नीति अपना रही है और भारतीय पूंजी के मूल्य पर 'लेवेल प्लेयिंग फील्ड' के नाम पर विदेशी पूंजी को बढ़ावा देने में लगी है। इसके कई दृष्टांत हैं। मैं सभा का समय लेकर उन सभी बातों का उल्लेख नहीं करूंगा।

1993-94 का आर्थिक सर्वेक्षण इस दावे के साथ शुरू होता है, "अर्थव्यवस्था 1990-91 के संकट से पूरी तरह बाहर निकल आई है।" मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं है। हम संकट से अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। उदाहरणस्वरूप, इस सरकार के कार्यकाल में डालर की तुलना में रुपये का 75 प्रतिशत अवमूल्यन किया जा चुका है।

[श्री ग बसु]

4.00 म.प.

आंतरिक स्तर पर रुपये का दो बार अवमूल्यन हो चुका है। ब्रिटिश और स्विस बैंकों के पास गिरवी रखा गया सोना अभी भी उन बैंकों के पास ही गिरवी है, हालांकि यह दावा किया जा चुका है कि इसे छुड़ा लिया गया है।

1991 में, देश पर 1,10,000 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण था। नवंबर 1993 में यह बढ़कर 2,66,000 करोड़ रुपये हो गया। अब तक निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि यह 3,000 करोड़ रुपये की सीमा को पहले ही पार कर चुका है। यह अच्छा नहीं है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अच्छा पहलू नहीं है।

मैं अब मुद्रास्फीति दर की चर्चा करूंगा। यह सही है कि दिसंबर, 1992 में मुद्रास्फीति दर घटकर 6.9% पर आ गयी थी। उस समय से यह बढ़ती चली जा रही है। 5 मार्च, 1994 के सप्ताहांत तक मुद्रास्फीति की दर 9% के आंकड़े से ऊपर जाकर 9.05% पर जा पहुंची। मेरी समझ से इसमें और बढ़ोतरी हुई है। मैं दो महीने पहले की बात कर रहा हूं। अब तो यह बढ़कर 10.5% या 10.6% से भी ऊपर चली गयी होगी। मूल्यों में यह अचानक वृद्धि कपड़े और चीनी पर मौसमी या पुनरावृति दबावों की वजह से नहीं हुआ है, जैसा कि वित्त मंत्री जी का कहना है। यह वृद्धि मौसमी या पुनरावृति दबाव के कारण हुआ है। मेरे विचार से यह बात कहना केवल इस बात की अनदेखी करना है कि जनसामान्य को भी इस संबंध में कुछ ज्ञान है। दूसरे लोग भी कुछ जान सकते हैं। इस तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं? मुख्य रूप से यह बजट-नीतियों द्वारा अर्थव्यवस्था में डाली गई कुछ मूलभूत मुद्रास्फीतिकारी कारकों की वजह से हुआ है–उदाहरणस्वरूप, फरवरी माह में सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि; दूसरे, 1994-95 के बजट में बढता हुआ अपूरणीय घाटा; तीसरे, 1993-94 के दौरान मुद्रा-पूर्ति में जबर्दस्त वृद्धि; चौथे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई अस्थिरता। अतएव, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह सभी मूल्य-वृद्धि के मूलभूत कारण हैं और ये तथाकथित बाजार सुलभ अर्थव्यवस्था के परिणाम हैं। और जब तक आप तथाकथित बाजार सुलभ अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहेंगे, तब तक मुद्रास्फीति दबाव का मुख्य कारण बना रहेगा और मेरी समझ से सरकार को परिस्थिति से निपटने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ती जा रही मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, यह काफी अधिक बढ़ रहा है। मेरे विचार में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 4 करोड़ की सीमा पार कर चुकी है। इस आंकड़े से हमारे देश की वास्तविक रोजगार स्थिति की सही जानकारी नहीं मिलती। दूसरी ओर, एक्जिट नीति तथा बंदी और छंटनी की नीति पर चलने के कारण बेरोजगारों की संख्या दिन-दुगुनी रात-चौगुनी बढ़ी चली आ रही है। यह देश की एक अत्यंत गम्भीर समस्या है तथा यह वित्त-विधेयक हमारे समाज की इस महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता है।

महोदया, मैं अपने भाषण को लम्बा करना नहीं चाहता। मैं सरकार को अपनी नीति तथा विशेषरूप से बाजार सुलभ आर्थिक नीति की समीक्षा करने को कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गौड्डा) : सभापति महोदया, वित्त विभाग द्वारा जो विधेयक लाया गया है, उसमें काफी असमानताएं हैं। मैं वित्त विभाग के मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हिन्दुस्तान के लोगों में एकरूपता लाने का काम करें। बिहार में 41 प्रतिशत सम्पदा पाई जाती है, लेकिन सिर्फ झारखंड इलाके में 32 प्रतिशत मिनेरल्स पाए जाते हैं। आज उस इलाके में इंडस्ट्री नहीं है, उद्योगपति वहां नहीं जाते हैं। वहां के मिनेरल्स से महाराष्ट्र, गुजरात और हिन्दुस्तान की दूसरी जगहों पर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। उसका कारण यह है कि पिछड़े क्षेत्रों को एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि झारखंड इलाके में एक करोड़ रुपये तक की इंडस्ट्री लगाने वालों को कम से कम 10 साल तक एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स से वंचित रखा जाए। किसी भी इंडस्ट्री का उत्पादन 5 साल में नहीं होता है।

बिहार में 7268 स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बन्द हो गई उसका कारण यह है कि उनमें उत्पादन ही नहीं हुआ था, बैंक द्वारा वर्किंग कैपिटल नहीं मिला। वित्त मंत्रालय का ध्यान उस ओर गया ही नहीं।

16.08 म.प.

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

मेरे क्षेत्र में 5 ग्लास इंडस्ट्रीज हैं। वित्त मंत्री जी को मैंने उन इंडस्ट्रीज के बारे में 3-4 चिट्ठियां लिखीं। मधुपुर में 2 ग्लास इंडस्ट्रीज थीं जो बन्द हो गईं, अभी उनके मालिक से बात हुई है पहले ग्लास इंडस्ट्री में जो मैनुअल प्लांट था, उसमें 10 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगती थी और आटोमैटिक प्लांट में 20 प्रतिशत लगती थी। इस बजट में दोनों को 20 प्रतिशत कर दिया गया है। आटोमैटिक प्लांट 40-45 करोड़ रुपये का होता है, लेकिन उसमें बहुत कम आदमी काम करते हैं और मैनुअल प्लांट में ज्यादा आदमी काम करते हैं। मेरे यहां की भी बची हुई दो ग्लास इंडस्ट्रीज मैनुअल प्लांट हैं और उनमें एक हजार आदमी काम करते हैं। यदि मैनुअल प्लांट में आटोमैटिक प्लांट के बराबर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई तो वह इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी एक्साइज ड्यूटी पहले की तरह 10 प्रतिशत ही की जाए।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान सीमेंट प्लांट की ओर दिलाना चाहता हूं। तीन तरह के प्लांट होते हैं - मेजर सीमेंट प्लांट, मिनी सीमेंट प्लांट और टाइनी सीमेंट प्लांट। वित्त मंत्री जी ने सभी छोटी इंडस्ट्रीज की उदारतापूर्वक रिलैक्सेशन दी है, लेकिन टाइनी सीमेंट प्लांट, जिसका प्रतिदिन 30 टन प्रोडक्शन होता है, वैसे सीमेंट प्लांट को इससे वंचित किया। फाइनान्स मिनिस्ट्री के अफसरों ने आपको गलत समझा-बुझा दिया। जो 10 लाख मीट्रिक टन सीमेंट पैदा करते हैं, उनको 330 रुपया एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है और अगर वह 600 मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादन करते हैं, तो भी एक्साइज ड्यूटी 185 रुपये देनी पड़ती है। कोई 30 टन पैदा करता है, तो भी उसको एक्साइज ड्यूटी 330 रुपये देनी पड़ती है। चैप्टर 10 में जो प्रावीजन है, उसको आप क्लोज न करें। टाइनी सीमेंट प्लांट वाले एक स्टेट से दूसरी स्टेट रा-मैटिरियल लाते थे, तो उनको पहले उसके लिये पैसा नहीं देना पड़ता था, अब उनसे 185 रुपये लिये जाते हैं। 185 रुपये उसे पहले देने पड़ेंगे। पहले 145 लेते थे, फिर

[श्री सूरज मंडल]

185 किया और फिर 330 हो गया। टाइनी सीमेंट वालों को आपने छूट नहीं दी है। आप इनको छूट अवश्य दें, तभी रूरल एरिया में अच्छा सीमेंट पैदा हो सकता हैं और वे चल सकते हैं।

इकोनामिक टाइम्स में 7 अप्रैल को टाइनी सीमेंट प्लांट के बारे में एक आर्टिकल निकला था और वह था :

टाइनी यूनिट्स बिड टू ड्रा एफ. एम्स. स्टेट्मेन्ट मिसफायर्स

इस बारे में बहुत बार कहने और चिट्ठी लिखने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया। मैं चाहूंगा कि इस ओर आप ध्यान दें।

वित्त मंत्री जी ने सिक्किम के ट्राइबल्स को इनकम टैक्स से रिलीफ दिया है। मैं चाहूंगा कि आप पूरे हिन्दुस्तान के ट्राइबल्स को एक समान समझें। हमारे झारखंड के इलाके में ट्राइबल्य बहुत अधिक तादाद में रहते हैं। पूरे इंडिया में इतने ट्राइबल्स नहीं हैं, जितने की अकेले झारखंड के इलाकें में हैं। ढ़ाई करोड़ में से सवा करोड़ ट्राइबल्स वहां पर रहते हैं। ट्राइबल्स के लिये कोई योजना नहीं बनायी जाती है। छोटे उद्योगों पर आपने एक्साइज ड्यूटी लगायी है। इससे अच्छा यह होता अगर आप इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की चोरी को रोक देते। इस चोरी को वित्त मंत्रालय रोके। इससे आपके टैक्स और नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकारी अफसरों को एक तरफ आप तनख्वाह देते हैं और दूसरी तरफ से उस पर इनकम टैक्स लगा देते हैं। आपके कानून इतने पेचिदा हैं कि वे ही किसी की समझ में नहीं आ पाते हैं। आप इनको सरल बनाइये, जिससे वे सब की समझ में आ जायें और इनकम टैक्स लॉयर भी ज्यादा फीस न ले सकें। उससे बढ़ेंगे। दूसरी चीज है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटी को कैसे चोरी किया जाता है। कोई मशीन अगर पांच पार्ट की है और उनसे मिलकर एक मशीन बनती है। उस मशीन को बिक्री करने से अगर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो एक्साइज ड्यूटी को चोरी करने का क्या तरीका किया है कि पांच अलग-अलग दुकानों से पांच पार्ट्स लेकर और उनको जोड़कर मशीन बनाकर बेच देते हैं तो उसमें सरकार को एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में मुझे एक इंजीनियर ने बताया था। मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी कि आप इसको पकड़िये, वह चिट्ठी आपके डायरैक्टर के पास गई और फाइनेंस मिनिस्टर की चिट्ठी मेरे पास आई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री को चकमा दिया जाता है। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि विजिलेंस कस्टम का एक डिपार्टमेंट है, दिल्ली में उसने एक केस पकड़ा, कोर्ट में वह केस है। मोटर पार्ट्स का बुकिंग वह सिंगापुर में करते हैं, तो उसमें उन्होंने रद्दी कागज भरकर उसको बुक कर दिया। सिंगापुर में उनका एक आदमी रहता है। उसकी 6 रुपये की चीज बनती है, तो वह सौ रुपये की बताता है और आप एक्सपोर्ट करने के लिए 20 परसेंट इन्सेंटिव देते हैं, तो 6 रुपये की चीज पर उसको 20 रुपये इन्सेंटिव मिल गया। ऐसे केस आपके आफिसर्स ने पकड़े हैं। इस तरह का आपका एक्सपोर्ट होता है। सिंगापुर में उसको वह डैमेज करते हैं और आप उसको 20 रुपये देने का काम करते हैं। इस तरह से लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट को चकमा देने का काम करते हैं, इस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कस्टम डिपार्टमेंट की बिहार में इण्डो नेपाल प्रिवेण्टिव कस्टम कलैक्टर की पोस्टिंग होती है। आपके अगस्त 1992 में तीन कंटेनर में कलकत्ता के थ्रू सामान नेपाल

जा रहा था। बेतिया में उसको पकड़ा गया, जिसकी डेढ़ करोड़ रुपये कीमत थी। आज वहां जो कस्टम कलैक्टर हैं, वह उस समय कलकत्ता और बिहार दोनों का चार्ज लिये हुए थे। जब वह माल पकड़ा गया तो उसका कोई क्लेम करने वाला नहीं था, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसी कस्टम कलैक्टर ने डेढ़ करोड़ का जो सामान था, उसको रिलीज कर दिया और वह सिंगापुर लौटकर चला गया। यह केस आपके पास बोर्ड आफ रेवेन्यू में पैंडिंग है, यह रिव्यू हो रहा है। ऐसे आफिसरों को आपको देखना चाहिए और उनका पता लगाना चाहिए।

ऐसे आफिसर्स, जो सरकार को एक्साइज ड्यूटी में घाटा लगाते हैं, वैसे लोगों की ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर बोर्डर पर पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ताकि आम जनता पर चीजों का बोझ नहीं पड़े। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान से जो सामान जाये, उसको आप फैसिलिटी दीजिए, लेकिन हिन्दुस्तान में जो सामान यहां पर मिलता है, जो आइटम्स इण्डिया के अन्दर बनते हैं, वैसे आइटम्स अगर विदेश से आते हैं, तो उन चीजों पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगाइये, ताकि हिन्दुस्तान का सामान बिके और हिन्दुस्तान के कल कारखाने चलें और यहां के लोगों को रोजगार मिल सके।

मैं अंत में कहना चाहूंगा कि फिर से हमारे इलाके में अभी बिहार के अंदर बिहार सरकार ने एक इंडस्ट्री बिठाने के बारे में नियम बनाया है, वह नियम है कि 15 करोड़ रुपये से ज्यादा कोई भी इंडस्ट्री लगायेगा तो उसको स्टेट गवर्नमेंट कोई फेसिलिटी नहीं देगी। आज की मंहगाई के जमाने में 15 करोड़ रुपया क्या हो सकता है और कोई फेसिलिटी नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से आज वहां मिनरल्स होते हुए भी कोई इंडस्ट्री उस झारखंड के इलाके में नहीं जाता है। आज हमारे यहां सारा मिनरल्स है, लेकिन वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। वहां पर कोल बेस है, मिनरल्स है और वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगता। इसलिये कि आपने वहां कोई फेसिलिटी नहीं दिया। मैं आपसे फिर मांग करूंगा कि झारखंड में जो इंडस्ट्री लगे वहां पावर की बहुत जरूरत है, बिहार में भी 15 सौ मेगावाट पावर की जरूरत है, लेकिन बिहार सरकार का अपना केपेसिटी 350 मेगावाट है, वे एन.टी.पी.सी. और डी.वी.सी. से लेकर काम चलाता है, लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं देने के कारण पावर नहीं मिलता है और आज सारा स्माल स्केल इंडस्ट्री बंद हो चुका है। 7268 इंडस्ट्री इसलिये बंद हुआ है, क्योंकि आपके बैंक ने उसको वर्किंग केपिटल नहीं दिया, इंडस्ट्री खड़ा किया तो उसको वर्किंग केपिटल नहीं दिया। तो वर्किंग केपिटल देने के लिये एक बार इंडस्ट्री डिमार्टमेंट उसकी इंक्वायरी करता है। दूसरी बार आपका बैंक इंक्वायरी करता है, तीसरी बार फिर जो आपका कोई इंस्टीट्यूशन है वह इंक्वायरी करता है, इसलिये वहां इंडस्ट्री बैठ नहीं पाती है। उसका कारण है कि जो इंडस्ट्री 2 साल में प्रोडक्शन में आनी चाहिये, वह 5 साल में आती है।

मुझे मालूम है कि वित्त मंत्री के झारखंड इलाके के लिये उदार विचार हैं। वे वहां ध्यान भी देते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि झारखंड के इलाके में जो उद्योग लगाएंगे उन उद्योगपतियों को 10 साल इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी से समाप्त कर दें, आप इसकी घोषणा कर दें, ताकि दूसरी जगह के लोग वहां जा करके इंडस्ट्री लगाएं।

महोदय, मैं एक बार फिर आपका ग्लास इंडस्ट्री की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्लास इंडस्ट्री से जो मैनुअल प्लांट हैं और ऑटोमेटिक प्लांट हैं, इन दोनों का दो तरह का एक्साइज ड्यूटी होना चाहिये। जो ऑटोमेटिक प्लांट हैं, उसका 20 परसेंट और जो मैनुअल प्लांट हैं, उसको 10 परसेंट किया जाये। इस तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंदीगुल) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको वित्त विधेयक, 1994 पर मुझे बोलने देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

यह काफी दुख का विषय है कि इस देश के गरीब और दलित वर्ग को सभी वस्तुओं की बजट-पूर्व बढ़ाए गए मूल्य का बोझ सहन करता पड़ा। बजट-पूर्व बढ़ाए गए मूल्य के कारण गरीबों पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ लगभग 4000 करोड़ रुपये आता है।

यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि उदारीकरण के कारण अपेक्षित कर-सुधार अभी तक हो नहीं पाए हैं। करों की चोरी रोकने तथा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व की भावना बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक है कि कर-प्रणाली में आमूल सुधार किए जायें। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु पर केवल एक ही प्रकार का कर लगाया जाय। इसके अलावा मूल्यांकन करने वाली प्रणाली को दुरुस्त किया जाना चाहिए।

महोदय, यह स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है कि अनिवासी भारतीयों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को अब तक किस प्रकार की रियायतें दी गई हैं। मैं सरकार से सदन के पटल पर इस संबंध में एक श्वेत-पत्र रखने का अनुरोध करता हूं। डंकल प्रस्ताव के भारत पर लागू होने से हमें विश्व व्यापार के माहौल से जुड़ गए हैं। भारतीयों पर लागू होने वाले नियम एवं कानून पहले ही संसद के कर से संबंधित कई अधिनियमों में सुनिश्चित किए जा चुके हैं।

इन कानूनों और नियमों का दायरा भारत तक ही सीमित है। परन्तु उन्हीं नियमों और कानूनों के अंतर्गत अधिसूचनाओं द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अनिवासी भारतीयों को छूट दी जाती है। यह पूरी तरह से गलत है। देश के बाहर लागू किए जाने वाले कर संबंधी नियम और कानून को अलग से पंजीबद्ध किया जाना चाहिए तथा इस पर सदन में वोट लिया जाना चाहिए। अतएव, अनिवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर लागू होने वाले नियम और कानून स्पष्ट रूप से संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने चाहिए।

उसी प्रकार भारतीय उद्योग को विकसित करने के लिए देशी उद्यमियों को उदार रूप से छूट दी जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था में पहले भारतीय उद्यमियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए और तब पांच से दस वर्ष के बाद यदि अपेक्षित रूप से विकास नहीं होता है, तो सरकार को अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अनिवासी भारतीयों को प्रवेश देना चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री जी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अनुमोदन पहले संसद द्वारा नहीं किया जाता। इसका कोई सांविधिक प्रावधान नहीं है। सभा इस बात पर सहमत है, परन्तु संविधान निर्माताओं ने ऐसे भविष्य का अनुमान नहीं किया था, जिसमें यह महान् राष्ट्र विदेशी शक्तियों के पैरों पर पड़ा होगा। अतः डंकल जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधि सांविधिक रूपरेखा से परे है।

महोदय, अभी हमारे यहां सरकार के कुल वित्त का द्विभाजीकरण रेल वित्त और सामान्य वित्त में किया हुआ है। वर्तमान समय सूक्ष्म-नियोजन का है। अतः मैं सरकार को परामर्श देना चाहूंगा कि सरकारी उद्यमों में विशिष्ट सार्वजनिक निवेशों पर प्राप्तियों और व्यय के लिए एक अलग वित्त होना चाहिए। सरकार को व्यय और राजस्व से अलग कर सरकारी उद्यमों का अलग से प्रबंधन किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री जी कृपया इस पर विचार करें।

मैं इस मौके पर वित्त मंत्री जी के अविलंब विचार के लिए सभा के समक्ष कुछ मांगें रखता हूं। दक्षिणी गैस ग्रिड की मांग काफी समय से लम्बित पड़ी है। लगभग 22 मिलियन क्यूबिक मीटर का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है, जो दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। इस ग्रिड से तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों को लाभ होगा।

तेलुगू गंगा परियोजना लम्बे समय से लम्बित पड़ी है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह परियोजना से संबंधित, विशेषतः विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण संबंधी, फाइलों की व्यक्तिगत रूप से जांच करें। मैं चाहता हूं कि वे विशिष्ट रूप से सभा को आश्वासन दें कि वे ऐसा करेंगे और परियोजना को गति प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों से सदन को अवगत कराएंगे। मैं सरकार से न्यू वीरनम परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान करने में शीघ्रता करने का अनुरोध करता हूं। दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य तमिलनाडु को, विशेषतः मद्रास शहर को पेय जल उपलब्ध कराना है।

दक्षिण तटीय जिलों, विशेषतः तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में निर्लवणीकरण संयंत्रों के लगाए जाने का एक प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा है। मैं वित्त मंत्री जी से परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने और साथ ही अनुदान के रूप में 75 प्रतिशत परियोजना लागत मुहैया कराने का अनुरोध करता हूं, ताकि इन जिलों में पेय जल की समस्या का सामाधन हो सके। डा. पुरैची थलैवी इन्हीं समग्रतः समाज के लिए लाभदायक इन्हीं परियोजनाओं की सिफारिश कर रहे हैं। इन परियोजनाओं में डा. पुरैची थलैवी की वचनबद्धता केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर पूरी की जानी चाहिए।

आतंकवाद देश की अखंडता के लिए एक खतरा है। यदि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार की सहायता के लिए आगे बढ़ कर नहीं आती, तो राज्य सरकार अकेले इस समस्या का सामना नहीं कर पाएगी। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री, डा. पुरैची थलैवी के अथक प्रयासों से राज्य से वह पूरा आतंकवाद समाप्त कर दिया गया है, जो पिछली सरकार के दौरान अत्यधिक सक्रिय था। परंतु आतंकवाद के विरुद्ध सतत संघर्ष में धन की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 84 करोड़ रुपये की मांग की है, पर केंद्र ने केवल 10 करोड़ रुपये का ही अनुदान दिया है। अतः मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार को पूरी राशि उपलब्ध कराएं।

चूंकि यह बजट समग्र रूप से गरीब जनता पर भारी बोझ है और घरेलू उद्योगों, विशेषतः लघु और मध्यम, के हितों के विपरीत हैं, अतः मैं वित्त विधेयक, 1994 का विरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : सभापति महोदय, कल वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने छाता, साबुन और जीवन रक्षक उपस्करों जैसे लघु क्षेत्र के एककों एवं अन्य बहुत सारी वस्तुओं पर नई छूटों की घोषणा की है।

हमारा देश हमारे प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में और हमारे वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह के परामर्श से लगातार प्रगति कर रहा है। लगभग तीन वर्ष पहले जब हमारी पार्टी ने सरकार बनाई थी, उस समय विदेशी मुद्रा 1 बिलियन से थोड़ी अधिक थी और इस समय यह सोने के रूप

[श्री के. प्रधानी]

में 13 बिलियन डालर है, जो बाहरी देशों के लिए वचनबद्ध-देयता के बाद अपने देश में वापस ले लिया गया है। 1991-92 के ऋणात्मक तीन प्रतिशत की तुलना में आयात में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 1992-93 में इसमें दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब यह सरकार बनी थी, उस समय मुद्रा की दर 17 प्रतिशत थी, जो अब 8.5 प्रतिशत है। भुगतान संतुलन में सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से कमी हुई है। विदेशी ऋण में 1991-92 और 1992-93 में 8 बिलियन से 1993-94 में 3 बिलियन की कमी हुई है।

हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बहुत-सी बातों की चर्चा की है। काफी लम्बी-चौड़ी चर्चा है और मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता, पर मैं विशेष रूप से एक-दो समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। अभी-अभी श्री चित्त बसु बढ़ती बेरोजगारी के विषय में बोल रहे थे। हमारे विद्वान प्रधान मंत्री ने रोजगार गारंटी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगारी कार्यक्रम की दो योजनाएं लागू की हैं। हमारी सरकार ने रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष के 600 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 1200 करोड़ दिए हैं। जहां तक शिक्षित बेरोजगारों का संबंध है, तो इन लोगों के लिए 145 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा रोजगार केंद्रों से प्राप्त रिकार्डों के आधार पर आंकड़े दिए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ये आंकड़े सही हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण व्यक्ति, जिनका पंजीकरण नहीं होता है इसमें सम्मिलित नहीं हैं। सरकार ने ग्रामीण विकास बजट में पिछले वर्ष के 5010 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष यह राशि बढ़ाकर 7010 करोड़ रुपये कर दी है।

जहां तक जवाहर रोजगार योजना का संबंध है, 1993-94 के 3,306 करोड़ रुपये की तुलना में इस राशि को बढ़ाकर 3,885 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बेरोजगारी के प्रश्न को पुस्तकों में दर्ज आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। पर योजनाएं कैसे चल रही हैं और अन्य योजनाओं में लोगों को रोजगार किस तरह दिया जा रहा है, यह जानते हुए हमें इसका परीक्षण करना है।

मैं बजट के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करना नहीं चाहता। मुझे अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट समस्याओं के बारे में कहना है। मैं एक ऐसे अनुसूचित क्षेत्र का निवासी हूं, जहां के अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं; और केंद्रीय एवं राज्य, दोनों सरकारों का यह दायित्व है कि वे इन्हें सभी प्रकार के शोषण से बचाएं और उनके आर्थिक विकास में प्रगति लाएं। छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान, सातवें और आठवें वित्त आयोगों ने मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए और साथ ही प्रशासन स्तर में सुधार के लिए कुछ वित्तीय पुरस्कार दिए गये थे। पर दुर्भाग्यवश आठवीं योजना के दौरान कोई भी वित्तीय पुरस्कार नहीं दिया गया है। मैं वित्त मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए उनसे मामले की जांच करने और कुछ विशिष्ट समस्याओं के समाधान का अनुरोध करता हूं।

1960 में जब पंडित नेहरू प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने ढेबर आयोग नामक एक आयोग का गठन किया था। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देशी शराब का उत्पादन और सेवन अत्यंत खतरनाक आदतें हैं, जिनसे आदिवासियों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का शोषण होता है। आयोग की इच्छा थी कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और आदिवासियों को नशीले पेय और शराब तैयार करने न दिया जाए। पर अधिकांश राज्यों में जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं, इस योजना का कार्यान्वयन नहीं किया

गया है। वे केवल राजस्व कमाने के लिए यह काम ठेके के आधार पर सौंप रहे हैं और उनका कहना है कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्हें राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी और वे प्रशासन नहीं चला पाएंगे। अतः जबकि आयोग ने इस प्रकार की रिपोर्ट दे ही दी है और सरकार भी सिद्धांत रूप में इसे लागू करने को सहमत है, तो राज्य सरकारों को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? केंद्रीय सरकार को संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा (3) और पैरा (5) के अंतर्गत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं।

योजना आयोग द्वारा इस योजना के दौरान, गठित किए गए इस कार्यदल ने अपनी छानबीन के पश्चात यह सुझाव दिया कि आदिवासियों की दशा, अनेक मामलों में बदतर हुई है, जिसके लिये खर्च की गई धनराशि के हिसाब से काफी अच्छी होने की आशा की गई थी। यही समय है जब केंद्रीय सरकार को इस पर विचार करना चाहिए तथा राज्य सरकारों को आदिवासियों का शोषण रोकने तथा प्रशासन में सक्रियता लाने के लिए इन राज्य सरकारों को निर्देश देने चाहिए। मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा और उनसे उन राज्य सरकारों की सहायतार्थ कुछ और धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं, जो धनाभाव का सामना कर रही हैं और जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की कीमत पर अवैध शराब निर्माण को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल प्रदान करने में अपनी असमर्थता दर्शाई है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि अधिकतर आदिवासी गांवों में–उन्हीं में से एक गांव मेरा भी है–विधवाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, क्योंकि पुरुष जहरीली शराब का सेवन करने से कम उम्र में ही मर जाते हैं। हम चाहते हैं कि जहरीली शराब का सेवन बिना किसी और विलम्ब के तत्काल रोका जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने इस बजट में जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक धन मंजूर किया है, लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतें नहीं होंगी। चूंकि हमने 1992-93 के दौरान पंचायती राज विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में एक प्रावधान है कि इस विधेयक के पारित करने के एक वर्ष पश्चात अथवा इस विधेयक को मंजूरी देने के एक वर्ष पश्चात राज्य सरकारों द्वारा इस समय जो अधिनियम लागू किए गए हैं, वे प्रभावी नहीं रहेंगे, और यह विधेयक वहां लागू होता है, लेकिन संसद को यह वहां लागू करना होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केंद्रीय सरकार ने इन अनुसूचित क्षेत्रों में अभी तक यह विधेयक लागू नहीं किया है और इस तरह वहां कोई पंचायतें नहीं होंगी। मुझे यह मालूम नहीं है कि पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले ग्रामीण विकास और त्वरित रोजगार कार्यक्रमों के लिए जो यह धन आवंटित की गई है, उसका वहां कैसे उपयोग किया जायेगा। अतः मैं केंद्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और उससे आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रावधान यथाशीघ्र करने का अनुरोध करता हूं, ताकि लोकतांत्रिक ढांचा निम्नतम स्तर पर इन कार्यक्रमों पर ध्यान दे सकें।

मेरे से पूर्व बोलने वाले मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त और कतिपय अन्य माननीय सदस्यों ने सिक्किम के आदिवासियों को प्रदान की गई आय करों में छूट का उल्लेख किया था। मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य यह है कि सिक्किम केवल आदिवासियों को ही इस तरह के फायदे क्यों मिले, देश के बाकी भागों के आदिवासियों को क्यों नहीं। मैं सरकार से यह प्रावधान समान रूप से और नियमित आधार पर भारत के सभी आदिवासियों के लिए लागू करने का अनुरोध करता हूं।

अंत में मैं लद्दाख के बारे में बात करना चाहूंगा। मुझ से पूर्व बोलने वाले इन्द्रजीत गुप्त ने चीनी आक्रमण के पश्चात 1962 से लद्दाख के लोगों को दी गई आय कर छूट का उल्लेख किया है, लेकिन 1989 में ये राहतें वापिस ले ली गयीं। लद्दाख में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं

[श्री के. प्रधानी]

हुआ है। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होता, ये प्रावधान वहां कुछ ओर वर्षों तक लागू रखने चाहिए।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, इस वित्त विधेयक में वित्त मंत्री द्वारा देश के वित्त प्रबंधन अथवा इसके कुप्रबंधन संबंधी बहुपक्षीय प्रयासों का प्रस्ताव किया गया है। मुझे नहीं पता वे क्या हैं। उन्होंने मूल बजट प्रस्तावों में प्रस्तावित राहतों अथवा परिवर्तनों, की एक चार पृष्ठीय लम्बी सूची प्रस्तुत की है। मैं उनसे सहमत हूं कि विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई कतिपय राहत के लिए हमारे दल सहित सदस्यों की ओर से कुछ मांगें की गई थीं और एक हद तक उन्होंने वह पूरी भी की हैं। मुझे नहीं पता कि लघु क्षेत्र के लोग उनसे संतुष्ट हैं अथवा नहीं। लेकिन मुझे यह आश्चर्य है कि जब प्रस्ताव तैयार किए गए तो उनके अंतर्गत आने वाला विभाग इस बात से अनभिज्ञ रहा कि लघु उद्योग क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों पर इन सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का क्या प्रभाव होगा। यह कैसे हो सकता है कि उन्हें इसका पहले पता ही नहीं था? अब उन्होंने अनेकों रियायतों और राहतों तथा इसी तरह के अन्य प्रस्ताव से भरे चार पृष्ठ प्रस्तुत किए हैं। उसका अर्थ यह है कि वित्त मंत्री को बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह अहसास था कि अन्ततः उन्हें इनमें से अनेक चीजों में कटौती करनी पड़ेगी और उस समय यह उनकी उदारता समझी जायेगी। ऐसा अनेक वित्त मंत्रियों द्वारा किया जाता है। वे सदैव कुछ न कुछ गुंजाइश रखते हैं, ताकि बाद में वे उदार नजर आएं। या तो वे यह जानते हैं और जानबूझकर करते हैं अथवा यह बात नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि विभाग अनेक लघु उद्योग क्षेत्र पर पड़ने वाले इन बातों के प्रभाव से अनभिज्ञ और अनजान था। अन्यथा, मुझे नहीं पता कि अंतिम चरण में इन कथित राहतों और रियायतों से भरे इन चार पृष्ठीय प्रस्तावों को क्यों लाया जा रहा है।

मंत्री जी को हमें कम से कम यह बताना चाहिए कि इन रियायतों से कितने राजस्व का नुकसान होगा। उत्पाद शुल्क को या तो कम किया जा रहा है अथवा पूरी तरह से हटाया जा रहा है। सीमा शुल्क को कम किया जा रहा है। लंबी सूची यहां लाई गई है। संक्षेप में इन सभी बातों से राजस्व घाटा कुल कितना होगा? कम से कम संसद को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए। मुझे मालूम है कि मंत्री जी कहेंगे कि हम दोनों बातें चाहते हैं, हम राहत भी चाहते हैं और यह भी कि राजस्व घाटा न हो। मेरा यह अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमें जानकारी दी जानी चाहिए। इन रियायतों के परिणाम स्वरूप कितने राजस्व का घाटा होगा? यह जानकारी हमें नहीं दी गई है। मुझे आशा है कि जब वह इस मामले पर उत्तर देंगे, तो वह हमें इस बारे में कुछ जानकारी देंगे?

मैं यहां दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। मैंने अपने बजट भाषण के दौरान इनका उल्लेख किया था। लेकिन मुझे उन पर प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई अतः मुझे खेद है कि मुझे वे बातें दोहरानी पड़ेंगी। उस समय भी मैं प्रश्नों के रूप में आपकी कुछ प्रतिक्रिया जानना चाहता था। चूंकि वे बातें काफी भारी धनराशि से संबंधित है, जिन पर अवैध तरीकों से राजस्व से वंचित होना पड़ता है। मुझे जानकारी नहीं है कि वह धन वसूल किया जा सकता है अथवा नहीं। लेकिन फिर भी यह

वादा किया गया था कि बैंक घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्षों पर कुछ अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी। स्वयं प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जो अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी उसकी रिपोर्ट 4 माह के अन्दर सभा में प्रस्तुत कर दी जायेगी। मेरा प्रश्न बहुत साधारण है। उस संबंध में स्थिति क्या है? हमें उस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी अनुवर्ती कार्यवाही की रूपरेखा तैयार की गई है अथवा यह अभी भी विचाराधीन है। कब तक कुछ किए जाने की संभावना है? इस दौरान वे सभी दोषी लोग और बैंक घोटाले में लिप्त शेयर बाजार के वे सभी सट्टेबाज, बैंक अधिकारी और नौकारशाह खुले घूम रहे हैं। अतः हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने कोई कार्यवाही ही न करने का निर्णय लिया है अथवा देश और संसद अभी भी किसी बात की आशा कर सकते हैं? दूसरे, महोदय मैंने उस पुराने मामले के बारे में पूछा था, जिससे लोग अभी भी अघाए नहीं हैं, क्योंकि मेरे विचार से यह ऐसी ही मामला है। यह बोफोर्स के संबंध में है। मैं बोफोर्स कंपनी द्वारा रिश्वत के रूप में दिए गए धन की चोरी का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। हमारे सामने अभी एक नई बात आई है। हमें यह बताया गया था कि बोफोर्स दलाली के भुगतान से संबंधित स्विस बैंक में रखे गोपनीय पत्रों और फाइलों तथा कतिपय गोपनीय खातों से संबंधित पत्रों को स्विस बैंक अधिकारियों द्वारा अब भारत सरकार को सौंपा जा रहा है। यह कहा गया था कि इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और एक निर्धारित अवधि के अंदर ये पत्र हमें सौंप दिए जाएंगे। निस्संदेह ही वह अवधि अब समाप्त हो चुकी है। किन्तु पत्र अभी तक नहीं आए हैं। इसमें कुछ विलम्ब हो चुका है। किन्तु अब मैं यह देख रहा हूं कि बोफोर्स मामले के पूर्ण भुगतान में संलिप्त संदिग्ध पार्टी अर्थात हिन्दुजा ब्रदर्स के एम.पी. हिन्दुजा में इतनी हिम्मत आ गई है कि वे भारत में प्रेस के पास भी चले गए हैं। उन्होंने प्रेस को यह बताया है कि स्विस बैंक से ये पत्र हमें नहीं सौंपे जाएंगे, क्योंकि इन पत्रों पर दावा प्रस्तुत करने के मामले में भारत सरकार ने घपलेबाजी की है। उनका यह कहना है कि भारत सरकार इस मामले में पूरी तरह गम्भीर नहीं है। इसलिए सरकार ने जिन गुप्त खातों से संबंधित निश्चित दस्तावेज और पत्र बैंक से मांगे थे, जिनमें बोफार्स संबंधी भुगतान का मामला अंतर्ग्रस्त है, ये वे पत्र नहीं हैं, बल्कि सरकार ने तो सामान्य किस्म के पत्रों और सामान्य संक्षिप्त ब्यौरों की ही मांग की थी, जिससे स्विस अधिकारियों के लिए इस मामले में विलम्ब करने तथा इन पत्रों को सौंपे जाने के मामले में टाल-मटौल करने का काम और अधिक आसान हो गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि असलियत क्या है। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया गया था अथवा नहीं या किन्हीं त्रुटियों अथवा किसी की भूल के परिणामस्वरूप अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर मिलीभगत के परिणामस्वरूप बैंकों से अनुरोध ही इस ढंग से किया गया था कि वास्तव में उन पत्रों पर हाथ ही न डाला जाए, जिनकी कि हमें आवश्यकता है। इस संबंध में स्थिति क्या है? श्री हिन्दुजा तो रोजाना ही सरकार पर दोषारोपण करते रहेंगे। किन्तु सरकार कुछ भी बोल नहीं रही है। हमें कोई भी जानकारी नहीं है, अतः मेरे विचार से सरकार को अपने स्वयं के हित के लिए इस प्रश्न पर कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए। या तो सरकार को हिन्दुजा द्वारा कही गई बात का खण्डन करना चाहिए अथवा यहां पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अब इन पत्रों को हासिल करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं। अब मैं थोड़ा जैसा कि मेरे मित्रों ने पहले ही उल्लेख किया है–मुद्रास्फिति और मूल्यवृद्धि के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। महोदय हमें अब एक किलो चीनी के लिए बाजार में 15 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से देना पड़ता है। यदि आप बाजार से एक किलोग्राम चीनी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। पिछले वर्ष अर्थात आज से एक वर्ष पहले चीनी 9 रुपये अथवा 10 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से मिलती थी। इस मामले में हमने पहले ही असंतोष व्यक्त किया

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

है। आपने राशन कार्ड पर पर्याप्त चीनी हासिल नहीं कर पाने वाले साधारण व्यक्ति अथवा उपभोक्ता भी इससे बहुत दुखी हैं, किन्तु आज इसकी कीमत 15 रुपये तक पहुंच चुकी है। भारत जैसे देश में यह लोगों के साथ मजाक करने वाली स्थिति के समान है। सबसे पहले तो सरकार को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि चीनी के मामले में इतनी असाधारण मूल्यवृद्धि क्यों होने दी गयी। बाजार में चीनी के मूल्यों पर किसका नियंत्रण चल रहा है। इससे कौन लाभ उठाए जा रहा है?

दूसरे, अब सरकार ने लोगों के दबाव के चलते चीनी के मूल्यों को कम लाने हेतु अचानक यह घोषणा की है कि वे चीनी को लाइसेंस मुक्त सूची में डाल रही है। चीनी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। हमें यह नहीं पता कि इसकी मात्रा कितनी होगी। मेरे विचार से अब लाइसेंस मुक्त प्रणाली के अंतर्गत न केवल सरकार द्वारा बल्कि निजी व्यापारियों द्वारा भी कई लाख टन चीनी का आयात किया जा सकता है। आर्थिक पत्रिकाओं में छपी रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जिस चीनी का पहले ही आयात किया जा चुका है, शायद वह अभी तक खुदरा बाजार में नहीं पहुंची है। इस चीनी को बेइमान व्यापारियों ने जानबूझकर दबा लिया है, जिससे कीमतें और अधिक ऊंची चली जाएं। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि ये कीमतें कहां जाकर रुकेंगी। किन्तु मुझे यह आशंका है कि यदि ऐसी स्थिति अंततः पैदा हो ही जाती है तो इसका प्रभाव हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी पड़ेगा और इसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे में भी कमी करनी पड़ेगी। किन्तु मुझे यह आशा है कि सरकार ऐसा नहीं होने देगी तथा एक ओर तो वह लाभ कमाने वाले तथा बेइमान व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और दूसरी ओर जब कीमतें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, तब वह कहेगी कि अब चीनी, खाद्य तेल और कच्ची कपास को लाइसेंस मुक्त कर दिया जाएगा, जैसा कि उन्होंने अभी हाल ही में किया है। कीमतें कम करने का यह कोई तरीका नहीं है। मैं ये सब बातें इस लिए कह रहा हूं, क्योंकि हमें भविष्य की चिन्ता है। हमें गैर प्रस्तावों के कारण ऐसी चेतावनी मिली है और सरकार ने इसका खण्डन भी नहीं किया है। कम से कम भेषजों-दवाओं और औषधियों की कीमतों में तो वृद्धि जरूर होगी। जब उनसे यह पूछा गया कि जब कीमतों में चार अथवा पांच गुणा वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, एक साधारण व्यक्ति इन दवाओं को कैसे खरीद सकेगा, तो हमें यही बताया गया : "चिन्ता न करें, हम कुछ मूल्य नियंत्रण कर देंगे"। चीनी, खाद्य तेलों और कच्ची कपास पर मूल्य नियंत्रण करने का सरकारी तरीका यह है। हमने यह बात देख ली है कि सरकार के मूल्य नियंत्रण उपायों का प्रभाव कितना है। हम यह नहीं मान सकते कि भेषजों, औषधियों और दवाओं के मामले में कोई अलग स्थिति होगी।

आगे यह कि व्यापार संतुलन भी एक महत्वपूर्ण मामला है तथा व्यापार संतुलन 1.4 बिलियन डालर चल रहा है, जबकि भारत के व्यापार संतुलन के मामले में स्थिति विपरीत है। यह उल्लेखनीय है कि 1993-94 में भारत से निर्यात में कुछ वृद्धि हुई थी जो स्वागत योग्य भी है। डालर के रूप में निर्यात में 20.97 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, किन्तु इसके साथ-साथ 1993-94 में करोड़ रुपयों के रूप में आयात भी बढ़कर 15.71 प्रतिशत हो गया था। यह सब मार्च के महीने में आयात शुल्क में दी गई भारी छूटों के कारण ही हुआ था। बजट की घोषणा के पश्चात केवल मार्च महीने में ही आयात में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। अतः आयात शुल्क और निर्यात शुल्क के माध्यम से अधिक रियायतें दी जा रही हैं। आयात में वृद्धि हो रही है; आयात किए जाने वाले सामान के मूल्यों में वृद्धि हो रही

है और जो कुछ हम निर्यात में थोड़ी-सी वृद्धि करके हासिल करते हैं, वह इस मूल्य वृद्धि में ही चला जाता है। उन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि इस अवधि के दौरान ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए कितनी नकद मुद्रा बाहर गई है। 1992-93 और 1993-94 के बीच नकद मुद्रा के रूप में ब्याज के पुनर्भुगतान का बिल कितना बनता है, जिसका हमें भुगतान करना है।

मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश के बारे में एक तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा, जो सरकार के नियमित राजस्व की भरपाई करने हेतु विनिवेश करना सरकार के लिए आम बात हो गई है। वर्ष 1993-94 में कतिपय चुनिंदा सरकारी उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश के माध्यम से पहले 2500 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का विचार था, किन्तु 1994-95 में इस लक्ष्य को 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब ये रिपोर्टें मिली हैं कि इन्हें बेचा जा रहा है और उन्हें शेयर खरीदने के इच्छुक लोगों से 1400 बोलियां प्राप्त हुई हैं, किन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या ये बोलियां इन शेयरों के बाजार मूल्यों से कम की हैं और क्या सरकार अंततः इन शेयरों को बाजार मूल्यों से कम की दरों पर ही बेचने पर राजी हो जाएगी। मुझे यह तो पता है कि इनका एक आरक्षित मूल्य भी है। एक आरक्षित मूल्य रखा तो गया है, किन्तु यह बाजार मूल्यों से कम है। सरकार का यह कहना है कि आरक्षित मूल्य से कम पर कोई बिक्री नहीं की जाएगी। किन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आरक्षित मूल्यों से कम की बोलियों को रद्द कर दिया जाएगा अथवा नहीं अथवा फिर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जहां तक मुझे जानकारी मिली है, सात सरकारी उपक्रमों के मामले में, जिनमें भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि., महानगर टेलीफान निगम लि., भारत इलेकट्रॉनिक्स लि., भारत अर्थ मूवर्स, एच.पी.सी.एल., नाल्को और बी.आर.पी.एल. के मामले में 4500 करोड़ रुपए की बोलियां बकाया पड़ी हुई हैं। इस वर्ष इन सात सरकारी उपक्रमों के कुल 4500 करोड़ रुपए के शेयरों का विनिवेश किया जा रहा है, जिससे और इस राशि से श्री मनमोहन सिंह के बजट संतुलन में वृद्धि होगी। सिद्धान्त रूप से हमने बजट संतुलन में बनावटी वृद्धि दिखाने के लिए सरकारी उपक्रमों के शेयरों की बिक्री करने का हमेशा ही विरोध किया है।

5.00 म.प.

किन्तु सरकार ऐसा कर रही है। हमें कम से कम इतना तो पता लगना ही चाहिए कि सरकारी उपक्रमों के शेयरों को सस्ते भाव नहीं बेचा जा रहा है; जबकि विभिन्न ओर से यह बहाना बनाया जाता है कि ये सरकारी उपक्रम, जो कि ठीक-ठाक चल रहे हैं, जो लाभ भी कमा रहे हैं, जिनके बाजार में शेयर उपलब्ध हैं, उनके शेयरों को शेयरों के बाजार मूल्य से कम मूल्यों पर बेचा जा रहा है। इस संबंध में वास्तविक स्थिति से हमें अवगत कराया जाए। हम इस प्रणाली तथा प्रक्रिया, जिसे हम देश के भविष्य के लिए अत्यधिक हानिप्रद मानते हैं, के आरम्भ होने से पहले, अपना अंतिम दृष्टिकोण निर्धारित करने से पूर्व ही हम स्थिति की जानकारी चाहते हैं।

अब हम फिर से सोने का आयात आरम्भ कर रहे हैं। इस सरकार के सत्ता में आने के समय जो सोना बैंक आफ इंग्लैंड के पास प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया था और जो रिजर्व बैंक की तिजोरी से निकाल कर इंग्लैंड भेजा गया था और बैंक आफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा गया था वह वापस आना था और हमें यह बताया गया था कि यह वापस छुड़ा लिया जाएगा और यह सोना वापस भारत लाया जाएगा। अब लगभग तीन वर्ष बीत चुके हैं, वह सोना वापस नहीं आया है। यह बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में ही है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हमें सूचित किया गया है कि विशेष लाइसेंस योजना, जिले सुपर स्टार व्यापारिक गृहों को पहले ही उपलब्ध कराया गया है, के अंतर्गत खान और खनिज व्यापार निगम को सीमा शुल्क की रियायती दरों पर सोना आयात करने की अनुमति दी जा रही है। इसका प्रयोजन क्या है, हम यह जानना चाहते हैं। मूझे बताया गया है कि यह सोना खान और खनिज व्यापार निगम के माध्यम से दिल्ली, मुम्बई और अहमदाबाद में सराफा बाजारें में बेचने के लिए है, हो सकता है यह तस्करी-रोधी उपाय हो, मैं नहीं जानता कि यह सोने की तस्करी के विरुद्ध एक किस्म का सुरक्षोपाय है, किन्तु सर्वप्रथम, हमें यह पता नहीं है कि खान और खनिज व्यापार निगम के इन बिक्री केन्द्रों से कितना सोना आयात करने की अनुमति दी जा रही है।

इससे मूल्यों में कमी आने की आशंका है। इसमें राज्य व्यापार निगम शामिल नहीं है। मुझे बताया गया है कि राज्य व्यापार निगम को सोना आयातकां की सूची में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था, किन्तु राज्य व्यापार निगम ने इसे इंकार कर दिया, क्योंकि वे कहते हैं कि इसके लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और इससे बाद में मूल्यों के कम होने का जोखिम है।

मैं केवल कुछ ही मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं, जिन पर मैं जानकारी और स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री के उत्तर से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, किन्तु मुझे आशा है कि कुछ मुद्दों पर वह स्थिति स्पष्ट करेंगे।

मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया है कि **'दि वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक'** नामक एक पत्रिका है, जो विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पत्रिका है। इसे उनके कार्यालयों में तैयार किया गया है। यह उनका आधिकारिक बुलेटिन अथवा मुखपत्र है, आप इसे जो कुछ भी कहें यह उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इसके नवीनतम अंक में उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत इस वर्ष के बजट में छः हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट घाटे पर चिन्ता व्यक्त की है। निस्सन्देह, इस पर किसी को विश्वास नहीं है कि यह 6,000 करोड़ रुपये ही रहेगा। अंततः यह उससे कहीं अधिक होगा। किन्तु 6,000 करोड़ रुपये पर भी **'दि वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक'** में गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है।

इस बीच, यदि घाटा बढ़ता है तो मुद्रा स्फीति की दर भी बढ़ेगी। आप इसे नहीं रोक सकते हैं। मुद्रास्फीति की दर पिछले सप्ताह 10.52 के दोहरे आंकड़े में पहुंच गई है, जो हमें बताया गया है कि कभी नहीं पहुंची और यह निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इस पत्रिका में कहा गया है कि वित्तीय समेकन पर बल दिये बिना सतत विकास सम्भव नहीं है। वित्तीय समेकन का अभिप्राय है कि आपको घाटा कम करना है और इसे बढ़ने नहीं देना है। वित्तीय समेकन पर बल दिये बिना अर्थव्यवस्था का सतत विकास समभव नहीं होगा, ये बातें वे कह रहे हैं, मैं नहीं।

भविष्य में ऋण और कड़ी शर्तों पर दिये जायेंगे। यदि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी स्फीतिकारी होगी तथा घाटा बढ़ता जायेगा, तो भविष्य में ऋण अब तक की शर्तों की तुलना में निश्चित रूप से और अधिक कड़ी शर्तों पर दिये जायेंगे।

इसलिए वित्त मंत्री इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वह भावी ऋणों के लिए ब्याज की अधिक दर देने तथा अधिक कड़ी शर्तों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति कम होने का कोई संकेत

नहीं है और सरकार इस क्षेत्र में पूर्णतः विफल रही है। उसकी देश में ब्याज की अधिक दरों को कम करने की इच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि ब्याज की दर ऊंची रखने के बावजूद सब जगह अधिक विकास होगा और इससे सरकारी राजस्व में अपने आप वृद्धि हो जायेगी। उन्होंने यह बात स्वयं कही है। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार किया गया है कि औद्योगिक उत्पादन में कम वृद्धि हुई है। उन्होंने 'कम'-शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है। इसमें धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। जिस तीन प्रतिशत विकास दर का, उन्होंने विश्वासपूर्वक पूर्वानुमान लगाया है, वह तीन प्रतिशत की विकास दर होगी, इस समय वह उसके निकट हैं।

अतः, यदि कुल विकास दर अधिक नहीं होगी, तो सरकारी राजस्व में वृद्धि करने संबंधी यह प्रश्न भ्रम ही होगा। विकास दर में वृद्धि नहीं की जा सकती और मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस वित्त विधेयक पर मुख्य बजट प्रस्तावों के एक किस्म के अनुबन्ध के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये। इस वर्ष के बजट प्रस्तावों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी है, जिसने अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया है, सरकार के पास विश्वसनीय प्रक्रिया अथवा तन्त्र अथवा विधि नहीं है, जिससे इस मुद्रास्फीति पर रोक लगे तथा इस मुद्रास्फीति से अन्ततः यह स्थिति पैदा हो जायेगी, जहां मुद्रा का बहिर्गमन अधिक होगा। हमें याद रखना होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार जिस उच्च दर की बात कर रहे हैं तथा देश में विदेशों से आया धन अंशतः ऋणों के रूप में आया है, अंशतः अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों से आया है और इस प्रकार के अन्य तरीकों से आया है। भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की गई सारी विदेशी मुद्रा के बराबर धनराशि रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मुद्रा में स्वतः ही जारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। वे विदेशी मुद्रा को निश्चित रूप से अपने भंडार में रख सकते हैं, किन्तु उसके अनुरूप उन्हें उसी के बराबर धनराशि भारतीय मुद्रा में बाजार में जारी करना होगी। इसका मतलब है, मुद्रा प्रसार हर समय होता रहेगा। इस वर्ष मुद्रा प्रसार में–इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं–पर्याप्त वृद्धि हुई है और मुद्रा प्रसार से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

अतः हमें यह बताया जाना चाहिये था कि सरकार वास्तव में किन तरीकों से लोगों को आश्वस्त करने की आशा कर रही है कि मुद्रास्फीति की दर में कमी लायी जायेगी अथवा इसे रोका जायेगा। मुझे इस तरह की कोई आशा नजर नहीं आती। जहां तक मुद्रास्फीति का सम्बन्ध है, भावी स्थिति पूर्णतः निराशाजनक है। अतः मेरा कहना है कि यह बजट इस दृष्टि से निस्सन्देह एक छलावा साबित होगा, क्योंकि इससे वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन अथवा वचन कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं और इस वित्त विधेयक से मेरे द्वारा कही जा रही बातें ही साबित होती हैं, कि एक ओर उन्होंने कई आश्वासन दिये हैं...

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : वह तीन वर्षों से विफल रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तीन वर्षों से वह विफल रहे हैं और हर वर्ष हमें नई आशाएं दी जाती हैं कि कुछ होगा। बस, मैं यही कहना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वह उत्तर देते समय मेरे द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों पर ध्यान देंगे, कम से कम कुछ स्पष्टीकरण, कुछ जानकारी सभा को देंगे। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि देश का वित्तीय प्रबन्धन कैसे किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, परसों इस सदन में माननीय सदस्य श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने एक सवाल उठाया था, वह सवाल कलकत्ता में प्लानिंग कमीशन के सलाहकार डा. जयराम रमेश ने जो वक्तव्य 1-2 दिन पहले दिया, उसके संबंध में था। डा. जयराम रमेश ने यह कहा था कि जो नई आर्थिक नीति आज अमल में लाई जा रही है और जिसके साथ जोड़ कर इस साल का तथा पिछले दो बजट यहां पर पेश किए गए हैं, उनका लेखा-जोखा यह फाइनांशल बिल हमारे सामने है, तो इस नई आर्थिक नीति से पूर्वी राज्यों के लिए कुछ ऐसी स्थिति बनी है। डा. जयराम रमेश के कहने के अनुसार कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, इनके संगठित क्षेत्र में मजदूरों की जितनी संख्या है, वह 70 प्रतिशत घट जाएगी।

5.11 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मुझे अफसोस है कि उस दिन मालिनी भट्टाचार्य की बात को सदन में जिस गंभीरता से सुना जाना चाहिए था, उस गंभीरता से किसी ने नहीं सुना और डा. जयराम रमेश द्वारा किए गए वक्तव्य पर भी देश में कहीं गंभीरता से विचार होगा या नहीं, यह भी मालूम नहीं है। क्योंकि उनकी तरफ से तो कोई विचार होना नहीं है, वे तो उस नीति को चला रहे हैं और मजबूती से चला रहे हैं।

उन्होंने एक और बात कही जो कि पब्लिक सेक्टर्स के संबंध में है। उन्होंने कहा कि आज पब्लिक सैक्टर अंडर टेकिंग्स में 22 लाख कर्मचारियों के लिए रोजगार है, उनमें से 4 लाख कर्मचारियों का रोजगार निकट भविष्य में समाप्त होने वाला है। अंत में तो शायद सबका रोजगार समाप्त होना है, अगर ये लोग यहां पर टिके रहे, क्योंकि इनका तो संकल्प है और इनकी यह नीति है, इस नीति से ये बंधे हुए हैं, लाचार हैं। ये कहते हैं कि राष्ट्र की लाचारी को लेकर हमने यह नीति अपनाई है, लेकिन राष्ट्र की लाचारी नहीं है, इनकी अपनी खुद की लाचारी है। वह लाचारी क्या है, उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, उस पर बहुत बातें कही जा चुकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का 70 प्रतिशत रोजगार चले जाना और सरकार द्वारा अपनाई हुई नीति की वजह से चले जाना, मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं भी, किसी देश की सरकार ने कभी इस तरह की नीति अपनाई हो, जिस तरह की नीति यहां पर अपनाई जा रही है। लेकिन मालिनी जी ने एक बात यहां पर नहीं कही, कुछ उनको बोलने से रोका भी गया और हो सकता है कि उनके मन में भी वह बात न रही हो, वह बात यह है कि पूर्वी प्रदेशों में जो यह हालत बनने जा रही है, प्लानिंग कमीशन के सलाहकार के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि नई पूंजी जो हिंदुस्तान में लग रही है, वह देशी हो या विदेशी, वह देश के पश्चिमी इलाके के प्रदेशों में लग रही है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक का नाम ले सकते हैं। मेरी समझ से केरल का नहीं ले सकते हैं। हम जानते हैं कि वहां कोई पूंजी वगैरह नहीं जा रही है। राजस्थान के बारे में कहने लायक बात नहीं लगती है। राजस्थान को एक उपेक्षित प्रदेश करके रखा गया है। जब मैं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का नाम ले रहा हूं तो मैं कोई देश में प्रादेशिक विवाद निर्माण करने के लिए नहीं ले रहा हूं। ये बातें मेरी नहीं, बल्कि आपके प्लानिंग कमीशन के सलाहाकार

डा॰ जयराम रमेश की बात है कि पूंजी वहां लग रही है। उसका कारण यह है कि पश्चिमी देशों में पिछले 45 या 47 सालों में, जो विकास का ढांचा बना, वह ढांचा आज पूंजी को आकर्षित कर रहा है। वह देश की भीतर की पूंजी को भी आकर्षित करता है कि उसके चलते विदेशी पूंजी को वहां आकर्षित करता है और फिर इसके लिए इंतजामी और सुविधाएं मिला देने की व्यवस्था है। पांच सरकारें आपकी विशेष नीति का अनुकरण करने को करती हों तो यह अलग बात है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन पिछले 47 सालों की जो उपेक्षा है वह उपेक्षा आज इस देश को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर बैठा चुकी है। इस नीति के चलते उसका कहां विस्फोट होगा, इसके बारे में सोचना कठिन है। हम लोगों ने युगोस्लाविया के विघटन को देखा। लोग उसको बोस्निया, सरबिया या क्रोएशिया इनके बीच विवाद करके कह सकते हैं। लेकिन, कम से कम वित्त मंत्री यह बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको इस चीज की जानकारी है कि यूगोस्लाविया में अति विकसित प्रदेश और अति पिछड़े प्रदेश हैं, जिनमें एक रूप से तनाव खड़ा होता रहा है और यह न समझे कि आज वह तनाव हिंदुस्तान में नहीं है। महाराष्ट्र में शिव सेना बोलती है कि मराठी लोगों को यहां पर काम मिलना चाहिए। उससे जो तनाव पैदा होते हैं, वे तनाव केवल महाराष्ट्र में जो लोग बसे हुए हैं, उनके बीच में नहीं हैं। प्रदेश-प्रदेश में तनाव पैदा हो जाते हैं। जैसे-गुजरात के एक ताल्लुका के लोगों ने साल भर पहले की बात है, जब वहां पर विकास का एक नया उद्योग बन रहा था, तो वहां यह विवाद लगा दिया कि आसपास के गांव के लोगों को यहां पर नौकरी मिलनी चाहिए। दूर के लोगों को यहां पर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे विवाद के कारण हमने केरल में देखे हैं और यह विवाद देश के अनेक हिस्सों में है, जो इनकी नयी आर्थिक नीति की पूंजी को कुछ इलाकों में केन्द्रित करने का काम करेगी। ये विवाद कस्बे-कस्बे में या गांवों-गांवों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये विवाद इस देश को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, तो कम से कम मुझे सोचने में डर लगता है। वित्त मंत्री ने आखिरी 24वें पैरे में पढ़ा :

[अनुवाद]

> "मैं माननीय सदस्यों का बजट में राज्यों के पिछड़े जिलों में, जो आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में विर्निदिष्ट नहीं हैं, स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों से पांच वर्ष तक कर न लेने के लिए किए गये प्रावधानों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।"

[हिन्दी]

पता नहीं किसने वेलकम किया। लेकिन हम अल्प संतुष्ट हो जाते हैं कि थोड़ी-सी राहत मिली। हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए अपने मंत्री का यहां से वहां जाकर अभिनंदन करने का काम करते हैं। बड़ी मात्रा में सुविधाएं आप दे रहे हैं। वह इन जिलों में पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है अगर वास्तव में देखा जाये, बाकी बात को छोड़ दीजिये। मेरा तो यह कहना है कि जिन लोगों ने जिस प्रदेश में पूंजी की बचत की, यदि वहां पर खर्च की गयी होती, क्रेडिट डिपाजट रेशो अगर ईमानदारी से अमल करने का काम होता, मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, वरना मैं बकवास करके कहता, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, चूंकि आप उसको काटेंगे...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह असंसदीय है तो हम इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल देंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अनपार्लियामेंटरी तो नहीं है, लेकिन सख्त है, खराब शब्द नहीं है, लेकिन आप जरा सोच लीजिये। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। यह आज से नहीं पिछले 25 साल से उठा रहा हूं। आपने बिहार में बिहार के लोगों की जमा राशि पर क्रेडिट डिपाजिट रेशो 37.3 प्रतिशत दिया है। ये आंकड़े आर.बी.आई. के हैं, जो मार्च, 1993 के हैं। तो बिहार का बाकी बचा हुआ पैसा कहां गया? मेरे ख्याल से यह महानगरों में गया। पंजाब का पैसा बाहर नहीं जा रहा है। कलकत्ता में तो पिछले 17 सालों से सी.पी.एम. की सरकार है, देश की व्यवस्था में राईट आफ बहुत पहले वहां किया गया था। सारे देश में यह 61 प्रतिशत है, अभी थोड़ा बहुत पैसे की रेशो पश्चिम बंगाल में बढ़ी है, जो 50 प्रतिशत हो गयी है। पिछले 4-5 सालों से वहां की जनता ने आवाज उठाकर और अपने ढंग से इस प्रश्न को उठाकर सुधार करवाया है, लेकिन बिहार में अभी भी 37.3 प्रतिशत हैं। हमारे पड़ौस में प्रो. धूमल साहब बैठते हैं, हिमाचल प्रदेश में 32 प्रतिशत है, जबकि वहां पर तो लोग एप्पल बागान की आमदनी, सर्विसमैन की आय और दिल्ली में मेहनत करके लोग पैसा भेजते हैं और फिर भी 32 प्रतिशत है, बाकी पैसा कहां जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में 32 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पर 30 प्रतिशत है, जबकि विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत है। वहां पर पहले 39 प्रतिशत रहता था, जो बढ़ा है। अब लक्षद्वीप एक छोटा-सा द्वीप समूह है, जहां पर कुछ विकास होना चाहिये था और लोगों के जीवन स्तर के सुधारने के लिये खर्च होना चाहिये था, लेकिन बैंकों में जमा राशि का केवल 9.9 प्रतिशत खर्च किया जाता है। बाकी का पैसा कहां जाता है? इसलिये कहना चाहता हूं कि एक अरसे जो ढांचा बना दिया है, उसने हर प्रदेश-प्रदेश में विवाद का बीज बोने का काम किया है, लेकिन साथ-साथ जो भी पूंजी आज कहीं से आयेगी, उस पूंजी से किन प्रदेशों को वंचित करने का काम आपने किया है। इस पर हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री कुछ स्पष्ट बात कहें।

केरल की बात भी मैं करूंगा। केरल में 47 प्रतिशत है। डिपोजिट ज्यादा है, लेकिन केरल के लोग दुनिया भर में जाकर मेहनत करके जमा करते हैं और वह पैसा केरल के विकास में जमा नहीं होता है और जब केरल के लड़के बंबई में आ जाएंगे तो उन्हें शिव सेना की एक जमात बोलेगी कि ये यंड गुंड लुंगी यहां क्यों आए हैं। वह ऐसा बोलते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं तो वित्त मंत्री से चाहूंगा कि इनका जो सारा लेखा-जोखा है उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, चूंकि आपकी नीतियों से हमारा झगड़ा है। आपने कितना लेकर कितना जमा किया और क्या खर्च किया उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इस बुनियादी सवाल को अगर तत्काल हम लोग ख्याल में रखकर इसमें सुधार लाने की बात नहीं करेंगे, तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी और फिर इसके जो दुष्परिणाम होंगे, वहां कोई बहाना आपको नहीं मिलेगा। कोई विदेशी हाथ का बहाना वहां नहीं मिलेगा। वहां खुद आपका अपना हाथ है। हमें इसके लिए कुछ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह 47 सालों का पाप है, आज का नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बजट और इनकी नीतियां इस देश को कहां ले जाएंगी, इसके बारे में इन्हें पहले से ही सलाह देने वाला, जो विश्व बैंक है, उसने यह सलाह देने का काम किया है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप सुना किसको रहे हैं? एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं। जिनके डिपार्टमेंट पर बहस हो रही है, उनके अलावा एक भी मंत्री नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, फाइनेन्स बिल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सीनियर मंत्रियों को होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : संबंधित मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, वित्त राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री नीतीश कुमार : अन्य मंत्री कहां हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : संबंधित मंत्री यहां उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : श्री सुखराम आ गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में नीरसता थी। वह सभा में सजीवता लाना चाहते थे। अब यह ठीक स्थिति में है। श्री जार्ज फर्नांडीज अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि इनकी नीति हिन्दुस्तान को कहां ले जाने वाली है, इसके बारे में इनको सलाह वर्ल्ड बैंक ने दी थी। 1992 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हिन्दुस्तान की नयी आर्थिक नीति का विश्लेषण करते हुए कहती है कि :

[अनुवाद]

1990 में भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 22.6 करोड़ अथवा 44.8 करोड़ थी और फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई गरीबी को किस प्रकार परिभाषित करता है :

[हिन्दी]

मगर उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि :

[अनुवाद]

किसी भी परिभाषा के अनुसार मोटे तौर पर विश्व के 35 से 40 प्रतिशत गरीब लोग भारत में हैं। आप जो भी परिभाषा करें, भारत में विश्व के 35 से 40 प्रतिशत गरीब लोग हैं।

[हिन्दी]

इसमें आगे कहा गया है :

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

[अनुवाद]

"कि मौजूदा साक्ष्यों से पता चलता है कि गरीब अभी भी काफी संवेदनशील वर्ग में आते हैं और उन पर सुधार प्रस्तावों के लिए अनिवार्य अनेक बातों का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिनमें आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में सम्भावित वृद्धि, उर्वरकों तथा विद्युत के लिए राजसहायता में कटौती तथा औद्योगिक और व्यापारिक उदारीकरण के बाद पैदा हुई प्रतियोगिता के अनुकूलन अपने आपको ढालने हेतु कंपनियों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पैदा हुई अल्पाकालिक बेरोजगारी शामिल है।"

[हिन्दी]

यह आपका सलाहकार वर्ल्ड बैंक कहता है। वह हमारे सलाहकार नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी उसकी सलाह नहीं मानी है, बल्कि हम हमेशा लड़े हैं। आज वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यह चीज होनी है।

[अनुवाद]

मूल दस्तावेज विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो विश्व बैंक की सहायक संस्था है, ने तैयार किया है।

[हिन्दी]

जब स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार हो गया है कि यह चीज होनी है, इन-इन क्षेत्रों में होनी है और इन कारणों को लेकर होनी है, उसे हम आज यह देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं जब रमेश जयराम वहां ऐसा बोलेंगे तो हमें गुस्सा आता है, मगर उन्होंने प्रदेश-प्रदेश के बीच विषमता का एक बहुत बड़ा प्रश्न छेड़ा है, लेकिन रोजगार का सवाल प्रदेश-प्रदेश वाले विवाद के शुरू होने से पहले ही देश को तबाही की ओर ले जाने का काम कर सकता है, इस सवाल का जवाब, इस फाईनैंस बिल के संदर्भ में क्या है, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। उसका कारण यह है कि हम लोग पहले ही परेशान हैं कि न जाने कितने कारखाने बंद हो जायेंगे, कितने लोग काम से निकाले जायेंगे, आपका नेशनल रिन्युअल फण्ड भले ही कुछ लोगों के पेट भरने का इंतजाम कर दे या कुछ लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करे, लेकिन मोटे तौर पर इससे कुछ होने वाला नहीं है, जिसे हम सब लोग जानते हैं **(व्यवधान)**।

हमें असली चिन्ता इस बात की है कि जो लोग आज रोजगार से हट रहे हैं, उनके अलावा जो लोग रोजगार के बाजार में आज आये हैं और कल आने वाले हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? सदन में वित्त मंत्री जी ने एक फाईनैंस बिल पेश किया है, उसमें आपने इसके लिये क्या व्यवस्था की है? क्या सरकार को इस बात की कल्पना है कि अगले 7 सालों में हिन्दुस्तान में 26 करोड़ लोगों के लिये रोजगार का निर्माण करना है। मैं यहां केवल एक ही तबके की बात कर रहा हूं, जो बच्चे आज 15 और 24 साल के बीच की उम्र के हैं और जिन बच्चों को अगले 7 सालों के भीतर आपने रोजगार देना है, क्योंकि हम सब इक्कीसवीं सदी की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन इक्कीसवीं सदी आने तक जिन 26 करोड़ बच्चों को आपने रोजगार पैदा करके देना है, जिसका मतलब यह होता है कि एक साल में आपको लगभग तीन या साढ़े तीन करोड़ नये रोजगार हिन्दुस्तान में पैदा करने

होंगे, लेकिन आपके पास ऐसी सोच कहां है। फाईनैंस बिल में हमें कहीं दिखाई नहीं देती। हम बहस तो कर सकते हैं कि किस चीज पर आपने कितना कर कम किया, किस चीज पर कर और कम होना चाहिये, मेरे क्षेत्र में क्या हुआ या क्या होना चाहिये, लेकिन उस सवाल पर अगर इस सदन में बहस होनी ही नहीं है, उस पर सरकार हमें कोई जवाब देने वाली ही नहीं है, आपने यहां जो समूचा ढांचा पेश किया है, उसमें कहीं दिखायी नहीं देता कि ऐसी कोई कल्पना आपके मन में है, तो फिर होना क्या है, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। तो फिर होना क्या है, उपाध्यक्ष जी, हम जानना चाहते हैं इस सरकार से। इस बहस के दौरान चूंकि आपने इस विधेयक को सदन की स्वीकृति के लिए रखा गया है और सबसे आपने अपेक्षा की है। इसलिए मैं इन सवालों का जबाव देना बहुत जरूरी कर के मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नीति है, यह हम लोगों को कहां ले जा रही है, उसके ऊपर भी कुछ बातें मुझे सदन के सामने रखनी हैं। दो-तीन दिन पहले अखबारों में खबर आ गई कि कारगिल कम्पनी एक बार फिर उस नमक के क्षेत्र में जा रही है, जहां से वह अक्तूबर के महीने में हटी थी। परसों ऐलान हो गया लोग वहां पर पहुंच गए हैं। मैं मानता हूं कि आज वहां बैठे हुए लोगों को नमक और नमक सत्याग्रह आदि से कोई मतलब नहीं है। मैं यह भी मानने के लिए तैयार हूं कि गांधी जी और देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए, उसके बारे में कई लोगों को कुछ सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी, लेकिन नकम, यानी रोजगार भी है। उस नमक के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं।

कारगिल ने लगातार 5 महीने के सत्याग्रह के बाद अदालत में खड़े होकर लिखकर दिया है कि हम जा रहे हैं। हम यहां पर नहीं रहेंगे, वहां पर उन्होंने अपना निवेदन दिया है। अपना बयान दिया है। भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार के उस मंत्रालय की आरे से जिस को बंदरगाह से मतलब है, उनका वकील खड़ा हो गया अहमदाबाद में, गुजरात हाईकोर्ट के सामने और उन्होंने लिखित निवेदन दिया और कहा कि जो कारगिल को हमने इजाजत दी थी, उन्होंने उससे अपने को हटा दिया है। तो यह मामला यहां पर खत्म हो गया और अब आपने फिर उनको वहां जाने के लिए न केवल इजाजत दी है, बल्कि सारी सुविधाओं को प्राप्त करा देने का काम करके इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं?

आज हमने एक खबर में पढ़ा कि इंडियन एयर लाइंस चाहता था कि देश में जो जहाज उड़ाने के रूट्स हैं उनमें कूछ फासला कम करने के लिए इंतजाम करें, क्योंकि कुछ पेट्रोल बच सकता है और पेट्रोल की बचत से साल में लगभग पौने दो सौ करोड़ रुपए की बचत इंडियन एयर लाइंस की हो सकती है, अगर जिस रास्ते से जहाज अब जाते हैं उनमें थोड़ा सा बदल किया जाए, लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि जहां-जहां हमारी सेना है, जहां-जहां हमारे केंटोनमेंट्स हैं, जहां हमारे डिफेंस के इंस्टालेशनस हैं, उनके नजदीक से इंडियन एयर लाइंस के ज़हाज नहीं जाने चाहिए। कांडला का बंदरगाह इस देश का फ्रंटलाइन बंदरगाह है और कराची पाकिस्तान जाने पर, जो बंदरगाह देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर बनाया था, जिसके कि पोर्ट ट्रस्ट के ऊपर डिफेंस का भी एक आदमी बैठता है और जिस रक्षा विभाग ने पिछली बार जब यह प्रश्न पोर्ट ट्रस्ट के सामने आया, तो उसने कहा कि यहां पर नकम बनाने के लिए किसी भी विदेशी कम्पनी को इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का यहां पर सवाल है, यह सब खत्म हो गया? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी नीति इस देश की कहां ले जा रही है?

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

नमक के साथ जुड़ी हुई आजादी की लड़ाई है। नमक को लेकर गांधी जी ने इस देश की आजादी की दिशा में उठाया हुआ वह अंतिम कदम का सवाल है? अगर इन सब चीजों का भी ख्याल नहीं करना है, तो कम से कम देश की सुरक्षा का तो सवाल होना ही चाहिए और जैसे कारगिल हरेक क्षेत्र में आता जा रहा है, उससे हमें उपाध्यक्ष जी बड़ी परेशानी होती है। हमको बड़ी परेशानी होती है, इस देश की संसद है, लेकिन देश के प्रति राष्ट्रभक्ति नाम की चीज जो हममें होनी चाहिए, उसका कहीं न कहीं मुझे तो अभाव नजर आता है।

तीन साल पहले हिन्दुस्तान में शीतल पेय हिन्दुस्तान के लोग ही बनाकर बेचते थे। आज इस देश के शीतल पेय बनाने का सम्पूर्ण काम विदेशी कम्पनियों के हाथों में आपने दे दिया। इस साल 1800 करोड़ रुपये का शीतल पेय का व्यापार है। यदि 1800 करोड़ रुपये पर 20 प्रतिशत का मुनाफा हो तो हमारे नल का पानी हमको पिलाकर 360 करोड़ रुपये अमरीकी कम्पनियां विदेश ले जाएंगी। दुनिया के अखबारों में छापा जाता है कि हिन्दुस्तान रणभूमि बनी है, बैटलग्राउंड। बैटलग्राउंड फॉर दी टू गलोबल सॉफ्ट ड्रिंक्स जायंटस। हम लोग बैटलग्राउंड बन गए। हिन्दुस्तान की धरती जैसे शीतल पेय के लिए बैटलग्राउंड बन गई, उसी तरह से आइसक्रीम के लिए भी बैटलग्राउंड बन गई। आइसक्रीम का धन्धा ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 200 करोड़ रुपये का है। उस 200 करोड़ रुपये के आइसक्रीम के धन्धे में अब यूनीलीवर, हिन्दुस्तान में वो अपने को हिन्दुस्तान लीवर करके भले ही कहे, आ गया। लेकिन हिन्दुस्तान लीवर ने इतनी हिम्मत नहीं की, जितनी आई.टी.सी. वालों ने की थी। आई.टी.सी. के अधिकारियों ने कहा कि हम नहीं होने देंगे। एक जमाने में हम बहुराष्ट्रीय थे, लेकिन आज इसमें हिन्दुस्तानी पूंजी ज्यादा है। हम आपको इसमें मैजौरिटी होल्डिंग के लिए नहीं छोडेंगे। लेकिन हिन्दुस्तान लीवर तो यूनीलीवर हो गया। कैडबरी जो आइसक्रीम बनाते थे, आज उसे हिन्दुस्तान लीवर और उसके साथ ब्रुक बॉड, लिप्टन इंडिया, जो हिन्दुस्तान लीवर के मालिक की कम्पनियां हैं, क्वालिटी से बॉटल ऑफ जायंट होना है।

मेरे ख्याल से जब देश का बंटवारा हुआ तो सीमा के उस तरफ से आया हुआ कोई व्यक्ति, जिसने उस धन्धे को दिल्ली महानगर में शुरू किया था, उसे बढ़ा दिया। आज देश का 40 प्रतिशत धन्धा उनके हाथ में है। गुजरात के वाडीलाल के हाथ में देश का लगभग 20 प्रतिशत धन्धा है। उन्होंने अपने को विकसित किया है। गुजरात से महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली तक आया है। देशी कम्पनियों के धन्धे को विदेशी कम्पनियां आज अपने हाथ में लेने के काम में लगी हुई हैं।

इसलिए जब इस विधेयक पर हम यहां पर बातें करेंगे तो यह बात चलने वाली नहीं है। इस पर सदन ने जितनी गंभीरता से अभी विचार करने का काम किया है, उससे अधिक गंभीरता से विचार करना होगा।

हम सब कहते हैं कि गैट बहुत खराब है, लेकिन गैट एक दस्तावेज नहीं है, गैट व्यवहार है। देश में अनेक क्षेत्रों में विदेशी कम्पनियों का हिन्दुस्तान में आने का काम शुरू हो गया है। यह गैट व्यवहार में उतरने की बात है, फर्क इतना है कि दूसरे राष्ट्र के लोगों को डा. मनमोहन सिंह नाम के व्यक्ति वित्त मंत्री के तौर पर नहीं मिलेंगे। जिनकों पूरी जानकारी थी कि अमरीकी क्या चाहते है, किन-किन क्षेत्रों में उन्हें अन्दर आने देना चाहिए, किन क्षेत्रों में कस्टम को गिराना चाहिए। इसलिए

बड़ी हिम्मत से परसों उन्होंने कहा कि हमारा 70 प्रतिशत काम हो चुका है, मात्र 30 प्रतिशत बचा है। 70 प्रतिशत काम तीन बजट के जरिए हो चुका है, मात्र 30 प्रतिशत बचा है। हम लोग इसलिये छेड़ रहे हैं कि हम लोग विशेष तौर पर इस तरफ बैठे हुए सदस्य यह मानते हैं कि गैट हानिकारक है। वहां इसके समर्थक हैं और वह समर्थन आप लोगों को कहां तक ले जायेगा, आज इस तरह की भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कम से कम देश के लिये हानिकारक कहकर मानता हूं। आज वह हानि किन-किन क्षेत्रों में किस-किस ढंग से हो रही है, यह समझने का काम नहीं होगा तो फिर आज इस पर आवाज उठा कर कोई बात नहीं बनेगी।

मुझे खुशी है कि अभी संचार मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम, उनका अभिनन्दन करूं या उन्हें धन्यवाद दूं। विदेश संचार निगम का मामला था, झमेला था, इसमें एक तिहाई भूमिका ली। सौलोमन ब्रदर्स और क्लेनवर्ड बैनसन, इन दो कम्पनियों के हाथों में विदेश संचार निगम का यूरोप से एक बिलियन डालर जुटाने का जो काम था, वह उनके हाथों में नहीं देना चाहिये। सुना है कि इस प्रकार की भूमिका ली। पता नहीं यह बात सही है या गलत, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, वह मैं आपको बता रहा हूं। उनकी सोच ठीक थी, या नहीं, मालूम नहीं? यह फैसला किसने लिया? जब मंत्री कहते हैं कि यह गलत है, यह नहीं होना चाहिये, फिर फैसला किस ने लिया? नौकरशाहों ने लिया। नौकरशाहों के ऊपर प्रभाव डालने का काम किसने किया? राजनीतिक लोग थे या बाहर के दलाल थे या दोनों थे? ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं मालूम, लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगा। मुझे मालूम है कि कौन-कौन लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे थे और कैसे इन दो कम्पनियों ने हिन्दुस्तान को एक तरह से बेवकूफ बनाने का काम किया, चूंकि नुकसान कितना हुआ, इसकी कल्पना नहीं है। हमारी एक कम्पनी को एक हजार मिलियन डालर मिलें। हम यहीं तक अपनी सोच को सीमित रख सकते हैं। सारे विश्व के सामने, मैं यह नहीं कहूंगा कि हिन्दुस्तान को बेइज्जत होना पड़ा, लेकिन जो काम आप करना चाहते थे, उस पर जो चोट लगी है, उसकी कल्पना करना इस समय मुश्किल है।

मैं यह बात इसलिये छेड़ रहा हूं कि इसके अन्दर बहुत पैसे का खेल है। आप जिस किसी भी विदेशी कम्पनी के हाथ में विदेश में अपने शेयर को बेचने का या विदेश में पैसे जुटाने काम काम देते हैं, उसको कुल रकम का 3 परसैंट देते हैं। उक बिलियन डालर की बात इसमें आती है। तीन परसैंट का मतलब 30 मिलियर डालर है, यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपये। हम परेशानी के साथ इस बात को छेड़ रहे हैं, जिस ने भी इसमें गलती की, उसको पकड़ना चाहिये और सजा देनी चाहिये। देश के साथ किसी विदेशी कम्पनी को इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करने देना चाहिये।

कहा जाता है कि अमरीका में बैंक रेट बढ़ गया। आपके बजट के चलते हिन्दुस्तान की शेयर मार्किट गिर गई और उसके चलते विदेश में हमारा रुतबा घट गया, लेकिन यह जो जो कम्पनी है, जो मर्चेण्ट बैंकर है, जो लीड मैनेजर है, उसका तो यही काम है। उसका दूसरा काम क्या है? उसका काम केवल दलाली करना नहीं है, तीन महीने में क्या होना चाहिए, 6 महीने में क्या होना चाहिए, यह तो उन्हें समझना चाहिए था। दूसरे दुनिया में देश के भीतर या दुनिया में कहीं भी हो, जो लीड मैनेजर ठेका लेता है कि हम इतना बेचकर दे देंगे तो उस लिए हुए ठेके को उसे पूरा करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी मात्र नहीं है, बल्कि यह सामान्यतया इस उद्योग में, इस धन्धे में एक नियम है कि तुम्हें दिये हुए वचन को हम पूरा करेंगे। अगर मार्केट में दाम घट गया, ऐसा मालूम हो गया तो उनका

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

आपको एक मिलियन डालर देने का फर्ज था, भले ही आपके मंत्रालय के लिए वह पैसा नहीं आना था और वहां पर बड़ी भारी गलती भारत ने की है। आपने संचार निगम का नाम क्यों बर्बाद किया है? वैसे विदेश संचार निगम के लिए यह पैसे नहीं थे। आपके पास अभी जो 15 बिलियन डालर हैं न, आपको उस 15 बिलियन को 16 बिलियन करके दिखाना था। विदेश संचार निगम के विकास के किसी भी काम के लिए पैसे नहीं लगने थे। मंत्री जी इसका जरूर जवाब दें, आज नहीं तो फिर कभी दें।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी जवाब देता हूं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मेरा भाषण होने के बाद दें। मैं एक आखिरी जुमला रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

अच्छा होता अगर वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह यहां पर होते। चूंकि डा. मनमोहन सिंह ने यहां पर बार-बार हममें से कुछ लोगों को टोकने का काम किया है। विशेषकर हमारे मार्क्सवादी साथियों को उन्होंने चीन का नाम लेकर टोकने का काम किया कि चीन में कैसी इतनी तेजी से सारा बदलाव हो रहा है और हिन्दुस्तान में हम लोगों को यह काम किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में भी काफी बातें वह हम लोगों को कहते रहे हैं।

मुझे आज कुछ तथ्य सदन के सामने रखने हैं। इसलिए रखने हैं कि सदन को गुमराह करने का जो सिलसिला वित्त मंत्री की ओर से बार-बार होता रहा है, उसका भी एक बार पर्दाफाश हो ले। एक बात इनकी पहले से पेटेण्टेड है कि 1991 में हमारे सरकार में आते वक्त जो-जो हालत थी, उसे हमको ठीक करना था, यह उनका एक पेटेण्ट है और दूसरा एक पेटेण्ट है कि चीन में भी जब यह होता है तो हम भारत में इसको स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं।

हमारे पास यहां चीन की जानकारी है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज से है। यह कोई राजनैतिक दस्तावेज से नहीं है। चीन में जो विदेशी पूंजी की बात चल रही है, वह कुल विदेशी पूंजी के साथ जुड़े जो रोजगार के ढांचे हैं, वह 0.4 हैं-नम्बर एक। नम्बर दो-उससे ज्यादा महत्व की बात है कि चीन में जो सरकारी क्षेत्र है, जिसको हम लोग यहां पब्लिक सैक्टर कहते हैं, जिसको वहां वह स्टेट औण्ड कहते हैं, उसके हाथ में जो कुल उद्योग हैं, उसके कुल व्यापार के आधार के ऊपर वह 40.2 है;

[अनुवाद]

कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 40.2 प्रतिशत हिस्सा राज्य के स्वामित्व वाले क्षेत्र का है तथा 30 प्रतिशत हिस्सा सामूहिक क्षेत्र का है। मैं आपको 1991 के आंकड़े दे रहा हूं।

[हिन्दी]

ये निजी नहीं हैं। वह कलैक्टिव फार्म्स हैं, कलैक्टिव कोआपेरेटिव्ज हैं, इस प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं हैं, लेकिन सरकारी नहीं हैं। इण्डीविजुअल सैक्टर 19.6 परसेण्ट है, वहां इण्डीविजुअल सैक्टर का मतलब वह है कि जिसको सैल्फ एम्पलायड यूनिट्स कहा जाता है और एक यूनिट में एवरेज कर्मचारियों की संख्या 1.6 है यानि एक फैमिली यूनिट। मैं फिर कहता हूं कि

इण्डीविजुअल यूनिट से जो आउटपुट है, वह 19.6 परसेण्ट है। बाकी जो देश में प्राइवेट एण्टरप्राइजेज और विदेशी एण्टरप्राइजेज दोनों मिलकर हैं, वह कुल मिलाकर क्रमशः 0.4 परसेण्ट और 1.3 परसेण्ट है। यहां पर एक ऐसा माहौल बनाने का काम हुआ है। चीन का सारा विकास विदेशी पूंजी से, बाहरी पैसे से हो रहा है। चीन में जो बदलाव आया, उस बदलाव के पीछे न केवल मेहनत है, बल्कि उसके साथ ईमानदारी भी है। पिछले साल चीन ने दो हजार सरकारी आफिसरों को...

एक माननीय सदस्य : जेल में डाल दिया।

श्री जार्ज फर्नांडीज : जेल में तो कई हजारों को डाला, दो हजार लोगों को गोली मारकर फांसी दे दी। भ्रष्टाचार को लेकर फांसी दे दी। चीन की सरकार ने कबूला है कि दो हजार और कुछ को दे दी, लेकिन आम सोच है कि ज्यादा लोगों को फांसी देने का काम कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में उन लोगों ने भ्रष्टचार का काम किया। चीन की सरकार ने जो किया वह चीन में किया, लेकिन चीन में जो व्यवस्था है, उसको हम हिन्दुस्तान में आग्रह करने वाले नहीं हैं। अगर आप चीन के विकास के ढांचे का अनुकरण करना चाहते हैं, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। चीन अपने देश में बेईमान लोगों को, सरकारी, सरकार के आफिसरों, कम्पनी चलाने वाले नौकरशाह आदि-आदि लोगों को, जब वे गलत काम करते हैं, तो सजा देने का काम करता है, वह सजा आप देने के लिए तैयार हो, मैं फांसी की सजा में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन अगर आप कबूल करने को तैयार हैं, तो मैं पांच साल के लिए भी मानने को तैयार हूं, क्योंकि तब बहुत से लोगों के यहां से हटाने और फायर लाइन पर खड़ा करने का भी मौका मिल जाएगा। जो देश की लाचारी है और लाचारी को बाहर लाने में हम लोगों को कुछ कामयाबी मिल पाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा विरोध करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये विषय के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दूं। अन्यथा मैं उन्हें इसके बारे में लिखित में बता दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बहस फिर शुरू हो गई इसमें बहुत समय लगता है। आज हमें काफी देर तक बैठना है, क्योंकि ऐसे अनेक सदस्य हैं जो चर्चा में भाग लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें उन्हें मौका देने से इन्कार नहीं करना चाहिए। मेरा माननीय सदस्यों से भी अनुरोध है कि इसमें सहयोग दें। यदि मंत्री महोदय चाहते हैं तो वह दो मिनट में स्पस्ष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री सुखराम : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो कुछ तोड़-मरोड़ कर बातें कही हैं, मैं नहीं जानता उनकी सूचना गलत है या किस तरह से यह इम्प्रैशन देने की कोशिश की है, महज विदेशी कम्पनी की वजह से हम किसी परेशानी में आ गए हैं या धोखा मिला, ऐसी बात नहीं है। जो यहां कोआर्डिनेटर्स की नियुक्ति हुई, उनकी तरफ से ऑफर आई थी कि जो हमारा विदेश संचार सेवा निगम का डिसइन्वेस्टमेंट के लिए निर्णय लिया था, उसमें विदेश में हम पहले यूरो-इशु के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि दस रुपए के एक शेयर पर 1400 से 1600 रुपए तक मिल सकते हैं। उसमें मैंने एक हाई-पावर्ड कमेटी हमारे चेयरमैन कमीशन की अध्यक्षता में बनाई, जिसमें वी.एस.एन.एल. के चेयरमैन, फाइनेंस सैक्रेटरी और आई.डी.बी.आई. के चेयरमैन हैं। उनके ऊपर निर्णय छोड़ा कि उनमें से जो कोआर्डिनेटर, जिसकी वर्ल्ड-वाइड इन्टरलेशनल रैप्युटेशन हो, उनको वे सिलेक्ट करें।

[श्री सुखराम]

6.00 म.प.

इस आधार के ऊपर मैंने केबिनेट से अप्रूवल ली और केबिनेट ने यह शर्त लगा दी थी कि 1400 से नीचे हम नहीं जायेंगे। मैं जब कभी मौका मिला तो डिटेल में बात करूंगा। मगर हमारे अधिकारी गये और उसमें नतीजा यह हुआ कि बीच में वह 1400 की बजाए कुछ इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आई यू.एस.ए. में कुछ इंटरस्ट रेट बढ़ गया और कुछ ऐसे कारण बने जिसकी वजह से वह बजाए 1400 के 1150 के दरम्यान बात आने लगी और मुझे जब इसकी सूचना मिली तो मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी से बात की और उनका भी यह निर्णय आया कि 1400 से कम हम नहीं देंगे।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि अब हमें सभा का समय बढ़ाना ही पड़ेगा। मंत्री महोदय बोले।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मेरे विचार से सभा देर तक बैठ सकती है। बोलने के लिए अनेक वक्ता हैं। यदि सभा अनुमति दे तो हम 8 बजे तक बैठ सकते हैं, ताकि हमें कल वित्त मंत्री महोदय का उत्तर मिल जाए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अभी हम 7 बजे तक बैठे हैं, अगर आवश्यकता होगी तो हम 8 बजे तक भी बैठेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए कल भी अनुरोध किया गया था। यदि हम कल कुछ और देर तक बैठते तो अधिक सदस्य बोल सकते थे। जिन्हें पहले बोलने का मौका मिल चुका है वे तो बैठने को तैयार हैं, परन्तु जिन्हें यह अवसर नहीं मिला है वे नहीं बैठना चाहते। हम उन्हें अपना भाई समझें।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : महोदय हम देर तक बैठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम देर तक बैठेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुखराम : मैं इसमें अभी इतना ही बताना चाहता हूं कि किसी की कोई नियत गलत नहीं थी, बल्कि मैं समझता हूं कि इसमें तो देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आज़ महज रुपये का प्रश्न नहीं है, रुपया तो 10 रु. के शेयर में हमको 1100 मिलता है। वह देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और रुपये का प्रश्न हो तो वह भी हो सकता कि हमारे लिए ठीक रहता, मगर हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह हमारा पहला यूरो इशु है और इसमें देश की प्रतिष्ठा शामिल है इस बात से हमने तो डैफर करने का काम किया है इसमें कोई बदनियती की वजह से गड़बड़ी की बात नहीं है। मगर इंटरनेशनल मार्केट में फलक्चुएशन तो आती रहती है उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते।... **(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री पीटर जी. मरबनिआंग (शिलांग) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि कल शाम जब आपने मुझे पुकारा तो मैं यहां उपस्थित नहीं था, क्योंकि हमारी दूसरी समिति की बैठक थी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : क्या सदन में खाने की इजाजत है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार रात्रि भोजन की व्यवस्था की व्यवस्था कर सकती है, ताकि हम देर तक बैठकर चर्चा पूरी कर सकें। उनकी यह इच्छा है; मैं यह जानना चाहता हूं।

विद्याचरण शुक्ल : भोजन की व्यवस्था करके मुझे प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मेरा कहना यह है कि भोई जी लगातार खाते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मरबनिआंग जी बोलें।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : महोदय, मैं वित्त विधेयक, 1994 का समर्थन करता हूं।

मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में अनेक रियायतें दी हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। महोदय, यह सच है कि हम सभा में उपस्थित सभी पक्षों के सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकते। तथापि, मैं यह बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो। महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय को विशेषज्ञों का एक दल गठित करने के लिए भी बधाई देता हूं। यह दल राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए एक समान मानदंड निर्धारित करने तथा इनके आधार पर अत्यधिक पिछड़े जिलों का पता लगाने हेतु राज्यों से जिलावार आंकड़े एकत्रित करेगा। महोदय, यह सच है कि हमारे देश के विभिन्न भागों की आर्थिक स्थितियां एक जैसी नहीं हैं। इसलिए विकास के लिए कुछ मान्यताएं निर्धारित की गई हैं। मेरे विचार से पिछड़े जिलों का पता लगाने और उन जिलों के विकास हेतु पृथक अथवा विशेष मानदंड निर्धारित करने में बुद्धिमानी है। महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन उत्पाद, तेल, गैस, कोयला और अन्य बहुत से खनिज उत्पादों जैसा कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कम से कम पढ़िए। पढ़ने की अनुमति नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, वह नहीं पढ़ रहे हैं। वह कागजों का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आप उनको रोकिये। वह हमेशा सभा में व्यवधान पैदा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु वह आपके परम मित्र हैं।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : मैं पढ़ नहीं रहा हूं। आप उनको रोकिये, ताकि उन्हें इस बात का सबक मिल सके कि सभा के नियमों और विनियमों का सम्मान कैसे करते हैं।

[अनुवाद]

जबकि हमारे पास प्राकृतिक संपदा की बहुलता है, हम यह पाते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा के बाहुल्य की तुलना में निवेश नहीं किया गया है। हम पाते हैं कि अधिकांश निवेश काफी धीमा रहा है, जिससे इस क्षेत्र का विकास भी काफी धीमा रहा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की धीमी दर की तुलना भारत के अन्य विकसित क्षेत्रों के विकास दर से नहीं की जा सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में दूसरे प्रकार के आर्थिक मानदंड लागू करने होंगे।

मैं यह पाता हूं कि रोजगार के अवसर के मामले में भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमित वृद्धि ही हुई है। इससे हमारे युवक और युवतियों के मन में कुंठा का भाव पैदा हुआ है, जिसने कई आतंकवादी समूहों को जन्म दिया। रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में दुगुनी से तिगुनी वृद्धि हुई है। यदि आप भारत सरकार के पास मौजूद आंकड़ों को देखें, तो पाएंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेरोजगारी खतरनाक रूप से बढ़ रही है। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में पढ़ा कि मेघालय में 1981 में केवल 2000 व्यक्ति बेरोजगार थे। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। यही स्थिति असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की है। अतः महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार को निवेश के संबंध में नए कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय निवेश काफी सीमित है। सार्वजनिक ऋण स्थानीय स्तर पर नहीं दिए जाते हैं। भारत सरकार को मूल्य वर्धित उद्योगों में अधिकाधिक निवेश करना चाहिए, ताकि जब यहां के लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर जाएं तब उन उद्योगों से पूर्वोत्तर क्षेत्र को केवल अधिक पैसा ही नहीं प्राप्त हो, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकें।

मेघालय राज्य बांग्लादेश को और भारत के अन्य भागों को टनों कोयले की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन हम लोग उस राज्य में कोई उद्योग शुरू करने में असफल रहे हैं। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वह वहां उद्योग लगाने में ऐसे मानदण्डों का प्रयोग करें, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उपयुक्त हों। हम पाते हैं कि सरकार केवल सिलीगुड़ी से परिवहन राजसहायता प्रदान कर रही है। लगभग सभी पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की यह मांग है कि इस सुविधा को पटना तक बढ़ाया जाये, क्योंकि समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र समुद्र से कटा हुआ क्षेत्र है और मोटर परिवहन ही एकमात्र यातायात का साधन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लगभग सभी राज्यों में रेल, वायु या परिवहन के अन्य आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं है।

हम सरकार की पांच वर्षों के लिए करों में छूट के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, परन्तु यह प्रस्ताव अपने आप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निवेश नहीं जुटा पाएगा। सरकारी स्तर पर निवेश किया जाना होगा। मैं आशा करता हूं कि करों में छूट के रूप में दिए गए प्रोत्साहन तथा समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र

में शांति और व्यवस्था बहाल करके हम स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के और अवसर जुटा सकेंगे।

हमारे पास पूर्वोत्तर क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में ग्रामीण बैंक हैं, जो काफी अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत कुछ ग्रामीण बैंकों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि इनमें से कुछ घाटे में चल रहे हैं, फिर भी इन ग्रामीण बैंकों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में बचत की प्रवृत्ति पैदा की है।

दूसरे, योजना राशि से ओवर ड्राफ्ट के समायोजन के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। ओवरड्राफ्ट होता है तो भारत सरकार उस राज्य के योजना खर्च या गैर योजना खर्च से इसे तुरंत पूरा करने की कोशिश करती है। इससे राज्य की आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह ऐसी योजना बनाए, जिसमें दस वर्ष के लिए 'ओवटड्राफ्ट' पर रोक लगाई जाये, ताकि राज्य के लिए नियत धनराशि का वहीं पर निवेश किया जा सके। यदि ऐसा किया गया तो राज्य अपने आर्थिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे।

मैं भारत सरकार को विशेषरूप से वित्त विभाग को याद दिनाना चाहूंगा कि असम और त्रिपुरा में गैस प्रचुर मात्रा में है। सरकार भारतीय गैस प्राधिकरण को यह आदेश दे कि इन दोनों राज्यों में वह पाइपलाइन बिछाने का कार्य करे, ताकि वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध गैस का सही इस्तेमाल किया जा सके। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को गैस भेजन के बजाय ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न भागों में यह उपलब्ध हो सके, ताकि गैस आधारित उद्योगों तथा गैस आधारित विद्युत इकाइयों को शुरू किया जा सके।

महोदय, मैं जानता हूं कि अधिक बातें कहने का समय नहीं है, लेकिन हम केवल भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू किए जा रहे आर्थिक मानदंड की तुलना भारत के अन्य भागों में अपनाए जा रहे मापदंड के साथ नहीं की जा सकती है। इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है, जिससे कि और ज्यादा रोजगार के अवसर जुटाए जा सकें और ज्यादा निवेश किए जा सकें तथा लोगों की भलाई के लिए ऐसे उद्योग लगाए जाएं जो स्थानीय उत्पादों पर निर्भर हों।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वी. धनंजय कुमार (मैंगलोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, वित्त विधेयक बजट में दर्शाए गए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास है। अतः अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया गया है यह जानना आवश्यक है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उनकी नजर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया गया है। महोदय, यह बजट प्रस्ताव से स्पष्ट है कि आयात शुल्क में बहुत ज्यादा कमी लाकर तथा कई वस्तुओं के सीमा-शुल्क में भी कमी लाकर, जिसमें उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल हैं, कई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के अतिरिक्त उन्होंने लघु क्षेत्र में उत्पादित कई वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पदा के दायरे में लाया है।

[श्री वी. धनंजय कुमार]

महोदय, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि यह सरकार केवल बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को बढ़ावा देने में रुचि रखती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था का वह कौन-सा रूप पूरी दुनियां को दिखाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था केवल बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश पर, अधिक-से-अधिक विदेशी निवेश पर आधारित हो? सामान्य रूप से बजट तैयार किए जाने के समय व्यावहारिक स्तर पर सरकार व्यापारी संगठन, बड़े उद्योग घरानों तथा उद्योग के संगठनों से यह परामर्श लेती है कि करों को किस प्रकार न्याय संगत बनाया जाये, कहां पर छूट दी जानी चाहिए, तथा कर व्यवस्था में कौन सी वस्तुएं शामिल की जाये। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की जाती है, लेकिन मैं खेद के साथ सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि गत पैंतालीस वर्षों के दौरान क्या उन्होंने कभी जनसंख्या के सबसे बड़े वर्ग उपभोक्ता से बजट प्रस्ताव के पूर्व परामर्श लेने की कोशिश की है? वास्तव में जनसंख्या का 90% से अधिक भाग तो उपभोक्ता ही है।

महोदय, वित्त मंत्री पूरी तरह से अवगत है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति में तब तक सुधार नहीं ला सकते, जब तक कि सामान्य व्यक्ति की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं होती। बजट बनाने का क्या मतलब रह जाता है जब सरकार खुद नियंत्रित मूल्य लोगों पर लादती है?

जैसा कि होता रहा है, इस वर्ष भी, हमने देखा है कि सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं पर लागू कर काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। किसी दिन करों में वृद्धि प्रस्ताव देने के बाद, वित्त मंत्री सदन के समक्ष आए और उन्होंने कहा कि कई वस्तुओं पर छूट दी है। इससे उपभोक्ता हितों का संरक्षण किस प्रकार हो पायेगा? आज श्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत तीन लगातार बजटों का क्या प्रभाव पड़ा है?

कुछ दिनों पूर्व हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री जार्ज फर्नांडीज ने आंकड़े दिए थे और वे हमें यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि चीन की आर्थिक विकास में वृद्धि की तुलना में हम किस प्रकार पीछे रहे हैं।

गत वर्ष, विपक्ष के लगातार आग्रह के बाद, सरकार ने देश की ऋण स्थिति पर श्वेत-पत्र जारी किया, जो काफी खतरनाक था। हमारे ऊपर 2,75,000 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण है। इस वर्ष के बजट में भी हम पाते हैं कि आंतरिक सम्पदाओं से प्राप्त आय जो लगभग 46,000 करोड़ रुपये बनता है वह केवल विदेशी ऋण के ऊपर लगने वाले ब्याज अदायगी के लिए तथा सेवा प्रभार के लिए ही अलग करके रखा हुआ है। इसके द्वारा, हम किस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं?

दूसरा पहलू मुद्रास्फीति का है, जिसमें वृद्धि हुई है तथा पहले ही दो अंकों की सीमा को पार कर चुका है। यह इस सरकार द्वारा प्रस्तुत तीन लगातार बजटों की देन है। क्या हम थोड़े समय के लिए भी और उधार लिए जाने पर रोक लगाने की नहीं सोच सकते हैं? क्या हम आज यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हम ब्याज सहित ऋण जल्द-से-जल्द लौटाएंगे? क्या हम अपने लोगों के मन

में यह विश्वास नहीं पैदा कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें? इसीलिए हमारी पार्टी ने अपनी आर्थिक नीति स्पष्ट की है। हमने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया। मुझे नहीं मालूम कि यह सरकार इन शब्दों का अर्थ समझती भी है या नहीं, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार की विश्वसनीयता पर आंच आई है। सरकार के पास अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने की कोई इच्छा नहीं है, तथा अधिक रोजगार पैदा करने या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने की भी कोई मंशा नजर नहीं आती है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक वित्तीय घाटे को नियंत्रित नहीं किया जा सका और अभी भी इसे सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत आंका गया है। गत वर्ष आयात शुल्क के साथ-साथ सीमा शुल्क में अनेक रियायतों की घोषणा किए जाने के बावजूद हमने यह देखा कि औद्योगिक और कृषि उत्पादन में गिरावट आयी है। अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। राजस्व संग्रह में भी कमी आई है। दूसरी ओर अनुत्पादक खर्चों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। प्रश्न यह है कि इन रियायतों के साथ क्या वित्त मंत्री प्रस्तावित राजस्व को उगाहने की उम्मीद कर सकते हैं?

अब हम पूंजीगत माल के आयात के मामले पर विचार करेंगे। प्रश्न यह है कि रियायतों के बावजूद क्या स्वदेशी उद्योगपति आज इस देश में अधिकाधिक पूंजीगत माल लाने की कोशिश कर सकेंगे, जबकि यहां का उपभोक्ता बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुला है। इस संदर्भ में यह देखा गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दंतमंजन, साबुन आदि अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा शीतल पेय, आइसक्रीम के उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। इन परिस्थितियों में क्या कोई स्वदेशी उद्योगपति भारी निवेश द्वारा पूंजीगत माल का आयात करके यहां नया उद्योग स्थापित कर सकेगा? इसके उत्पादन के आरम्भ होते-होते और तीन वर्ष बीत जायेंगे और उस समय तक हमारे बाजर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों का ढेर लग जाएगा। इसलिए, आज हमें इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने देश को किस ओर ले जा रहे हैं।

क्या हमने यह कभी भी सोचा है कि हमारे पास सबसे अधिक निवेश अथवा संसाधन श्रम शक्ति है। क्या सरकार का विचार अधिकाधिक रोजगार का सृजन करने का है? उस क्षेत्र अर्थात् मुख्यतः लघु और खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र की क्या स्थिति है, जिसमें अधिकाधिक रोजगार के सृजन की सर्वाधिक सम्भावना है।

हम सब यह जानते हैं कि बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद 70 से 80 प्रतिशत से भी अधिक लघु उद्योग बंद हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या आप बजट प्रस्तावों को तैयार करने से पहले इस पर समुचित रूप से विचार नहीं कर सकते हैं? क्या आप यह पता नहीं लगाते कि उत्पाद शुल्क के स्वरूप में कतिपय परिवर्तन किए जाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप स्वदेशी उद्योगपति से सुस्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला करने की उम्मीद कर सकते हैं?

इस समय, जैसा कि माननीय श्री जार्ज फर्नांडीज ने बिल्कुल सही बताया, हमारा देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच प्रतियोगिता का अड्डा बनता जा रहा है। वे हमारे देश का, इसमें पूंजी निवेश करने और माल के उत्पादन के लिए हमारे संसाधन का इस्तेमाल करने और तत्पश्चात् उसे विदेशों में बेचने के लिए एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : देश में बाजार बनाकर वहां ऐसे उत्पादों की बिक्री करके धनार्जन कीजिए।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, वे देश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी इन उत्पादों की बिक्री करेंगे। वे धन कमाकर उसे अपने देश ले जायेंगे। वे इस धन का निवेश यहां कभी नहीं करेंगे।

अभी एक सप्ताह पहले ही मुझे दक्षिण अफ्रीका के एक सज्जन से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज, दक्षिण अफ्रीका की स्थिति हमारे देश की तुलना में बेहतर नहीं है। वे कुछ सहकारी क्षेत्र में कतिपय निवेश करने के बारे में स्थिति का अध्ययन करने यहां आए थे। मैंने उनसे इस संबंध में भारत की स्थिति के बारे में उनकी राय मांगी। इस पर उन्होंने कहा :

> "मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां आधारभूत ढांचे का अभाव है। यहां पर्याप्त विद्युत, जलापूर्ति, परिवहन सुविधाएं और अच्छी सड़कें – ये सब नहीं हैं।"

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जहां वह अधिकाधिक पूंजी निवेश को आकृष्ट करने का प्रयास कर रही है, वहीं क्या उसने पलभर के लिए कभी ऐसा सोचा है कि क्या ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश में पूंजी निवेश करके आधारभूत ढांचे का निर्माण करेंगी? वे ऐसा कभी नहीं करेंगी। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां यदि यहां आयेंगी तो यहां की स्थिति का लाभ उठाते हुए यहां पूंजी निवेश करेंगी और परिस्थिति का लाभ उठाते हुए हमारे उपभोक्ता बाजार पर छा जायेंगी। इसके बाद यहां से लाभ कमा कर ये अपने देश में धन वापिस ले जायेंगी।

इसलिए हमें कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर देने के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने पर समुचित रूप से विचार करना चाहिए और अधिकाधिक कृषि-आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि श्रमशक्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सके। तत्पश्चात् हम समग्र विश्व के सर्वाधिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन कर सकेंगे और अपने देश के उपभोक्ता बाजार का भी इस्तेमाल भी कर सकेंगे।

आप मुझसे यह भी पूछ सकते हैं कि क्या भारतीय उपभोक्ता भी बेहतर उत्पाद पाने का हकदार नहीं है। इस पर मैं यही कहूंगा कि निस्संदेह भारतीय उपभोक्ता बेहतर उत्पाद पाने का हकदार है। आज, हमें स्वदेशी उद्योगपतियों में अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विश्वास की भावना जागृत करनी चाहिए। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मुकाबला करने में भी सक्षम होना चाहिए।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनना चाहिए।

श्री वी. धनंजय कुमार : सर्वप्रथम हमें अपने देशवासियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था ल्कि हमें स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचारों का निश्चित रूप से प्रचार-प्रसार करना चाहिए। इससे नई दिशा मिलेगी और समग्र आर्थिक स्थिति का पुननिर्माण होगा। यदि हम लोगों में ऐसी भावना जागृत करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनायेंगे तो निस्संदेह भारत विश्व में एक महाशक्ति बन सकेगा।

इन्हीं कारणों से मैं यह कहूंगा कि मुझे इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि यह सरकार अपने पिछले अनुभवों से कोई सबक लेगी। इस मामले में उनमें कार्यवाही करने में विश्वास अथवा राजनीतिक संकल्प नहीं है। ठीक ही कहा गया है कि वे अन्य लोगों को ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी भूलने लगे हैं। इसलिए वे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता जैसे शब्दों के अर्थ भी नहीं समझ सकेंगे।

इन कारणों से, खेद है मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बल्लभ पाणिग्रही। अनुपस्थित हैं।

श्री श्रवण कुमार पटेल। अनुपस्थित हैं।

श्री सी.के. कुप्पूस्वामी।

***श्री सी.के. कुप्पूस्वामी** (कोयम्बटूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1994-95 के लिए वित्त विधेयक के बारे में मुझे अपना कथन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए, आपका धन्यवाद देता हूं।

मैं अपने प्रिय मित्र माननीय वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा उठाए गए साहसपूर्ण कदमों के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा और इस सम्मानित सभा में प्रस्तुत वित्त विधेयक का पूरे मन से समर्थन करने के नाते मैं इस पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा।

आपने सामान्यतः लघु उद्योगों को कुछ कर राहत दिए हैं। कृषि क्षेत्र में प्रयोग में लाए जा रहे पम्पसेट के उत्पाद शुल्क में रियायत दी गई है। आपने कताई और बुनाई उद्योग विशेषतः बिजलीकरघा, साइजिंग ताना बुनाई, कोनलपेटन आदि पर कर राहत प्रदान की है। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत माल और कलपुर्जों के उत्पाद शुल्क और आयात में सीमा शुल्क में कटौती स्वागत योग्य है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कोयम्बटूर के उद्योगपतियों की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

आपने वर्तमान औद्योगिक विकास दर के 6% की वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु कई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है। निर्यातकों को उनके द्वारा अर्जित की गई निवल विदेशी मुद्रा की 15% के बजाए 25% राशि अपने पास रखने की अनुमति प्रदान करने की बात स्वागत योग्य है। पूंजीगत माल के भाग के रूप में मशीनरी के आयात पर शुल्क का घटाया जाना सही दिशा में उठाया गया कदम है। मैं इस सम्मानित सभा को यह बताना चाहूंगा कि मेरे गृह नगर में 2000 ई. तक 1000 करोड़ रुपये मूल्य के माल का प्रतिवर्ष निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। अतः कोयम्बटूर, ईरोड और सेलम जैसे औद्योगिक शहरों के मध्यवर्ती स्थान पर निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना की जानी चाहिए। मैं निर्यात को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रोत्साहन प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। इन उद्योगों के उद्योगपतियों ने दूरगामी परिणामों को लक्षित करके उठाए गए इन दूरदर्शी उपायों का व्यापक रूप से स्वागत किया है।

तिरुपुर से निर्यात में आगे और वृद्धि करने के लिए आप कृपया एक सुव्यवस्थित "एकल पटल निपटान" प्रणाली शुरू कीजिए।

*मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण का अनुवाद।

[श्री सी.के. कुप्पूस्वामी]

मद्रास के निकट स्थापित किए गए निर्यात संवर्द्धन जोन की तरह ही आप कोंगू क्षेत्र में एक अन्य निर्यात संवर्द्धन जोन बना सकते हैं। निर्यात में तीव्रता लाने के लिए आप कोयम्बटूर विमानपत्तन को एक विमान माल परिवहन टर्मिनल बनाने पर विचार कर सकते हैं। कोयम्बटूर विमानपत्तन पर विमान माल यातायात का प्रबंधन करने के लिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक धनराशि निजी क्षेत्र विशेषरूप से वहां के स्थानीय उद्योगों से जुटाई जा सकती है। कोंगू क्षेत्र से निर्यात में वृद्धि करने हेतु कायेम्बटूर विमानपत्तन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विमान माल यातायात की परिकल्पना की जा सकती है।

मैं मुद्रा विनिमय बाजार में रुपये की स्थिरता की सराहना करता हूं। मुद्रा स्फीति पुनः दोहरे अंक में आ गई है और मुझे आशा है कि मुद्रा स्फीति की दर में कमी लाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। हमने गिरवी रखे सोने को छुड़ा लिया है और हमारी ऋण शोधन क्षमता की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सराहना हुई है। इससे हमारा देश गर्वानुभूति कर सकता है।

मुझे तो आशा ही है विनिर्माता और करदाता वित्तीय घाटें में कतिपय कमियों को दूर करने के लिए डा. मनमोहन सिंह के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। इस समय तो मैं प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव को नई आर्थिक नीति का अनवरत रूप से कार्यान्यिन करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

अपने बैंकिंग और बीमा क्षेत्र को सुचारु बनाने का संकेत दिया है। आपने औद्योगिक क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी संकेत दिया है। ब्याज दर कम करने के सरकारी प्रयासों से आपके कदमों को आशा और विश्वास का बल मिला है। आपको बधाई देते हुए मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को इन महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं पर अपनी पकड़ और कारगर नियंत्रण को ढीले नहीं पड़ने देना चाहिए।

इस वर्ष के बजट से यह प्रदर्शित होता है कि इस वर्ष समग्र व्यय लगभग 1½ लाख करोड़ रुपये होगा। बजटीय घाटा लगभग 6000 करोड़ रुपये होगा। सरकार के गैर-योजना व्यय में और कमी लाई जानी चाहिए। इससे एक संतुलित और समान सामाजिक, आर्थिक एवम् औद्योगिक वृद्धि हो सकेगी।

मैं प्रौद्योगिकीय विकास और उपयोग संबंधी कोष स्थापित करने का स्वागत करता हूं, जिससे इस प्रकार की प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम बन सकेगी। इससे युवा वैज्ञानिकों की पहचान बनाने और उनकी खोज को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम बनाने में सहायता मिलेगी।

वित्त मंत्री की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की मंशा एक उत्साहवर्द्धक बात है कि वे कृषकों और दस्तकारों की सुगम पहुंच में रहे, जिससे उत्पादकता में वृद्धि और लाभकारी ग्रामीण रोजगार पैदा हो सके। ग्रामीण निर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु निगरानी तंत्र होने चाहिए और इनमें स्थानीय लोगों और उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। आपने आयकर की अधिकतम सीमा में वृद्धि की घोषणा की है। मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस तरह की कोई विधि बनाये, जिससे मजदूरी और वेतनभोगी व्यक्ति मूल्य वृद्धि से प्रभावित न हो। अतः आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार प्रति तिमाही कर स्लैब को संशोधित कर सकते हैं।

मैं उपहार कर की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का स्वागत करता हूं और सेवा शुल्क लगाने पर पूनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं संबंधी अंशदान पर पूर्णतया कर छूट देने से प्रदूषण पर अंकुश रखने की सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।

1994-95 में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटन में लगभग 200 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और 7110 करोड़ रुपये का यह आवंटन अभी तक का सबसे अधिक होगा। इसी तरह से, शिक्षा के लिए आवंटन में 17% वृद्धि करके लगभग 1541 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से अधिकांश राशि असम में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दी जायेगी।

राष्ट्रीय कवि भारती तमिलनाडु को एक शैक्षणिक गतिविधियों से परिपूर्ण राज्य कहलाने के पक्षधर रहे हैं। तमिलनाडु में अनेकों शैक्षणिक संस्थाएं हैं, लेकिन केन्द्रीय विश्वविद्यालय एक भी नहीं है। अतः मैं वित्त मंत्री से आगामी बजट में तमिलनाडु में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। मैं चाहता हूं इसका नाम राजीव गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय रखा जाए और इसकी स्थापना कोंगू क्षेत्र में की जा सकती है। मैं महान शिक्षाविद और अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह और अपने नेता तथा प्रकाण्ड विद्वान श्री पी.वी. नरसिंह राव से तमिलनाडु में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान पराम्बीकूलम-एलीपार योजना शुरू करने की ओर लगातार आकृष्ट करता रहा हूं। इससे केरल में पश्चिम की ओर बेकार बहने वाले पानी को रोकने में सहायता मिलेगी। स्वर्गीय कामराज का यह एक सपना था। यहां तक कि तमिलनाडु में कामराज के शासन के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि के कारण पीने और सिंचाई दोनों हेतु पानी की बढ़ती हुई आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं वित्त मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यदि इस योजना को कार्यान्वित किया जाये, तो इससे केरल और तमिलनाडु दोनों को फायदा पहुंचेगा। इससे पेयजल मिलेगा और बिजली भी पैदा होगी।

हमारे औद्योगिक शहर कोयम्बटूर में पेयजल की भीषण समस्या है और अघोषित बिजली की कटौती एक आम बात है। इससे औद्योगिक उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः मैं अपने कर्मठ वित्त मंत्री और अपने सुयोग्य प्रधान मंत्री से आगामी बजट में इस बारे में घोषणा करने और इस योजना की कार्यान्वित करने का विनम्र अनुरोध करता हूं।

जब स्वर्गीय कामराज तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे और श्री आर. वेंकटरमण उनके मंत्रिमंडल में हमारे उद्योग मंत्री थे, तब तमिलनाडु में औद्योगिक प्रगति और समृद्धि का दौरा था। इस समय यह ह्रास पर है। वहां के वर्तमान शासक दावा करते हैं कि वहां बिजली की कोई कटौती नहीं की जाती। फैक्टरियों और मिलों के मालिक बारम्बार की बिजली कटौती, जो कि दिन में कभी भी हो सकता है, से बुरी तरह परेशान हैं। पेयजल लाने के लिए लगी हुई लंबी लाइनें मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक आम दृश्य है। अब समूचे तमिलनाडु में यह एक आम बात हो गई है। जब कभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का

[श्री सी.के. कुप्पूस्वामी]

दौरा करता हूं, तो लोग आते हैं और हमें अपनी दुर्दशा की व्यथा कहते हैं। भारत में 800 के लगभग वस्त्र औद्योगिक एककों में से आधे से अधिक तमिलनाडु में स्थित हैं और उनमें से 246 एकक कोयम्बटूर और इसके आसपास स्थित हैं। कपास मिलों तथा कपड़ा मिलों की कच्चे माल की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती हैं। यदि पराम्बीकुलम अलियार परियोजना के क्रियान्वयन के साथ बंजर भूमि का विकास किया जाता है, तो यहां कपास का उत्पादन भी किया जा सकता है और इससे वहां के कपड़ा मिलों को मदद मिलेगी। इससे मेरे क्षेत्र के लोगों की सिंचाई संबंधी और पीने के पानी की समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। इस योजना से लगभग 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा।

निस्संदेह हम यह देख रहे हैं कि कतिपय उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं यह एक अभूतपूर्व घटना है। उपभोक्ताओं को उत्पाद शुल्क के माध्यम से राहत पहुचाई गई है, किन्तु आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का रुख मालूम होता है। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने भी यही कहा है कि चीनी की कीमतों में वृद्धि हो गई है। यह बात सत्य है कि चीनी की बिक्री विभिन्न स्थानों पर होती है और इन मूल्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता पाई जाती है, न केवल चीनी बल्कि मिट्टी के तेल और खाद्य तेलों तथा अनाज और दालों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आपके पास इनके नियंत्रण हेतु एक तंत्र होना चाहिए। श्रीमती गांधी की तरह ही आपको भी यह सुनिश्चित करना चाहिए की खुदरा बिक्री की सभी दुकानें आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की सूची प्रदर्शित करें। अपने शासनकाल के दौरान स्वर्गीय श्रीमती गाांधी ने यही कठोर उपाय अपनाया था और कीमतें नियंत्रण में रखी गई थीं। यदि आवश्यकता हो तो अब यही उपाय अपनाया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि मूल्य वृद्धि से आर्थिक सुधारों से होने वाले लाभ ही न मिलें। काला बाजारी और जमाखोरी पर नियंत्रण रखा जाए। काले धन को बाहर निकालने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। आप देश को हानि पहुंचाने वाले आपराधिक कार्यों का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करके देश भर में सतर्कता समितियों का गठन कर सकते हैं।

मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं कि पराम्बीमुलम-अतिसार योजना को शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाए और इसका नामकरण स्वर्गीय श्री कामराज के नाम पर किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर आज बोलन को अवरस प्रदान करके कृतज्ञ किया है। मेरा पर मानना था कि मेरा नाम पहले नहीं पुकारा जाएगा, इसलिए मैं उस समय सभा में उपस्थित नहीं रह सका था। यह बात समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुई है कि कुप्पूस्वामी भी अनुपस्थित सदस्यों में से एक थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस सभा को उपेक्षापूण ढंग से नहीं देखता हूं। पिछले दस वर्षों से तीन कार्यकाल पूरा करते हुए इस माननीय सभा का सदस्य होने के नाते मैं हमेशा ही इस सभा को उच्च सम्मान देता हू। अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमायाचना करते हुए तथा इस घटना पद अपना खेद व्यक्त करते हुए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं वित्त विधेयक को कुछ शर्तों के साथ समर्थन देता हू। मेरी शर्तों में से एक शर्त यह है कि सरकार को देश के छोटे राज्यों की ओर बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। मैं उन्हें असक्षम राज्य मानता:हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा इस सभा में कई मामलों पर रखे गए प्रस्तावों के प्रत्युत्तर में दर्शाए गए दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं। इन सबका उल्लेख उनके विवरण में दिया गया है और मैं इन सभी का उल्लेख इसलिए नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे जो समय दिया गया है वह सीमित है।

मैं इस बात की भी प्रशंसा करता हूं कि भारत सरकार ने लघु उद्योगों की कठिनाइयों को समझा है और वित्त मंत्री महोदय लघु उद्योगों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार हैं। अतः मैं इस बात के लिए भी उनकी प्रशंसा करता हूं।

इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा विद्युत की सहायता के बिना बनने वाली साबुन, छातों तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुओं पर से उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान किये जाने संबंधी जो प्रस्ताव रखे गए थे, वे भी वित्त मंत्री ने स्वीकार कर लिए हैं और मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं तथा मेरा विचार है कि माननीय वित्त मंत्र महोदय अन्य प्रस्तावों पर भी विचार करेंगे।

मेरा विनम्र अनुरोध यही है कि लघु उद्योगों, विशेष रूप से छोटे राज्यों में हथकरघा उद्योग पर लगाए गए करों को वापस लिया जाए। मैं यह बात सभी उद्योगों के लिए नहीं कह रहा। मैं केवल छोटे राज्यों में लगाए गए लघु उद्योगों के लिए ही कह रहा हूं। छोटे राज्यों से मेरा अभिप्राय पूर्वोतर क्षेत्र के राज्यों अर्थात् मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम तथा इस प्रकार के अन्य राज्यों से है। ये राज्य बड़े उद्योगों की स्थापना करने में समर्थ नहीं हैं। इनका गुजारा लघु उद्योगों से ही चलता है। अतः वित्त मंत्री महोदय से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि वे इस मामले पर ध्यान दें।

दूसरे मैं ग्रामीण परिवहन वाहनों पर पूर्व प्रस्तावित 40 प्रतिशत शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत किये जाने पर उनकी प्रशंसा करता हूं। यह प्रशंसा योग्य इसलिए है, क्योंकि यह प्रस्ताव ग्रामीण परिवहन वाहनों के लाभार्थ है।

मैं अत्यधिक पिछड़े जिलों के मामले में उपचारात्मक उपाय करने के लिए भी सरकार की प्रशंसा करता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि देश में अत्यधिक पिछड़े जिलों की पहचान करते हेतु कार्यवाही की गई है।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। अभी-अभी मेरे मित्र ने, जो मेघालय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य हैं, अतिदेयों को 10 वर्षों के लिए 'फ्रीज' करने के मांग की थी, जिसका उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे राज्यों ने किया है। इसमें मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। मेरी यह मांग है कि इन राज्यों द्वारा किये गए व्यय को बट्टे खाते में डाल दिया जाए। हमारी यह मांग इसलिये है, क्योंकि इन राज्यों का गठन अथवा सृजन मात्र राजनीतिक कारणों से किया गया था। ये राज्य सक्षम नहीं हैं। इन ऋणों को बट्टे खातें में डाल दिया जाए और मेरी मांग इन्हें बट्टे खाते में डाले जाने की ही है और यहां पर नए सिरे से कठोर वित्तीय अनुशासन आरम्भ किया जाना चाहिए।

फिलहाल मणिपुर की स्थिति भी खराब ही है। हो सकता है यही स्थिति नागालैंड और मिजोरम की भी हो। राज्य में अभी राष्ट्रपति शासन है। राज्यपाल के सलाहकार बिना किसी वित्तीय नियंत्रण

[श्री याइवा सिंह युमनाम]

के धन खर्च कर रहे हैं। वे कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी वचन दे देते हैं और वे बिना मंजूरी के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कर लेते हैं। उन्होंने वित्तीय मामलों में कुछ अनुशासनहीनता की है। इस सब पर रोक लगनी चाहिए। अन्यथा राष्ट्रपति शासन के बाद सत्ता में आने वाली सरकार को अतिदेयों से निबटना पड़ेगा। मैं इसका भी विरोध करता हूं।

मेरा अगला मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के समर्थन से संबंधित है। अभी-अभी माननीय सदस्य श्री पीटर ने भी इसके विषय में प्रस्ताव रखा था। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि ये बैंक छोटे राज्यों में ग्रामीण लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मणिपुर में ये ग्रामीण बैंक जनता की सेवा कर रहे हैं। अतः मैं बिना किसी भेदभाव के इस भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का पुरज़ोर समर्थन करता हूं। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

जब पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों को धन प्रदान किया जाता है, तो इसमें से अधिकतर धन कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा सुरक्षा बलों की तैनाती पर खर्च कर दिया जाता है, जिसमें विकास हेतु रखा धन भी खर्च कर दिया जाता है। सुरक्षा उपायों पर काफी धन खर्च किया जा चुका है। इसके कारण विकास कार्यों में रुकावट पैदा हो जाती है। माननीय वित्त मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वे इन राज्यों को धन प्रदान करने के मामले में इस पहलु को भी ध्यान में रखें।

मेरा अंतिम प्रश्न इन राज्यों को स्थानीय ऋणों आदि के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दिए जाने के संबंध में है। हमारा यह मानना है कि जापान जैसे कतिपय देश भी मणिपुर के विकास हेतु धन के निवेश के इच्छुक हैं। मुझे यह सूचना मिली है कि जापानी सरकार मणिपुर में कुछ विकास कार्यों को अपने हाथ में लेना चाहती है ओर वहां निवेश की इच्छुक है, किन्तु केन्द्रीय सरकार इसके पक्ष में नहीं है।

अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे राज्यों के अतिदेयों को बट्टे खाते में डालने और इनके लिए अधिक धन की व्यवस्था करने की कृपा करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, वह न तो रोजगार बढ़ायेगा और न महंगाई घटायेगा, इन दोनों में से एक भी बात माननीय वित्त मंत्री जी पूरी नहीं कर पायेंगे। मेरा कहना यह है कि आपने महंगाई घटाओं वाली बात को बजट रखने के पूर्व ही पेट्रोल, डीजल, अनाज, चीनी और रेल भाड़े में भारी वृद्धि करके जो कुछ अर्जित करना था वह आपने कर लिया और आंपने वाह-वाही लूटने का प्रयास किया। अंत में आपने एक लाइन और जोड़ दी की आपने जिन 394 उद्योगों को कृषि उत्पादन शुल्क में रियायत दे रखी थी, उनको मैं वापस लेता हूं। यह बात तो आपकी लोगों ने सुनी नहीं और ताली बजा दी। 394 उद्योगों पर जिन पर आपने छूट वापस दे दी, उसमें सब आ गये। मैं समझता हूं कि यह वाह-वाही गलत थी। मेरा निवेदन है कि इस बजट से धनी वर्ग तो सम्पन्न होगा और निर्धन वर्ग और निर्धन होगा। इस सारे बजट का लघु उद्योगों पर प्रहार होगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ेगी। मेरा मतलब यह है कि हम जैसे उदारीकरण के खिलाफ हैं, लेकिन विदेशी कर्जदाताओं द्वारा जो सिद्धांत आज है, उस पर आप जो कर रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं।

महोदय, मेरा निवेदन है कि यह मुद्रा की कीमत में जो वृद्धि हुई है, विकास दर में जो गिरावट आई है, उद्योगों में मंदी आई है और सार्वजनिक कर्जे बढ़े हैं और रुपये की कीमत जो 1991 में 9.6 पैसे थी, वह दिसम्बर 1993 में 7.8 पैसे रह गई है। अब उससे अन्दाजा लगा लीजिये? मेरा कहना यह है कि गैर-योजना व्यय पर 76 लाख 198 करोड़ से बढ़ कर 90.02 करोड़ रुपया बढ़ गया। पूंजीगत व्यय 31800 करोड़ रुपये से बढ़ कर 29484 करोड़ रुपया घट गया।

मैं समझता हूं कि जो बढ़ोत्तरी हो गई और पूंजीगत व्यय घट गया, मेरा कहना यह है कि आज जो विदेशी कर्ज है, वह भी 3 लाख 54 हजार 964 करोड़ रुपया आप पर है। यहां पर मेरा कहना है कि आपने बजट घाटे पर नियंत्रण किया ही नहीं। सब्सिडी कम हो गई और कीमतों में वृद्धि हो गईं आपने बजट से पहले ही 20 परसैंट गेहूं और चावल पर वृद्धि कर दी। उससें आपने 5 हजार करोड़ रुपये का बोझा गरीबों पर डाल दिया, क्योंकि जो व्यक्ति अनाज, चावल खाता है, वह गरीब व्यक्ति है। आपने दूसरे मालदार लोगों को लाभ देने का प्रयास किया। गरीबों पर आपने ध्यान नहीं दिया।

आज 22 लाख छोटी और बड़ी रुग्ण इकाइयां इस हिन्दुस्तान में बंद पड़ी हुई हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को चालू वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत वृद्धि होने की जो आशा थी, वह अब 3.5 प्रतिशत रह गईं औद्योगिक विकास में वृद्धि 6 से 7 प्रतिशत थी, वह अब 1.5 प्रतिशत रह गईं मुद्रा की राशि जो घट गई 5 से 6 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य था, वह पहले से लगभग इस समय 10 प्रतिशत की सीमा पार कर चुका है तो उस पर भी आप किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पायेंगे। मेरा कहना है कि कर्जा निरन्तर बढ़ रहा है और आप यह दावा कर रहे हैं कि शेयर मार्किट में बड़ी वाह-वाही हो गईं शेयर मार्किट ठीक हो गया और आपने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कर दी। इन दो बातों की ओर आपने विशेष तौर पर आने भाषण में उल्लेख किया है।

7.00 म.प.

मैं समझता हूं कि शेयर बाजार में तो पहले भी घोटाला हो गया था, इसलिए शेयर बाजार के भरोसे सफलता को नहीं आंका जा सकता और वाह-वाही नहीं लूटी जा सकती। मेरा कहना है कि आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया देश के अंदर से शुरू करनी चाहिए, ताकि भारतीय उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का समाना कर सकें।

इसी प्रकार से कृषि और कृषि से संबंधित हमारी जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादन बढ़ सके। उत्पादन बढ़ेगा तभी निर्धनता दूर हो सकेगी, इसलिए इन बातों की तरफ अवश्य ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमंडल तो नरसिंह राव ही का ही कहलाएगा, इसलिए मैं नरसिंह राव मंत्रिमंडल और आपके वित्त मंत्री के कार्यकाल में कह सकता हूं कि वस्तुओं की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, 3 साल का आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन आप इन समस्याओं पर नियंत्रण नहीं पा सके हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि योजना व्यय में वृद्धि और गैर-योजना व्यय में कमी करनी चाहिए और अंकुश लगाया जाना चाहिए, ताकि देश की आर्थिक स्थिति सुधर सके और देश का उत्पादन बढ़ सके।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

महिलाओं के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी आर्थिक और सामाजिक हालत सुधारने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन बनाने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। इसी प्रकार से नव-युवकों को रोजगार देने के लिए नई रोजगार योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, इनमें ग्रामीण कामगार, शिल्पकार, कुटीर उद्योग में लगे हुए नव-युवकों और आदिवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। गांवों के विकास के लिए उनको सड़कों से जोड़ना आवश्यक है। गांवों की भूमि का पूरा उपयोग होना चाहिए, वहां पर पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए, बंजर भूमि का सुधार किया जाना चाहिए, इन सारी बातों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, तभी गांवों का विकास हो सकता है।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि एच.यू.एफ. में आय की सीमा 18000 की गई है, यह उचित नहीं है। आपको तो संयुक्त परिवारों को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन आप तो भेदभाव कर रहे हैं। इसी तरह से आयकर की सीमा जो 35000 की गई है।, 1981 के मुकाबले इसकी कीमत अब 2628 रुपए रह गई है। व्यक्ति को बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया, बिजली-पानी और स्कूटर आदि पर खर्च करना होता है। इसलिए यह 35000 की सीमा और एच.यू.एफ. के लिए 18000 की सीमा युक्तिसंगत नहीं है, इन दोनों सीमाओं को बढ़ाकर 50000 करने का कष्ट करें। आपका नाम तो मनमोहन सिंह है, मन को मोह लेते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आयकर सीमा को आप 50000 तक बढ़ाने की घोषणा कल अवश्य कर देंगे। मेरा यह भी निवेदन है कि आगे आने वाले वर्षों में आय कर की सीमा को मुद्रास्फीति से जोड़ कर तय करना चाहिए।

नियम खर्च जो कि वर्तमान 51.75 प्रतिशत है, इसको घटाने की समुचित सहपद्धति तैयार करके चरणबद्ध तरीके से इसको अधिक से अधिक 40 प्रतिशत तक घटाया जाए।

सरचार्ज के हम लोग हमेशा विरोधी रहे हैं, लेकिन आपने व्यक्तिगत सरचार्ज तो समाप्त कर दिया, लेकिन कंपनी सरचार्ज समाप्त नहीं किया। मेरा अनुरोध है कि कंपनी सरचार्ज भी समाप्त किया जाए। इसी प्रकार से उत्पादन शुल्क 50 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक घटाया जाए। कच्चे माले और कल पुर्जों पर इसकी अधिक कमी की जानी चाहिए। कच्चे माल से तैयार वस्तुओं पर कुछ बंढ़ोत्तरी की जा सकती है। इसी तरह से सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। टेरिफ दरों में विसंगतियों को दूर करके कमियों से होने वाला लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे और उसे आभास हो।

स्वदेशी और विदेशी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रीय ऋण विमोचन कोष स्थापित करना चाहिए, ताकि इसके जरिए राष्ट्र को ऋण से मुक्त कराया जा सके। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा आयोग बनाना चाहिए, जिसमें मिल-मजदूर, बेरोजगार, महिलाएं, असंगठित मजदूर, कृषि मजदूर आदि वर्गों को शामिल करना चाहिए।

इसी तरह से बजट आने से पहले टैक्स लगाने की जो प्रथा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। प्रशासित मूल्य समीक्षा आयोग नियुक्त किया जाए। उसकी बिना सिफारिश और संसद में चर्चा किए बिना मूल्यों में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जाए। लघु उद्योगों पर तीस लाख की छूट को

75 लाख किया जाए, क्योंकि भारतवर्ष में ब्याज दर साढ़े 18 परसेंट है, जबकि अमेरिका में ब्याज दर तीन परसेंट है। वरना भारत का लघु उद्योग समाप्त हो जाएगा। साबुन, छतरी, कागज के डिब्बे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, चेरीटेबल एसोशिएशन के लिए जो टैक्स कम किया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। परंतु, 393 वस्तुओं की उत्पादन शुल्क समाप्त की है, इसके बारे में क्या कहना है। वरिष्ठ नागरिक 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वाला होता है। जिस वर्ष नागरिक की एक लाख रुपया प्रतिवर्ष की आय होती है उसे छूट दी जाती है ज्यादा होने पर नहीं। एक लाख बीस हजार व्यक्तिगत असेमेंट में भी आंका जाता है। मेरी मांग है कि वृद्ध जनों की आय पर छूट एक लाख पचास हजार तक होनी चाहिए।

एक्सपेंडीचर टैक्स यानि होटल व्यवसाय पर दस परसेंट की बजाय आठ परसेंट होना चाहिए। जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर यह फाइनेंस बिल लागू करना अलगाववाद की नीति दर्शाता है, इसे समाप्त किया जाए, क्योंकि जम्मू और काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। पचास हजार की आयकर में छूट देने से चोरी रुकेगी और आमदनी ज्यादा होगी। रेट आफ इनकम टैक्स दोनों में चालीस परसेंट के स्थान पर तीस परसेंट हो इसके कारण चोरी रुक सकेंगी। सरचार्ज जब व्यक्ति की आय पर से हटा दिया गया है तो कंपनी पर से सरचार्ज समाप्त किया जाना चाहिए। वेल्थ टैक्स में पांच परसेंट के स्थान पर सात वर्ष करने का प्रावधान किया जाए।

सैक्शन-32 केपीटल-ए के अंतर्गत, जो आज भी इनकम टैक्स में सैक्शन मौजूद है, पहले इसके तहत छूट डवलपमेंट रिबेट के नाम पर फिर इन्वेस्टमेंट अलाऊंस के नाम पर 1976 से 25 परसेंट लागू की गई थी। परंतु, उद्योग में नयी मशीन लगाने पर 1989-90 में कुछ भी छूट नहीं मिली है और अब 1991-92 से यह छूट बिल्कुल समाप्त कर दी गई है, जबकि सैक्शन-32 छूट का ज्यों का त्यों मौजूद है। सैक्शन-234 केपीटल-ए के अंतर्गत रिटर्न की इनकम देरी से जमा कराने पर दो प्रतिशत माह का ब्याज है। सैक्शन-234-बी के अंदर एडवांस टैक्स पर देरी से जमा कराने पर डेढ़ परसेंट ब्याज है, जबकि सैक्शन-244-ए रिफंड लेने पर एक अक्टूबर 1991 से ब्याज दर एक परसेंट कर दिया गया है। मेरी मांग है कि ब्याज देने और ब्याज लेने की विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए।

नाबालिग की आय में जो गिफ्ट आदि उसे नाना-मामा-फूफा से किसी प्रकार की गिफ्ट प्राप्त होती है, उसे पिता-माता की आय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो कुछ भी रकम या गिफ्ट उस नाबालिग को नाना-नानी या फूफा-फूफी से मिली है, उसको नहीं जोड़ेंगे, यही मेरा निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्री जी को जो सुझाव दिये हैं, वे रातभर उस पर विचार और मनन करके अपने जवाब में बतलायेंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि यह बजट न तो रोजगार बढ़ायेगा और न ही मंहगाई हटायेगा, बल्कि इससे बेरोजगारी और मंहगाई और ज्यादा बढ़ेगी। फिर भी आप इस बात पर विचार करके मेरी बातों पर गौर करेंगे और मेरी बातों पर गौर करेंगे और मेरी बात मानेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री एम. कृष्णस्वामी (वन्डिवाशी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री, डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। कल वित्त मंत्री महोदय ने लघु उद्योगों के लिए कुछ रियायतों और छाता, साबुन, जिनका कुटीर उद्योग में निर्माण किया जाता है तथा आम आदमी के जूते-चप्पल को शुल्क में पूरी छूट की घोषणा की है, जो अत्यंत स्वागत योग्य है और मैं माननीय मंत्री जी को कल की गई इस घोषण के लिए धन्यवाद देता हूं। पैकेज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले गत्ते के डिब्बों और कार्टूनों पर उत्पाद राहत दी गई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों पर कुछ और रियायत देने पर विचार करने का वायदा किया है। इससे सामान्य जनता को अधिक लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण विकास आवंटनों में भी 40 प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षित बेरोजगारों के लिए जवाहर रोजगार योजना, प्रधान मंत्री की रोजगार योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी और अन्य योजनाएं चलायी गई हैं। ग्रामीण ऋण प्रणाली को सुदृढ़ करने के, उपायों को कारगर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में साहुकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों का शोषण करते हैं।

कोई निगरानी प्रणाली होनी चाहिए, अन्यथा ग्रामीण विकास के लिए हम भले ही करोड़ों रुपये खर्च करें, परंतु वह गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः इन बातों को नियंत्रित करने के लिए निगरानी प्रणाली बनायी जानी चाहिए।

बैंकिंग के क्षेत्र में हालांकि सुधार प्रक्रिया आरम्भ हो गई है, पर इसमें और अधिक तीव्रता लाई जानी चाहिए और छोटे, सीमान्त और मझौले किसानों को ऋण देने में बैंकों को अधिक उदार होना चाहिए। ब्याज दर कम किया जाए, ताकि वे कम लागत पर कृषि उत्पादों का उत्पादन कर सकें, क्योंकि किसानों पर ब्याज का भार अधिक होता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे हजारों किसान हैं, जिन्हें एक जून का खाना तक नहीं मिलता। अतः मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कम ब्याज पर किसानों को पर्याप्त ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों को उपयुक्त निर्देश दें। हमारे किसानों को किसी नदी या नहर से पानी नहीं मिल रहा है, उन्हें सिंचाई के लिए ड्रिप या भूमिगत जल और मौसमी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार वे मौसम की अनिश्चितता पर निर्भर रहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलते हुए मैंने पहले भी यह बात सरकार के ध्यान में लाई है।

हालांकि गत वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में कमी हुई है, पर अब यह बढ़ रही है, जिसे सरकार को नियंत्रित करना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि कीमतें नियंत्रण में रहें और उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये जो बाजार की स्थिति से लाभ उठाते हैं।

वित्त मंत्री जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त निगम के साथ-साश पिछड़ा वर्ग वित्त निगम की आय पर आयकर छूट दी है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। अब राज्य सरकारों को इस प्रावधान से लाभ उठाना चाहिए और पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लोगों के हित में पिछड़ा वर्ग वित्त निगम की गतिविधियों में वृद्धि करनी चाहिए।

वित्त विधेयक के खंड 7 में नव स्थापित शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्यमों को कर लाभ देने की व्यवस्था की गई है। इससे हमारे निर्यातोन्मुखी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए आंकड़ों के संग्रह और मानदंड निर्धारित करने के लिए एक समूह के गठन के विषय में दिए गए माननीय मंत्री जी के बयान का मैं स्वागत करता हूं। जिस निर्वाचन क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। उसका धिरूवन्नामलाई - सम्ब्यूटियन जिला अत्यंत पिछड़ा है। सदन के सूचनार्थ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक नगरपालिका है, शेष पंचायतें ही हैं। अतः मेरे क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है, यहां तक कि कुटीर उद्योग भी नहीं हैं। मेरे जिले में नाम के लिए भी एक कुटीर उद्योग नहीं है। यह बहुत ही पिछड़ा जिला है। मैं आशा करता हूं कि तमिलनाडु की ए.आई.ए.डी.एम.के. सरकार उस अवसर का लाभ उठाएगी और पिछड़े जिलों का पता लगाने हेतु सभी संबंधित आंकड़े वित्त मंत्रालय के पास भेजेगी। हमारे क्षेत्र में दूध का प्रचुर उत्पादन होता है। सरकार वहां कम से कम कोई दुग्ध उत्पादों से संबंधित उद्योग लगाने पर विचार कर सकती है। सरकार वहां कोई डेरी प्रसंस्करण उद्योग अथवा कोई अन्य उद्योग लगाने के बारे में सोच सकती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग लागने के लिए सर्वेक्षण कराएं। मूलभूत सुविधाएं वहां पहले से ही उपलब्ध है, दूध और दुग्ध उत्पाद जैसा कच्चे माल भी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कुछ करने का अनुरोध करता हूं, ताकि हमारे लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें और कुछ आर्थिक कार्यकलाप आरम्भ हो।

माननीय मंत्री महोदय ने आय कर की दृष्टि से हल्के और मध्यम आकर के व्यावसायिक ट्रकों की प्रतिमाह अनुमानित आय 2000 रुपये से 1800 रुपये और भारी ट्रकों की प्रतिमाह अनुमानित आय 2,500 रुपये से 2,000 रुपये कम कर दी है। इससे ट्रक मालिकों को कुछ राहत मिलेगी।

मैं वित्त मंत्री जी को छात्रों के लिए किए गए शैक्षिक ऋण की अदायगी पर आयकर की छूट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं बुजुर्ग नागरिकों को आयकर में दी जाने वाली रियायतों का समर्थन करता हूं। मैं ऊंची मुद्रास्फीति दर और रुपये के मूल्य में हुई कमी की दृष्टि से माननीय वित्त मंत्री जी से 35,000 रुपये की सीमा के बदले 40,000 रुपये की कीमत तक आयकर में छूट देने का अनुरोध करता हूं। इसी तरह वित्त विधेयक में वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मैं उनसे 15,000 रुपये की मानक कटौती से 18,000 रुपये की सीमा तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं, इससे निम्न मध्यम वर्ग के वेतनभोगी लोगों को सहायता मिलेगी, जिनकी आय हमेशा स्थिर रहती है।

विदेश यात्रा कर और अंतर्देशीय विमान यात्रा कर के संबंध में वित्त विधेयक में किए गए संशोधन स्वागत योग्य हैं, क्योंकि जो लोग कर दे सकते हैं, उन्हें कर देना चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा देश मूलतः कृषि प्रधान है और 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। किसानों को जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरूदंड हैं, कम दर पर अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण देने जैसी हर सम्भव सहायता की जानी चाहिए और उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

[श्री एम. कृष्णस्वामी]

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, आपने इस आशय का एक पत्र भेजा है कि चूंकि आपको कहीं जाना है, अतः आप 7.30 सायं के पहले बोलना चाहते हैं। आपका नाम सूची में नहीं हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के लिए निर्धारित समय अन्य माननीय सदस्यों ने ले लिया है। फिर भी चूंकि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, अतः आप पांच मिनट के लिए बोल सकते हैं। क्या अप पांच मिनट के लिए कष्ट करेंगे?

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में उन बातों पर जोर दूंगा, जिन पर मेरी समझ में जोर नहीं दिया जा रहा है।

यह सही है कि आंख मूंदकर पूंजीवादी विकास का रास्ता वित्त मंत्री और इस सरकार ने अपनाया है। पहले भी वह रास्ता था, लेकिन पहले जो स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने कहा था राजकीय क्षेत्र के कमांडिंग हाइट्स, अब प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री के मुंह से वह शब्द निकलते भी नहीं हैं। मुझे खुशी होगी कि आपके मुंह से भी वह निकले और कार्य से भी निकले।

आज पूरी दुनिया की जो स्थिति है और हमारी जो स्थिति है, मैं अभी भी आग्रह करूंगा कि उत्पादन के जो 5 मुख्य क्षेत्र हैं – राजकीय क्षेत्र, बड़े उद्योगों में, मध्यम उद्योगों में ज्यादा निजी क्षेत्र को दीजिये, लघु उद्योगों को, निजी क्षेत्र को आप खुला छोड़ दीजिये, हमें कोई ऐतराज नहीं है और अति लुघ उद्योग खासकर जो झोंपड़ियों का उद्योग है, कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं, 90 करोड़ की आबादी वाले देश में, आज हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ा साधन है 180 करोड़ हाथ, 90 करोड़ मस्तिष्क – उनका पूरा उपयोग होना चाहिये। मैंने पहले कभी नहीं कहा और आज भी नहीं कह रहा हूं कि लोगों को सिर्फ नौकरी के लिये काम दीजिये। मैं इस नीति का सही नहीं समझता हूं। यदि नौकरी के लिये हमने किसी नौजवान को रख लिया तो हमारी विफलता का वह एक कारण बन जाता है। उसकी उपयोगिता, उसकी जवानी की उपयोगिता, उसके हुनर की उपयोगिता, सामर्थ्य की उपयोगिता देश के लिये हो, उत्पादन बढ़ाने के लिये हो। हमारी औद्योगिक नीति वित्तीय नीति का आधार बने। कुटीर उद्योग, अति लघु उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम वर्ग के उद्योग और बड़े उद्योग - इन सबको आप तालमेल के साथ देश के अंदर बढ़ायें। विदेश के माले में अभी आपने जो नीति रखी है, मैं आग्रह करूंगा कि जो कुटीर उद्योगों का मामला है, हमारा हथकरघा उद्योग लगभग मर रहा है। हमारे यहां मधुबनी में हथकरघा उद्योग की जो स्थिति है, अंग्रेजी राज के जमाने में मधुबनी की सूत की कत्तियों को प्रथम कतार में कई बार इनाम मिला है। मधुबनी के चरखा संघ में पहले साबुन और कागज बनता था जो वहां से वर्धा जाता था, जिस पर महात्मा गांधी लिखते थे। रंग भी बनता था, लेकिन आज आजाद भारत में उसका तीन-चौथाई किराये पर लगा हुआ है। इसमें सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, यह लोगों का दोष है। क्या आज की हालत में सूत को आप इतना सस्ता बना सकते हैं, हथकरघा को, उपादानों को या पावरलूम को, हालांकि बिहार जैसे राज्य में निकट भविष्य में विद्युत

मिल सकेगी, इसकी आशा नही है, पहले वहां की कांग्रेस सरकार विद्युत की राष्ट्रीय क्षमता को 55 परसेंट से 35 परसेंट पर ले आयी और वर्तमान बिहार की सरकार 35 से बढ़ाते-बढ़ाते उसे 20 परसेंट पर ले आयी, यानी बढ़ाने का काम नीचे की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर नहीं हुआ है, मैं कहूंगा कि ऐसे औजारों को, उपादानों को, बिना विद्युत के ही, पुराने हथकरघों को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि हुनर की हमारे यहां कमी नहीं हैं, यदि आप कहें तो मधुबनी के मिस्त्री आपको बनाकर देंगे, ताकि हमारे हथकरघे का काम विदेश में जा सके और वह हमारे लिये विदेशी मुद्रा लाने का काम कर सके और देश की खुशहाली के लिये भी काम करें।

आज आपकी नीति उस ओर नहीं जा रही है। हथकरघा वालों को सूत नहीं मिल रहा है और चोरबाजार से वे खरीद नहीं सकते। बुनकरों की अधिकांश सहकारी समितियों में हाल यह है और दुर्भाग्य भी है, हम अपनी शिकायत किंससे करें कि सहकारी समितियों में बुनकरों की ज्यादा लूट उन समितियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुई है। मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे, ताकि बुनकरों को सस्ते दर पर सूत मिल सके और सूत पर एक्साइज ड्यूटी को सिर्फ हथकरघा के लिये और स्वनियोजित उत्पाद कार्यों के लिये आप जरा ठीक से घटायें। इस समय कस्टम और एक्साइज में तालमेल का मामल है। जब आप कस्टम हटाने की बात कर रहे हैं, एक्साइज बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो देशी उद्योगों को अपने विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हांथों बंद होने के लिये, बलि होने के लिये छोड़ दिया है। मैं आग्रह करूंगा कि सीमित दायरों को छोड़कर, उन मशीनों के लिये, तकनीकों के लिये, जो हमारे यहां उपलब्ध नहीं हैं, जिनको मंगाना अनिवार्य है, उन पर आप कस्टम खत्म करें, कम करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर जो मशीनें और तकनीक हमारे यहां उपलब्ध हैं और आवश्यक भी नहीं है, जिसमें खासकर उपभोक्ता सामान शामिल हैं, वित्त मंत्री जी बहस का जवांब देते समय उनकी चुंगी को बढ़ाने का काम करें।

निरर्थक रूप से हमारे लोगों की रुचि को बिगाड़ कर, वह मैं सीधा कह रहा हूं, ठंडे पेय से लेकर किसी भी मामले में रुचि को बिगाड़ कर देश के उद्योग को खत्म करने में और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हमारे गले पर सवार करने में मददगार नहीं हो।

उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य वित्त मंत्री ने शुरू से रखा है। मैंने अगर कुछ समझा है, कृषि उत्पादन के आयात-निर्यात वगैरह का तर्क, लेकिन उत्पादन वृद्धि का प्रतिशत घटाव, मैं समझता हूं कि इनको भी चौंकाने वाला होना चाहिए कि 3 वर्षों के प्रयास के बावजूद इस साल उत्पादन वृद्धि का स्तर दो से ढाई प्रतिशत रह गया है। इस विफलता के बाद अगर यह दावा करें कि हम उत्पादन वृद्धि की नीति रख रहे हैं, तो यह बात मान्य नहीं होगी। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इस सब के ऊपर उत्पादन वृद्धि कैसे होगी, इस बारे में जवाब देते समय साहस करके बताने का कष्ट करें।

मेरा कहना खासकर स्वनियोजित उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष छूट देने के लिए है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह छूट सिर्फ उद्योग के लिए दें, बाकी के लिए नहीं। थोक व्यापारियों को आपकी जरूरत नहीं। उनके पास चोरी का बहुत पैसा है, जिसको हम काला धन कहते हैं, लेकिन वे बैंकों का पैसा लेकर, बैंकों का सहारा लेकर, किसानों से सस्ता सामान खरीद कर बैंकों के गोदामों

[श्री भोगेन्द्र झा]

में जमा करके महंगाई बढ़ाते हैं और फिर सवाए, ड्योढ़े या दुगुने मुनाफे पर गोदामों से निकाल-निकाल कर सामान बेचते हैं और तब आप विदेश से चीनी या अन्य सामान मंगाकर मूल्यों पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं। कृपा कर के इस नीति को आप छोड़िएगा। विदेशों से मंगाकर हम सस्ता करेंगे, तो आप कृषि उत्पादों और कृषकों को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। यह बड़ी खतरनाक नीति है। यह उत्पादन को बढ़ाने की नीति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे माकूल तकनीक को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दें। विदेशी तकनीक कीं आंख मूंद कर नकल न करें। जो जरूरी है, उसे करें। इसलिए एप्रोप्रिएट टैक्नॉलाजी, माकूल तकनीक के लिए आप उत्साह दें, पारितोषिक दें, आह्वान करें देश के मिस्त्री, कारीगरों का विभिन्न क्षेत्रों में, ताकि कृषि या अन्य क्षेत्रों में आप माकूल तकनीक को बढ़ा सकें। हालांकि सारी बातें आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय नीति के जरिये आप कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 3 साल से बाधा आ रही है। मैं मधुबनी और दरभंगा की बात कहना चाहता हूं। जो शिक्षित बेरोजगार स्वनियोजित उत्पादन के लिए चुने गए हैं, उनको बैंक का कर्जा नहीं मिला है। तीसरे साल वालों को नहीं मिला है। पिछले साल वालों को नहीं मिला है। इस साल वालों को तो मिलने का सवाल ही नहीं है। आंख मूंदकर कर्जा बांटने के पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं कर्जे को माफ करने के भी पक्ष में नहीं हूं।, लेकिन जो 1989-90 में हुआ, उसके चलते बैंकों का दिवाला पिट रहा है। वसूली नहीं हो रही है। इसको समझिए। कोई 6 महीने या 3 महीने की तिथि देकर आप कहिए कि इस तिथि तक जो ऋण जमा करा देगा उसका सूद माफ हो जाएगा। इससे आपकी वसूली बढ़ जाएगी और किसानों का जो बड़ा हिस्सा बंधक हो गया है, उसे कुछ राहत मिलेगी और आगे से बैंक से उसका लेनदेन शुरू हो जाएगा। अभी भी हम लोगों में बहुत से नेता, उपनेता जाकर गांवों में कहते हैं कि अगले चुनाव में ऋण माफी का ऐलान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में अपना वचन निभाते हुए समाप्त करता हूं और जो राजकीय क्षेत्र की आप थोड़ी-सी शिकायत करते हैं, यह ठीक नहीं है। ऐसा करके आप वही काम कर रहे हैं जो नोबेल पुरस्कार के लोभ में आ कर किसी ने सोवियत संघ में किया था। इसलिए हमारे वित्त मंत्री किसी लोभ में हमारे राजकीय क्षेत्र और राष्ट्रीय क्षेत्र को खत्म करने का प्रयास न करें। निजी क्षेत्र ने जितना दिवाला निकाला है, निजी क्षेत्र ने जितना बैंकों का पैसा खाया है, उसका हिसाब देश के सामने रखिए, तब मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। आप राजकीय क्षेत्र पर भी कड़ाई कीजिए। निजी क्षेत्र पर भी कड़ाई कीजिए। वे सभी हमारे राष्ट्रीय क्षेत्र हैं और विदेशी हमलों से दोनों की रक्षा करके इनको बढ़ाइए। तथ्यों को सामने रखकर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखें।

हम यह मान कर चल रहे हैं कि राजकीय क्षेत्र में पूंजी विकास होगा, परन्तु सम्पत्ति बढ़े, वस्तु उत्पादन देश में हो। सर्वसम्मति से उत्पादन बढ़े। आपकी नीति वैसी नीति नहीं है। आपका वित्त विधेयक वैसा नहीं है। इसलिए कुछ साहस से कदम उठाइए। यही कह कर मैं आपसे विदा लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्ना जोशी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मुझे बोलने की अनुमति कब देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, आपको समय दिया गया था। लेकिन आपने उदारता के साथ श्री भोगेन्द्र झा को मौका दे दिया। आपने अपना समय उन्हें दे दिया। अब आपको अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं यह पूरी तरह स्पष्ट कर दूं कि मुझे विभिन्न पार्टियों को नियमों और विनियमों के अनुसार आवंटित किये गये समय के अनुसार चलना है। अन्यथा मुझे कड़ी आलोचना का पात्र बनना पड़ेगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : बात तो ठीक है। मैं आपकी स्थिति समझती हूं।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक में माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखे गए प्रस्तावों का विरोध करता हूं। कई बारं संसद के बाहर और भीतर यह कहा गया है कि यह सरकार लघु उद्योग एककों, कुटीर उद्योग तथा ऐसे सभी एककों को समाप्त करना चाहती है। जिस दिन बजट की घोषणा की गयी थी, उस दिन से कई संगठनों ने सरकार को ज्ञापन दिये हैं। व्यक्तिगत रूप से मैंने स्वयं अपने अन्य सहयोगियों के साथ कई संगठनों, यथा, टाइनी इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, पुणे, मिनी सीमेंट मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन, कलकत्ता, इण्डियन एग्रो-पेपर मिल्स एसोसिएशन कलकत्ता की ओर से ज्ञापन दिये हैं। ये सभी संगठन इस कटु निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आमूल परिवर्तनवाद के बहाने से लाए गए बजट प्रस्ताव तथा लगाए गए शुल्क उद्योग को समाप्त कर देंगे।

हमारी अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग 16-20 लाख लघु उद्योग एकक हैं, जो कुल उत्पादन में लगभग 35% भाग का योगदान करते हैं और सीधे निर्यात का लगभग 30% भाग लघु उद्योग द्वारा किया जाता है। अतएव, सरकार ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को बर्बाद कैसे कर सकती है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? यह भारत सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस क्षेत्र के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करे। सरकार को लघु क्षेत्र को कुछ रियायत देनी चाहिए, जिससे कि वे अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकें। ऐसा करने का एक और लाभ यह होगा कि इससे हमारे असंख्य बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न होंगे। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिकतम लोगों द्वारा अधिकतम उत्पादन किया जा सके, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी को केवल भोजन ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करना है। अतएव, मेरी पहली बात यह है कि लघु एककों का विलय करने संबंधी सरकार का निर्णय अच्छा नहीं है और इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिये।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आयकर की धारा 88 एच.एच.बी. में लिखा है कि एक परियोजना के निर्यात पर आप आय में 50% छूट देते हैं और यदि वस्तुओं का निर्यात किया जाये तो आप 100% छूट देते हैं। मेरे विचार में परियोजना के निर्यात का अर्थ केवल वस्तुओं का निर्यात ही है, क्योंकि परियोजना वस्तुओं का समूह ही है। अतएव, परियोजना का निर्यात इस प्रकार केवल 50% रियायत देकर कम नहीं किया जाना चाहिए।

[श्री अन्ना जोशी]

मुझे वित्त राज्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने दो बातों का उल्लेख किया था। उनकी पहली बात यह थी कि ये परियोजना निर्यातकों को बड़ा मुनाफा हो रहा है। आपको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। अतएव, क्यों न सारा लाभ भारत लाया जाये? आप उन्हें लाभ अपने पास रखने की अनुमति देकर उन पर भारी कर क्यों लगा रहे हैं? उनकी दूसरी बात, यह थी कि उन्होंने रियायत की बात भी कही थी। मैं कुछ पंक्तियां यहां उद्धृत करना चाहूंगा।

> "बाजार दर पर विदेशी मुद्रा की 100% परिवर्तनीयता, निर्यात ऋण के लिए ब्याज दर में कमी, निर्यात ऋण को आयकर से मुक्त रखना, कर-दरों को सामान्य रूप से कम करना इत्यादि के रूप में उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाते हैं।"

लेकिन आपने निर्यात प्रयोजनों के लिए वस्तुओं पर भी यही छूट दी है। आप 100% छूट क्यों दे रहे हैं और इन परियोजना निर्यातकों से 50% शुल्क क्यों ले रहे हैं? आप वास्तव में विदेशी मुद्रा चाहते हैं, यदि आप अपनी वस्तुओं, ज्ञान, कुशलता और श्रम का निर्यात करके भी अधिकतम विदेशी मुद्रा देश के अंदर लाना चाहते हैं, तो आपको इन सभी चीजों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इसीलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि सेक्शन 80 एच.एच.बी. तथा 80 एच.एच.सी. को एक स्तर पर लाया जाये।

महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि विद्यार्थियों, विशेषरूप से विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों द्वारा उच्चतर शिक्षा हेतु लिये गये ऋणों पर आयकर नहीं लगाया जायेगा। आपने अब एक संशोधन द्वारा यह प्रस्ताव किया है कि आठ वर्षों के लिए 25000 रु. प्रति वर्ष की अनुमति दी जायेगी। क्या यह धोखा नहीं है? फीस देने के लिए या किताबें खरीदने के लिए विद्यार्थी कभी ऋण नहीं लेते हैं। ये सारे कार्य उनके माता-पिता किया करते हैं। वित्त मंत्री ने केवल यह कहा था कि यह छूट आपने उन विद्यार्थियों के लिये दी है, जिन्होंने उच्चतर शिक्षा के लिए फीस देने हेतु ऋण लिया या खर्च किया है। आप यह छूट उनके माता-पिता को क्यों नहीं देते हैं? अतएव मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से इस प्रावधान में संशोधन करने का आग्रह करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोशी, आपको उनसे आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आपने वित्त मंत्री को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, कृपया उन्हें ऐसा कहने दें। दूसरा मुद्दा जिसके बारे में मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि 5% सेवा-शुल्क, जिसका यहां प्रस्ताव किया गया है। आप टेलीफोन, बिजली, बीमा, इत्यादि पर 5% सेवा शुल्क लगाना चाहते हैं। परन्तु किस सुविधा या कारण से यह शुल्क लगाने की बात आप सोच रहे हैं? आप वह 5% सेवा शुल्क एकत्र करेंगे और तब टेलीफोन विभाग भी अपने लिए शुल्क एकत्र करेगा। यह सब क्या है? क्या आप जानते हैं कि इन सभी कार्यों को करने के लिए आपको कितने श्रम की आवश्यकता होगी और ये सब चीजें करने में कितना कागजी कार्य करना पड़ेगा। अतएव, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि 5% सेवा शुल्क को वापस लेने हेतु पुनर्विचार किया जाये।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : यह उत्पाद शुल्क जैसा होगा, परन्तु वे यह नहीं कहते हैं कि यह उत्पाद-शुल्क की भांति राज्यों को दिया जायेगा। इसे टेलीफोन विभाग लेगा, सेवा प्रदान करने वाले लेंगे, लेकिन वे यह कहने से इंकार करते हैं कि यह राज्यों को दिया जायेगा।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, लातूर और उस्मानाबाद के भूकंप पीड़ित लोगों के बारे में एक बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो भी राशि उनके पुनर्वास के लिए दी जाये, वह आयकर से पूर्णतः मुक्त होनी चाहिए।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने अपने भाषण में पहले ही कह दिया है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री की निधि में दिया जाने वाले समग्र अंशदान बिना किसी सीमा के 100 प्रतिशत कर मुक्त होगा।

श्री अन्ना जोशी : इस मामले में आपका दृष्टिकोण इतना संकीर्ण क्यों है? इस प्रकार की रियायत केवल मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए ही क्यों दी जा रही है? लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि सरकारी कर्मचारियों ने कहा है कि वे अपने एक दिन का वेतन इस निधि में देंगे, परन्तु वे इस मुख्य मंत्री राहत कोष में अपना अंशदान नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कई स्वैच्छिक संगठन हैं, जिनकी आस्था ऐसे कार्यों में है और वे अच्छा कार्य कर रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं इन बातों को प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि मुझे यह नहीं मालूम कि यह सही है अथवा नहीं।

श्री अन्ना जोशी : ये बातें सही क्यों नहीं हैं?

श्री मनमोहन सिंह : मुझे यह पता नहीं है।

श्री अन्ना जोशी : इसका यह आशय है कि आप भूकंप पीड़ित लोगों को यह राशि देना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि लातूर और उस्माना जिलों में भूकंप पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए लगायी गयी राशि पर 100 प्रतिशत आयकर छूट प्रदान की जाये।

हमें अप्रयुक्त विदेशी ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा। मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 669 दिनांक 25 फरवरी, 1993 के उत्तर में आपने "31 दिसम्बर 1992 की स्थिति के अनुसार राज्यवार अप्रयुक्त ऋण राशि को दर्शानेवाला विवरण" प्रस्तुत किया और यह ऋण राशि 61,000 करोड़ रुपये है। मैं यह नहीं जानता कि ये आंकड़े सही हैं अथवा नहीं। चूंकि आपने यह आंकड़ा प्रस्तुत किया है तो हम यह मानते हैं कि ये ठीक ही होंगे। इस पर ब्याज का भुगतान कौन कर रहा है? हम ऐसे ब्याज का भुगतान क्यों करें? क्या आपने बिना किसी आयोजना और आवश्यकता के ही यह ऋण लिया है? निश्चय ही ऐसा नहीं हुआ होगा। अतः कहीं कोई कमी है।

श्री मनमोहन सिंह : एक निश्चित अवधि में ऋण दिया जाता है। यदि हम आज ऋण प्राप्त करते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम आज ही इस ऋण को बांट दें। इस अवधि के दौरान ऋण मंजूर की जाती है और इसे प्राप्त किए जाने तक इस पर वचनबद्धता शुल्क देना होता है।

श्री अन्ना जोशी : यह ठीक है। कम से कम आप इस बात पर सहमत होंगे कि ऋण में क्रमशः कमी आनी चाहिए, परन्तु आपका रिकार्ड यह दर्शाता है कि इसमें वृद्धि हुई है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ऋण प्राप्त करने और फिर इसे वितरित करने में थोड़ा समय लगता है और उस अवधि तक यह राशि अप्रयुक्त रहती है। मैं यह समझता हूं, लेकिन इस समय के साथ-साथ इसमें कमी आनी चाहिए, परन्तु आपका रिकार्ड यह दर्शाता है कि 31 दिसम्बर 1992 की स्थिति के अनुसार, जो राशि 61,000 करोड़ रुपये थी, वह बढ़कर 31 मार्च, 1993 को 64,940 करोड़ रुपये हो गई, इस प्रकार से इसमें 3000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह चिंता का विषय है। हम अप्रयुक्त ऋण राशि पर ब्याज दे रहे हैं। इस संबंध में लोगों को चिंता करनी चाहिए।

बेशक, आप चिंतित नहीं हैं। इसलिए आपके परेशान होने का सवाल ही नहीं उठता।

अब, मैं इन सभी रियायतों के बारे में उपभोक्ताओं के विचार प्रस्तुत करता हूं, जो कि इस प्रकार हैं :

"वित्त मंत्री ने विभिन्न कच्चे माल, संयंत्रों और मशीनरी, इस्पात और अन्य अलौह धातु पर सीमा शुल्क में रियायत प्रदान करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काफी राहत पहुंचाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ का ध्यान रखा गया है।"

श्री मनमोहन सिंह : यह सही नहीं है।

श्री अन्ना जोशी : आप बेशक इसका खंडन कीजिए, परन्तु हमें आश्वस्त भी करना होगा।

"केन्द्रीय उत्पादा शुल्क प्रस्तावों के मामले में माननीय वित्त मंत्री ने आम आदमी की भलाई को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है, जबकि इनमें अधिकांश लोग वित्तीय असमानताओं से पीड़ित हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अंतर्गत केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि समाज के कमजोर वर्गों में आर्थिक विषमता से पीड़ित लोगों में ऐसी विषमताओं को कम करने के लिए उन्हें सभी अवसर उपलब्ध कराई जाये।"

यह संविधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धान्त है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : गैट समझौते को देखते हुए उस अंश का संशोधन किया जा सकता है।

श्री अन्ना जोशी : जब तक इसमें संशोधन नहीं किया जाता, उन्हें इसका पालन करना होगा :

"इस बार भी माननीय वित्त मंत्री ने पुनः धनी और सम्पन्न वर्ग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को घटाना पसंद किया है। गरीब लोगों का कार, स्कूटर, एयर कंडीशनर, रिफ्रेजरेटर, कुकिंग रेंज, गीजर, वैक्यूम क्लीनर, टेलिविजन, जूस निकालने वाली मशीन आदि वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है। जबकि विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की समान दर से वसूली का प्रस्ताव किया गया है, चाहे ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल सम्पन्न अथवा कमजोर वर्गों के लोगों, वेतनभोगी और श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा

किया जा रहा हो। वित्त मंत्री के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन प्रस्तावों के अंतर्गत उन्होंने कमजोर वर्गों द्वारा रोजमर्रा के आवश्यकताओं की सभी प्रकार की छोटी-छोटी वस्तुओं को समान रूप से उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने का प्रावधान किया, जबकि विगत में ये उत्पाद शुल्क से मुक्त थे।"

इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, अतः आम आदमी की यह प्रतिक्रिया है कि आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों का ध्यान रखा है। आपने सम्पन्न वर्ग के लिए वस्तुओं के निर्माताओं को रियायतें प्रदान की हैं, न कि आम आदमी के लिए, जिन्हें वास्तव में महात्मा गांधी की नजरों में आम आदमी माना जाता था।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप महात्मा गांधी को उद्धृत कर रहे हैं।

श्री अन्ना जोशी : आप प्रसन्न तो होंगे ही। महोदय, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का पाठ केवल महात्मा गांधी ने ही पढ़ाया है। आप इस बात को भूल गए हैं और हम, आपको इसका स्मरण कराने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग भी महात्मा गांधी को उद्धृत करते हैं।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, राष्ट्रीय सेवक संघ के समर्थकों द्वारा महात्मा गांधी को उद्धृत किए जाने पर उन्हें आपत्ति क्यों है?

श्री मनमोहन सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि आपके विचार बदले हुए हैं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : आप भी अपने विचारों में परिवर्तन लायें।

श्री अन्ना जोशी : संसाधनों के बारे में आपने बताया है कि एक भाग में सभी वस्तुओं पर करों में वृद्धि की गई है और दूसरे भाग में अच्छी तरह शासन चलाने और धन प्राप्त करने की व्यवस्था है।

अन्ततः, मैं दो प्रश्न पूछूंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपका ध्यान पुणे के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क समाहर्तालय में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के बारे में अप्रैल, 1994 में पुणे के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले लेखों, सम्पादकीय और समाचारों की ओर गया है? और यदि हां, तो क्या भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध आपने कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेश दिए हैं?

समाहर्तालयों में अधिकारियों द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका समाचार आपको मिलता ही होगा। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैं आपको इसकी एक प्रति भेज दूंगा। वैसे इस दफ्तर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है।

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में अधिकारियों के नाम एवं पदनाम उजागर न हों, इसलिए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की संगत धाराओं और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के संगत नियमों में संशोधन करने

[श्री अन्ना जोशी]

के लिए ऐसे उपचारात्मक कदम उठाएंगे, ताकि पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने की तिथि से 15 दिन के अंदर यदि यह जारी नहीं किया जाता है और यदि वर्गीकरण सूची अथवा आर.टी. 12 वापसी दर्ज करने के एक माह के भीतर इसे अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो उसे आकलनकर्त्ता अथवा निर्माता के कथनानुसार स्वीकृत अथवा अनुमोदित माना जायेगा।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह संशोधन आवश्यक है और इससे माननीय मंत्री भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेंगे अथवा कानून में इस तरह से संशोधन कर सकेंगे, ताकि भ्रष्ट अधिकारी ऐसे कानून का अनुचित लाभ न उठा सकें।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय वित्त मंत्री इससे अवगत हैं कि पिछले लगभग डेढ माह तक अर्थात् 1-3-1994 से 15-4-1994 तक देश भर में उत्पाद शुल्क लगाने योग्य वस्तुओं के उत्पादन और निपटान कार्य में प्रगति लगभग पूरी तरह से रुक गई है, जिससे उत्पाद शुल्क की वसूली में काफी कमी आई और यह सब केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा व्यापार क्षेत्र को यह सूचित करने में किए गए अत्यधिक विलम्ब के कारण हुई थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 52 क में बताए गए बीजक में किन-किन बातों का समावेश होना है और इसके अलावा 1 अप्रैल, 1994 से प्रभावी होने वाली नई प्रक्रिया के देशभर में कार्यान्वयन में व्यापार के मामले में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं को सुलझाने में भी यही तरीका अपनाया गया और अभी भी कई समस्याएं और कठिनाइयां सुलझायी जानी हैं।

यह सब लालफीताशाही के कारण है। मैं नहीं जानता कि बजट का इस तरह के परिवर्तनों से कोई संबंध क्यों नहीं है। वित्त मंत्रालय अथवा इस संगठन के अधिकारियों ने कुछ आदेश जारी किए थे और डेढ़ माह तक उत्पादन और उत्पाद शुल्क की वसूली सब कुछ ठप्प रही। हम यह जानना चाहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जाधवपुर): मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं वित्त विधेयक के मात्र एक खंड अर्थात् खंड 55 के बारे में बोलूंगी। यह कर अधिनियम की धारा 5 में संशोधन के बारे में है।

यह खंड बहुत अधिक वित्तीय प्रभाव नहीं डालता। इसके सामाजिक प्रभाव गहरे हैं और मैं इसी पर बोलना चाहती हूं। यह आश्रित रिश्तेदार के विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार पर कर छूट के बारे में है। वर्ष 1993 में इस पर कर छूट की सीमा 20,000 रुपये से 30,000 तक बढ़ा दी गयी। वर्ष 1994 में यह सीमा 30,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक बढ़ा दी गयी। इस तरह से केवल दो वर्षों में ही पिछली कर छूट सीमा में पांच गुना वृद्धि की गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह मांग करती हूं कि उपहार कर छूट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाये।

यद्यपि मैंने यह बता दिया है कि यह आर्थिक रूप से अत्यधिक छोटा खंड अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं यह समझती हूं कि यह एक तरह से समस्त बजट के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। बजट में उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया गया है और इसके कारण मूल सामग्री और पूंजीगत माल के उत्पादन की उपेक्षा की गई है। उपभोक्ता वस्तुओं पर काफी कर छूट दी गई है और हमारे

देश की आबादी के 10 करोड़ अथवा 15 करोड़ मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को खुश करने के लिए विदेशों में निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट देकर देश में लाने की अनुमति दी गई है। **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : आयात नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत विदेशी उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह बहुत छोटी बात है फिर भी मुझे इसका खेद है। यह खंड बहुत बड़ा नहीं है। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि विधेयक उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने की भावना से अलग रहने में अपनी असमर्थता दर्शाता है। इतना ही नहीं, इस खंड में उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद को आश्रित रिश्तेदार के विवाह के साथ जोड़ दिया गया है। और महोदय, मैं, माननीय वित्त मंत्री पर दहेज देने और लेने को खुले तौर पर बढ़ावा देने का आरोप लगाती हूं। हमारे दहेज विरोधी अधिनियम में विवाह के अवसर पर सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुएं दिए जाने की मनाही की गई है। परन्तु, दूसरी ओर विवाह के अवसर पर दोनों दूल्हा अथवा दुल्हन को उपहार देने की अनुमति दी गई है। इसे हम दहेज विरोधी अधिनियम की सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं। वास्तव में यह वैवाहिक संबंधों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की अत्यधिक लालच बढ़ाने का व्यापक आधार है। **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : इसमें किसी भी उपभोक्ता वस्तु को शामिल नहीं किया गया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : इस खंड में क्या व्यवस्था दी गई है? **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : इसमें किसी भी उपभोक्ता वस्तु का कोई उल्लेख नहीं है। **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : इसमें प्रायः अभिभावकों को अपमानित होना पड़ेगा और यहां तक कि उनकी लड़कियों की मृत्यु भी हो सकती है। इस खंड में यही व्यवस्था की गई है। क्या ऐसी स्थिति में जहां एक ओर बजटीय भूल के कारण दहेज को प्रोत्साहन देकर महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें आधुनिकता अंतर्राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण का गुणगान करने का क्या अधिकार है? **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : इसका महिलाओं से कोई वास्ता नहीं है। **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : हम आपसे बहुत छोटी मांग कर रहे हैं कि इस कर रियायत को वापस ले लें या समाप्त कर दें, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से माननीय मंत्री श्री पी.एम. सईद ने आज ही संसद में यह बताया कि देश में पिछले वर्ष दहेज के कारण सात हजार मौतें हुईं। मैं यह नहीं चाहती कि ये महिलाएं अपनी अंतिम सांस के समय अप्रत्यक्ष रूप से माननीय वित्त मंत्री को याद करें। यह एक छोटा खंड है। इसका अधिक वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस कर छूट को समाप्त कर दिया जाये। मैं इस पर कल संशोधन प्रस्तुत करने वाली हूं और मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि वे देश में महिलाओं की स्थिति पर विचार करते हुए इस पर कर छूट को वापस ले लें।

श्री अशोक आनंदराव देशमुख (परभनी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कल सदन में उपस्थित न रहने के लिए माफी मांगना चाहता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

[श्री अशोक आनंदराव देशमुख]

मैं पहली बार फाइनेंस बिल पर बोलने जा रहा हूं। मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत फाइनेंस बिल का तहे दिल से समर्थन करता हूं। हमने दण्डवते जी के समय में और यशवंत सिन्हा जी के समय में भी बजट प्रस्तुत होते हुए देखे हैं, हालांकि वे यहां पर नहीं हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि कभी भी इतना अच्छा बजट सदन में पेश नहीं किया गया है। जिस तरह से उपलब्ध पानी की एक-एक बूंद का बिना छोटे-बड़े का ख्याल किए हुए उपयोग किया जाता है, इसी तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने उपलब्ध पैसे के भंडार का देश के हर व्यक्ति और क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग किया है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी की दूरदृष्टि के लिए मैं उनको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं।

8.00 म.प.

जो खुली अर्थव्यवस्था सोर्सेज तैयार करने की उन्होंने बनाई है, तो वह सही दिशा है। हममें उसको सहन करने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ आयेगा और कुछ जाएगा। आने-जाने के पहले चिल्ला रहे हैं कि बजट ऐसा होगा और गैट ऐसा होगा तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा। नयी तब्दीलियों को देखो कि क्या-क्या होने जा रहा है। जब से मनमोहन सिंह जी आए हैं, तो विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है। क्या इसकी आप तारीफ नहीं करेंगे कि देश के सोने की स्थिति में सुधार हुआ है, जो तीन साल पहले ठीक नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि पापुलेशन बढ़ रही है। मनमोहन सिंह जी भगवान नहीं कि अपनी अंगुली पर पापुलेशन का पहाड़ रखें और उसको संभालें। पक्ष और विपक्ष का कर्त्तव्य है कि पापुलेशन को कंट्रोल करें। इसकी नयी नीति लाने की समस्या है। जार्ज साहब कहते हैं कि पूंजी सिर्फ बंबई में यानि महाराष्ट्र में यूटिलाईज कर रहे हैं और गुजरात तथा कर्नाटक में भी यूटिलाईज कर रहे हैं। उन्होंने जात-पांत पर सब कुछ कर दिया और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। वे प्रादेशिकवाद लाना चाहते हैं, यह कितना गलत है। जात-पात नहीं चले तो उसको कांग्रेस की नीति ने तोड़ दिया है। जार्ज साहब यह भी कह रहे थे कि बंगाल में और बिहार में इतने टैक्स की वसूली है तो कुछ नहीं दे रहे हैं, बल्कि गैट में दे रहे हैं। यह भेदभाव मनमोहन सिंह जी के हाथ में नहीं होगा। वे सच्चे ईमानदार आदमी हैं जो देश के लिए कर रहे हैं और सिर्फ एक रुपया लेते हैं, तो भी आप उनका नाम लेते हैं। यह बताएं कि आपको कैसा फाईनेंस मिनिस्टर चाहिए। इन दो-ढाई सालों में देश जितनी प्रगति के पथ पर है तो उतना पहले कभी नहीं था। आगे देखना है कि क्या होता है। सभी को देश का काम करना है। गैट के पक्ष में सभी ने मत दिया है। गैट के संबंध में लोगों ने जो हिदायत दी हैं, उसी के अनुरूप काम किया है। यहां पर दो-तीन दिन गैट पर चर्चा चली और जो सुझाव थे उनको एक्सेप्ट किया है। श्री प्रणव मुखर्जी ने मोरक्को में डटकर मुकाबला किया है। बिल क्लिंटन ने कहा है कि सुपर-301 को मानना होगा। श्री प्रणव मुखर्जी ने बिल क्लिंटन के सामने कहा कि हम पेटेंट के मामले में देश में सिस्टम लायेंगे, नयी नीति आयेगी और नया डेवलपमेंट होगा। किसान 40-45 साल से मर रहा था और अपना अनाज बाहर नहीं बेच रहा था, आज वह बेच पाएगा। लोग कहते हैं कि चीनी के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि और राष्ट्रों से कम हैं। 70-72 चीनी मिलों को पैसा दिया है और नयी मिलें लगेंगी। फूड प्रोसेसिंग में भी पैसा देने का वादा किया है और हार्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी पैसा देने का मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया है।

ये सारे डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं और कोई जादुई चिराग नहीं है कि डा. मनमोहन सिंह फेरेंगे और काम जल्दी पूरे हो जायेंगे। तब्दीलियां लाने के लिये 5-10 साल तो लग जाते हैं, जो भी नीति आज बनायी जायेगी, उसका परिणाम 5 साल के बाद ही पता चलेगा। वित्त मंत्री जी ने जो कार्य किये हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। सारा देश एक है और उसके लिये इनको धन्यवाद देता हूं। जब कभी भी देश पर तूफान आया है तो अटल जी ने अपनी भूमिका निभायी है और उनको भेजा गया तो झगड़कर हिन्दुस्तान का नाम कमाकर आये हैं। यही एकता और अखंडता का प्रतीक है। हमारे वित्त मंत्री का कोई स्वार्थ नहीं है और वे आर्थिक नीतियों में तब्दीलियां लाने वाले हैं। उनको तो भगवान ने हम सब के लिये भेजा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति सुधरे, लेकिन जब तक हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा एग्रीकल्चर प्राडक्ट बाहर नहीं जायेगा और एक्सपोर्ट करके पैसा नहीं कमा सकेंगे, हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे। श्रीमती मालिनी जी का कहना है कि शुगर या सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। ये कुछ दिन तो बढ़ेंगे। यही होगा कि अगले साल हम चीनी ज्यादा उत्पादन करने के लिये गन्ने का ज्यादा उत्पादन करें और किसानों के लिये एक लक्ष्य निर्धारित कर देंगे। जहां तक आयल सीड्स का सवाल है, किसानों ने सम्पन्न कर दिया है और इसके लिये किसी ने कमेंट्स नहीं किये हैं। यदि वित्त मंत्री ने अपनी नीति बदली है तो आप लोगों के कहने से बदली है। आपके सुझावों को ज्यादा माना है और ऐसा नहीं कि सारे हमारे मुद्दों पर विचार किया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : ड्रिप इरिगेशन पर कुछ बोलना है?

श्री अशोकराव आनन्द राव देशमुख : मैं अब एग्रीकल्चर पर आता हूं। हार्टीकल्चर के बारे में जो पैसा दिया है, उसके लिये और रुपया चाहिये। फारेस्ट के लिये कम पैसा दिया है, थोड़ा और बढ़ाना चाहिये। 2.2% पापुलेशन ग्रोथ के लिये हमें 2.5% फूड प्राडक्शन होना चाहिये। किसानों को जो सबसिडी दी जा रही है, वह कम है इसको बढ़ाया जाना चाहिये, क्योंकि जापान और अमरीका में किसानों को अधिक सबसिडी मिल रही है। हम उसको कंपीट करने के लिये ज्यादा सबसिडी मांगते हैं। आज तो सिर्फ 5-6% मिल रही है।

उसमें 20% तक 10% प्रोडक्ट और 10% नॉन प्रोडक्ट जो अपने गेट में तय किया, उसमें अधिक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी सबसिडी आप देंगे, किसान उतना ही फायदे में रहेगा। उसके बाद हम कम दाम पर चीनी बेच सकेंगे। कम दाम पर हम लोगों को अनाज दे सकेंगे। इसलिए सबसिडी की जो आइटम है, चाहे पानी हो, बिजली हो या खाद हो, खाद में सिंगल सुपर फॉस्फेट में आपने लास्ट ईयर 340 का प्रावधान किया था और यूरिया में 1000 का प्रावधान किया। किसानों को कम दामों पर खाद मिली। इसी तरह इस साल भी वित्त मंत्री देखेंगे कि जितनी भी सबसिडी किसानों को दे सकते हैं, उतनी दें। फिर देखें कि उतना अनाज हम आपको दे सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान ने जो आर्थिक नीति अपनायी है, वह निश्चित रूप से देश को आगे ले जाएगी और सारा देश आपको दुआ देगा।

8.10½ म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

चालीसवां प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

8.11 म.प.

दर्शक दीर्घा से एक दर्शक द्वारा सभा की अवमानना किए जाने के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा इससे अवगत है कि आज 11.20 बजे म.पू. को दर्शक दीर्घा से प्रेम पाल सिंह सम्राट, पुत्र श्री बालाजी लाल, नामक एक दर्शक कूद पड़ा और उसने जोर-जोर से नारे लगाने का प्रयास किया। सुरक्षा अधिकारियों ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। दर्शक ने अपना बयान दिया और इस घटना पर खेद प्रकट किया।

मैं इसे सभा के समक्ष रखता हूं, ताकि वह ऐसी कार्यवाही कर सके, जो वह उचित समझे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सभा संकल्प करती है कि अपने आप को प्रेम पाल सिंह सम्राट, पुत्र श्री बालाजी लाल, कहने वाले उस व्यक्ति ने, जो आज लगभग 11.20 बजे दर्शक दीर्घा से कूद पड़ा तथा जिसने नारे लगाने का प्रयास किया और जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त हिरासत में लिया, गंभीर अपराध किया है और वह सभा की अवमानना का दोषी है।
>
> यह सभा आगे संकल्प करती है कि उसे कठोर चेतावनी देकर आज सभा के उठने पर छोड़ दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "यह सभा संकल्प करती है कि अपने आप को प्रेम पाल सिंह सम्राट, पुत्र श्री बालाजी लाल, कहने वाले उस व्यक्ति ने, जो आज लगभग 11.20 बजे दर्शक दीर्घा से कूद पड़ा तथा जिसने नारे लगाने का प्रयास किया और जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त हिरासत में लिया, गंभीर अपराध किया है और वह सभा की अवमानना का दोषी है।
>
> यह सभा आगे संकल्प करती है कि उसे कठोर चेतावनी देकर आज सभा के उठने पर छोड़ दिया जाये।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

8.13 म.प.

[हिन्दी]

वित्त विधेयक, 1994 – जारी

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री ने जो पहले तीन बजट पेश किये, जो आज हमें याद दिला रहे हैं कि आप महात्मा गांधी का नाम स्वदेशी के लिए ले रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि पहले तीनों बजट आपके राजीव गांधी के नाम के साथ शुरू होते थे। इस बार के बजट में आप बड़ी जल्दी उस नेता को भूल गए, नरसिंह राव जी की बात आप करते रहे।

एक बहुत महत्वपूर्ण सैक्टर को, जो राहत आपने एक्साइज ड्यूटी में दी है, उसको वित्त मंत्री जी ने छोड़ दिया है।

मैं वित्त मंत्री जी आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि सारे राष्ट्र का यह संकल्प है, कि गांव-गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाये। एक बार पहले भी जब पाईप फिटिंग्स पर एक्साइज ड्यूटी लगायी गयी थी, तो तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. राजीव गांधी जी से कुछ लोग मिले थे और उन्हें बताया था कि आपने घोषणा की थी कि हर गांव को शुद्ध पेयजल मिलेगा और यह एक छोटा सैक्टर है, क्योंकि कई जगह तो मात्र दो-दो या तीन-तीन लोग ही लोहा ढाल कर पाईप फिटिंग तैयार करते हैं, ताकि शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। जैसा कई पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बहुत सी आईटम्स के बारे में आपने सिर्फ एक सेंटैंस या एक वाक्य ही कहा है कि उन पर दी जाने वाली उत्पाद शुल्क को आप वापस लेते हैं, लेकिन पाईप फिटिंग्स पर आपने जो नई एक्साइज ड्यूटी लगायी, उसके कारण लघु उद्योगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहाड़ों में यदि कोई व्यक्ति अपने घर में नल लगवाना चाहे तो पाईप फिटिंग की कुछ आईटम्स लेने में उसे बहुत अधिक असुविधा होगी, बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ेगा। इससे आपके पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा किया हुआ वायदा भी पूरा नहीं हो पायेगा, जिन्हें आप पिछले तीन बजटों में बार-बार याद करते रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कल जब वे वित्त विधेयक पर हुई बहस का उत्तर दें तो पाईप फिटिंग्स पर लगी नई सैन्ट्रल एक्साईज ड्यूटी को वापस लेने की अवश्य घोषणा करें।

मेरा दूसरा बिन्दु हिन्दु अनडिवाईडिड फैमिली के संबंध में है। सारे संसार में शायद भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां संयुक्त परिवार की मान्यता है, जिसके कारण अनेकों सामाजिक समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता–"हेयर इज फार आल एण्ड आल फार वन" परिवार में सब एक दूसरे के सुख-दुख में शरीक होते हैं और आवास, वाहन, बिजली, पानी जैसी अनेक समस्याएं, जो सामाजिक तौर पर दूसरे देशों में बहुतायत में मिलती हैं, हमारे यहां आसानी से हल हो जाती हैं, क्योंकि यहां परिवार संयुक्त रूप से रहते आये हैं। पहले आयकर में जितनी राहत एक इंडीवीज्यूअल को मिलती थी, एक व्यक्ति को मिलती थी, वही आयकर की सीमा हिन्दू अनडिवाईडिड फैमिली के लिये भी थी, लेकिन आपने इस बार उसमें भी अंतर कर दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि

[प्रो॰ प्रेम धूमल]

जैसे सारे सदन ने आपसे मांग की है कि आयकर की इंडीवीज्यूअल छूट सीमा को 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाये, उसी प्रकार हिन्दू अनडिवाईडिड फैमिली के मामले में, आयकर की वर्तमान 18 हजार की सीमा को भी बढ़ाकर आप 50 हजार रुपये कर दीजिये।

स्वदेशी और स्वावलम्बन के बारे में आपके सामने बहुत विस्तार में जाकर बातें हुई हैं। लघु उद्योग आपका संरक्षण चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारतीय उद्योग भाग ले सकें, इसके लिये आपकी भावना ठीक हो सकती है, लेकिन क्या हमारे लघु उद्योग उस स्तर तक पहुंच पाये हैं। कुछ बड़े उद्योगों को तो आपने राहत दी है, लेकिन सैंकड़ों लघु उद्योगों पर आपकी घोषणा के कारण भारी वित्तीय प्रहार हुआ है। आपने जो नया एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क लगाया है, उसके कारण अनेकों लघु उद्योग बंद हो रहे हैं।

वैसे भी बहुत बड़ी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला करने की स्थिति में लघु उद्योग नहीं हैं और आपकी तुलना तो भगवान श्री कृष्ण के साथ की गई है। अगर आप देश की आर्थिक स्थिति को सचमुच में सुधारना चाहते हैं, तो आप लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करें।

चूंकि आपने अपना बजट भाषण पढ़ते समय बहुत से शेर सुनाए थे, इसलिए मैं भी आपको दो पंक्ति का एक शेर सुनाना चाहता हूं और यह भारत की अर्थ-व्यवस्था पर भी लागू होता है और इस बात पर बल देता है कि स्वदेशी उद्योग को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उसके पनपने, उसके फलने से ही भारत की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

मिट्टी जब तक अपना हक अदा न करे,
हवाओं की सिफारिशों से गुलाब खिलते नहीं।

भारत की मिट्टी को, भारत के लघु उद्योग की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। यदि आप विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की हवाओं से इस देश के गुलाब खिलाना चाहेंगे, तो नहीं खिलेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण बिन्दु लघु बचत का है। लोग थोड़ा-थोड़ा पैसा बचत करके बैंकों में जमा करते हैं, डाकघरों में जमा करते हैं। गांवों में रहने वाले लोग अक्सर ऐसा करते हैं। उस पर जो पहले राहत मिलती थी, वह पिछले वर्ष से आपने समाप्त कर दी। लगातार आपसे मांग भी की गई है, लेकिन आपने उसको नहीं माना। इसलिए मैं चाहूंगा कि छोटी बचतों पर टैक्स में राहत दें और जैसी अनेकों माननीय सदस्यों ने मांग की है कि जिस राज्य में जितनी बचत होती है, अगर वह पैसा वहीं इन्वेस्ट हो, वहीं पर उद्योग पनपें, तो ज्यादा लाभकर होगा।

मैं अपने राज्य, हिमाचल प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। वहां पर लघु बचतों के माध्यम से काफी बचत होती है, लेकिन उस बचत का मात्र 32 प्रतिशत धन ही वहां लगता है। यदि वह पैसा वहीं लगे, तो बहुत लाभकर हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान अपने पहाड़ी, पिछड़े और छोटे राज्य की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां एक ओर वहां प्रकृति ने अपने सौंदर्य से उस प्रदेश

को धनी बनाया है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक तौर पर सम्पन्न नहीं है। इसलिए आप मेरे प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को ज्यादा सुविधाएं दें। यदि छोटे और पहाड़ी प्रदेशों का विकास होगा, तो फिर स्वाभाविक तौर पर वे भी राष्ट्रीय धारा में अपना योगदान दे सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश के लिए आप विशेष अनुदान की घोषणा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हर राजनीतिक दल के अपने नारे होते हैं। कांग्रेस ने भी कभी गरीबी हटाओ का नारा लगाया तो कभी कोई और नारा लगाया, लेकिन गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में कमी नहीं आ रही है। अनेक बार आपने कहा है और आपने चौथा बजट भी पेश कर दिया है, लेकिन अभी भी अगर आप आंकड़े देखें, तो जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनके प्रतिशत में कमी नहीं आई है। इसलिए आज आवश्यकता है कि समाज के सबसे निम्न वर्ग की ओर ध्यान दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिन वस्तुओं के उत्पाद शुल्क में राहत की घोषणा की है, उनमें आयुर्वेद में अगर कोई औषधि एकमात्र दवाई से बनती है, तो उस पर तो राहत दी जाएगी, किन्तु यदि कोई दवाई अन्य दवाओं के मिश्रण से बनेगी, तो उस पर यह राहत नहीं दी जाएगी। जैसे च्यवनप्राश, सितोपलादि और बसन्त मालती आदि दवाएं हैं। यदि अकेले ये दवा के रूप में बेची जाएं, तो उन पर छूट होगी, लेकिन यदि इन दवाओं को मिलाकर कोई अन्य ताकतवर औषधि तैयार की जाती है, तो उस पर यह छूट नहीं मिलेगी। मैं चाहूंगा कि आप इस राहत को आयुर्वेद की सभी दवाओं पर दें, ताकि साधारण व्यक्ति, गरीब आदमी जो वैद्यों से दवाएं लेते हैं, सस्ती दवाएं चाहते हैं, उन्हें सस्ती दवाएं मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कल भी घोषणा की कि 30 लाख तक हमने राहत दी है, पहले भी थी। फैरस और नॉन-फैरस मैटल पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई है, आप भली प्रकार से जानते हैं, मुझे आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। आज कच्चा माल, मजदूर का वेतन, बिजली के चार्जेस, पानी के चार्जेस, ये सब छोटे उद्योगों पर पड़ते हैं। एक तरफ मशीनरी के मामले में यदि 65 लाख की पूंजी निवेश है, तो उसे आप लघु उद्योग मानते हैं। उसमें यदि 30 लाख का प्रोडक्शन शुरू होता है, तो उस पर एक्साइज शुरू हो जाती है। इसलिए कच्चा माल, लेबर आदि में जो वृद्धि होती है, उसके कारण जो लागत मूल्य बढ़ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कम से कम इस छूट को 75 लाख तक बढाएंगे, तो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज अच्छा माल भी बना सकेंगी।

वित्त मंत्री जी, मैंने एक बार पहले भी व्यक्तिगत तौर पर मिलकर जिक्र किया था कि जब आप 30 लाख की लिमिट रखते हैं, तो भारतवर्ष में जो 30 लाख का ही माल बनाने वाले हैं, वे कम्पीटीशन में नहीं आ सकते और एक्साइज से बचने के लिए 2-3 यूनिट्स बना देते हैं। जब फ्रैगमैनटेशन होता है तो रिसर्च एंड डैवलपमैंट का काम रुक जाता है। तब आप क्या समझते हैं कि वे अच्छा माल बनाएंगे और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मुकाबला कर पाएंगे? यह संभव नहीं है। इसलिए लागत मूल्य की बढ़ोतरी को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह लिमिट 75 लाख तक करें। इससे वे अच्छे इंजीनियर भी लगाएंगे और प्रतिस्पर्धा भी कर सकेंगे।

कल जब आप अपना उत्तर दें तो इन बातों पर गौर करें। मैं जानता हूं कि आप गंभीरता से विचार करते हैं और जो सुझाव ठीक लगते हैं, उन पर एक्शन भी लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लघु उद्योगों की परेशानी को समझेंगे।

[प्रो॰ प्रेम धूमल]

सर्विस चार्जेस का एक नया कनसैप्ट आपने दे दिया है। जैसा कुछ माननीय सांसदों ने पहले भी कहा, बात इस ढंग से कही गई कि जिसे थप्पड़ मारा, उसे दूसरे दिन पता लगा कि थप्पड़ लग गया है। रेल मंत्री जी ने कहा कि अब फ्रेट का चार्ज आईटम नम्बर 32 नहीं, 34 के हिसाब से होगा। जब रेलवे स्टेशन पर बुकिंग करवाने गए तो पता लगा कि 15 प्रतिशत बढ़ गए हैं।

जब पहले दिन आपने भाषण दिया और कहा कि एग्जम्शन विदड्रा कर लेंगे, तो देश के उद्योगपतियों ने भी कहा कि यह बहुत स्वागत योग्य है। मैंने कहा कि पढ़कर तो देखें तो बाद में सबको पता लगा। साबुन में भी आपने एक्साइज लगा दी। इस तरह से सर्विस चार्ज में भी बड़ी भारी चाल है।

टेलीफोन में कर लगाकर ऐसा कनसैप्ट डैवलप होने वाला है कि आप हर चीज पर कर लगाएंगे, जिससे हिन्दुस्तान की जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। टेलीफोन विभाग की हालत बहुत खराब है। आज के जनसत्ता में एक सांसद के टेलीफोन के बारे में जो छपा है, वह आपने पढ़ा ही होगा। वहां की सर्विस तो बिल्कुल निकम्मी है।

उस पर चार्जिस देने को कौन तैयार होगा? आपने जनरल एश्योरेंस की सेवाओं पर कर लगा दिया है। निर्मल कान्ति चटर्जी जी भी कह रहे थे कि जो शेयर राज्यों का बनता है। इस बारे में आपने कुछ मैंशन नहीं किया है। वह उनको नहीं मिलेगा। सर्विस चार्जिस केन्द्र को ही मिलेगी। विकेन्द्रीकरण की बजाय केन्द्रीकरण हो रहा है।

मैंने जो तीन मुख्य बातें कही हैं, आप उन पर अवश्य विचार करें। आप इनकम टैक्स की एग्जम्शन लिमिट को बढ़ायें, हिन्दू अनडिवाइड फैमिलीज की वही लिमिट हो और पाइप फिटिंग्स को फ्री करके हर घर तक पीने का पानी पहुंचायें, जिससे राजीव गांधी जी का सपना साकार हो सके। वैसे भी इस बार बजट भाषण में आप उनका नाम लेना भूल गये हैं। इसके साथ ही लघु उद्योगों के लिये उत्पाद शुल्क की सीमा 30 लाख से बढ़ा कर 75 लाख कर दें।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बोलने का समय देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो या तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहूंगी, जिन पर वित्त मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए। वर्ष प्रतिवर्ष, केन्द्र सरकार की गतिविधियों से राज्यों का संसाधन घटता जा रहा है। राज्य की मुख्य आय बिक्री कर है। 1956 तक राज्य चीनी, तंबाकू तथा कपड़ों पर बिक्री कर लगाते थे, लेकिन केन्द्र ने इस पर तुरंत अतिक्रमण किया तथा 1956 के बाद से इन वस्तुओं पर स्वयं उत्पाद शुल्क लगाना शुरू किया। इससे अकेले केरल राज्य को अब तक 2,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 1976 में कर में पुनः ढांचागत परिवर्तन किया गया और समुद्री एवं अन्य निर्यात उत्पादों पर बिक्री कर लगाने का राज्यों का अधिकार समाप्त कर दिया गया। समुद्री उत्पादों पर ही केवल, केरल को 1856 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। अब केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को बकाया कर एकत्र करने तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेचकर

तथा कर्मचारियों की संख्या में कमी लाकर बचत करने की सलाह दे रही है। राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर अतिक्रमण करके अब केन्द्र राज्यों को श्रम शक्ति में कमी लाने की मुफ्त सलाह दे रही है। मुद्रा मूल्य में होने वाली कमी को ध्यान में रखते हुए योजना आवंटन भी वर्ष-प्रतिवर्ष घटता चला जा रहा है। मैं वित्त मंत्री से अपील करती हूं कि राज्यों के संसाधन पर हो रही इस चोट को समाप्त किया जाये। केन्द्र सरकार के पास नासिक प्रेस है। लेकिन राज्यों के पास नोट छापने के लिए कोई ऐसा प्रेस नहीं है। केन्द्र सरकार लगातार शक्तियों और संसाधनों के विकेन्द्रीकरण की बात कर रही है, लेकिन केन्द्र संसाधनों या अपनी शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था तब तक सफल नहीं होगी, जब तक केन्द्र राज्यों को और ज्यादा संसाधन और शक्तियां न दे। ऐसा होने पर ही राज्य जिलों तथा पंचायतों को और ज्यादा शक्तियां दे पाएंगे। इसलिए राज्य सरकारों पर हो रहे इस आक्रमण को रोका जाना चाहिए तथा साथ ही राज्य सरकारों को हुए घाटे की वास्तविक भरपाई होनी चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं होता और वित्त आयोग खुद उनसे राजस्व पैदा करने संबंधी कई तरीके अपनाने को कह रही है। इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? लोगों का गुस्सा राज्य सरकारों पर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दी जा रही वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। मैं समयाभाव के कारण विस्तार में नहीं जा रही हूं।

वित्त मंत्री ने करों में कई तरह की राहत की घोषणा की है। उन्हें कई महिला सहकारी संगठनों से काफी अधिक संख्या में पत्र मिले होंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों की एसेम्बलिंग यूनिट्स हैं। उनके पास विपणन की कोई सुविधा नहीं है। इसकी वजह से वे ब्रांड नामों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब इस उत्पाद अधिभार के कारण वास्तव में ये लघु इकाई क्या कर सकते हैं? दस-बीस लोग इन सहकारी संस्थाओं में काम करते हैं। मैंने मंत्री जी के पास बारह-तेरह अभ्यावेदन भेजे हैं। इन सहकारी संस्थाओं को किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए। किसी उपयुक्त नियम के द्वारा इन सहकारी संगठनों को बचाया जाना चाहिए।

तीसरे, मैं डाक विभाग में एजेन्सी सेवाओं के प्रति सौतेले व्यवहार की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। आज डाक विभाग में देश भर में लाखों खाते हैं और यह बचत के रूप में करोड़ों रुपये इकट्ठा कर रहा है। 'सोशल आडिट पैनल' ने ही इस पर अपना विचार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है :

> "सोशल आडिट पैनल डाक विभाग को (राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली की तुलना में) ऐसी जटिल एजेन्सी सेवाएं इतने व्यापक स्तर पर तथा अपेक्षाकृत सबसे कम सेवा-मूल्य आधार पर प्रदान करने के लिए बधाई देती है। पैनल डाक विभाग द्वारा एजेन्सी सेवाएं, यथा, नेशनल सेविंग्स, पब्लिक प्रोविडेंट फन्ड, पोस्टल इन्श्योरेंस तथा कई अन्य इसी प्रकार की सेवाओं के लिए जो शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में कमजोर तबके के एक बहुत बड़े समुदाय को, तथा कुछ कर दाताओं को भी सेवाएं प्रदान करती हैं, के योगदान के बारे में काफी ऊंचा विचार रखती है। देश के डाक विभाग के पास आज कुल 100 मिलियन खाते हैं और यह एक रूप में या किसी दूसरे रूप में बचत के रूप में 56,000 करोड़ रुपये एकत्र करती है। यह देश के बैंकिंग प्रणाली द्वारा कुल बचत का लगभग एक-तिहाई हिस्सा होता है। डाक जीवन बीमा पर दिया जाने वाला बोनस जीवन बीमा निगम के बोनस से कहीं ज्यादा होता है।

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

पैनल का यह विचार है कि इन सेवाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। सोशल आडिट पैनल के विचार में इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि विभाग का मूल दायित्व, जो मेल से संबंधित हैं, को ढीला-ढाला छोड़ दिया जाये। वास्तव में, ऐसे एजेन्सी कार्यों से प्राथमिक कार्यों को विस्तार, विकास और प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलना चाहिए। पैनल का यह विचार है कि वित्त मंत्रालय डाक विभाग को इन विभिन्न एजेन्सी कार्यों के लिए पूरी तरह क्षति-पूर्ति करेगा और उन्हें समुचित मान्यता देगा, तभी डाक सेवाओं में कुछ सुधार की आशा की जा सकती है। वित्त मंत्रालय द्वारा एजेन्सी कार्यों के लिए दी जा रही क्षतिपूर्ति और उसे निर्धारित करने वाली प्रणाली की जांच विशेषज्ञों की एक विशेष समिति द्वारा की जानी चाहिए, ताकि डाक विभाग के एजेन्सी कार्य बेहतर रूप से किये जा सकें तथा डाक कर्मचारियों का हौसला बहाल किया जा सके।

अक्सर डाकघरों में फार्मेट्स, पास-बुकें, जमा में इन्दिरा विकास पत्र सहित विभिन्न प्रकार के जमा के प्रमाण पत्र तथा संबंधित स्टेशनरी का अभाव रहता है, जिससे जमा में अक्सर कमी होती है। ऐसे सभी मामलों में जानी-मानी कार्य प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।"

यह विभाग देश के जनसामान्य की सेवा करता है, लेकिन वित्त मंत्रालय वास्तव में इस विभाग के प्रति सौतेला व्यवहार कर रहा है और यह कह रहा है कि यह विभाग घाटे में चल रहा है। यदि एजेन्सी सेवाओं को उचित भुगतान किया जाय, तो इस विभाग को घाटा नहीं होगा। अब डाक और तार विभागों को अलग कर दिया गया है, लेकिन सैंकड़ों या हजारों की संख्या में टेलीफोन डाक विभाग में काम कर रहे हैं। आप उन्हें भुगतान क्यों नहीं करते हैं? किस तरह आधे से ज्यादा इ.डी. कर्मचारी को भुगतान किया जाता है? उन्होंने तीन या पांच महीने पहले कुछ दिनों पूर्व हड़ताल की थी। गत तीन दिनों से डाक कर्मचारी सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनका उद्‌देश्य पदोन्नति के मामले में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है। वे लोग जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नति दी जानी चाहिए। इस पर सरकार की सहमति हुई, परन्तु इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके कर्मचारियों की संख्या में 10% कमी लाने को कह रही है। मुझे मालूम नहीं है कि मंत्रालय क्यों इ.डी. कार्यशक्ति से इतना अधिक मोहित है। वे हमेशा कार्यशक्ति के खिलाफ हैं। राज्य सरकारों को भी कर्मचारियों की संख्या में कमी लाने को कहा गया है। वित्त मंत्रालय भी उन्हें डाक सेवाओं में आवश्यक सहायता प्रदान करने आगे नहीं आ रहा है। देश में कार्य शक्ति के विरुद्ध इतनी ज्यादा दुश्मनी है। आपको उनके साथ न्याय करना पड़ेगा। इ.डी. श्रमिकों को लगभग 500 रु. प्रति माह मिलता, पर सरकार उन्हें सहायता देने की भी नहीं सोचती है। यह वास्तव में हमारी सरकार के लिए कलंक की बात है। आपको इस नजरिये में परिवर्तन लाना होगा। डाक विभाग के लोगों का पर्याप्त विचार किए जाने की आवश्यकता है। सरकार को कर्मचारियों को प्रोन्नति देने के लिए उनकी संख्या में कमी होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया एक क्रूर मजाक है।

कई मुद्‌दे हैं, जिन पर बोला जाना है। लेकिन मैं खाद्य तेल के आयात की चर्चा करूंगी, जो कि मेरा अंतिम मुद्‌दा है। जैसे ही खाद्य तेलों के आयात की घोषणा की गई, वैसे ही नारियल की कीमत गिर गई और केन्द्र और अधिक नारियल गरी खरीदकर लाखों की संख्या में नारियल उत्पादकों को बचाने के लिए आगे नहीं आ रही है। इससे लाखों लोगों को सहारा मिलता, परन्तु इस मामले में

कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके लिए बहुत थोड़े प्रयास किए गए और कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। वस्तुतः गत एक वर्ष में केरल राज्य को 1200 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया।

यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ऐसी हालत होती तो हमारे माननीय वित्त मंत्री उनकी तुरन्त सहायता करते, परन्तु सामान्य किसान के मामले में उन्हें कोई चिंता नहीं है। अतः माननीय वित्त मंत्री को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए और देश की आम जनता की मदद करनी चाहिए। यही मेरा अनुरोध है और मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री इन सभी समस्याओं पर समुचित रूप से विचार करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, इस वित्त विधेयक का विरोध करती हूं और अपनी बात को संक्षिप्त रखते हुए यहीं समाप्त करता हूं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापटनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वित्त विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभी लोगों ने यह अपेक्षा की थी कि वित्त विधेयक लाए जाने के बाद उत्पादकता में सुधार होगा, परन्तु मैं यह नहीं समझता कि इसके वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं। स्टाक बाजार की मंदी स्वयं यह दर्शाती है कि कुल मिलाकर उद्योग तैयार माल पर कुछ तरह के सीमा शुल्क कम किये जाने पर संतुष्ट नहीं है। इससे भारतीय उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है। हाल ही में वस्तुओं के मूल्यों में चार गुना वृद्धि हुई है और मेरे विचार से मुद्रास्फिति की दर भी दहाई का आंकड़ा पार कर चुका है। उनका कहना है कि यह दर अब 10.8 प्रतिशत है। ऐसी प्रवृत्ति पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा रोक लगायी जानी चाहिए। संभवतः, बजट घाटे और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के बीच परस्पर संबंध होना ही चाहिए। इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा देश एक लम्बे अर्से से एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, किन्तु मुझे इस मामले में आशंका है, क्योंकि इस संबंध में उठाए गए कदम संतोषजनक नहीं है।

आज हम चीनी, कच्ची कपास, खाद्य तेल, गेहूं आदि के आयात का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी चीजें हमारे देश में ही पैदा की जा सकती हैं, बशर्ते कि हम किसानों को आवश्यक साधन प्रदान करें। एक ओर हम उन्हें आवश्यक समर्थन नहीं दे रहे हैं तथा दूसरी ओर उनके लिए निर्धारित की जाने वाली कीमतें अलाभकारी हैं। अभी-अभी एक माननीय सदस्या ने यह बताया कि केरल में नारियल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इससे यह संकेत मिलता है कि किसान को मूल्य ढांचे के माध्यम से कोई सहायता नहीं दी जा रही है। उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखकर उनकी समस्याओं में वृद्धि की गई है।

अब, मैं कर प्रस्तावों की बात करता हूं। कई लोगों ने सेवा प्रभार पर कर का उल्लेख किया है, जिसमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है, टेलीफोन सेवाओं संबंधी प्रचार पर कोई रोक नहीं लगा पा रहे हैं, जिसमें बेहिसाब वृद्धि हो रही है। इससे भी बढ़कर यह कि इन पर पांच प्रतिशत कर की वसूली का प्रस्ताव है। टेलीफोन कारोबार पर सरकार का एकाधिकार है और यदि वे इसे किफायतपूर्ण तरीके से चलाये तो यह ठीक बात है, परन्तु महंगी और अक्षम सेवा पर पांच प्रतिशत कर की वसूली बहुत ही अनुचित है और उपभोक्ता यह महसूस करता है कि उस पर अनुचित प्रभार लगाया जा रहा है। जब सेवा प्रभारों की कोई सीमा ही नहीं है, तो इस पर कर क्यों लगाया जाए?

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

माननीय वित्त मंत्री ने लघु क्षेत्र के लोगों को कई रियायतें प्रदान की हैं, परन्तु अभी भी कुछ और रियायतें देने की गुंजाइश भी है। 75 लाख से कम करके 30 लाख रुपये तक सीमित करने की बात को लघु उद्योग के विकास की दिशा में सही कदम नहीं माना जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि लघु उद्योग अत्यधिक श्रम प्रधान है और यह उद्योग हमारे लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराता है। देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के पश्चात रोजगार सृजन स्वाभाविक रूप से मात्र लघु क्षेत्र तक ही सीमित होगा। यदि हम ऐसे लघु क्षेत्र को बढ़ने और विकसित होने से वंचित करेंगे तो यह हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत अपकार होगा।

माननीय मनमोहन जी के वित्त मंत्री बनने के बाद से यह परंपरा-सी बन गई है कि बजट से पहले मूल्यों में वृद्धि कर दी जाती है और तत्पश्चात बजट में कुछ रियायतें दे दी जाती हैं। इस वर्ष भी हमारे माननीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करने से पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि कर दी। उन्होंने बजट में पुनः कुछ और वृद्धि कर दी है। ऐसी प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। एक स्थायी नीति होनी चाहिए, ताकि जनता बजट प्रस्तावों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करे और तदनुसार अपनी आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अपनी योजना बना सके। अतः, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करें और इस तरह की तदर्थ वृद्धि को रोकें।

ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है और जो थोड़ी धनराशि बचायी जा सकती है, उसे ऋण चुकाने में लगा दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप योजना बजट के लिए बहुत थोड़ी धनराशि शेष बचती है। वित्त मंत्री द्वारा इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि गैर-योजना व्यय में किस तरह से भारी कटौती की जा सकती है। सरकारी हल्कों का यह मानना है कि हमारे पास मुद्रा का भारी भंडार है और इसे इच्छानुसार व्यय किया जा सकता है। परन्तु, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुद्रा भण्डार में जो धनराशि पड़ी है, वह व्यापार के माध्यम से प्राप्त अधिशेष नहीं है। यह धनराशि या तो ऋण द्वारा प्राप्त की गई है अथवा अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि है। अतः, सच्चाई यह है, हम इस धनराशि के संरक्षक हैं और हमें ऐसे मुद्रा भण्डार पर उल्लासपूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका एकमात्र विकल्प व्यापार घाटे को कम करने और हर संभव तरीके से हमारे निर्यात को बढ़ावा देना है। परन्तु, आज तक हम अपने निर्यात को एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सके। हम डालर की शर्तों के अनुसार केवल 20 प्रतिशत तक निर्यात कर पाये हैं। अब निर्यात कुछ रुक-सा गया है अथवा इसमें गिरावट आ रही है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

प्रौद्योगिकी की दृष्टि से हमारा देश बहुत शक्तिशाली है। कल ए.एस.एल.बी. का प्रक्षेपण इस बात का प्रमाण है कि प्रौद्योगिकीय प्रगति के मामले में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर रहा है।

आज हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भारतीय उद्योगों की कीमत पर हमारे देश में निवेश करने के लिए कह रहे हैं। यहां के लोग यह महसूस करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय उद्योगों के बीच समान शर्तें नहीं लगायी जानी चाहिए। मैं यह कहूंगा कि सभी उद्योगों के लिए समान शर्तें लगायी जानी चाहिए, चाहे वे किसी भी प्रकार के क्यों न हों।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उनके प्रबंधन के बारे में अत्यधिक चर्चा की जा चुकी है। परन्तु, मैं यह नहीं समझ सका कि सरकार केवल कुछ व्यक्तियों अथवा कुछ बैंकों को शेयर होल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा क्यों देना चाहती है। मेरे विचार से इसमें भारतीय जनता को अधिक शामिल करना चाहिए ताकि जनता शेयर होल्डिंग में भाग ले सके और हम जनता से धनराशि भी जुटा सकें। इसमें भारतीय जनता की भागीदारी से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए धनराशि जुटायी जा सकेगी, जिनकी पिछले तीन वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। पहले हम इन उपक्रमों को अपने पूंजीगत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए बजटीय सहायता देते रहे हैं, परन्तु इस समय यह सहायता बंद कर दी गयी है। माननीय वित्त मंत्री को इस तथ्य की जानकारी है कि मेरे राज्य में स्थित विशाखापटनम इस्पात संयंत्र में पूंजीगत पुनःसंरचना किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

इसी प्रकार, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो देश की जहाजरानी उद्योग के विकास के क्षेत्र में बहुत पुरानी तथा सामरिक महत्व रखने वाली कंपनी है, सुधार की ओर अग्रसर है। इन दो कंपनियों में पूंजीगत पुनर्गठन की आवश्यकता है। इन्होंने किसी प्रकार के बजट समर्थन की मांग नहीं की है। यदि इन कंपनियों को पूंजीगत पुनर्गठन संबंधी यह सहायता पहले दी जाती तो ये कंपनियां बच जातीं तथा इन्होंने बेहतर परिणाम दिया होता। अतएव, मेरा सरकार को सुझाव है कि यह इन मामलों में जल्द से जल्द कार्यवाही करे। आज देश ग्रामीण विकास पर निर्भर है। जब तक कि हम उन्हें साफ पेयजल तक उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, हम एक राष्ट्र के रूप में जिंदा नहीं रह सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि 40 प्रतिशत गरीब लोग भारत में हैं और भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। हमारी योजनाएं क्या हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कोई विकासोन्मुख कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसका लाभ ग्रामीण जनसामान्य तक पहुंच पाये। जब तक हम वृहत स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, हम भविष्य में भी एक गरीब देश के रूप में ही बने रहेंगे। हमारी योजना पद्धति में ही कुछ गड़बड़ी है। अतएव, हमें अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कुछ करना चाहिए।

अब, मैं दूसरे क्षेत्र में आता हूं और वह है विद्युत उत्पादन का क्षेत्र। यह क्षेत्र भारतीय कंपनियों को सौंपा जाना चाहिए। कई विदेशी कंपनियां इस क्षेत्र में आने की सोच रही हैं। इस संबंध में हमारी चयनात्मक प्रणाली होनी चाहिए। हमें उन्हें केवल चुने हुए क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। अतएव, आपको अपने स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए अन्यथा भारतीय कंपनियां घाटे में ही रहेंगी।

हमने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में भी यथोचित कदम नहीं उठाए हैं। अभी भी हमारी जनसंख्या 2.3 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। जब तक हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे हम दूसरे क्षेत्रों में जो भी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, वे सब निष्फल हो जायेंगी।

अब मैं रोजगार पैदा करने के मुद्दे पर आता हूं। ये भी घट रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम केवल बड़े उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं तथा पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित लघु उद्योगों की अनदेखी कर रहे हैं। हाल में माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि वे लोग जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाएंगे, उन्हें करों में छूट दी जाएगी।

यह एक शुभ संकेत है तथा इसका लाभ देश के और अधिक जिलों को दिया जाना चाहिए। उद्योगों का वृहत् स्तर पर विकेन्द्रीकरण होनी चाहिए, जिससे कि उनका लाभ ग्रामीण जनसामान्य तक पहुंच सकें। यदि ऐसा किया गया तो देश इससे काफी हद तक लाभान्वित होगा।

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

मुझे यह विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री आयकर सीमा 35000 रु. से बढ़ाकर कम-से-कम 50,000 रु. करने पर भी विचार करेंगे। यह इसलिए कि मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण, जनसामान्य कुछ भी बचा पाने में असमर्थ होगा। यदि जनसामान्य के ऊपर अधिक से अधिक कर लगाया गया, तो वह इस महान राष्ट्र के विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रह जायेगा।

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहस के अंतिम दौर में वित्त विधेयक पर कुछ शब्द कहने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे कई बातें कहनी हैं, क्योंकि अन्य माननीय सदस्य इन मुद्दों पर पहले ही काफी कुछ कह चुके हैं, इसलिए मैं अपने आपको कुछ ही बातों तक सीमित रखूंगा।

सबसे पहले मैं वित्त मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट उपरांत विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए कई सुझावों विशेषतः लघु उद्योग संबंधी विभिन्न सुझावों पर उत्तर दिये हैं।

महोदय, बिना अधिक समय लिए हुए, मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज की पूरी परिचर्चा का परिदृश्य वित्त मंत्री के ऊपर केन्द्रित है।

09.00 म.प.

विपक्ष की जो भी आलोचना हो, हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। मेरे विचार से इसे गम्भीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि किसी ने कभी भी वित्त मंत्री की हृदयविहीन या क्रूर व्यक्ति के रूप में आलोचना नहीं की है। यद्यपि उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए कि उन्होंने देश को विश्व बैंक के पास गिरवी रख दिया है इत्यादि इत्यादि, लेकिन आज परिचर्चा के अंतिम दौर में श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने उन पर काफी गंभीर इल्जाम लगाया कि, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर हत्या का आरोप लगाया गया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह व्यक्तिगत आरोप नहीं है।

श्री पी.सी. चाक्को : मैं यह जानता हूं। केवल एक वित्त मंत्री है। आपने कहा है कि वे देश में 7000 दहेज संबंधी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं; आज के भाषण में आपकी सुन्दर भाषा का तात्पर्य यही था।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : संयुक्त संसदीय समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट में आपकी हिस्सेदारी है।

श्री पी.सी. चाक्को : मैं समझ सकता हूं कि वे वित्त मंत्री की आलोचना करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं जुटा सके, लेकिन यह बहुत ही कष्टदायक है कि उन्होंने ऐसे विषय को चुना। मैं अपने अनुभव के आधार पर जानता हूं कि साम्यवादी विशेषरूप से मार्क्सवादी कितने अतार्किक हो सकते हैं, किन्तु आज तो हद ही हो गयी।

आज देश के पास 15 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, और आज मैंने देखा कि विपक्ष को छोड़कर सभी उन्हें बधाई दे रहे थे। चाहे वे हमारी नीति या दिशा से सहमत हैं या नहीं अथवा

उसे स्वीकार करते हैं अथवा नहीं। जिस सरकार ने देश के सोने के भंडार को देश के बाहर विदेश में ले जाकर गिरवी रखकर उसके बदले में पैसे प्राप्त किए, आज उसी सरकार के व्यक्ति विपक्ष में बैठकर इस सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, जो इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बना सकी है। मुझे हमारे माननीय सहयोगी श्री निर्मल कांति चटर्जी की यह बात सुनकर काफी खुशी हुई कि स्थायी समिति में इस मुद्दे पर काफी विस्तृत तथा लंबी परिचर्चा हुई। वे जानना चाहते थे कि यह मुद्रा भंडार किस प्रकार जुटाया गया। वे अधीर होकर पूछ रहे थे वित्त मंत्री ने इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार किस प्रकार जुटाया। क्या यह ऋण का पैसा है? क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पैसा है? क्या यह विश्व बैंक का पैसा है? ये सभी प्रश्न उनके द्वारा पूछे गए। यह सही है कि इसका एक अंश ऋण का पैसा था, लेकिन 1991 में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कोई भी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक या अन्य कोई विश्व एजेन्सी हमारे देश की ओर सहायता देने के ख्याल से दृष्टिपात करने को भी तैयार नहीं थी। हम लोग भीख का कटोरा लिए हुए लाइन में खड़े थे। कोई भी हमारी जरूरत को देखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई है, जिसमें विदेशी एजेंसियों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन, विश्व बैंक हमें सहायता देने के लिए तत्पर है। यह दर्शाता है कि हमारे देश की विश्वसनीयता कितनी ऊपर चली गई है।

जब आप वित्त मंत्री की आलोचना करते हैं, तो हम खुश होते हैं; हम वह आलोचना चाहते हैं; लेकिन साथ ही आपको वित्त मंत्री को बधाई भी देनी चाहिए कि उन्होंने देश को उस दुर्दशा की हालत से बाहर निकाला, उस खराब स्थिति से, जो जून 1991 के आस-पास थी और हम जून 1991 से जून 1994 के बीच कहां से कहां चले आए हैं। अतएव, गत तीन वर्षों में, हमने जो रास्ता तय किया है वह दर्शाता है कि यह देश, इसका नेतृत्व और विशेष रूप से इस देश का वित्त मंत्री इस देश को बुरी स्थिति से बाहर निकालने में संलग्न है।

यह स्पष्ट है कि सरकार के पास निश्चित उद्देश्य हैं और यह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं उस उद्देश्य के विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन यह गर्व की बात है कि एक ऐसा देश जिसकी वित्तीय स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इतने कम समय में इस उपलब्धि को प्राप्त कर सका। तीन वर्षों की अवधि बहुत ही कम है। वित्त मंत्री अथवा प्रधान मंत्री से किसी को किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

मुझे वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के दौरान कहीं गई बात याद है। उन्होंने कहा, "एक अच्छी अर्थव्यवस्था से अच्छी राजनीतिक व्यवस्था पैदा होगी" उन्होंने कहा, "वर्तमान सत्तारूढ़ दल जो सत्ता में आने के समय अल्पमत में था, वह अब बहुमत में है।" अब इसके लिए हर तरह का आक्षेप लगाया जा रहा है, लेकिन यह भी एक संकेत है। विपक्ष में बैठे अनेक साथी हम लोगों की आलोचना भी कर रहे है। मैं उन लोगों से निजी स्तर पर भी बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि हम अच्छे मित्र भी हैं। उनके दृष्किोण में बदलाव आ रहा है। इस अल्पमत की सरकार ने देश में शासन को भली-भांति चलाया है तथा देश को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाया है। मैं जानता हूं कि वे लोग इसे निश्चय ही प्रशंसा कर रहे हैं।

मैं जानता हूं कि उन्होंने धीरे-धीरे इसकी प्रशंसा शुरू कर दी है। निस्संदेह वे सरकार की प्रशंसा नहीं कर सकते। मैं उनकी समस्याओं और कमजोरियों को समझता हूं। चाहे जो भी कदम उठाया जाए उसकी आलोचना होनी है। मैं उनकी केवल इस आलोचना पर बोलना चाहता हूं कि सरकार लघु

[श्री पी.सी. चाक्को]

उद्योग क्षेत्र, लघु उद्योग अथवा इसके विकास के खिलाफ है, इसके लिए न तो वित्त मंत्री और न ही सरकार की आलोचना की जा सकती है।

हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लघु उद्योग भारतीय औद्यौगिकरण का मूल आधार है तथा इसे हर प्रकार का बढ़ावा दिया जाएगा। परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री के विचारार्थ इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहूंगा।

वर्तमान बजट के प्रस्तुत होने के पश्चात् कई सुझाव दिए गये हैं। दलगत राजनीति को नजरअंदाज करके सत्तापक्ष अथवा विपक्ष के सभी सदस्य कुछ मुद्दे पर सहमत भी हुए हैं। हम लोग प्रतिवेदन के साथ वित्त मंत्री से मिले। हम लोगों ने सदन में यह बात कही कि इस नए बजट के कारण लघु उद्योग को जो कठिनाइयां हो रही है, उन पर बहस होनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने कष्ट उठाया और उनका पूरा मंत्रालय निम्नतम वर्ग के आदमी और इस देश में लघु उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों अथवा संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने और उनकी समस्याएं समझने के लिए मौजूद रहा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह वित्त विधेयक पर चर्चा है अथवा वित्त मंत्री पर ?

श्री पी.सी. चाक्को : मैं सिर्फ कराधान प्रस्तावों पर ही बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे वित्त विधेयक पर ही बोलना है, लेकिन 'गैट' से संबंधित चर्चा के स्थान पर कारगिल पर चर्चा होने लगी, इसलिए मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वरिष्ठ सदस्य बोलते हैं, तो उनके लिए कोई सीमा नहीं होती है, यह भी एक समस्या है। हम 'गैट' पर बहस करने जा रहे हैं, लेकिन आज हमें 'गैट' पर लम्बी चर्चा करनी है। 'गैट' तथा 'कारगिल' को छोड़कर वे आज अन्य किसी विषय पर चर्चा की बात सोच भी नहीं सकते।

वित्त-विधेयक पर चर्चा के दौरान भी उन्होंने, जिनमें श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य भी शामिल थीं, 'गैट' तथा 'कारगिल' पर ही अधिक चर्चा की। जो भी हो मैं ऐसा नहीं करूंगा।

उत्तरोत्तर कांग्रेस सरकारों ने लघु उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी है, क्योंकि हमारी पार्टी का आधार गांधीवादी विचारधारा है। हम जानते हैं कि देश में लघु उद्योगों को ऐसा विकास हुआ है; हमें हथकरघा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र तथा पारम्परिक क्षेत्र की पृष्ठभूमि का पता है तथा हम इस बात से भी अवगत हैं कि लघु उद्योग वर्तमान स्थिति में कैसे आए हैं। इन सब से हम लोग अच्छी तरह अवगत हैं।

इस सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। हाल ही में सरकार ने एक नीतिगत घोषणा की है। अपने उत्तर में प्रधान मंत्री महोदय ने इस सदन में स्पष्ट रूप से यह बात कही कि सरकार निस्संदेह लघु उद्योगों को बढ़ावा देगी तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी, जिससे लघु उद्योग का विकास बाधित हो।

राजाचिलैया समिति के प्रतिवेदन का इस सदन तथा सदन के बाहर व्यापक रूप से स्वागत हुआ। कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए यथा मूल्य शुल्क नाम की एक नई प्रणाली शुरू की जा रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस नई कराधान अथवा नई प्रणाली को लागू करने

के पहले भारतीय उद्योग विशेषकर लघु उद्योगों की पृष्ठभूमि पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि इस पर विचार नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इस पर कुछ और विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि गत कुछ दिनों के दौरान की गई रियायतों की घोषणा के बावजूद भी अनेक औद्योगिक एककों के समझ कठिनाइयां हैं।

मैं भी एक छोटे से राज्य में उद्योग से संबंधित मामलों का प्रभारी था, मुझे याद है कि मेरे काल के दौरान अनेक महिला सहकारी समितियां गठित हुईं। मेरी माननीय सहयोगी श्रीमती सुशीला गोपालन इस बात से अवगत हैं। इन सहकारी समितियों का, जो विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे बूस्टर अथवा एन्टिना अथवा अन्य इलैक्ट्रॉनिक चीजों को जोड़ने का कार्य करती हैं, अपना कोई विपणन संगठन नहीं है। वे अपने उत्पादों को अपने ही नाम से नहीं बेच सकती हैं। ब्रांड नाम से आपूर्ति की जाती है, लेकिन जैसा कि किसी ने कहा है कि इस पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय अथवा राज्य का ब्रांड नहीं होता।

इसका व्यापार केवल एक छोटे जिले में ही होता है। इस ब्रांड का मतलब दुकान खोलने, अपने उत्पादों का प्रदर्शन करना स्टाक के लिए बैंकों से वित्त प्राप्त कर बिक्री करना तथा इन्हें संग्रहित करना है। उनके पास यह व्यवस्था नहीं है। ये उद्योग भी लघु उद्योग नहीं हैं। ये निजी स्वामित्व वाले एकक होते हैं, जिसमें पति-पत्नी, तथा 3-4 बच्चे काम करते हैं। वे सिर्फ टांकिया का इस्तेमाल करते हैं। उनकी यही एकमात्र पूंजीगत मशीनरी है।

वे 'स्क्रू-ड्राइवर' प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। यह ऐसा लघु उद्योग है, जिसमें वे अपने उत्पादों को बेच नहीं सकते, वे किसी ब्रांड के नाम से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, अर्थात उनका ब्रांड स्थानीय होता है, तथा उत्पादों की बिक्री भी स्थानिय क्षेत्रों में होती है। उन्हें भी लघु उद्योग होने का फायदा चाहे यह 30 लाख रुपये या कुछ और धनराशि क्यों न हो, नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वे किसी अन्य फैक्ट्री के लिए सामान का उत्पादन करते हैं। मैं कठिनाइयों से अवगत हूं तथा वित्त मंत्री भी इससे अच्छी तरह अवगत हैं। वस्तुतः उन्होंने इसे इस सदन में भी स्पष्ट रूप से कहा है। अनेक बड़े उद्योग के पीछे छोटे-लघु उद्योग लगे हैं, जिनका वे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं इसे समझ सकता हूं। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां दर्जनों महिला औद्योगिक सहकारी समितियां इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं। चाहें वह दिल्ली की शकूर बस्ती हो अथवा मुंबई का धरावी हो या मेरे निर्वाचन क्षेत्र का ओनुर हो, जहां महिला औद्योगिक सहकारी समितियां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं, वे अपने उत्पादों को कैसे बेचेंगी ? मुझे पूरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बात पर विचार करेंगे। मेरा कहना यह नहीं है कि कराधान में ढांचागत नवीन परिवर्तन स्वागत योग्य नहीं है, परन्तु मेरा तो बस इतना कहना है कि हमें उनकी कठिनाइयों को दूर करने का तरीका ढूंढना है।

मैं ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो औद्योगिक रूप से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। वहां पी.वी.सी. पाइप लाइनों के बहुत अधिक निर्माणकारी एकक हैं। वे सिर्फ ब्लोअर तथा कुछ अन्य उपस्करों का उत्पादन करते हैं, जिसमें कुछ हजार रुपयों का ही कुल पूंजीगत निवेश होता है, क्योंकि वे घटिया किस्म के पी.वी.सी. पाइपों का निर्माण करते हैं, जिनका घर की वायरिंग अथवा ड्रिफ्ट सिंचाई में प्रयोग होता है। मेरे राज्य में 43 एकक कार्य कर रहे हैं, जिसमें से आधे बंद पड़े हैं। नवीन उत्पादन

[श्री पी.सी. चाक्को]

शुल्कों के कारण बहुत ही कम लाभ मिल रहा है। अतः वे अपने सामान को बाजार में नहीं बेच सकते। इस तरह की कठिनाइयां है। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री ने इन लोगों का स्वागत करेंगे तथा उनकी समस्याओं को जानने के लिए उनसे कुछ घंटे बात करेंगे। मैं यह जानता हूं इन नए कराधान सुधारों को लागू करते समय इन समस्याओं का हल खोजा जा सकता है।

कुछ लघु सीमेंट फैक्ट्रियां भी हैं, जिनकी कुछ समस्याएं हैं। इसकी पहले ही चर्चा हो चुकी है, अतः मैं इसके विस्तार पर नहीं जाऊंगा। जब बड़ी फैक्ट्रियां छोटे एककों को उप एजेन्टों की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, इस स्थिति में समस्या को समझा जा सकता है। ऐसे अनेक क्लींकर पाउडरिंग एकक भी हैं, जो कि किसी ब्रांड को अपनाए बिना अथवा विपणन के, बिना किसी आधारभूत ढ़ांचे के अपने उत्पादों को खुले बाजार में बेचते हैं, लेकिन आज ऐसे एकक भी घाटे में हैं, और इस पहलू पर कृपया विचार किया जाए।

[अनुवाद]

कृषि आधारित कागज, जिसका निर्माण किया जा रहा है, के लिए कुछ रियायतों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। परिस्थितिकी के अनुकूल कागज अथवा कृषि आधारित कागज के लिए भी कुछ रियायतें प्रदान की गई हैं, परन्तु मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि वस्तुतः इन्हें कुछ और रियायतें दी जानी चाहिएं, क्योंकि इसमें गेहूं, चावल की भूसी अथवा कृषि अवशेष का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि, बहुत अधिक लकड़ी अथवा जंगलों की क्षति नहीं हो रही है और कृषि अवशेष का परिवर्तित रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसकी कुछ पृष्ठभूमि भी है। वर्ष 1906 में सरकार द्वारा एक ऐसी नीति की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत ऐसे एककों को, जो पारिस्थितिकी के अनुकूल कागज का निर्माण करते हैं और वनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं, तो उन्हें कुछ रियायतें दी गई थीं, मेरा यह अनुरोध है कि कृपया इस मामले में कार्यवाही करते समय इस उद्योग को विकसित करने वाली पृष्ठभूमि पर विचार किया जाए। इस उद्योग में विनिर्मित कागज का प्रतिटन मूल्य 500 रुपये था। 10 प्रतिशत का प्रभार लगाने पर इस समय यह मूल्य 1500 रुपये प्रति टन हो जायेगा, तो वे इसे बाजार में कैसे बेच पायेंगे ? मैं केवल यही चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करें, और मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं।

श्री मनमोहन सिंह : हमने इसे पांच प्रतिशत तक कम कर दिया है।

श्री पी.सी. चाक्को : मैं इस बात से सहमत हूं। यदि पांच प्रतिशत से 750 रुपये प्रति टन तक बैठे तो क्या एकाएक किसी उत्पाद का, जिसे पहले कम दाम पर बेचा गया हो, बाजार में 250 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाना सम्भव है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : परन्तु उन्होंने पांच प्रतिशत के लिए कहा था और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री पी.सी. चाक्को : मैं यह कह रहा था कि मूल्यानुसार 10 प्रतिशत का तात्पर्य 16,00 रुपये प्रति टन से है। यदि यह पांच प्रतिशत होगा तो यह राशि 800 रुपये होगी। पहले इसका मूल्य 500 रुपये प्रति टन था। इसका अर्थ यह हुआ कि यह 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से मंहगा

हो गया है। क्या अकस्मात् यह कहना उचित होगा कि उसके मूल्य में 300 रुपये की वृद्धि कर दी गई है ? मेरे विचार से यह बहुत बड़ा नीतिगत मामला नहीं है। मैं तो केवल यह सुझाव दे रहा हूं कि उद्योग को किस तरह की व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

केरल राज्य स्थित मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कैटालिस्ट उद्योग स्थापित किया गया है। यह कैटालिस्ट एकक बड़ा उद्योग नहीं है, अपितु मध्यम दर्जे का उद्योग है। उर्वरक, पैट्रारसायन और विभिन्न उद्योगों के लिए कैटालिस्ट अनिवार्य है। इसलिए हम कैटालिस्ट का विदेशों से आयात कर रहे हैं। अतः कैटालिस्ट उद्योग अपना विकास करने में सक्षम है और वह पैट्रो-रसायन और उर्वरक उद्योग के लिए कैटालिस्ट की आपूर्ति कर रहा है। तैयार कैटालिस्ट पर आयात शुल्क 85 प्रतिशत था। इस बजट में इस पर आयात शुल्क को 85 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। किसी उद्योग में, चाहे वह कैटालिस्ट अथवा कोई अन्य उद्योग ही हो, उसके उत्पाद पर आयात शुल्क को अचानक 85 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर देने पर वह आर्थिक दृष्टि से अक्षम हो जायेगा। महोदय, मैं यह समझता हूं कि आयात संबंधी प्रतिबंध धीरे-धीरे कम किए जाने चाहिए। गैट, जिसके बारे में लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसका प्रभाव जो भी हो, किन्तु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस तरह से प्रगति हो रही है और सीमा शुल्क की शर्तें कम की जा रही हैं। यह प्रगतिशील कदम है। मैं इसे प्रगतिशील कदम मानता हूं। परन्तु यह सब चरणबद्ध तरीके से और कदम-दर-कदम ही किया जा सकता है। यदि किसी समय अचानक आयात शुल्क को 85 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक अर्थात् साठ प्रतिशत कम कर दिया जाये तो कोई उद्योग चल नहीं पायेगा। देश में कैटालिस्ट उद्योग को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, हमने पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करने के बाद माननीय वित्त मंत्री से भेंट की थी .... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप यह भी क्यों नहीं बताते कि यह आयात एक ऐसी कम्पनी द्वारा किया जाना है, जिसके मालिक स्नेम प्रेगेट्टी हैं ? यह एक सच्ची बात है।

श्री पी.सी. चाक्को : मेरी आक्षेप और आरोप में कोई रुचि नहीं है। यब सब पुरानी बातें हैं और इसे कोई साबित भी नहीं कर सकता और ऐसे मामलों में कोई रुचि भी नहीं लेता है। इस सरकार की इसमें कोई रुचि नहीं है कि इसमें स्नेम प्रेगेट्टी अथवा कोई अन्य शामिल है। परन्तु, सीधी-सी बात है कि अपने कई वस्तुओं के मामले में यही रवैया अपनाया है।

पिछले वर्ष इन सभी बातों से एक अन्य कंपनी "फैक्ट" प्रभावित हुई है। इसके बारे में श्रीमती सुशीला गोपालन भी जानती हैं। हम सभी लोगों ने माननीय वित्त मंत्री से भेंट की थी और इसके बाद शुल्क जिसे उस समय बढ़ा दिया गया था, में 60 प्रतिशत कटौती की गई और "फैक्ट" कम्पनी की समस्या भी हल हो गयी देश में कैटालिस्ट उद्योग के सामने इसी तरह का मुद्दा है।

मुझे यह डर है कि यदि मैं इन मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करूंगा, तो इसमें बहुत अधिक समय लग जायेगा। अतः, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

मैं एक और प्रश्न पर चर्चा करना चाहूंगा। पिछले वर्ष बजट के दौरान देश के समाचार पत्र उद्योग को कुछ रियायतें दी गईं थीं। मैं भी समाचार-पत्र उद्योग से जुड़ा हुआ हूं। महोदय, समाचार

[श्री पी॰सी॰ चाक्को]

पत्र उद्योग को पिछले वर्ष कुछ लाभ मिल रहा था और उसी के तहत समाचार पत्रों के मुद्रण के संबंध में आफसेट प्रेस और अन्य सामग्रियों पर 25 प्रतिशत का आयात शुल्क लगता था और इस समय इसे 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 37.5 प्रतिशत कर दिया गया है। मेरे विचार से समाचार पत्र उद्योग को बहुत कम सुविधाएं नहीं दी जातीं तो भी कम से कम वर्तमान लाभ को तो जारी रखना चाहिए था।

महोदय, मैं इन सभी बातों को केवल इसलिए प्रस्तुत कह रहा हूं, जिससे यह पता लग सके कि राजा चेलय्या समिति की रिपोर्ट को लागू करने और कार्यान्वित किए जाने पर उसका इस उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय उद्योग की विलक्षण पृष्ठभूमि के कारण इसका उद्भव और विकास विभिन्न स्तरों पर हुआ। हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए कि इन 483 मदों को छूट वाली सूची में क्यों रखा गया ? अब मद-वार छूट हटाकर यथा मूल्य स्थिति बनायी गयी है। यह एक अच्छी बात है, परन्तु जब हम इसे कार्यान्वित करने जा रहे हैं तो इसका विश्लेषण करना होगा कि इन 483 मदों को छूट की सूची में क्यों रखा गया है और इसके क्या कारण रहे ? विगत में ऐसी छूट दिए जाने के उचित कारण और वैध तर्क दिए जाते थे और इस समय जब सभी छूट हटा लिए गए हैं, तो इसका उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चूंकि यह सरकार लघु उद्योग को महत्व देती है और लघु उद्योग को विकसित करने और प्रोत्साहन देने में रुचि ले रही है, इसलिए देश के सर्वोत्तम हितों को देखते हुए उद्योग को प्रभावित करने वाले कदम का प्रगतिशील तरीके से निष्ठापूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में यह प्रश्न लाना चाहूंगा।

चाहे सभी ओर से विभिन्न तरह की आलोचनाएं क्यों न उठती रहें, परन्तु यह देश माननीय वित्त मंत्री का ऋणी है, क्योंकि यह देश एक ध्येय के साथ और सतत ढंग से अपने लक्ष्य की ओर बढ रहा है और कुल मिलाकर देश की जनता माननीय वित्त मंत्री की आभारी है। माननीय वित्त मंत्री ने लगातार यह चौथा बजट प्रस्तुत किया है। पहला बजट प्रस्तुत करने के बाद कई लोगों ने यह भी कहा दूसरा बजट भी प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे। इस तरह से उनके अनिश्चित भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने वाले गलत साबित हुए और मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके साहसपूर्ण पहल और नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं। इस तरह से, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी सात और ऐसे सदस्य हैं, जो बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं। यदि प्रत्येक सदस्य 10 मिनट का समय लें, तो बहस को 10 बजे रात्रि तक समाप्त किया जा सकेगा। अब श्री मोहन रावले बोलें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, अर्थ मंत्री जी ने अभी कहा कि श्री अन्ना जोशी से बात करते समय कहा कि हमें महात्मा गांधी की याद आ गयी, लेकिन आप महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को भूल गए हैं। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता था, लेकिन दे रहा हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश लोगों से लड़ाई की थी। उनमें लार्ड मैकाले नाम के एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा था :

[अनुवाद]

"साम्राज्य के विस्तार से कोई लाभ नहीं है। यह तो एक स्वार्थपरक बात है। हम से भारत के लोग जहां हमारा शासन था और अब वे स्वतंत्र हैं, वे इस दृष्टि से बेहतर हैं कि

उन पर उनके राजाओं का शासन रहा, परन्तु अंग्रेज कलक्टरों और मजिस्ट्रेटों का घरेलू कार्य करते समय वे हमारा ही चोगा पहनते थे और सलाम बजाते थे, क्योंकि वे अपने मूल्यों से अनभिज्ञ थे और इतने गरीब थे कि अंग्रेज निर्माताओं की वस्तुएं नहीं खरीद सकते थे।"

[हिन्दी]

अब हम बीमा कम्पनियों को भी यहां लाना चाहते हैं। 1944-45 में जो 25 बीमा कम्पनियां थीं, उनका दिवाला निकल गया। उसका असर यह हुआ कि जिन लोगों का क्लेम था, उनको भी पैसा नहीं मिला। इसलिए जब उसका नैशनलाईजेशन किया गया, उस समय श्री चिन्तामणि राव देशमुख अर्थमंत्री थे।

अभी जापान और अमरीका में, जिन्होंने 50 करोड़ रुपये के शेयर्स डुबोए, वे कम्पनियां आज हिन्दुस्तान में आ रही हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10 हजार करोड़ का प्रावधान था, लेकिन वह पूरा करके 15, 733 करोड़ प्राप्त करने में सफल हुए। ऐटथ प्लान में पहले साल में 12,596 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 1956 में हर कर्मचारी, जो 220 पॉलिसी करता था, वह अब 784 पॉलिसी कर रहा है।

9.23 म.प.

(श्री पी.सी. चाक्को पीठासीन हुए)

निजी कम्पनियों ने कभी बोनस नहीं दिया, लेकिन उनको अभी बोनस मिल रहा है।

मुम्बई शहर में आज एन.टी.सी. मिलें बन्द होने जा रही हैं। उन एन.टी.सी. मिलों के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया, जबकि 86 मिलों के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया था। बाद में उन्होंने 877.74 करोड़ रुपये का बंटवारा किया। उसमें से 765.72 करोड़ रुपये उन्होंने प्राईवेट सैक्टर को दिए। जैसा कहा गया कि वित्त मंत्रालय एन.टी.सी. मिलों के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करे, लेकिन नहीं की गयी। वर्ष 1994-95 के लिए एन.टी.सी. मिलों के लिए एक करोड़ की व्यवस्था की गई है, जबकि वी.आर.एस. पर 300 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आपने जब नैशनलाईजेशन किया था तो कहा कि हम प्रोडक्टीविटी बढ़ाएंगे, लेकिन आप जमीन बेचने लगे।

नैशनलाइजेशन क्यों नहीं किया ? आपकी जो 2005 करोड़ रुपये की माडर्नाइजेशन की योजना है, उसके अन्तर्गत आप बंद पड़ी हुई मिलों को दुबारा खोलने की परमिशन दे रहे हैं या नहीं? ऐसा कहा जा रहा है कि मुम्बई शहर की मिलों के पास सरप्लस लैंड हैं, इसलिये इनकी जमीनों को बेच दिया जाये। मधुसूदन मिल की 18.05 एकड़ जमीन पूरी की पूरी बेच दी। सीताराम मिल की 14.48 एकड़ जमीन बेच रहे हैं। कोहिनूर मिल की नम्बर दो और तीन इकाई नम्बर एक में मर्ज करने जा रहे हैं और उसकी 14.33 एकड़ जमीन बेचने जा रहे हैं। आप एलफिस्टन मिल की 8.49 एकड़ जमीन पूरी की पूरी बेचने जा रहे हैं। जाम मिल की 8.05 एकड़ जमीन को भी आप बेचने जा रहे हैं।

हैंक यार्न, जिस पर उत्पादन कर की छूट है, वह हैंडलूम उद्योग को नहा जा रहा है और यह पावरलूम उद्योग हड़प रहे हैं। सरकार प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपये के उत्पादन कर की चोरी

[श्री मोहन रावले]

करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। ऑयल डैवलपमैंट सैंस इसलिये लगाया गया था, जिससे तेल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जा सके। इस सैस की दर जो 1976 में 60 रुपये टन थी, धीरे-धीरे बढ़ कर 1983 में 600 रुपये प्रति टन हो गयी। इस सैस के कोष में हजारों करोड़ रुपये एकत्र हुए, लेकिन उनका उपयोग तेल उद्योग के विकास के लिये नहीं किया गया, बल्कि सरकार ने अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिये इस धन का उपयोग किया और समूची राशि का लगभग 10 प्रतिशत ही तेल उद्योग के विकास पर खर्च किया। यदि यह राशि ओ.आई.डी.बी. को दी जाती और तेल उद्योग के विकास पर खर्च की जाती, तो आज पैट्रोल पदार्थों के मूल्य इतने अधिक न होते। आप पैट्रोल के दामों को कम करें।

मुम्बई शहर में लगभग 50 लाख लोग झोंपड पट्टी में रहते हैं। उनको नागरिक सुविधायें नाममात्र की ही उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र सरकार के पास उन पर खर्च करने के लिये धन नहीं है। केन्द्र सरकार स्थिति में सुधार करने के लिए पर्याप्त धन नहीं देती, जबकि मुम्बई शहर केन्द्र सरकार को प्रति वर्ष 18-20 हजार करोड़ रुपये का राजस्व करों के रूप में उपलब्ध कराता है। इस राशि का कम से कम 10 प्रतिशत तो मुम्बई के विकास पर खर्च किया जाना चाहिये। झोंपड़ पट्टी में रहने वालों को कोई भी सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं और जो आपकी मशीनरी है, उसे भी इसे ज्यादा से ज्यादा छूट मिल सकती है। जो कम लोग हैं, जो लोग पैसा डुबा रहे हैं, उसके बाद आप उनके ऊपर कन्सैण्ट्रेट कर सकते हैं।

अमेरिका की आबादी 22 करोड़ है, लेकिन वहां 1250 यूनिवर्सिटीज हैं। हमारी आबादी 84 करोड़ है, लेकिन हमारे यहां 250 यूनिवर्सिटीज ही हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से विनती करता हूं कि देश के हर जिले में यह प्रावधान होना चाहिए कि वहां एक यूनिवर्सिटी हो।

हमारे युवा मंत्री यहां बैठे हैं, वह अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि हमारा स्पोर्ट्स पर आपने बजट कट कर दिया। हमें एक मैडल भी नहीं मिलता है, ओलम्पिक्स में भी एक भी मैडल नहीं मिला है, तो स्पोर्ट्स में आप प्रोत्साहन देने के लिए, एन्करेजमेंट देने के लिए उसमें बढ़त कीजिए।

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों को, जो अपना कोई व्यापार नहीं करते हैं, आयकर से पूरी तरह से मुक्त किया जाना चाहिए। आखिर देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति भी सरकार की कोई जिम्मेदारी है। पेंशन की राशि, जो सम्मान मानी जाती है, उसके ऊपर बैंकों और एफ.डी.आर. जमा वगैरह से होने वाली आय पर आयकर से हर तरह की मुक्ति होनी चाहिए।

हमारे देश में टैक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है तो आपको इसकी एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए। चाहे वह हमारे टैक्नीकल कोर्सेज हों, वह ज्यादा होने चाहिए और प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू होने चाहिए, डिग्री कालेज शुरू होने चाहिए। इसलिए आप एजुकेशन के लिए भी ज्यादा फंड दें, यह मैं आपसे विनती करता हूं।

सभापति महोदय, मैं यहां नहीं था, मैं आपकी अनुमति से एक क्लैरीफिकेशन करना चाहता हूं। जार्ज फर्नांडीज हमारे आदरणीय सदस्य हैं। शिव सेना तो किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी खुद की धर्मपत्नी साउथ इंडियन है। उन्होंने कहा था, मुझे पता नहीं, मुझे यहां आने के बाद पता चला।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया वह मुद्दा न उठाएं। वे भी यहां उपस्थित नहीं हैं। दरअसल, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। कृपया अब अपना वक्तव्य समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : आपसे एक आखिरी विनती करता हूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारी कपड़ा मिलों को कोआपरेटिव के माध्यम से चलाने की बात कही है। मैंने क्वश्चन पूछा था तो अशोक गहलौत जी ने भी कहा था कि कोई मिल बन्द नहीं होगी। मिल बेचने के लिए भी आप इजाजत नहीं देते हैं। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट ने 50 परसेन्ट कोआपरेटिव बेसिस पर मिल चलाने के लिए कुछ घोषणा की है। मुझे पता नहीं कि आपको उन्होंने लिखा है या नहीं, लेकिन वह 50 परसेन्ट शेयर्स कोआपरेटिव बेसिस पर लेने के लिए राजी हैं, 10 परसेन्ट शेयर्स बेचारे मजदूर ले सकते हैं। आज 70,000 मजदूर काम से बाहर हैं, इसलिए मैं विनती करता हूं कि 40 परसेन्ट शेयर्स अगर केन्द्रीय सरकार ले तो हमारी जो मिलें बन्द होने जा रही हैं, टैक्सटाइल मिनिस्टर ने जो रिप्लाई दिया है, उसमें 10 मिलें बन्द होने जा रही हैं, ऐसा करने से वह बच सकती हैं और साथ ही बेचारे मजदूर भी बच सकते हैं। वी.आर.एस. में जाने वाले लोग बच सकते हैं, क्योंकि वी.आर.एस. एफ.आर.एस. है। मैं आपसे विनती करता हूं कि 40 प्रतिशत शेयर्स आप लेंगे, तो कोआपरेटिव बेसिस पर मिल चल सकती हैं और मजदूर बच सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको वित्त विधेयक पर चली लम्बी बहस के अन्त में मुझे भी बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। यह वर्ष 1994-95 हेतु बजट प्रक्रिया का अन्तिम चरण है।

मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, कल मेरा नाम पुकारा गया था और आज भी मुझे बुलाया गया है। मैं यहां उपस्थित नहीं था, मुझे इसका खेद है। लेकिन मुझे इस पर आश्चर्य है। मैं प्रायः सदन में अथवा लाबी में अथवा सदन के केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित रहता हूं। जब मेरा नाम पुकारा गया, उस समय मैं यहां नहीं था। मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया वित्त विधेयक पर बोलें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : बहस के अन्तिम चरण में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

महोदय, वित्त विधेयक पर बहस जारी है और जैसा आपको विदित है कि वित्त विधेयक पर बहस तथा सामान्य बजट पर बहस में अन्तर है। लेकिन श्री जार्ज फर्नांडीज जैसे निपुण एवं अनुभवी सदस्य ने भी मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन्हें उक्त विभेद की जानकारी नहीं है–उन्होंने जानबूझ कर बहस के दौरान काफी बातें ऐसी असंगत बातें कहीं, जिसका वित्त विधेयक के प्रावधानों से कोई मतलब नहीं है, साथ ही कुछ अन्य विपक्षी सदस्य भी डुंकेल, गैट, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष इत्यादि मुद्दों पर बोलने से नहीं चूके।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

महोदय, मैं वित्त विधेयक 1994 का समर्थन करता हूं, जिसके पारित हो जाने से बहस में निर्धारित वित्तीय प्रस्तावों को सरकार लागू कर पाएगी। इस साल का बजट हमारी आर्थिक नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों यथा हमारी अर्थव्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीयकरण को प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इस साल के बजट में विकास एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बल दिया गया है और स्वाभाविक रूप से इन दोनों मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।

केन्द्रीय बजट में कर प्रणाली में दूरगामी सुधारों को लागू किया गया है। वर्तमान राजस्व घाटा वास्तव में चिंता का विषय है। वर्तमान बजट निसंदेह एक सकारात्मक कदम है; यह विकासोन्मुख बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास पर काफी बल दिया गया है। आज के वाद-विवाद को सुन कर मुझे आश्चर्य हो रहा है और आपने भी महसूस किया होगा कि विपक्षियों विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इसकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने देश के सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के संदर्भ में गांधी जी एवं श्री राजीव गांधी का नाम लिया। एक तरफ तो वे तेजी से चौतरफा विकास की मांग करते हैं, जो सिंचाई के लिए पानी, देश के प्रत्येक गांवों के लिए पीने का पानी, स्कूल, कालेज, सड़कें, फैक्ट्रियों इत्यादि सभी चीजों से संबंधित है, तथा दूसरी ओर वे यह कहते हैं कि किसी पर कर न लगाया जाए और कर्ज न लिया जाए। वे सरकार से यह भी कह रहे हैं कि इन सभी कार्यों पर अधिक धन खर्च किया जाए। यह कैसे संभव है ? भारतीय जनता पार्टी के बोलने वाले सभी सदस्यों ने रटी-रटाई भाषा में आयकर की सीमा को 50,000 रुपये से अधिक बढ़ाए जाने की मांग की। लेकिन इसके लिए धन कहां से आएगा ? यदि सभी को आय कर से मुक्त कर दिया जाए तो हमें निश्चय ही खुशी होगी। कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, कुछ ऐसे कारण हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है और हमारा समाज बहुधा एक असंतुलित समाज है, जिसमें असमानताएं ही असमानताएं हैं।

ऐसे समाज में भिन्न-भिन्न स्तर पर व्यवहार किये जाने की आवश्यकता है। कमजोर तबके अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को छूट दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही समाज के सम्पन्न लोगों से कर लिया जाना चाहिए। हमारे देश के चालीस प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। अतः जो अधिक वेतन पा रहे हैं तथा जिनकी आमदनी अच्छी है, उनका यह कर्त्तव्य होता है कि वे अपनी आमदनी का छोटा-सा हिस्सा, उन भाग्यहीन, गरीब लोगों के कल्याण हेतु दें। हमारा नजरिया यही होना चाहिए।

जब हमारे वित्त मंत्री ने कार्यभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बुरी हालत में थी। कोई कह रहे थे "आपने क्या किया ?" यदि स्थिति यही बनी रही तो कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल तथा संभवतः केन्द्र सरकार को कर्मचारियों के मासिक वेतन देने के लिये पियरलेस जैसी कम्पनियों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कुछ राज्य सरकारें पियरलेस जैसी निजी वित्तीय संस्थाओं से धन लिए बिना अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हैं। यह परिस्थिति है। मैं भारत सरकार की उपलब्धियों, विशेषरूप से वित्त मंत्री की पहल पर किए गए कार्यों को नहीं गिनाना चाहता। जैसा कि आप जानते हैं, वे एक विशेषज्ञ हैं, एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि उन्हें विश्व का सबसे अच्छा वित्त मंत्री माना गया है।

वित्त विधेयक पर बहस के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए कई रियायतों की घोषणा की है। इससे यही पता चलता है कि वे कितने सहृदय व्यक्ति हैं। बजट प्रस्तुत करने के बाद से सरकार का रवैया अपेक्षा के अनुरूप रहा है तथा बजट का कुल मिलाकर सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया है।

सभापति महोदय : इन बातों को छोड़िए और अपने विशिष्ट प्रस्तावों पर ही चर्चा करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं अपने प्रस्ताव पर ही आ रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा घाटे का अंतर काफी बढ़ चुका है, इसे कम करके हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए और इसके लिए हमारे खर्च पर कड़ी निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव यही है कि एक खर्च निगरानी समिति का गठन किया जाए। जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों को काफी धन दिया जा रहा है। उसके ऊपर भी निगरानी रखी जाए।

1984-85 में आयकर की सीमा 15,000 रु० थी। अब छूट की सीमा बढ़ाकर 35,000 रु० कर दी गई है। मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप रुपये के मूल्य में गिरावट की समस्या हमेशा बनी रहती है। मेरा सुझाव यह है कि कुछ अन्य देशों में सूचकांक कर-प्रणाली पहले ही आरंभ की जा चुकी है। हमारे पास अपनी प्रौद्योगिकी है तथा कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी भी हमारे देश में उपलब्ध है। हमें कर क्षेत्र में सूचकांक कर प्रणाली की शुरुआत करने तथा मुद्रास्फीति से समायोजन करने में हिचखिचाहट नहीं होनी चाहिए। आयकर कानून की धारा 80 (छ) दान के मामलों में छूट दिए जाने के बारे में है। यह एक सामान्य प्रावधान है। इस समय महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इसे समाप्त करने की मांग की है। इसके लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है। सामान्यतया केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष को शक्तियां दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। वे निस्संदेह ही ये सारे कार्य वित्त मंत्री की पूर्वानुमति से कर सकते हैं, ताकि सभी उचित मामलों में, माननीय वित्त मंत्री को इस सदन के समक्ष संशोधन हेतु लाने की आवश्यकता न हो। सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारे समाज की जटिलताओं और लघु क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अतएव, इन छूटों इत्यादि को खंड के परिप्रेक्ष्य में जारी रखा जाना है।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के मामले में अधिक विलम्ब हो रहा है।

सभापति महोदय : हमने इस विषय पर सदन में कई बार परिचर्चा की है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : दूसरा महत्वपूर्ण मामला उर्वरक असंतुलन का है। 1990-91 में नाइट्रोज वाले पोटाश और फॉस्फेटिक उर्वरक का विनियंत्रण किया गया था। नाइट्रोजन के मूल्य में कमी की गई है। उसके बाद, उर्वरक का संतुलन बिगड़ गया है। यह उपयोगिता तथा कृषि की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हुआ है। इसे सही किया जाना है। इस वर्ष के बजट में आज तक किसानों को उपलब्ध की जाने वाली उर्वरक राजसहायता के स्तर के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है। यह एक गंभीर स्थिति है। पी. और के. फॉस्फेट तथा पोटाश उर्वरक के मामले में कम से कम गत वर्ष के स्तर को बनाए रखा जाना चाहिए।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

मेरे पास काले धन के संबंध में एक सुझाव है। यह सर्वमान्य है कि इस काले धन से समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। यह कहा जाता है कि 30,000 करोड़ या 60,000 करोड़ या 3 लाख हजार करोड़ रुपयों का काला धन है। जो भी हो, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इस काले धन को इस समानांतर अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सकें। लेकिन काला धन है और काला बाजारी चल रही है। बड़े पैमाने पर काला धन रखने वाले इन लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे वे काला धन निकाल सकें तथा इसे गरीब लोगों को घर दिए जाने तथा सिंचाई परियोजनाएं तथा विद्युत के लिए खर्च कर सकें। कर सुधारों में सामान्यीकृत कर पर विस्तृत आधार वाला कर तथा 'अपना कर भुगतान की नीति, की अभिकल्पना की गई है। हमारी नीति मनाने की है न कि उत्पीड़ित करने की।

सभापति महोदय : आप इन सुझावों को माननीय मंत्री के पास क्यों नहीं भेज देते ?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मुझे कहना है कि केवल मनाने से ही बात नहीं बनेगी। कुछ अनिवार्य शर्तें भी होनी चाहिएं। हम जानते हैं कि हमारे देश में केवल आपातकाल के दौरान कर्मचारी वर्ग कार्यालय सही समय पर आ रहे थे तथा रेलगाड़ियां सही समय पर चल रही थीं। अतएव, मेरा अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से कर भुगतान नहीं करना चाहता। केवल बहुत थोड़े लोग स्वेच्छा से कर का भुगतान करते हैं।

ये मेरा अनुभव हैं। जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, उन पर सरकार को विचार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं तथा आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : सभापति महोदय, अभी तक बहुत से सदस्य ऐसा कह रहे थे कि प्रतिपक्ष क्यों नहीं फाइनेंस बिल या बजट को एप्रिशिएट या कंप्लीमेंट्स नहीं दे रहा है ? मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, प्राइस राईज़ बहुत हो रही है। हमारे आंध्र प्रदेश में चावल का भंडार है, लेकिन 12 रुपये किलो बिक रहा है तथा तेल 35 रुपये किलो और प्याज 4-5 रुपये किलो बिक रहा है। इस दृष्टि से देश का कामनमैन तकलीफ में है। यह बजट प्राईस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफैस्टो में यह वायदा किया कि प्राईसेज कम कर देंगे।

[अनुवाद]

रेलवे शुल्क में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इसलिए हम जनसामान्य के नजरिए से इसका कड़ा विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

इस बजट के अंदर शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये स्पेशल कम्पलीमेंट्स प्लान में 800 से 900 करोड़ रुपया किया गया है, जबकि इसका प्रावधान उनकी पापुलेशन के मुताबिक

होना चाहिये था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना तक केवल 8-10 प्र. खर्च हो रहा है और ऐलोकेशन कम है। यानि 22 प्र. लोगों के लिये केवल 8-10 प्र. किया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाये। अभी बैकवर्ड क्लास फाईनेंस कमीशन आया है, लेकिन वहां से लोन बहुत कम मिल रहा है। हालांकि प्रधान मंत्री रोजगार योजना का शान के साथ बखान किया गया है, लेकिन लोगों को रोजगार देने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 450 लोगों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत सलैक्ट किया गया था, लेकिन 220 लोगों को ही मिला। बैंक छोटे-छोटे लोन तक नहीं दे रहा है। हमारा रिक्वेस्ट है कि जो बजट में प्रावधान किया गया है उसमें बैंक से सहायता न मिलने के कारण 5 प्र. भी खर्च नहीं हो रहा है। आप बैंकों को निर्देश दें कि रोजगार योजना के लिये बैंक अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाये हैं, वह पूरा करें। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा बैकवर्ड लोग पिछड़ रहे हैं।

सभापति महोदय, सफाई कर्मचारियों के लिये प्रधान मंत्री ने एक योजना का बड़े पैमाने पर प्रचार किया था, लेकिन उसका बजट एलोकेशन भी कम होता जा रहा है। जहां तक किसानों का मामला है, मैं कई बातें रिपीट नहीं करना चाहता हूं, मगर यह अवश्य कहूंगा कि आंध्र प्रदेश में किसानों ने तम्बाकू 5 लाख टन पैदा किया है, लेकिन उसका बाजार नहीं होने से काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। इसके पीछे रूस के पतन के बाद एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। आप तम्बाकू किसानों की रक्षा करें और उनके लिये 100 करोड़ रुपये का कैपिटल अमाउंट रखें। हमारे आंध्र प्रदेश में 7 जिलों में 10-15 लाख किसान हैं, जिनका लास हो रहा है। कम से कम 30 लाख ऐग्रीकल्चरल लेबरर आज परेशानी में हैं। इसलिए 100 करोड़ सीड कैपिटल लगाकर टोबैको कार्पोरेशन के माध्यम से हमारे किसान की मदद करें। वैसे ही कोकोनट बोर्ड के बारे में हमारी माननीय सदस्या ने बताया। आंध्र प्रदेश में भी बहुत से कोकोनट ग्रोइंग एरियाज़ हैं, लेकिन आज उसके दाम गिर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बजट प्रावधान में विशेषकर ऐग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दें। आंध्र प्रदेश में राजामंडरी में बहुत बड़ा फूड प्रोसेसिंग का कोकोनट क्रीम और पाउडर के प्लांट की बात है, लेकिन 8-10 साल से कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आज जो पब्लिक सैक्टर यूनिट्स हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।

[अनुवाद]

उच्चाधिकारी तथा श्रमिकों दोनों के लिए ही जवाबदेही की बात सबसे महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

लेकिन आज मेरे क्षेत्र में आई.डी.पी.एल. बी.आई.एफ.आर. से निकलकर बाहर आया है। आज वहां 8000 वर्कर्स काम करते हैं। वह प्रोफिटेबल यूनिट है, लेकिन देश के अंदर सारे आई.डी.पी.एल. यूनिट्स को मिलाने से वह भी घाटे में है। प्रधान मंत्री जी से हमने प्रार्थना की और प्रधान मंत्री जी ने उसके लिए विशेष बजट भी दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे यूनिट्स को, जो वर्कर्स चलाते हैं, उनको दीजिए। आज आई.डी.पी.एल. की हैदराबाद यूनिट फायदे में है।

[श्री दत्तात्रेय बंडारू]

आप राज्य सरकारों द्वारा मैडिसिन खरीदने की कंडीशन लगाइए। वह खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्ज आइ.डी.पी.एल. बनाता है, लेकिन वह नुकसान में है। छोटी इंडस्ट्रीज करोड़पति बनकर अमेरिका से कंपीटीशन कर रही हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कम से कम 35 करोड़ रुपए इसके लिए दीजिए, जिससे वह इंडस्ट्रीज कंपीटीशन करके आगे जाएं।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने क्षेत्र में एच.एम.टी. के बारे में कहना चाहता हूं। वेंकटगिरि गौड़ा जी ने जो कहा है, मैं उसे पुनः नहीं कहूंगा। वहां वर्कर्स का जो योगदान है, उसे आप देखें। उसके बाद आप बी.आई.एफ.आर. में भेजकर इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए मदद करें।

अंत में मैं वीवर्स के बारे में कहना चाहता हूं। वह बहुत बड़ी संख्या में हैं। हैंडलूम इंडस्ट्री आज पतन की अवस्था में है। आंध्र प्रदेश में वेजज़ न मिलने से बहुत से लोग मर गए थे। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडलूम इंडस्ट्री कंपीट नहीं कर सकती हैं, इसलिए आज हैंड यार्न प्रोड्यूस करने वाली, जो स्पिनिंग मिल्स हैं, जैसे राइस मिल्स हैं, 50 प्र. राइस लेवी ली जाती थी, पी.डी.एस. में गरीब लोगों को देने के लिए, उसी तरह से आप भी स्पिनिंग मिल्स का 50 प्रतिशत हैण्ड यार्न लेवी लीजिए और उसके बाद जो हमारे हैंडलूम वीवर्स हैं, उनको सब्सीडाइज़्ड रेट्स पर यार्न दीजिए, डाइ दीजिए, कलर दीजिए। अगर नहीं देंगे तो मैं समझता हूं वह दूसरे से कंपीटीशन करने में सफल नहीं होंगे।

इसलिए अंत में मैं इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि वित्त विधेयक में एस.सी.एस.टी. के लिए और वीकर सैक्शन्स के लिए 800 करोड़ रुपया दिया है, उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ करें। मैं यह नहीं कहूंगा कि पॉपुलर स्क्रीम्स मत दीजिए। यदि सरकार पैसा देती है, तो वह उनको नहीं मिलता है। वह सब बेकार जा रहा है। प्लानिंग कमीशन भी आज ओबजैक्शन कर रहा है।

[अनुवाद]

बजाय ऋण बांटने के, मेरा आग्रह है कि प्रत्येक मंडल में एक पाठशाला खोली जाये, जिससे कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

[हिन्दी]

इसीलिए उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए नोलेज चाहिए। उसके लिए लोन वगैरह देने से आप पोपुलर स्कीम बना रहे हैं, लेकिन एस.सी.एस.टी. को ऊपर लाने के लिए हमारा प्लानिंग कमीशन ओबजैक्शन कर रहा है।

10.00 म.प.

मेरा निवेदन है कि प्लानिंग कमीशन को हमारी रिकमैंडेशन जानी चाहिये कि एस.सी.एस.टी. के लोग ज्यादा से ज्यादा एजूकेट हो सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए वह आवश्यक पैसे की व्यवस्था करें, धन उपलब्ध कराये। जिस बजट में या फाईनैंस बिल में देश के गरीब लोगों के लिये, एस.एस.एस.टी., के लोगों को ऊपर उठाने के लिये जितने धन की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है, उसका अभाव हो, मैं उसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा एक अनुरोध है। कृपया वे अपना भाषण पांच मिनट के अंदर समाप्त कर लें और भाषण के पश्चात भी सभा में उपस्थित रहें। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आज ही अपना उत्तर आरम्भ करेंगे।

श्री लाईता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं 1994-95 के वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय प्रधान मंत्री को विनाश के कगार पर पहुंची अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे वह अवसर याद है, जब वित्त मंत्री ने अपना पहला बजट 1991 में और फिर 1992 में दूसरा बजट पेश किया था और संसद में तथा संसद के बाहर काफी हो-हल्ला मचा था। बजट और वित्त मंत्री का विरोध हो रहा था तथा उनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने दृढ़ निश्चय तथा दृढ़ विश्वास का प्रदर्शन किया तथा वे विश्व भर के अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों तथा भारत के लोगों के प्रिय बन गए। अतः आप सही मायने में विश्व भर के लोगों के अभिनंदन तथा सम्मान के पात्र हैं।

हम युवा तथा आशावादी है। हम इस देश को दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारे देश का भविष्य वर्तमान वित्त मंत्री के हाथों में सुरक्षित है। हम यह भी महसूस करते हैं कि हमने अपनी खोई प्रतिष्ठा तथा सम्मान श्री पी.वी. नरसिंहा राव के गतिशील नेतृत्व में वापस प्राप्त कर ली है। डा. मनमोहन सिंह और श्री राव आप आगे बढ़िए; पूरा देश आपके साथ है। जैसा कि मैंने कहा है, गत तीन लगातार बजटों के दौरान, यद्यपि आप अर्थव्यवस्था को वापस सही रास्ते पर लाये हैं, तथापि, आपने करों में छूट देना पिछले दिन तक नहीं रोका है–एक के बाद एक छूट आपने दी है। इस वर्ष के बजट का भी सभी लोगों ने व्यापक स्वागत किया है तथा इसे विकासोन्मुख माना है।

मुझे स्पष्ट रूप से इस महान सभा के सदस्य के रूप में तथा विशेषरूप से सभा में सत्तापक्ष की ओर बैठने से काफी ज्यादा खुशी हो रही है। मैंने आपके निरन्तर तीन बजट देखे हैं, लेकिन देश के सबसे नये तथा सबसे पिछड़ें राज्य, अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि होने के नाते मैंने इसके कुछ क्षेत्रों के संबंध में भेदभाव भी पाया है। अतः मैं आपका ध्यान कुछ मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर पाऊंगा, क्योंकि वे भी इसी क्षेत्र से निर्वाचित होकर आये हैं।

पिछले वर्ष के बजट में आपने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यवस्था की थी। लेकिन इतने कम रकम की व्यवस्था कीं गई थी और आपने प्रत्येक व्यक्ति ने जिस भी पिछड़े राज्य या जिले के लिए अनुरोध किया, उनकी मांग पूरी कर दी। अब पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपसे जिस राज्य ने अनुरोध किया उन सभी राज्यों को करों में छूट तथा अन्य अनेक रियायतें दी हैं। करों में यह छूट तथा अन्य रियायतें वे हैं, जो आपने पहले पूर्वोत्तर राज्यों को दी थी। मैं कुछ उदाहरण देता हूं पूर्वोत्तर राज्यों दी गई छूट, हिमाचल प्रदेश को भी दी गई है। इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो वह इन रियायतों का फायदा उठाना चाहता है; वे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जैसी जगहों पर नहीं आना चाहेंगे, वे हमेशा हिमाचल प्रदेश और ऐसे अन्य स्थानों पर जाना चाहेंगे, क्योंकि ये स्थान यथा पंजाब, हरियाणा,

[श्री लाईता उम्ब्रे]

पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों के निकट हैं। इसी प्रकार, आपने करों में वही छूट दादरा और नागर हवेली तथा कुछ अन्य छोटे राज्यों को भी दी है, ये स्थान भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफी करीब हैं। यदि पूर्वोत्तर राज्यों को दी जाने वाली रियायतें इन राज्यों को भी दी जायें तो मेरा विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश नहीं करना चाहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जबसे आप असम से निर्वाचित हो रहे हैं और आपको मालूम ही है कि तब से वहां पर सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

यहां रेल मार्ग है, यहां पर सड़कें हैं, यहां पर जल मार्ग हैं, यहां पर विद्युत है और सभी कुछ है। दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं। यदि आप सभी राज्यों को बराबर रियायतें देते हैं तो कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में फैक्ट्री नहीं लगाना चाहेगा, वे अपनी सारी फैक्ट्रियां अथवा उद्योग केवल असम में ही लगाएंगे।

अतः, मेरा विश्वास है कि आप समस्या की गंभीरता को समझेंगे। मेरा विश्वास है कि आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर जैसे पिछड़े राज्यों के लिए पूर्णतः नई कर नीतियां बनायेंगे। यदि यह कार्य शीघ्र नहीं किया गया तो इस बढ़ती हुई असमानता को दूर नहीं किया जा सकेगा। अतएव, इस पर माननीय वित्त मंत्री को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं उनके ध्यान में दूसरी बात यह लाना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आयकर में पूरी छूट दी जा रही है, लेकिन धन कर तथा उपहार कर का क्या हुआ? जब लोगों के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो धन कर और उपहार कर के प्रावधान क्यों होने चाहिए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे तथा अन्य छोटे तथा निर्धन राज्यों को भी इसमें छूट मिलनी चाहिए।

महोदय, आर्थिक उदारीकरण के तीन वर्षों तथा वित्त मंत्री द्वारा कर रियायतों की घोषणा के पश्चात् भी, कोई भी व्यक्ति पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग तथा फैक्ट्रियां लगाने के लिए आगे नहीं आया है। यहां तक कि कुछ छोटे तथा मध्यम स्तर के उद्योग जो परिवहन तथा पूंजीगत वस्तुओं की राज सहायता प्राप्त कर रहे थे, उसे अचानक समाप्त कर दिया है तथा इन इकाइयों को पिछले कई सालों में कोई राजसहायता नहीं दी जा रही है। इससे उद्यमी काफी हतोत्साहित हुए हैं। जब उन उद्यमियों को उदारीकरण के पहले की सुविधाएं अब नहीं मिल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नया निवेशक नए उद्यम लगाने आगे आयेगा। जब निजी क्षेत्र ऐसी फैक्ट्रियां लगाने आगे नहीं आ रहे हैं तो, कम से कम सरकारी क्षेत्र को तो आगे आना चाहिए। मुझे यह कहते हुए काफी दुख हो रहा है कि हम सरकारी क्षेत्र से भी कोई सकारात्मक जवाब पाने में असफल हो रहे हैं।

महोदय, मैं अरुणाचल प्रदेश से निर्वाचित होकर आया हूं जो देश का सबसे नया और पिछड़े राज्यों में से एक है। निस्संदेह मुझसे पहले बोलने वाले सभी सदस्यों ने अपने निर्वाचित [illegible] को अत्यधिक पिछड़ा बताया। लेकिन जब मैं अपने राज्य को 'पिछड़ा' कहता हूं, तो मुझे आशा है कि [illegible] लोग पिछड़ेपन की सीमा को समझेंगे। पिछड़ेपन से मेरा तात्पर्य है रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग या [illegible]का नहीं होना। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो जिले सड़कों से नहीं जुड़े हैं, तथा वहां किसी प्रकार

की संचार व्यवस्था नहीं है। अब आप मेरे क्षेत्र तथा मेरे राज्य के पिछड़ेपन की सीमा का अनुमान अच्छी तरह से लगा सकते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात आधारभूत ढांचे में सुधार लाना है। जब तक कि आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त सरकारी धनराशि खर्च नहीं की जाती है, तब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की कोई आशा नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें। आपने पहले ही तेरह मिनट ले लिये हैं। चूंकि आप काफी पिछड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भी विशेष मामले के आधार पर, आप पर समय सीमा लागू नहीं होती है। कृपया दो मिनट के अंदर अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री लाईता उम्ब्रे : मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त नहीं कर सकता हूं। मुझे कम-से-कम दस मिनट और चाहिये।

सभापति महोदय : यह संभव नहीं है। आपको दो मिनट के अंदर अपना भाषण समाप्त करना है।

श्री लाईता उम्ब्रे : मुझे अपने राज्य के पिछड़ेपन के संदर्भ में कई बातें माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लानी हैं। मैं बोलना जारी रखूंगा। यदि आपकी इच्छा हो तो आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें। लेकिन मुझे अपनी चिन्ता व्यक्त करनी है।

सभापति महोदय : आप अध्यक्ष के आदेश को मानने से इंकार नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको अतिरिक्त समय दिया है, क्योंकि आप अपने राज्य से संबंधित कुछ विशेष मुद्दे उठा रहे हैं। आप को यह समझना चाहिए कि अन्य माननीय सदस्य आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। आपने अपनी बात भली भांति कही है और हम सभी इससे संतुष्ट हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त करें। और भी सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री लाईता उम्ब्रे : महोदय, मैं ऐसे राज्य से निर्वाचित होकर आया हूं, जहां भगवान की कृपा से, हमें सब कुछ मिला है। भगवान ने हमें सभी अच्छी चीजें दी हैं। हमारी भूमि उपजाऊ है, हमारे यहां अच्छी वर्षा होती है तथा हमारे यहां की जलवायु काफी अच्छी है। हम सभी फसलें उगा सकते हैं। यदि हमें कुछ वैज्ञानिक आदान उपलब्ध कराये जाएं, तो हमारा राज्य पूरे देश को खाना खिलाने की स्थिति में होगा। लेकिन हमारी अत्यधिक उपेक्षा की गयी है। चूंकि हमारे पास कोई आधारभूत सुविधा नहीं है, हमारे राज्य से जिस भी वस्तु का उत्पादन होता है, उसे बाहर बेचा नहीं जा सकता है। वहां ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया नामक एक संस्था है, लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इसे मेरे राज्य में जाना तक नहीं जाता। अब चाय बगान आ रही हैं। रेमी उन महत्वपूर्ण कपड़ों में से एक है, जो हमारा कपड़ा उद्योग चीन और मलेशिया से आयात कर रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश में काफी अच्छी तरह से उगता है। लेकिन सरकार रेमी की खेती को प्रोत्साहन देने में कोई रुचि नहीं ले रही है।

[श्री लाईता उम्ब्रे]

इसी तरह विद्युत उत्पादन की अत्यधिक सम्भावना है। अब तक राज्य में लगभग 36,000 मेगावाट की विद्युत सम्भावना का पता लगाया गया है। परन्तु, इस क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र दोनों में से कोई आगे नहीं आ रहा है, जबकि पूरे देश में विद्युत की भारी कमी है। महोदय, हमारे पास खनिज तेल और गैस के बड़े-बड़े भण्डार हैं, परन्तु उनका दोहन नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री लाईता उम्ब्रे : यद्यपि, मैं, अपने राज्य की समस्याओं पर पूरी तरह से प्रकार नहीं डाल पाया हूं, तथापि मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री मेरे राज्य की जनता को जिन समस्याओं का सामना कर पड़ रहा है, उनसे पूरी से कायल हैं और वे मेरे द्वारा प्रकाश में लाई गई समस्याओं पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और सभी कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति महोदय, मैं उन मुद्दों को नहीं उठाना चाहता हूं, जिन को मेरे दल के मित्रों ने उठाया, लेकिन उन मुद्दों के साथ अपने को जोड़ता हूं।

वित्त विधेयक के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में, जो विषमता समाप्त होनी चाहिये थी, उसकी खाई को आपने और चौड़ा किया है। इस कारण से मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं। वित्त विधेयक से हमें इस बात का सबूत मिल रहा है कि पिछड़े क्षेत्र अपने लिये अलग राज्य की मांग करें और अपने अधिकारों के लिये लड़े। देश की कुल आबादी का 35 प्रतिशत भूभाग पिछड़ा हुआ है। अभी मेरे साथी ने जिन बातों को कहा, उससे अधिक पीड़ा मेरे ह्रदय में है।

मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर बना है और जिसे बुन्देलखंड कहते हैं। 45 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारे यहां के 20 जनपदों में से केवल दो जनपदों में ही उद्योग हैं। बाकी 18 जनपदों में कोई उद्योग नहीं है, जबकि वहां प्राकृतिक स्रोतों की भरमार है। वहां उपज अच्छी हो सकती है, क्योंकि वहां की मिट्टी अच्छी है। वहां उद्योग धंधे पनप सकते हैं।

इस वित्त विधेयक के द्वारा क्रय शक्ति को बढ़ाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पिछड़ापन तब तक दूर नहीं हो सकता, जब तक उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ायेंगे। उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के स्रोत उद्योग धंधे, कृषि हैं। प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर पूंजी निवेश किया जाना चाहिये और उद्योग धंधे खड़े करने चाहिए, जो उन्नतशील और विकसित क्षेत्र हैं, उन्हीं को आपने सुविधाएं दी हैं।

आज किसानों के हाथ मजबूत नहीं हैं। उनके पास खेतों में पानी पहुंचाने के साधन नहीं हैं, विद्युत नहीं है, अच्छे बीज नहीं हैं। आज उनकी क्रय शक्ति कमजोर है। जब तक क्रय शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक वे अच्छी उपज कैसे पैदा करेंगे? अधिकतर जनपदों में उद्योग क्यों नहीं

पनप रहे हैं? आपने उदार नीति बनायी। क्या तीन सालों में किसी प्रकार के उंद्योग का विकास हुआ? अगर कोई नौजवान उद्योग लगाना चाहता है तो आप उसको क्या सुविधायें देते हैं? उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिलता है। आपके नियम कठोर हैं जिस के कारण उनको ऋण प्राप्त नहीं होता है। आज उनको सस्ती दर पर ऋण नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र के लोगों के हाथ कैसे मजबूत होंगे, विषमता कैसे दूर होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों की विषमता को समाप्त करने के लिए आवश्यकता है कि आप अपनी नीतियों में उन क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करें, वहां पर ऋण की सुविधा प्रदार करें, खेती को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए योजना बनायें, खाद, ट्रैक्टर और पानी को खेत पर ले जाने के लिए छोटे-छोटे इंजन कम मूल्य पर उनको प्राप्त करायें, तब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विषमता दूर होगी तब किसी भी प्रकार से करों को देने में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम हर प्रकार से देश के लिए करों के माध्यम से धन की उपलब्धता चाहते हैं। हम आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। आपकी उदारीकरण की नीति से इन पिछड़े क्षेत्रों की विषमता को दूर करने के लिए आपने कोई परिणाम निकालकर दिया? कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आया है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता चाहता हूं कि इस विषमता को समाप्त करने के लिए कल कुछ न कुछ घोषणा आप अवश्य करें।

हम चाहते हैं कि हमको बैंकों से ऋण मिलें। साधारण नियमों के आधार पर और कम ब्याज दर पर मिले। हमको उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त होने चाहिए। अगर आज हमें छोटे उद्योग पनपाने हैं, अगर बड़े उद्योगों की स्थापना करने से वहां पर छोटे उद्योग पनप सकते हैं तो बड़े उद्योगों की स्थापना की जाये। किसी न किसी प्रकार से वहां आपको पूंजी का निवेश करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो विषमता के कारण वहां आक्रोश पैदा हो रहा है, जो देश के लिए खतरा पैदा करेगा और आपको चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की 45 प्रतिशत आबादी के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए, वहां पर उद्योग धन्धे और कृषि पर आधारित उद्योग आपको लगाने पड़ेंगे। हमारे यहां जो भी प्राकृतिक स्रोत है, उनका सही ढ़ंग से उपयोग कर उस क्षेत्र की आमदनी में आप प्रभाव डालें, जिससे कि आज हमारे नौजवानों के हाथ में काम आये, आपको इस प्रकार की पूंजी निवेश की नीति को अपनाना पड़ेगा।

मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं वह आयकर के सम्बन्ध में है। आपने 35,000 रुपये तक आयकर की छूट दी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज वेतनभोगी कर्मचारी, छोटा दुकानदार, या जो अध्यापक है, इसको इस महंगाई के जमाने में अपनी आमदनी में से 4000 रुपये देना पड़ सकता है। इस पर गम्भीरता से विचार करिये। इससे बजट के अन्दर कितना घाटा हो जायेगा। आपने तो बड़ा दावा किया है, आपने विदेशी पूंजी लाने के लिए प्रस्ताव दिया है, आप अन्य स्रोतों को खोज सकते हैं, लेकिन 35,000 से 50 या 60 हजार छूट सीमा को करने की आवश्यकता है। इससे पूंजी की कमी होगी तो उसे आप दूसरे स्रोतों से पूरा कर सकते हैं। इसलिए, वित्त मंत्री जी, मेरा अनुरोध है कि 35,000 के स्थान पर इसको 60,000 करिये।

देश में जो कर व्यवस्था है, वह समान कर दी जाये, इससे कालाबाजारी कम होगी। आज उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सारे प्रदेशों में जो सेल्स टैक्स है या जो अन्य कर है, उनमें इतना अन्तर और विषमता है कि इधर का माल उधर होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों,

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

वित्त मंत्रियों के साथ बैठकर आप देश में एक समान कर प्रणाली को निश्चित करें, जिससे कि छोटे छोटे व्यापार और धन्धे में प्रतियोगिता में आकर लोग अपनी आमदनी और स्रोतों को बढ़ा सकें।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय, केवल एक और अनुरोध करना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि आप लघु उद्योगों की स्थिति की तरफ भी ध्यान दें, आज पिछड़े क्षेत्रों में जो भी लघु उद्योग खड़े हुए हैं, वे आज की प्रतियोगिता में ठहर नहीं पाते। वे रुग्ण अवस्था में नहीं हैं, मरने की अवस्था में हैं। मैं पिछड़े क्षेत्रों की अवस्था के बारे में कह रहा हूं, वहां की हालत इतनी खराब है कि उन्होंने जो पैसा लिया था, आज उनकी स्थिति यह बन गई है कि जो उनके घर की पूंजी थी, वह भी वे गवां बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसको बढ़ा कर आप एक लाख तक ले जाइये। मैं पिछड़े क्षेत्रों के लघु उद्योगों के बारे में कह रहा हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के छोटे-छोटे जो लघु उद्योग हैं, वहां की विषमता को समाप्त करने के लिये आपको यह निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। इसकी तरफ आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने की लिये समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से देश की बिगड़ी हुई स्थिति थी, उसको रास्ते पर लाने के लिये इन्होंने जो कदम उठाये उसकी मैं तारीफ करता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं। मैं जो चंद बातें कहना चाहता हूं वह यह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहां आपने जो बागवानी के लिये प्रावधान किया है, इसके लिये भी मैं आपको बधाई देता हूं। मगर इसके साथ ही मैं आपसे यह मांग करता हूं कि हमारे यहां सब्जियां, सेब और आलू की खेती ज्यादातर होती है तो इसके लिये हमारी जो पिछली सरकार थी और जो हमारी मौजूदा सरकार है, वह इसके लिये समर्थन मूल्य देती है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हिमाचल प्रदेश के लिये खेतीबाड़ी और जो फल उत्पादक लोग हैं, उनका समर्थन मूल्य देने के लिये राज्य सरकार को अधिक मात्रा में सरकार की ओर से कुछ पैसा दें, ताकि हिमाचल के किसान इससे लाभान्वित हो सकें।

महोदय, कई बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि किसानों की मदद हो तभी किसान खुशहाल हो सकते हैं, जब उनको समर्थन मूल्य या उनके भाव, जो वे गन्ना या दूसरी जरूरत की चीजें पैदा करते हैं, उसके लिये किसानों के भाव बढ़ने चाहिये। एक तरफ तो विपक्ष की तरफ से यह बात आती है और दूसरी तरफ यह आता है कि भारत सरकार चढ़ा रही है। एक तरफ उनका एक्सप्लायटेशन होता है और दूसरी तरफ दूसरी तरह का एक्सप्लायटेशन होता है, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना है और इस वजह से इनको वोट मिलते हैं। अगर ये हमारा विरोध न करें तो इनको वोट कोई नहीं देता और यहां जो ये कहते हैं कि डंकल से देश के अंदर बड़ा नुकसान होगा मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं है। हमारे देश के किसान बड़े समझदार हैं और जो हमारे कुछ बड़े जागीरदार हैं, जो यहां नकली बीज बेचने की कोशिश करते हैं, तो वे भी अब ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि अगर बाहर के लोग हमको बीज देंगे तो इससे हमारे किसान खुशहाल हो सकेंगे। किसानों के लिये कई तरह की अफवाहें पैदा की जाती हैं और मुझे यह तर्जुबा है कि जिस वक्त पंजाब में भाखड़ा डेम बना था। उस समय भी यह कहा गया था कि यह जो भाखड़ा डेम बना

है। इससे जो बिजली है वह सरकार निकाल लेगी और बाकी जो पानी है वह ऐसा पानी होगा, जिससे न फसल होगी और न ही देश तरक्की कर सकेगा। इस तरह की एजिटेशन चलाई गई और यह विपक्ष की तरफ से चली, लेकिन उस वक्त प्रताप सिंह केरो पंजाब के मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने इस बात को लोगों के जहन में डाला और आज आप देखते हैं कि पंजाब खेतीबाड़ी में सबसे आगे हो गया, देश के अंदर हरितक्रांति आई।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये सब एक ही था, यह पंजाब का इलाका कहलाया जाता था। छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी रियासतों से मिला कर तीन सूबे बने, तीन प्रांत बनने के बाद हमारा जो रिआर्गनाइजेशन एक्ट था, उसमें 7.19 परसेंट बिजली में हमको हिमाचल प्रदेश को भागीदार बनाया गया था।

10.30 म.प.

मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों को बिजली देता है, इसके अलावा पन बिजली योजना द्वारा 20000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, लेकिन उक्त परसेंटेज के अनुसार हमारा 1000 करोड़ रुपया इन राज्यों पर बकाया है और ये राज्य दे नहीं पा रहे हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश के विकास में रुकावट आ रही है। आठवें वित्त आयोग ने भी हमको इस बारे में पीछे डाल दिया। मैं कहना चाहता हूं कि या तो उन राज्यों से हमको पैसा दिलवाया जाए, नहीं तो भारत सरकार लम्बी अवधि का बिना ब्याज हमको आप लोन दें, ताकि हमारे यहां विकास का काम चल सके। जब ये राज्य पैसा दे दे, तो उस पैसे से लोन का भुगतान किया जा सकता है। चूंकि राज्य सरकार का यही एक आय का साधन है, मेरा अनुरोध है कि मेरे इस सुझाव पर अवश्य ध्यान दिया जाये, ताकि राज्य सरकार सफर न करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पेड़ों की कटाई होने की वजह से भूमि का कटावा हो रहा है और अच्छी मिट्टी बह कर नीचे जा रही है। इससे उत्तर प्रदेश, गढ़वाल तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है और हमारे डैमों को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए इस भूमि के कटाव को रोकने के लिए आप प्लांटेशन के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान करें, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

उद्योगों के बारे में मैं कहन चाहता हूं कि जो उद्योग अच्छी क्वालिटी का सामान पैदा करते हैं और जिन उद्योगों से जनता को और किसानों को लाभ मिलता है, उनको अवश्य प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग रातों-रात 2 नंबर की चीजें तैयार कर लेते हैं, उनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हरियाणा में भी उद्योग लगा लेते हैं, पंजाब में भी लगा लेते हैं और हिमाचल तथा अन्य राज्यों में भी उद्योग लगा लेते हैं और गलत तरीकों से फायदा उठा रहे हैं। इनके खिलाफ और इनकम टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश में हर उद्योग को लगाने के लिए भारत सरकार 330 लायसेंस जारी किए गए हैं, वह सब अप्रवासी भारतीयों को दिए गए यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा सुझाव है कि पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के एन.आर.ई. को भेजा जाना चाहिए। पिछली सरकार ने किसानों के जो 10000 तक के कर्जे माफ किए, उनसे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों को लाभ हुआ, जो सरकार का पैसा खाने के आदी बन चुके हैं और सालों तक मामलों को कोर्ट में लटकाए रहते हैं।

[श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी]

मैं कहना चाहता हूं कि लद्दाख का जो क्षेत्र है, यहां की परिस्थितियां भी कश्मीर की तरह ही है। यहां पिछली सरकार ने लोगों पर इनकम टैक्स लगा दिया गया। यह बार्डर एरिया है और सीमा की रक्षा के लिए यहां पर लोगों को तैनात किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में सरकार गंभीरता से विचार करें और लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें।

प्रधान मंत्री जी ने बेरोजगारों युवकों और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं, उनको कार्यान्वित करवाइए और मेरा कहना है कि कम से कम बैंकों को भी कहिए जो केसेस आते हैं, कम से कम उनको खटाई में मत डालिए।

आपने जो अनाऊंस किया है वह पैसा उनको कम से कम प्राप्त हो जाए और इसका टारगेट फिक्स करना चाहिए। हर क्षेत्र के लिए टारगेट फिक्स करें, ताकि उसका लाभ मिल सके। फिलहाल जो हमारी प्रदेश की सरकार है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा धन देने की कोशिश करे। वहां पर पिछली सरकार कहती थी कि कांग्रेस ने सारा खजाना खाली कर दिया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने खाली नहीं किया। वहां के लोगों को उठाने के लिए सारा पैसा खर्च किया। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए आप जितना योगदान कर सकते हैं, तो करने की कृपा करें। आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आपका तालमेल अच्छा रहा। एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री जी हैं और दूसरी तरफ आप हैं तो दोनों तरफ से काम ठीक चल रहा है, इसलिए यह राष्ट्र आपकी रहनुमाई में आगे बढ़ेगा।

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, इस बजट के आने से पूर्व मंहगाई बढ़ी है। फरवरी में बजट आने से पहले ही शूगर और पेट्रोलियम पदार्थ आदि चीजों के दाम बढ़ गए थे, इसलिए मैं इस फाईनेंस बिल का विरोध करता हूं। कई माननीय सदस्यों ने स्माल स्केल इंडस्ट्री की बात की है। गांवों में छोटे-छोटे उद्योग पनप रहे हैं और इस देश के 70-75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, उनको गांवों में धंधा नहीं मिले तो उनका शहर की ओर पलायन होता है। इसके लिए स्माल-स्केल इंडस्ट्री के लिए पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। टैक्स में इसके लिए सुधार करना है, उसको ठीक किया जाए, ताकि शहर की ओर पलायन होने वाली प्रवृत्ति पर रोक लगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां पर 75 प्रतिशत लोग गांवों में खेती करते हैं। बहुत ही कम ऐसे किसान हैं, जो इतना पैदा करते हैं कि बाहर भेज सकें। ऐसे काश्तकार हैं, जिनके पास एक हैक्टेयर है। इस बार कृषि का बजट घटाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 1997 तक 210 मिलियन लाख टन अनाज की पैदावार होगी। वर्तमान में अभी 100 मिलियन लाख टन है, मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि कृषि पर बजट बढ़ाया जायें और खाद पर सबसिडी दी जाए। राईस मिल जो उगाते हैं उनका लाईसेंस फ्री किया जाए और सेबी माफ की जाये। कई चीजों को फ्री किया जा रहा है तो कृषि पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। हमारे क्षेत्र में सिद्धार्थ नगर है, जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। इस जनपद में एक भी उद्योग नहीं है। वहां पर गन्ना पैदा होता है। 1990 में चीनी मिल की स्वीकृति हुई, लेकिन आज तक नहीं लगी। मांननीय कल्पनाथ जी ने जो उर्जा मंत्री थे तो उन्होंने 132 के.वी. स्टेशन का शिलान्यास दुमरियागंज कर दिया था। आज पांच साल हो गए हैं, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ। उस पिछड़े

क्षेत्र की घोर उपेक्षा हो रही है। उस क्षेत्र में फर्टिलाईजर का कारखाना गोरखपुर में था, लेकिन हम चार-पांच जिलों के लिए फर्टिलाईजर का कारखाना चाहते थे। हम महन्त अवैधनाथ जी के नेतृत्व में माननीय प्रधान मंत्री से और माननीय वित्त मंत्री से मिले और जो फर्टिलाईजर के मंत्री थे, उनसे भी मिले परंतु आज तक इस फर्टिलाईजर के कारखाने के बारे में कुछ नहीं हुआ।

मान्यवर, जब तक गांवों में उद्योग धंधे नहीं होंगे, इस देश के गांवों का विकास नहीं हो सकेगा। बेरोजगारी बढ़ती जायेगी, तो हमारे देश के नौजवान सही रास्ते से भटक जाएंगे। अतः मेरी वित्त मंत्री से मांग है कि इन क्षेत्रों में जहां शुगर फैक्टरी नहीं है और रा मैटीरियल मिलता है, वहां एक उद्योग लगाया जाये और वहां पर बजट में प्रावधान किया जाये।

सभापति महोदय, हम जहां कहीं जाते हैं, तो वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा इस बात की जानकारी मिलती है कि सेठ साहूकार लोग तो अपने बहीखातों में इनकम टैक्स बचा लेते हैं लेकिन उनके लिये कोई प्रावधान नहीं है। मेरी वित्त मंत्री से मांग है कि यह सीमा 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी जाये, ताकि अल्प वेतन भोगियों को भी राहत मिले।

सभापति महोदय मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हुआ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : माननीय सभापति, आरम्भ में, मैं, गत 34 माह में इस सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उसका स्वागत करता हूं। हमारी अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए मैं, अपने माननीय वित्त मंत्री का भी अभिनंदन करता हूं। हमने नई आर्थिक नीति के परिणास्वरूप ये उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिसे विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद बिना किसी डर के साहसपूर्ण तरीके से चलाया गया।

महोदय, मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। इस वित्त विधेयक का उद्देश्य अथवा मूल ध्येय 'समता के साथ वृद्धि' है। अतः, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके अलावा इस विधेयक में अनैक बहुत अच्छी बातें हैं। कर का सरल ढांचा, कर का व्यापक दायरा, करवंचना का कोई अवसर नहीं देना, मुकदमेबाजी के लिए कोई स्थान नहीं दिया जाना–ये सभी इस वित्त विधेयक की स्वागत योग्य विशेषताएं हैं।

महोदय, नई आर्थिक नीति की सफलता के लिए बढ़े हुए वित्तीय घाटे को कम करने की आवश्यकता है। वित्तीय घाटे को मितव्ययिता उपायों के द्वारा अथवा अतिरिक्त राजस्व बढ़ाकर कम किया जा सकता है। भारत में, लगभग 25 करोड़ जनता शाश्वत गरीबी में फंसी है। 48 प्रतिशत जनता निरक्षर है। 30 मिलियन लोग बेघर हैं। 50 मिलियन बेरोजगार युवा हैं। अतः, हमें उनके लिए घर उपलब्ध कराने होंगे, उन्हें शिक्षित करना होगा, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने होंगे और गरीब जनता के जीवन स्तर को गरीबी रेखा से ऊपर लाना होगा। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा, लगभग 44.5 मिलियन कामगार बच्चे हैं। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। अतः, ऐसी दयनीय परिस्थितियों में हम अपने विकास व्यय में कटौती नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला

[श्री पी.पी. कालियापेरूमल]

विकल्प क्या है? हमें कर व्यय में कटौती करनी होगी, न कि विकास व्यय में। हमारे कर व्यय बहुत अधिक हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह वित्त विधेयक किसी का अहित नहीं करता और सबके हित में है। वित्त विधेयक की ये विशेषताएं हैं। इसमें अत्यधिक कटौती, रियायतें, कर मुक्ति सबको स्थान दिया गया है। सभी को अधिक धन चाहिए, सभी मंत्रालय की अधिक परिव्यय की मांग रहती है और सभी माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिक धन चाहते हैं।

लेकिन धन कहां है? अतः महोदय, हमें अतिरिक्त राजस्व के स्रोत का पता लगाना पड़ेगा, जिसके बिना हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः मेरा कहना यह है कि कर वसूली के कार्यक्रम को और बढ़ाया जाना चाहिए तथा अधिक संसाधनों को जुटा कर उसे गरीबी समाप्त करने के लिए उपयोग करना चाहिए।

10.46 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, अब मैं वित्त विधेयक के खण्ड 55 पर आता हूं, जो दानकर से संबंधित है। छूट की सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी शिकायतें व्यक्त की हैं। अतः लोग इस छूट का अर्थ यह समझेंगे कि सरकार दहेज को बढ़ावा दे रही है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से इस छूट पर पुनः विचार करने का विनम्र अनुरोध करता हूं।

वर्ष 1992 में दहेज के काण हुई मौतों की संख्या 4962 थी, जबकि वर्ष 1993 के दौरान इसके कारण 5374 मौतें हुईं। ये सब पंजीकृत मामले हैं। वर्तमान विषाक्त माहौल में छूट की सीमा को 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना अनुपयुक्त एवं अन्यायोचित है।

अब मैं खण्ड 57 पर आता हूं, जो व्यय कर से सम्बन्धित है। व्यय कर को 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। पांच तारा होटलों में कौन ठहरते हैं? वे समृद्ध लोग, उद्योगपति एवं विदेशी नागरिक होते हैं? वे एक रात के लिए 2000 रुपये खर्च करते हैं। उनसे व्यय कर के रूप में 120 रुपये वसूलने में क्या हर्ज है? अतः, मैं माननीय क्ति मंत्री से इस कर सीमा को बढ़ाए जाने के निर्णय पर पुनः विचार करने का विनम्र अनुरोध करता हूं।

प्रत्यक्ष कर का अनुपात बहुत कम है और अप्रत्यक्ष कर बहुत अधिक है। यह प्रत्यक्ष कर के लिये 25 प्रतिशत है और अप्रत्यक्ष कर के लिये 75 प्रतिशत है।

दूसरे देशों में प्रत्यक्ष कर बहुत ही अधिक है और अप्रत्यक्ष कर बहुत ही कम। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में प्रत्यक्ष कर का भाग 72 प्रतिशत है, जबकि अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 28 प्रतिशत है। जापान में प्रत्यक्ष का हिस्सा 73 प्रतिशत है तथा अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 27 प्रतिशत है। इटली में प्रत्यक्ष कर 73 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष कर 27 प्रतिशत है। बेलजियम में यह क्रमशः 74 प्रतिशत तथा 26 प्रतिशत था। जर्मनी में यह 70 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत है। स्वीडन में यह 79 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत है। लेकिन भारत में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत

है। अतः, मैं प्रत्यक्ष कर की सीमा को बढ़ाए जाने एवं अप्रत्यक्ष कर की सीमा को घटाए जाने का अनुरोध करता हूं। तभी हम संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय मुझे कम दिया गया है, इसलिये मैं कुछ विशेष समस्याओं की ओर सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी ने 28 फरवरी, 1994 को सदन में, जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया था, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही मैं वित्त विधेयक पर भी अपने विचार रखूंगा और अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखूंगा।

भारत सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये प्रत्येक राज्य में जनजातीय विकास उप-योजना आरम्भ की है, जिसे चलाने के लिए कुछ स्टाफ भी रखा गया है, घोड़ा-गाड़ी की भी व्यवस्था की गयी है तथा प्रशासनिक खर्च भी किया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए जितना पैसा खर्च किया जाता है, उससे कई गुना अधिक खर्च प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। यह भी आश्चर्य की बात है कि जनजातीय विकास विभाग में जनजातियों का कोई आदमी किसी पद पर कार्य नहीं करता, जबकि यह विभाग जनजातियों के विकास के लिये बनाया है, उनकी विकास योजनाओं को लागू करने के लिये बनाया गया है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जनजातीय विकास के नाम पर गैर-आदिवासी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इतना ही नहीं, रिवैन्यू, वन विभाग, पंचायत समितियों आदि से भी जनजातीय विकास के नाम से करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों से आये जन-प्रतिनिधियों की सलाह के अनुसार कोई काम नहीं किया जाता है। दिल्ली में बैठकर आदिवासियों और जनजाति के लोगों के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं, यही कारण है कि वे सफल नहीं होती और हमेशा फेल हो जाती हैं। वन विभाग द्वारा वन के कामों में करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं और यह सारा काम एक साधारण कर्मचारी फौरेस्टर के जिम्मे छोड़ दिया जाता है, जबकि फौरेस्ट के उच्च अधिकारी शहरों में स्थित दफ्तरों में रहकर वनों की रक्षा का काम करते हैं। फौरेस्टर उन आदिवासियों को परेशान करता है, भूमि के अभाव में जिन्होंने नाकाबिले काश्त वन विभाग की भूमि को काबिले काश्त बनाया, जो पिछले 15-20 सालों से उन जमीनों पर काबिज हैं, जिन्होंने उस पर कुएं खोदे, भूमि को सिंचित किया, मेहनत की, उन्हें फौरेस्ट के लोग परेशान करते हैं। ऐसी हालत में, जब सरकार एक तरफ आदिवासियों के उत्थान की योजनायें बना रही है, फिर उन्हें क्यों परेशान किया जाता है, मैं चाहता हूं कि सरकार अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करे और सदन में यह बताये कि भूमिहीन किसानों और आदिवासियों के जीवन-यापन को सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं, ताकि वे अपने बाल-बच्चों का भरण पोषण आसानी से कर सकें।

अभी हाल में, भारत सरकार के वन मंत्री मध्य प्रदेश गये थे। वहां जाकर उन्होंने घोषणा की कि वन भूमि पर 10-15 और 20 वर्षों से जो आदिवासियों ने कब्जे किये हुये हैं, अब उन्हें मालिकाना हक दिये जायेंगे। मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार सारे देश में जिन आदिवासी लोगों का किसी वन भूमि पर पिछले 10-15 सालों से कब्जा है, उन्हें उसके मालिकाना हक दिये जाने चाहिये। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़, सिरोही आदि इलाकों में जो आदिवासी वन भूमि पर पिछले 15-20 सालों से काबिज हैं, जब भूमि पर उनके अधिकार को नियमित किया जाना

[श्री भेरू लाल मीणा]

चाहिये, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि बहुत कम है और 4 माह के लिये भी उससे अनाज उन्हें नहीं मिलता है।

ऐसी सूरत में वे लोग मारे-मारे फिरते हैं। इसलिए मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि आदिवासी इलाकों में, खासकर राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि में छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना की जाये। मै वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मैंने एक योजना बना कर दी है। उस योजना के मुताबिक आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए पैसा मंजूर किया जाये। उससे गरीब लोगों को मजदूरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

आदिवासियों का सही मायने में यदि विकास करना है, तो उनके पास जो भी भूमि है उन पर व्यापक मेंड़बन्दी की जाये। वहां सिंचाई के साधन नहरों के तो नहीं हैं। इसलिए छोटे-छोटे तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाये। वन क्षेत्रों में आदिवासियों को प्लाट बनाकर दिए जायें और वहां की वन भूमि की जिम्मेदारी उनके ऊपर रक्षा करने की डाली जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मैं मजदूर मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ हूं और जैसी अभी हमारे सभी साथियों ने चर्चा की तथा मांग की कि आयकर की जो सीमा निर्धारित की है, वह सही नहीं है। आज साधारण मजदूर भी तीन-साढ़े तीन हजार रुपये महीने कमाता है और उसकी तनख्वाह से आयकर कटता है। आज सुबह हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो छिपा हुआ धन है, यदि उसे निकाला जाये तो उससे 200 करोड़ रुपये की आय हो सकती है और कर्मचारियों पर आय कर लगाने से सिर्फ 60-70 लाख रुपये की आय होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि छिपे हुए धन को निकलवाकर उस पर कर वसूला जाना चाहिए। कर्मचारियों से आयकर वसूले जाने से वे असंतुष्ट होते हैं। इसलिए कर्मचारियों से आयकर नहीं वसूलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग ने आदिवासियों से वन संरक्षण के नाम पर भूमि निकाली है, लेकिन वन विभाग, वन संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को परेशान कर रहा है। उन्होंने वनों के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वनों की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। वन विभाग में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, जिससे वनों की सुरक्षा हो। वन विभाग तो जंगल में चारों ओर दीवार बनाता है और फिर कुछ वर्षा के बाद उसे तोड़ देता और फिर नये सिरे से दीवाल बनाता है और यह बनाने तथा तोड़ने का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहता है और वनों की कोई सुरक्षा नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय वित्त विधेयक पर बोलते हुए रेलवे के बारे में भी कहना चाहता हूं कि रेलवे का कोई भी विकास नहीं हुआ। सभी राज्यों में बड़ी लाइन हैं और कहीं पर डबल लाइनें हैं। सब तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन राजस्थान में केवल एक लाइन है, जो छोटी लाइन है और जहां पर एक्सप्रैस के नाम से गाड़ी चलती है, लेकिन कभी भी वह गाड़ी समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचती है। 12 घंटे की जगह 24 घंटे में पहुंचती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाना चाहिए और डबल लाइन बनाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको समय देने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा।

11.00 म.प.

***श्री के.एच. मुनियप्पा** (कोलार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1994-95 के लिए वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने यह साबित कर दिया है कि वे विश्व के सर्वोत्तम वित्त मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे और इसकी ऋण चुकाने की क्षमता भी बढ़ी है। केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक उदारीकरण नीति से कई उद्योगों को पुनर्जीवित करने में सहायता मिली है। देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। माननीय मंत्री द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों से देश में आर्थिक स्थिरता लाई जा सकी है।

आने वाले वर्षों में हम देश में बेरोजगारी की समस्या को सुलझा सकेंगे। इसके लिए मैं, माननीय वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह और माननीय राज्य मंत्री श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति का धन्यवाद करता हूं।

विदेशों में किसानों को सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके उत्पादों के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य प्राप्त होते हैं। उनको अनेक प्रकार से हमेशा राज सहायता मिलती रहती है। हमारे देश में 70 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर आश्रित हैं। तथापि, उन्हें वांछित सीमा तक प्रोत्सहित नहीं किया जा रहा है। डा. मनमोहन सिंह इन सभी बातों से अवगत हैं। मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे कृषक समुदाय के हितों को संरक्षण प्रदान करें।

बड़े किसान राज सहायता के एक बड़े हिस्से का लाभ उठा रहे हैं। वे छोटे किसानों, कार्मिकों आदि के नाम से आवेदन करके पूरी राज सहायता प्राप्त कर लेते हैं। इस घपले में अधिकारी भी उनका साथ देते हैं।

मैंने ऐसी घटनाएं अपने निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के कोलार जिले में होते हुए देखी हैं। केन्द्रीय सरकार राज सहायता के रूप में लगभग 5000 करोड़ रुपये प्रदान कर रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से राज सहायता की राशि को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का अनुरोध करता हूं। केन्द्रीय सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि राजसहायता सभी किसानों को मिले।

इस पर बड़े किसानों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। छोटे किसानों को भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसानों को राजसहायता के रूप में प्रत्येक टन उर्वरक के लिए लगभग 1000 रुपये की राशि मिलनी चाहिए। किसानों को लाभकारी कीमतें भी मिलनी चाहिए। किसान हमारी अर्थव्यवस्था के आधार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुनियप्पा आप किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई सुविधाओं के बारे में जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री के.एच. मुनियप्पा : जी, हां महोदय। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे देशभर में किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करायें।

*मूलरूप से कन्नड में दिए गए भाषण का अनुवाद।

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

महोदय, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) द्वारा बहुत अच्छी घड़ियां तैयार की जाती हैं। दुर्भाग्य से एच.एम.टी. की स्थिति बहुत दुखद है। टुमकूर में एक कारखाना है और इसके कर्मचारी कई दिनों तक हड़ताल पर रहे। एच.एम.टी. की श्रीनगर शाखा भारी घाटे पर चल रही है। मेरा यह अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एच.एम.टी. को वित्तीय सहायता प्रदान की जाये, ताकि वह पुनर्जीवित हो सके।

भारत अर्थ मूवरर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने प्रतिवर्ष रेल यात्री डिब्बों का आर्डर दिया था। दुर्भाग्य से इस वर्ष अब तक बी.ई.एम.एल. को कोई आर्डर नहीं दिये गए। कपूरथला कोच फैक्टरी को अधिक आर्डर मिल रहे हैं। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो बी.ई.एम.एल. का क्या होगा? बी.ई.एम.एल. के प्रशिक्षित इंजीनियरों, मकैनिकों और अन्य कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ा है। बी.ई.एम.एल. की क्षमता प्रतिवर्ष एक हजार यात्री डिब्बों का निर्माण करने की है। अतः, केन्द्रीय सरकार और विशेषतः रेल मंत्रालय द्वारा बी.ई.एम.एल. की सहायता की जानी चाहिए।

भारत गोल्ड माइन्स मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। यह उद्योग गत 112 वर्षों से चल रहा है। यह उद्योग भी संकट में है। बी.जी.एम.एल. की एक बहुत बड़ी आधुनिक कार्यशाला है। अतः, माल डिब्बों के विनिर्माण के लिए बी.जी.एम.एल. को आर्डर दिए जाने चाहिए। बी.जी.एम.एल. का मैसूर सरकार से कई दशकों पूर्व अधिग्रहण किया गया था। इसके घाटे प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं। उद्योग मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्यों ने बी.जी.एम.एल. का दौरा किया था और उन्होंने बी.जी.एम.एल. को पुनर्जीवित करने की आशा प्रकट की है। विशेषज्ञ की भी यही राय है।

कोलार गोल्ड फील्ड (के.जी.एफ.) के उत्तर की ओर श्रीनिवासपुरा तक फैले क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क मिलता है, जो कि के.जी.एफ. से लगभग 80 कि.मी. दूर है।

बेहतर किस्म का सोना उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्ध अयस्क से निकाला जा सकता है। प्रत्येक टन अयस्क से 36 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। कुछ व्यक्तियों का मत है कि मात्र 100 ग्राम सोना प्रति टन प्राप्त होना ही लाभप्रद है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए तथा इस दिशा में तुरंत शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण को भी बी.जी.एम.एल. के पास आर्डर देने के लिये कहा जाना चाहिए। बी.जी.एम.एल. के पास 1200 एकड़ भूमि भी है। यह भूमि पिछले कई वर्षों से अनुपयुक्त पड़ी है। संबंधित प्राधिकारियों को बी.जी.एम.एल. के लाभ के लिए इस भूमि के समुचित उपयोग के लिए कदम उठाने चाहिए। चोरी के मामलों में वृद्धि हो रही है, क्योंकि प्रबंधक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं। बी.जी.एम.एल. को पुनः अर्थक्षम बनाया जा सकता है। यदि इसके लिये 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाएं। यही मत कई सांसदों, विशेषज्ञों, इंजीनियरों तथा अन्य व्यक्तियों का भी है। बी.जी.एम.एल. के कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 10,000 है। लगभग 3 लाख श्रमिक भी बी.जी.एम.एल. की विभिन्न गतिविधियों में कार्यरत हैं। इनमें से कई बी.जी.एम.एल. पर पिछले कई दशकों से निर्भर हैं। आज वे कहां जा सकते हैं?

महोदय, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। गुप्तकाल स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है। मैं महसूस करता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री भी हमारे देश को स्वर्ण युग में ले जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव चन्द्रगुप्त की तरह हैं तथा हमारे माननीय वित्त मंत्री चाणक्य की तरह हैं। मेरा विश्वास है कि वे हमारे देश को प्रगति तथा समृद्धि के युग में ले जाएंगे। महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं तथा इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मनमोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अत्यधिक रुचि तथा सम्मानपूर्वक वित्त विधेयक पर सदन के दोनों पक्षों की ओर से दिए गए सभी भाषणों को सुना।

एक प्रकार से, वित्त विधेयक पर हुआ वाद-विवाद बजट पर ही सामान्य वाद-विवाद के दौरान की गई चर्चा की पुनरावृत्ति थी। शायद यह अवश्यम्भावी था। तथापि, कुछ मुख्य विषय थे और इनका संबंध मुख्य रूप से लघु क्षेत्र से संबंधित आंतरकि ऋण, विदेशी ऋण, मुद्रास्फीति और कर उपायों के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना उत्तर कल के लिए जारी रख सकते हैं। आपके द्वारा सदन में प्रदर्शित अद्वितीय धैर्य के लिए मैं आपका अत्यन्त धन्यवाद करता हूं।

सभा कल 6 मई, 1994 को पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

11.11 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 6 मई, 1994/16 वैशाख, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।